खण्ड-330, अंक-7
बुधवार, 8 चैत्र, शक संवत् 1900
(29 मार्च, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 330 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के अवसर पर मुख्य सचिव तथा अन्य सचिवों की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में व्यवस्था	823–824
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	824–838
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	839
श्री राज्यापाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	839–841
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	841–842
रेलवे सुरक्षा दल, हरदोई के सिपाहियों द्वारा चीनी मिल के सुरक्षा अधिकारी एवं एक अन्य व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देने व एक अन्य व्यक्ति को घायल कर देने के कथित आरोपों के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	842–846
आयुर्वेदिक छात्रों का विधान सभा के सामने आमरण अनशन के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	846–854
के0 डी0 सिंह 'बाबू' की मृत्यु के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य ..	854–855
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया)	855
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1978 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	855–856
नत्थियां	857–866

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 29 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 373

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अबधेश प्रसाद, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री

एo सीo ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम ,श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री

गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवन, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री

फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्मू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द्र, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणबीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री

रमा शंकर कौशिक, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा,श्री
राम अधार, श्री
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
राम पति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह,श्री
राम रतिदेवी, श्रोमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्री चन्द, श्री

श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्री राम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सज्जावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
स्वरूप कुमारी बक्शी, श्रीमती
हबीब अहमद, श्री
हर देव सिंह श्री
हर प्रताप सिंह,श्री
हरि केवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकट)
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिवार, श्री
हेम राज, श्री

नोट:—गन्ना विकास मंत्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर
बुधवार 29 मार्च, 1978

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

वाराणसी जिले में गंगा नदी के पानी में कमी

**1—श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेंगी कि क्या जनपद वाराणसी में गंगा नदी का पानी काफी मात्रा में पिछले तीन वर्षों से कम होता चला जा रहा है? अगर हां, तो क्यों और इस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

सिंचाई उप मंत्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)—

जनपद वाराणसी में पिछले तीन वर्षों में गंगा नदी के पानी में कोई कमी नहीं हुई है। अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जैसा कि सर्व विदित है कि बनारस के पास और बनारस शहर में गंगा सूखती चली जा रही हैं और बनारस के आस-पास करीब 26 लघु नहरें सिंचाई विभाग की तरफ से बनाई गयी हैं, जिसमें 1625 घन फुट पानी प्रति सेकेण्ड, सिंचाई हेतु निकाला जा रहा है, देवकली जमानियां से 1200 घनफुट प्रति सेकेण्ड, व नारायणपुर पम्प कैनाल से 1800 घनफुट प्रति सेकेण्ड, पानी निकाला जा रहा है। इस तरह से कुल 4625 घनफुट प्रति सेकेण्ड, पानी गंगा से निकाला जा रहा है। इस तरह से मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन तमाम लघु नहरें, पम्प कनालों के जरिये 4625 घनफुट पानी सिंचाई के लिए निकाला जा रहा है, उससे गंगा के पानी के बहाव में धीमापन जो आया है, वह कितने घनफुट के हिसाब से कमी आई है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, जहां तक पानी की कमी होने का संबंध है और लिफ्ट कैनाल से संबंध है, इसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट का एक डिस्चार्ज लेने वाली सर्किल वाराणसी में है, और वह मालवीय ब्रिज जा है, उसके हिसाब से जो हमारे आंकड़े हैं, यदि माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं उसको बता सकता हूं। लिफ्ट कैनाल से पानी लेने का जहां तक संबंध है, जो दो नहरें हैं, 1854 में अपर गंगा बनी हुई थी और 1878 में लोवर गंगा बनी हुई थी। डलमऊ में एक है, जिसका 800 क्यूसेक उसका डिस्चार्ज है। देवकली, जमानियां का जिक्र किया गया, यह तो वाराणसी की बात माननीय सदस्य ने किया। मान्यवर, एक और चीज इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा, एक और योजना बन रही है, पानी कम होने का तो सवाल ही नहीं है। गंगा में पांच साल बाद पानी और बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के तीनों प्रदेशों के स्तर पर योजना बनाई जा रही है। वैसे जो आंकड़े हैं, अगर आप आदेश दें, तो उन आंकड़ों को बतला सकता हूं, पानी में कमी नहीं हुई है, बल्कि बढ़ोत्तरी हुई है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं अपना पहला सवाल दोहरा रहा हूं। जो 26 लघु नहरें सिंचाई विभाग की तरफ से बनारस में हैं, उनके जरिये 1625 घनफुट पानी निकाला जा रहा है प्रति सेकेण्ड, देवकली से 1200 घनफुट, प्रति सेकेण्ड, नारायणपुर से 1800 घनफुट पानी निकाला जा रहा है। इस तरह से 4625 घनफुट प्रति सेकेण्ड पानी निकाला जा रहा है। मान्यवर, यह साफ है कि वहां पर पानी कम हुआ है। इसका संबंध बंगला देश या लोअर कैनाल, अपर कैनाल से नहीं है, बल्कि इसका संबंध सीधा बनारस से है, पूर्वांचल से है। इस तरह से जो गंगा का पानी 4625 घनफुट के हिसाब से प्रति सेकेण्ड खींचा जा रहा है, उससे कितने घनफुट के हिसाब से गंगा के बहाव में कमी आई है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, कोई कमी इसमें नहीं आई है। अगर माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, जो सेन्ट्रल का डिस्चार्ज लेने वाला सर्किल है, उसकी जो रिपोर्ट है, उसको यदि चाहें, तो बतला सकता हूं। पानी में कोई कमी नहीं आई है। 3500 क्युसेक से कम पानी बनारस में उपलब्ध न हो, यह कोशिश की जाती है।

जैसा मैंने पहले निवेदन किया और जैसा आपने बताया कि जमनियां और देवकली नहरों के बारे में, तो यह नहरें बनारस के नीचे की हैं, लिहाजा बनारस में पानी कम होने का कोई सवाल नहीं है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं बतलाना चाहता हूं कि मार्च, 71 में 331.36 क्युसेक्स पानी था। इसके बाद मार्च, 77 में 308 था। इसी प्रकार 1976 में 335.97 था। 1975 में 270 था। 1974 में 228 था और 1973 में 280 था। 1972 में 386 था। नवम्बर, 1971 में 1686 था। इसके बाद 197 में 1595

था और 1973 में 1420 था। तो गंगा नदी में हर साल पानी कम नहीं हो रहा है। जो भी लिफ्ट कैनाल बनायी जा रही है, उसमें यह ध्यान रखा गया है कि पानी किसी प्रकार से कम न हो। बाण सागर बांध बनने पर 5 साल बाद पानी दो गुने हो जाने की संभावना है।

श्री श्यामदेव (जिला वाराणसी)---

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वाराणसी में पेयजल की समस्या जटिल होती जा रही है, तो क्या वास्तव में गंगा में पानी कम हुआ है। यदि कम हुआ है, तो कितनी मात्रा में पानी कम हुआ है ?

श्री अध्यक्ष---

इसका उत्तर दे चुके हैं। वह कहते हैं कि कोई कमी नहीं हुई है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वाराणसी में, डी0 एल0 डब्लू0 और राम नगर, बसंतपुर मिलों आदि का गंदा पानी तथा कूड़ा कचरा बहकर गंगा में जाता है। इससे गंगा की तलहटी वाराणसी में ऊंची होती जा रही है, तो क्या इसके कारण पानी की कमी महसूस हो रही है ? यदि हां, तो इसके लिये क्या उपाय सरकार सोच रही है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

इस संबंध में माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है,उस पर सूचना की आवश्यकता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने उल्लेख किया था, तो उन नहरों से गतवर्ष कितने एकड़ सिंचाई हुई और इस वर्ष कितनी सिंचाई हुई ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

मान्यवर, इसके लिये अलग से सूचना की आवश्यकता होगी। जितनी गंगा की नहरें हैं उनका इस समय कोई आंकड़ा मौजूदा नहीं है।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)---

जैसा माननीय सदस्य के पूछने की मंशा है, तो क्या यह सत्य है कि वाराणसी में गंगा के पानी का जो बहाव है, वह इन तमाम नहरों से जो पानी निकल रहा है, उससे कम होता जा रहा है। तो क्या सरकार के अधीन वहां गंगा को गहरा करने की योजना विचाराधीन है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

गंगा को गहरा करने का कोई प्राविधान नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा कि पानी में कोई कमी नहीं आई है, मैंने आंकड़े भी बता दिये हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार को ज्ञात है कि गर्मियों के दिनों में गंगा नदी एवं सहायक नदियों में पानी की कमी हो जाने के कारण, हिटर लैण्ड, भदोई एरिया और ज्ञानपुर तहसील और जौनपुर में वाटर लेवेल नीचे चला जाता है, जिससे ट्यूबवेल्स का पानी सूख जाता है। यदि हां, तो क्या टेक्निकल सलाह के लिये इस प्रश्न को गंगा कमीशन को रेफर करेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

जहां तक पानी के नीचे जाने का संबंध है, जहां पर भी ट्यूबवेल का एरिया है, वहां ट्यूबवेल से पानी सिंचाई के लिये जब लिया जाता है, तो वाटर लेवेल नीचे चला जाता है। इस लिये ऐसे स्थानों पर हम यह विचार करते हैं कि किस आधार पर वहां पानी को बैलेंस करें...

श्री अध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी का प्रश्न है कि मंत्री जी गंगा कमीशन को इस प्रश्न को क्या रेफर करेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, इस संबंध में, जहां पानी कम होने का संबंध है, मैंने कह दिया कि पानी कम नहीं है। माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं, इस संबंध में हम विचार करके कोई निर्णय बाद में लेंगे।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वाराणसी जनपद के वाराणसी तहसील और ज्ञानपुर तहसील, जिसकी जानकारी तिवारी जी ने दिया कि वहां वाटर लेवेल नीचे चला जाता है, जिसको ठीक करने के लिये सरकार ने गंगा पम्प कैनाल योजना बनायी है, जिससे वाटर जेनेरेट हो सके और पानी की कमी दूर हो सके, इसके लिये 18 करोड़ की योजना चालू हो गयी है और स्वीकृति मिल गयी है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, जहां पानी नीचे जाता है, वहां उसके वाटर लेवेल को बैलेन्स करने के लिये जहां संभव होता है, वहां नहरों के निर्माण की योजनायें कार्यान्वित करते हैं और करेंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस प्वाइन्ट पर गंगा, वाराणसी जनपद में दाखिल होती है, उस जगह का जून, 1975 से जून, 1977 तक डिस्चार्ज कितना है ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें आप फिर से सवाल दीजिएगा। इससे नहीं निकलता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 30 साल में क्या कभी इस बात का सर्वे पिछली सरकार ने करवाया कि वाराणसी के आस पास भूमि के अन्दर पानी की सतह क्या है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, इस संबंध में जानकारी लेना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने कह तो दिया कि जानकारी मिलने पर बता सकेंगे।

गोरखपुर जिले के ग्राम रामपुर की खाण्डसारी इकाई की बन्दी और बकाया गन्ना मूल्य

**2—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसान खाण्डसारी मिल रामपुर-हरपुर तिवारी, जिला गोरखपुर के प्रबन्धक संचालक ने उसे बन्द कर दिया है जिससे गन्ना किसानों में गम्भीर रोष व्याप्त है ? यदि हां, तो इस मिल को तुरन्त चलवाने की दिशा में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

गन्ना विकास मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

जी हां। जिला गोरखपुर के ग्राम रामपुर, पोस्ट हरपुर तिवारी में स्थित खण्डसारी इकाई, जो वर्तमान सीजन में जनरेटर की खराबी तथा आर्थिक कठिनाइयों के कारण बन्द हो गयी है, को पुनः चलवाने का प्रयास किया गया, परन्तु वह आर्थिक कठिनाइयों व हानि के कारण इकाई चलाने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बतलायेंगी कि आर्थिक कठिनाई और जनरेटर की खराबी की जांच किस अधिकारी ने की और कब की और इसकी सूचना शासन को कब मिली ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, यह तिथि तो नहीं है, लेकिन अधिकारी वहां जाने पर पाये हैं कि स्वामी एवेलेबुल नहीं होते हैं और आर्थिक कठिनाइयों के कारण वह छिपे रहते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

अध्यक्ष जी, इसके जो प्रोप्राइटर हैं, साढ़े चार लाख रुपया मजदूरों और किसानों का बाकी है, इसलिये वह भागे रहते हैं। तो क्या उन सारे तथ्यों को छिपाने के लिये जो विभाग ने उत्तर दिया है, इसको अस्वीकृत करते हुये माननीय मंत्री जी पूरे मामले की छानबीन करके, आवश्यक कार्यवाही करेंगी जिससे किसानों और मजदूरों का पैसा तुरन्त मिले और गन्ना मिल को तुरन्त चालू किया जा सके ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, अभी मैंने माननीय सदस्य से व्यक्तिगत रूप से जानकारी ली है। मैं उस पर अवश्य कार्यवाही करूंगी।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि साढ़े चार लाख रुपया किसानों का उस पर बकाया है उसकी वसूली के लिये कोई रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने का आश्वासन देंगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जैसा मैंने अभी कहा, मैं इसके लिये अवश्य प्रयास करूंगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मंत्री जी ने कहा कि इस मिल को चालू करने का प्रयास किया गया, तो आखिर क्या प्रयास किया गया ?

श्रीमती चन्द्रावती—

प्रयास यही किया गया कि उनसे संपर्क स्थापित करने को कहा गया और आदेश भी दिये गये, लेकिन वह मिलते नहीं। प्रयास असफल रहा है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

इस सदन में, यह घोषणा की गयी है कि जो खंडसारी मिलें गन्ना रहते बन्द हो जायेंगी उनके लाइसेन्स कैंसिल कर दिये जायेंगे और सख्त कार्यवाही की जायेगी। इस इकाई के विरुद्ध भी क्या यह कार्यवाही करने की सोच रही हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती—

नीति घोषित हो चुकी है। उनके लाइसेन्स कैंसिल किये जायेंगे और सख्त कार्यवाही की जायगी।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आर्थिक या दूसरी कठिनाइयों के कारण मिल तो बन्द है और किसानों का गन्ना पड़ा हुआ है, तो उसके लिये क्या व्यवस्था सरकार कर रही है?

श्रीमती चन्द्रावती—

मैंने कहा कि उसके लिये अवश्य कदम उठाये जायेंगे और किसानों के गन्ना की कीमत दिलाने की कोशिश की जायगी।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

गन्ना किसानों का पड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, इनका प्रश्न यह है कि अब अप्रैल का महीना आ रहा है और गन्ना खड़ा हुआ है, तो उसके क्रशिंग की क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, गोरखपुर में ऐसी स्थिति नहीं है। वहां 5 मिलें हैं पेराई की अच्छी व्यवस्था है। इस यूनिट के बन्द होने से पेराई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस क्षेत्र का गन्ना किस मिल को जाता है और उसकी क्या कैपेसिटी है?

श्रीमती चन्द्रावती—

इसमें सूचना की आवश्यकता है। पूरे जिले का अगर चाहें, तो मैं बतला सकती हूं। इस वक्त तक 58 लाख 91 हजार कुन्तल गन्ना पिर चुका है।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित यह स्थिति प्रदेश की है तो क्या इस पर विशेष चर्चा कराने की कृपा करेंगी?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न पैदा नहीं होता। मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा कि नियम 52 में इस पर 2 घंटे की चर्चा की स्वीकृति है और समय निश्चित कर दिया जायगा।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

इस तरह से आर्थिक या और कारणों से मिल नहीं चल रही है या खंडसारी प्लान्ट नहीं चल रहे हैं, तो जनहित में सरकार उनको टेक-ओवर करने का विचार कर रही है?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी अनुमति नहीं देता। यह व्यापक प्रश्न है।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मंत्री जी ने कहा कि इस मिल को चलाने के लिये आदेश दिये गये, लेकिन उनको गम्भीरता से नहीं लिया गया और गन्ने की पेराई की विकट समस्या है ? तो क्या अगले किसी कदम पर विचार करने के बारे में कोशिश करेंगे ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, जो गन्ना है, उसको पेराने के लिये वहां पर 5 मिलें हैं, जिनमें पूरी व्यवस्था हो सकती है।

श्री राम नरेश पान्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, देवरिया जिले के उत्तरान्चल में, जहां 10 मिलें हैं, वहां तीन चौथाई गन्ना पड़ा है। यह एरिया अनट्रांसपोर्टेड है। यह रिजर्व एरिया है, तो जो गन्ना बच जायगा उसके लिये कोई व्यवस्था करेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

उत्तर दे चुकी हैं।

श्री राम नरेश पाण्डेय—

मान्यवर, हमारा प्रश्न है कि वहां उसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अब नहीं। मैंने अगला प्रश्न ले लिया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नरायणदत्त तिवारी, कृपया उनको समझायें।

जूनियर हाई स्कूल परीक्षा को सार्वजनिक रूप से कराये जाने का निर्णय

**3—श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री एल0 पी0 भरद्वाज का कोई पत्र दिनांक 22 फरवरी, 1978 को प्राप्त हुआ था, जिसमें शासन द्वारा सभी विद्यालयों में कक्षा 8 की परीक्षा को सार्वजनिक परीक्षा के रूप में लेने का अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो क्या इस विषय पर शिक्षा विभाग के रजिस्ट्रार डिपार्टमेंटल एक्जामिनिशन से रिपोर्ट मांगी गयी है और क्या उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कक्षा 8 की परीक्षा को सार्वजनिक परीक्षा के रूप में लेने का निर्णय लिया है, यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त विषय पर उन्हें अध्यक्ष विधान सभा का भी कोई पत्र प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण)—

जी नहीं, श्री एल0 पी0 भारद्वाज का पत्र दिनांक 27–2–78 को प्राप्त हुआ जिसके साथ 26–2–78 के दैनिक 'पायनियर' की कटिंग पब्लिक ओपीनियन जूनियर हाई स्कूल एक्जाम, संलग्न थी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जूनियर हाई स्कूल परीक्षा को सार्वजनिक परीक्षा के रूप में कराने का प्रश्न पहले से ही शासन के विचाराधीन था।

जी हां, दिनांक 8–3–78 का पत्र दिनांक 10–3–78 को प्राप्त हुआ था। प्रश्नगत परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है।

श्री नेम सिंह चौहान—

माननीय शिक्षा मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगें कि ये परीक्षायें कौन से वर्ष से प्रारम्भ की जा रही है ?

श्री कालीचरण—

श्रीमन्, यह जो पूर्व में परीक्षा होती थी इस परीक्षा के सारे प्रदेश में संयोजक रजिस्ट्रार डिपार्टमेंटल एक्जामिनेशन होते थे। इस समय चूंकि काफी विलम्ब हो चुका था, सारे प्रदेश के स्तर पर यह परीक्षा ली नहीं जा सकती थी, इसलिये परीक्षा तो इसी वर्ष से प्रारम्भ की जा रही है, लेकिन वह जनपदीय स्तर पर होगी और अगले वर्ष जैसे पूर्ववत् परीक्षा होती थी, वैसे ही परीक्षा लेने का विचार है।

श्री नेम सिंह चौहान—

मान्यवर, इस परीक्षा के लिये सारे प्रश्न-पत्र तैयार हैं, कापियां तैयार हैं, तो इस परीक्षा को लेने में असुविधा क्या होगी ? माननीय अध्यक्ष जी, इस परीक्षा के न होने से जो परीक्षा का प्रतिशत परीक्षाफल था, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह बढ़ा है और बढ़ा है तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री कालीचरण—

मान्यवर, जब यह परीक्षा ही नहीं हो रही है तो कुछ वर्षों से तो परीक्षा के प्रश्न-पत्र तैयार होने या कापियां तैयार होने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री नेम सिंह चौहान—

माननीय शिक्षा मंत्री जी, क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो डिपार्टमेंटल परीक्षा नहीं हुयी, तो क्या इस कारण से परीक्षाफल का प्रतिशत बढ़ा है-90 से 100 तक ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दे चुके हैं कि पहले रजिस्ट्रार व्यवस्था करते थे। इस वक्त जनपद से होगा और अगले साल इसकी व्यवस्था होगी।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कार्य के लिये पहले जिस ढंग से व्यवस्था थी, वैसी ही रहेगी या अलग से बोर्ड बनाने की व्यवस्था की जावेगी ?

श्री काली चरण---

मान्यवर, अलग से बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, हाई स्कूल की परीक्षा को देखते हुये कि कितनी गड़बड़ियां होती हैं, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस चीज का क्या औचित्य समझते हैं कि सार्वजनिक रूप से आठवीं की परीक्षा ली जाय ?

श्री काली चरण---

श्रीमन्, जब से परीक्षायें समाप्त कर दी गयीं और विद्यालयों को अधिकार दिया गया है कि परीक्षाये लें, तो ऐसी निरन्तर शिकायतें मिली हैं कि चूंकि परीक्षा नहीं होती है इस लिये अध्यापक उतनी जिम्मेदारी से न तो पढ़ाई में रुचि लेते हैं और लड़के भी यह समझते हैं चूंकि स्कूल में परीक्षायें होंगी इसलियें वे भी कम पढ़ते हैं, उनका स्तर गिर रहा है इसलिये यह सोचा गया कि परीक्षायें पुनः चालू कर दी जायें ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा---

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार आठवीं कक्षा की सार्वजनिक रूप से परीक्षा ली जायगी, उसी प्रकार हाई स्कूल की तरह आठंवीं कक्षा की भी सार्वजनिक रूप से परीक्षा ली जायगी, ?

श्री काली चरण---

श्रीमन्, अब तक जो नियम हैं, हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य स्वतः ही सक्षम रहे हैं परीक्षा लेने के, लेकिन इस परिपेक्ष्य में यह विचार किया जा रहा है कि दर्जा 8 में जितनी जहां कहीं कोई भी पढ़ाई होती है, प्रत्येक की परीक्षा का माध्यम एक ही हो । इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है (तालियां) ।

श्री नेम सिंह चौहान---

क्या हायर सेकेन्डरी और इन्टरमीडिएट कालेजों में भी, जूनियर हाईस्कूल तक की परीक्षाओं को विभागीय करने का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री काली चरण---

अभी इसके पूर्व प्रश्न के संदर्भ में मैंने यह कहा है कि कक्षा 8 तक की पढ़ाई जहां कहीं होती है, प्रत्येक की एक ढंग से परीक्षा ली जाय, इसकी व्यवस्था पर विचार हो रहा है ।

श्री प्रदीप कुमार बजाज (जिला देवरिया)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष जनपदीय स्तर पर परीक्षा हुई थी, इस बार भी यह व्यवस्था होगी ?

श्री अध्यक्ष---

इसका उत्तर वह दे चुके हैं कि प्रश्न सेट किये जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था प्रदेश स्तर पर न हो कर जनपद स्तर पर हो ।

(श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के खड़े होकर बोलने पर)

आप बैठिये । आप नियम नहीं जानती हैं । आप व्यवधान डालती हैं ।

तारांकित प्रश्न

*1—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 7वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

लखनऊ के नारी शिक्षा निकेतन के प्रिंसिपल की नियुक्ति और अनिवार्य हिन्दी की योग्यता

*2—श्री मोहन सिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—

14 दिसम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नारी शिक्षा निकेतन के प्रिंसिपल पद के लिए जब सीधी भर्ती की गई थी तो क्या उस समय कोई विज्ञापन निकाला गया था ? यदि नहीं, तो वर्तमान प्रिंसिपल की नियुक्ति का आधार क्या था ?

श्री काली चरण—

जी हां । विज्ञापन निकाला गया था । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

*3—श्री मोहन सिंह (अनुपस्थित)—

विधान सभा के 14 सितम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा मैनुअल के नियम 9 में यह स्पष्ट निर्देश है कि इन्टर कालेज के प्रिंसिपल के लिए हाई स्कूल अनिवार्य हिन्दी के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ?

श्री काली चरण—

जी नहीं । स्थायीकरण के लिये है ।

देहरादून जिले में त्वरित योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण

*4—श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून जनपद की त्वरित योजना के अन्तर्गत निर्मित कौन-कौन सी सड़कें रख-रखाव हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की गई हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

जनपद देहरादून में त्वरित योजना के अन्तर्गत 107.53 किलोमीटर लम्बाई के 14 मार्ग, अधूरे कार्यों के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित हुए है । मार्गों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 857 पर)

श्री रणजीत सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सहस्त्रधारा-त्रधाराम, बसन्तपुर-मावसी, हाथीबरकला-मालसी एवं रायपुर-थोना मार्गों पर वर्ष 77-78 में कितने धन का प्राविधान था एवं 78-79 में निर्माण एवं रख रखाव हेतु, उक्त मार्गों पर कितने धन का प्राविधान किया गया है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रणजीत सिंह---

सरकारी नीति के अनुसार प्रदेश की सभी त्वरित योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का रख-रखाव तथा अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु सार्वजनिक निर्माण को हस्तान्तरित की गयी हैं, तब क्या कारण है कि रायपुर थानो मार्ग के लगभग 20 मिलोमीटर मार्ग में से केवल 10.125 किलोमीटर सड़क ही हस्तान्तरित की गयी ? क्या माननीय मंत्री जी जांच करा कर शेष मार्ग को भी सम्मिलित करवाने की कृपा करेंगे। ?

श्री मोहम्मद मसूद खां---

जांच करवा लूंगा।

सिंचाई खंड, देहरादून में नहरों की ओसराबन्दी हेतु उपराजस्व अधिकारी की नियुक्ति की मांग

*5---श्री रणजीत सिंह ---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई खंड, देहरादून में दून नहरों की ओसरा-बन्दी का कार्य इस खंड के लिए उप राजस्व अधिकारी नियुक्त न होने के कारण अवरुद्ध है ? यदि हां, तो इस प्रखंड के कार्यों के लिये उप राजस्व अधिकारी कब तक नियुक्त हो जावेगा ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

प्रश्नगत कठिनाई उपराजस्व अधिकारी के पद पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण उत्पन्न हुई है। ओसराबन्दी हेतु अतिरिक्त राजस्व स्टाफ की स्वीकृति का प्रश्न शासन के विचराधीन है।

श्री रणजीत सिंह---

क्या सिंचाई मंत्री जी बतलायेंगे कि सिंचाई खंड, देहरादून में उप राजस्व अधिकारी का पद कब से रिक्त हैं तथा पद रिक्त के समय ओसराबन्दी के कार्य के संबंध में विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गयी थी ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

1972 के पहले सहारनपुर पूर्वी जमुना कैनाल का जो खंड था, उसी के अन्तर्गत यह उपखंड के रूप में, यहां का कार्य देखा जाता था। 72 में यह खंड अलग किया गया। इसके पश्चात् यह उप राजस्व अधिकारी, सहारनपुर जो हैं, इसका कार्य देखते हैं। जहां तक ओसराबन्दी का प्रश्न है, इस संबंध में चकबन्दी हो जाने के बाद सिंचाई हेतु जो पानी की मांग है उसको ध्यान में रख कर शासन की ओर से यह विचार किया जा रहा है कि 64 नहरों और 4 नलकूपों के लिये उप राजस्व अधिकारी नियुक्त किये जायं, जिससे समुचित ढंग से ओसराबन्दी की जा सके।

रुड़की विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा आई0 आई0 टी0, आई0 आई0 टी0, कानपुर के अनुरूप वेतन मान की मांग

*6---श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)---

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रुड़की विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आई0आई0टी0 कानपुर के अनुरूप वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, जबकि राज्य प्रशासन के प्राविधिक शिक्षा विभाग ने अपने दिनांक 1 मार्च, 1974 के पत्र में इसे सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है और विश्वविद्यालय के सिंडीकेट ने भी दिनांक 24 फरवरी, 1976 तथा 23 जून, 1976 के अपने पत्रों में आई0आई0 टी0 के समकक्ष वेतनमान के दिये जाने का समर्थन एवं संस्तुति की है ? यदि हां, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा उप मंत्री (कुंवर सत्यवीर)--

रुड़की विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को आई० आई० टी०, कानपुर के अनुरूप वेतनमान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि---

(क) यहां के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राज सरकार के कर्मचारियों की भांति उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (71-73) द्वारा संस्तुत वेतनमान 1-8-72 से स्वीकृत कर दिये गये हैं ।

(ख) शासन के पत्र दिनांक 1-3-74 में "रुड़की विश्वविद्यालय को इस प्रदेश का ही नहीं वरन् देश का गौरव" बताया गया है और इस पत्र द्वारा वहां के पदों के वेतनमानों कें उच्चीकरण के लिए एक उपसमिति गठित कर दी गई । इस समिति ने वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमानों के अतिरिक्त उच्च वेतममान देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यद्यपि विश्वविद्यालय के सिंडीकेट ने इसका समर्थन किया था और जिसका उल्लेख विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पत्र, दिनांक 24-2-76 में था ।

(ग) आई० आई० टी०, कानपुर के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमान केंद्रीय शासन के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान के अनुरूप हैं । ये वेतनमान राज्य के अन्तर्गत किसी कर्मचारी वर्ग को नहीं दिये गये है ।

*7---राज कुमार शर्मा---

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने दिनांक 24 फरवरी, 1977 को एतद्विषयक आवेदन-पत्र मुख्य मंत्री, प्राविधिक शिक्षा मंत्री तथा सचिव को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

कुंवर सत्यवीर---

जी हां । शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आई० आई० टी० वेतनमान की मांग पर शासन द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया और इसे न्यायोचित नहीं पाया गया ।

श्री राजकुमार शर्मा---

मान्यवर, रुड़की यूनिवर्सिटी को आई० आई० टी० के बराबर माना गया हैं और वहां के शिक्षक वर्ग को आई० आई० टी०, कानपुर के बराबर वेतन दिया जा रहा हैं, लेकिन जो नान टीचिंग स्टाफ है, उसको उनके बराबर वेतन नहीं दिया जा रहा है । मेरा प्रश्न यह है कि 1-3-74 के पत्र में शासन ने रजिस्ट्रार, रुड़की यूनिवर्सिटी को जो लिखा हैं कि 15 फरवरी, 74 को असंगति निवारण समिति की बैठक हुई, उसने यह सिफारिश की कि अन्य विश्वविद्यालयों में भी वही वेतनमान होने चाहिये, जो आई० आई० टी०, कानपुर के नानटीचिंग स्टाफ के हैं, तो फिर रुड़की यूनिवर्सिटी के नान-टीचिंग स्टाफ को उस आधार पर वेतनमान क्यों नहीं दिये जा रहे हैं ?

श्री काली चरण---

श्रीमन् आई० आई० टी०, कानपुर, भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था है और उसके सारे वेतनमान भारत सरकार द्वारा दिये जा रहे हैं । प्रदेश में रुड़की विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि उसके अतिरिक्त कई अन्य इंजीनियरिंग कालेजेज भी हैं । जहां तक शिक्षण कर्मचारियों और प्राध्यापकों का प्रश्न हैं, उनके लिये यू० जी० सी० ने वेतनमान संस्तुत कर दिया है और जो शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं और उसी स्तर के अन्य बहुत से कालेजज हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, उनको वेतन देने का प्रश्न है और सरकार वेतन देने के

प्रश्न हैं, वह किसी तरह से इस समय सम्भव नहीं हैं। इसलिये वेतन आयोग ने जो वेतन संस्तुत किया हैं, शासन वही वेतन दे रहा हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

मंत्री जी ने उनको यह वेतनमान न दिये जाने का एक कारण लिखा हैं कि रुड़की विश्वविद्यालय, इस प्रदेश का ही नही बल्कि देश का गौरव है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि रुड़की विश्वविद्यालय को आई0 आई0 टी0, कानपुर के समान वेतनमान नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह देश का एक गौरव हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप तर्क दे रहे हैं।

श्री राज कुमार शर्मा—

श्रीमन्, मै वह पत्र पढ़कर सुना दूं जिसमें इसे देश का गौरव बताया गया है। यह 1–3–74 का पत्र है। मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रुड़की विश्वविद्यालय के कतिपय पदों के नये वेतनमानों में हुई असंगतियों के संबंध में दिनांक 15 फरवरी, 1974 को असंगतियां निवारण समिति की बैठक हुई थी, जिसमें यह विचार व्यक्त किया गया था कि रुड़की विश्वविद्यालय इस प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का गौरव हैं और इस विश्वविद्यालय के पदों के नये वेतनमान राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा उच्च होने चाहिये। इसी कारण उक्त समिति द्वारा रुड़की विश्वविद्यालय के पदों · · ·

श्री अध्यक्ष—

आप तो वक्तव्य दे रहे हैं। आप प्रश्न पूछें। आपको मंत्री जी से क्या सूचना मिली है ?

श्री राजकुमार शर्मा—

मैं हाउस को एक बात बता दूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के समय यह नहीं होगा। इससे सदन का समय लिया जा रहा है। यह सब कहने की आवश्यकता इस समय नहीं है।

श्री राजकुमार शर्मा—

वहां पर जो नान-टीचिंग स्टाफ है—क्लर्क, सुपरवाइजर और रिसेप्शनिस्ट वह 200–300 रुपये वेतन पा रहा है। मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इनकी तनख्वाह पर विचार करने के लिये कोई एक उप-समिति या कमीशन गठित करने पर बिचार कर रहे हैं ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, इस तरह का कोई विचार नहीं है।

श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

मैं माननीय शिक्षा मंत्री से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में जितने बिश्वबिद्यालय हैं उनके शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और प्राविडेन्ट फंड आदि में, पैरिटी करने के संबंध में सरकार का कोई विचार है ?

श्री काली चरण---

श्रीमन्, मैंने बताया कि वेतन आयोग बना था, उसने सबके बारे में विचार किया था और संस्तुति की थी । उसी के अनुसार सबको वेतन मिल रहा है । जब तक सरकार यह निर्णय नहीं ले लेती या कोई वेतन आयोग नहीं बनाया जाता तब तक इस तरह का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं हैं ।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्ययम से शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कुमायूं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंधित डिग्री कालेज के अध्यापकों तथा कर्मचारियों और अन्य शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ता देंगे ?

श्री काली चरण---

मान्यवर, यह प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं और रुड़की विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न था इसका संबंध ऐसा नहीं है कि सारे विश्वविद्यालयों से हो और आप आदेश दें, तो इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में, सारे विश्वविद्यालयों से सूचना इकट्ठा कर ली जाय ।

श्री नेमसिंह चौहान---

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह जो विश्वविद्यालय हैं, उनसे संबंधित जितने विद्यालय हैं उनके शैक्षणिक कर्मचारियों को धन को सुविधा जो है, वह 15 प्रतिशत विधालयों को दी जाती है, क्या उसको 13 प्रतिशत कर देने की कृपा करेंगे ? मेरी जानकारी है कि वहां पर पैसा बच जाता है ।

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न रुड़की विश्वविद्यालय से संबंधित है आप इसकी परिधि बढ़ा रहे हैं । मैं अनुमति नहीं देता ।

सीतापुर जिले के कस्बा हरगांव के टीले का पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण एवं संग्रहालय बनाये जाने की मांग

*8---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी है कि सीतापुर जिले के हरगांव नामक कस्बे के टीलों, मन्दिरों एवं अन्य स्थानों के सर्वेक्षण से यह बात ज्ञात हुई है कि वहां के टीले ढाई हजार वर्ष पुराने हैं तथा वहां कुषाण काल के कुछ सिक्के भी मिले हैं ? यदि हां, तो वस्तु स्थिति क्या है ? तथा क्या सरकार वहां कोई संग्रहालय बनाने का विचार कर रही है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां---

जी हां ।

हरगांव स्थित टीले वाला स्थल अनुमानतः ढाई हजार वर्ष पुराना है । वहां कुषाणकाल के कुछ तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं ।

वहां पर कोई संग्रहालय स्थापित करने की योजना नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि यह टीला ढाई हजार वर्ष पुराना है और इसमें तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं । जिसका सर्वेक्षण एवं उत्खनन उत्तर प्रदेश के राज्य पुरातत्व विभाग के अधिकारी द्वारा किया गया है । जिसमें उन्होंने संस्तुति की है कि वहां पर कुषाण

और गुप्त काल की मूर्तियां, सिक्के तथा अन्य सामग्री प्राप्त हुई है। मान्यवर, सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वह टीला पुरातत्व सामग्री से परिपूर्ण है, जहां पर लोगों ने अपने घर बना लिये ह और खेती हो रही है। उसको राज्य पुरातत्व विभाग के संरक्षण में लेना अति आवश्यक है। यह भी संस्तुति की है कि वहां पर एक संग्रहालय बनाया जाय, जिससे भावी पीढी को अपना प्राचीन इतिहास समझने में सहायता हो। इन सब बातों के होते हुये वहां पर संग्रहालय न बनाने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जहां तक इस टीले का ताल्लुक है इस पर आबादी, खेती, स्कूल और मंदिर हैं और तमाम दूसरे लोग काबिज हैं आबादी ज्यादा है लिहाजा जरूरी नहीं है कि उसको लिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, वह जो टीला है उस पर जो लोग हैं, उनको हटाना कोई कठिन नहीं है। वहां पर जो अलभ्य सामग्री है, वह नष्ट हो रही है। इसलिए मैं मंत्री जी से पुनः जानना चाहता हूं कि उस सामग्री के संरक्षण और रख-रखाव के लिए सरकार कोई प्रयास करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां---

इस वक्त जो मूर्ति मिली है, वह मंदिर में है और इसी तरह से किया जा रहा है। इसमें कोई सामग्री होगी, इस आधार पर आबादी को हटाना मुमकिन नहीं है।

शाहजहांपुर जिले के आर0 बी0 एम0 इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य के निलम्बन की समाप्ति और कार्यवाहक प्रधानाचार्य के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

*9- -श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तिलहर, शाहजहांपुर के आर0बी0एम0 इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य का निलम्बन 18 मई, 1977 को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा समाप्त कर दिया गया फिर भी उन्हें आज तक चार्ज क्यों नहीं दिलवाया गया और इस विषय में आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? तथा क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले की तिलहर नगरपालिका में स्थित आर0 बी0 एम0 इन्टर कालेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के विरुद्ध गंभीर आरोप तथा लिखित शिकायत तिलहर के नागरिकों द्वारा दिनांक 9 जुलाई, 1977 तथा 18 अगस्त, 1977 को जिला विद्यालय निरीक्षक से की गई ? यदि हां, तो उनकी जांच आज तक क्यों नहीं की गयी और वह शिकायतें क्या-क्या हैं ?

श्री काली चरण--

आर0 बी0 एम0 इन्टर कालेज जालौन, तिलहर, शाहजहांपुर के प्रधानाचार्य का निलम्बन दिनांक 16/18 मई, 1977 को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा समाप्त कर दिया गया था। सम्प्रति यह प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है। इसलिये विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही सम्भव नहीं है। तिलहर के नागरिकों द्वारा प्रश्नगत संस्था के कार्यवाहक प्रधानाचार्य के विरुद्ध किये गये दिनांक 9-7-77 तथा 18-8-77 के शिकायती-पत्र विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त नहीं हुये हैं। शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि प्रधानाचार्य का निलम्बन 18 मई, को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो मैं जानना चाहूंगा कि तत्काल उन्हें कार्यभार देने या दिलाने के संबंध में शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री काली चरण—

उनको कार्यभार देने के आदेश तो दिए गए, लेकिन विद्यालय की प्रबन्ध समिति की ओर प्रबन्धक ने माननीय उच्च न्यायालय में एक से रिट-पिटीशन दाखिल कर दी, जिस पर न्यायालय ने स्थगन आदेश भी दे दिया, अतः प्रधानाचार्य को कार्यभार नहीं ग्रहण कराया जा सका।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जब उक्त प्रधानाचार्य दोषों से मुक्त हो गए और उनका निलम्बन निरस्त कर दिया गया, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने देने के आदेश भी दिए गए थे, फिर भी प्रबन्ध समिति न्यायालय में गई, इससे स्पष्ट है कि समिति प्रधानाचार्य को न्याय से वंचित करने के लिये सचेष्ट है और वह जानबूझ कर उनको परेशान करना चाहती है, तो फिर इसके सेक्शन 16—डी के अन्तर्गत कार्यवाही करने में उन्हें क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर मंत्री जी दे चुके हैं। न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया है। इसलिए इस पर आपका तर्क देना कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, समयानुकूल नहीं है। अब इसका निर्णय तो न्यायालय करेगा। इसलिए यह प्रश्न स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरा प्रश्न तो यह है कि.....

श्री अध्यक्ष—

आप जानते हैं कि प्रश्नों में तर्क नहीं किया जा सकता है। आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरा स्पष्ट आरोप है कि यह प्रबन्ध समिति जानबूझ कर प्रधानाचार्य को परेशान कर रही है और अपने एक चाटुकार व्यक्ति को जो भ्रष्ट है, प्रधानाचार्य बना लिया है जिसके खिलाफ बहुत से चार्जेज हैं। तो क्या मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि इन नये प्रधानाचार्य के खिलाफ जांच कराकर उन्हें हटाने की कृपा करेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

जब तक यह सारा मामला न्यायालय के विचाराधीन है, तब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आप मेरी बात सुन लें, यहां पर दो ईश्यू हैं, एक तो प्रधानाचार्य से संबंधित है और दूसरा प्रबन्ध समिति से सम्बन्धित है। जो प्रधानाचार्य से सम्बन्धित है, वह मामला न्यायालय में है, लेकिन जो प्रबन्ध समिति से सम्बन्धित और जिसने एक अयोग्य और भ्रष्ट व्यक्ति को नियुक्त करा लिया है, वह उससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न तो एक ही है, मैं इसकी इजाजत नहीं देता। अब इस पर कोई विवाद नहीं।

जिला अस्पताल फैजाबाद में कोरोनरी इन्टेंसिव यूनिट के भवन का निर्माण

*10—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिला अस्पताल में कोरोनरी इन्टेंसिव यूनिट के भवन का निर्माण कार्य उनके विभाग को कब और कितने दिन में पूरा करके स्वास्थ्य विभाग को सौंपने का निदेश के साथ सुपुर्द किया गया ? उसमें विलम्ब का क्या कारण है तथा यह काम कब तक पूरा हो जावेगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

निर्माण कार्य को पूरा करने की कोई अवधि निर्धारित किये जाने हेतु कोई निर्देश नहीं दिये गये थे। अतः इस दृष्टि से विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता है।

कार्य को मार्च, 1978 के अन्त तक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, पूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न को आप देख लें। मैंने पूछा था कि कब यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया और उसमें विलम्ब का क्या कारण है, किन्तु इसका मंत्री जी ने कोई जबाव नहीं दिया है। आप यदि उचित समझें, तो पहले इसका जबाव दिला दें, तब मैं प्रश्न पूछूं ?

श्री अध्यक्ष—

उत्तर में दिया गया है कि--काम पूरा करने के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं किया गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

कब, काम सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया यह मैंने पूछा है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

दिसम्बर, 1976 में।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि मार्च, 1978 में यह काम पूरा हो जायगा, मार्च, 1978 को कौन सी शुभ तारीख है जिस दिन यह भवन, निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग को सौंपने जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

आज तारीख 29 है। अब आपके पास सूचना होनी चाहिये कि मार्च के अन्त तक वह कार्य हुआ या नहीं हुआ ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, जो टाइम बाउन्ड प्रोग्राम दिया था, उसमें यह था कि आखिरी मार्च तक कम्पलीट कर दें, उसके बाद मुकर्रर होगा कि उनको दे दिया जाय।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

आपकी अनुमति से यह भी जानना चाहूंगा कि इस तरह के निर्माण कार्यों को कितने दिन में पूरा हो जाना वह समय के अन्दर समझते हैं, उसके बाद विलम्ब होना मानते है, ताकि हम भी जानें कि इसमें विलम्ब हुआ या नहीं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

माननीय, यह तो एक साल से काम रेगुलराइज किया जा रहा है, कि हर काम टाइम बाउन्ड हो। मार्च, 1978 के आखिरी तक काम पूरा कर देंगे। अभी से क्यों परेशान हो रहे हैं।

*11—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बस्ती जिले में टेस्ट वर्क चालू न किये जाने संबंधी शिकायती-पत्र

*12—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में टेस्ट वर्क चालू न करने की कोई शिकायत प्रश्नकर्त्ता से जिलाधिकारी, बस्ती को अक्तूबर, 1977 मे प्राप्त हुई है। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री सुखपाल पांडेय—

माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न छोटा-सा किया था कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में टेस्ट वर्क चालू न करने की कोई शिकायत प्रश्नकर्त्ता से जिलाधिकारी, बस्ती को अक्तूबर, 1977 में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

वह इसलिए उत्तर नहीं दिया कि माननीय सदस्य को खुद मालूम है।

श्री सुखपाल पांडेय—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न मैंने 14-11-77 को दिया था, केवल साढ़े तीन महीने हुए, माननीय मंत्री लोग आपके आदेशों का क्यों उल्लंघन करते हैं, क्या इनके लिए कोई आचार संहिता बनायेंगे कि आपके आदेशों का उल्लंघन न करें और इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री, साढ़े तीन महीने का समय बहुत अधिक है। सूचना इकट्ठा करने में, इतना समय लगना अनुचित लगता है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को आश्वस्त करें कि इसका निश्चित उत्तर कब दे देंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इसमें कोई शुबहा नहीं कि जबाव नहीं आया। इसके ऊपर सख्त स्टेप लिया है। 15 दिन के अन्दर आप को जबाव दे देंगे।

श्री सुखपाल पांडेय—

माननीय अध्यक्ष जी, क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे, माननीय अध्यक्ष जी निरन्तर आप लोगों को आदेश दे रहे हैं कि टालू मिक्सचर का जबाव न दें कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इस आदत में परिवर्तन न करने का क्या कारण है और जिन अधिकारियों ने विलम्ब किया है, उनके विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मैंने बताया, यह भी ख्याल करके डेट भी दे दें, किस डेट को दिये हैं, बाकायदा हमने बुला कर कह दिया है कि किसी उत्तर में इस बात का जबाव नहीं आना चाहिए। जो मुमकिन है वह कर रहे हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रश्न का कोई उत्तर, माननीय मंत्री जी को मिला था और वह संतोषप्रद न होने की वजह से उन्होंने उसे लौटाकर सही उत्तर भेजने के लिए कहा है, क्या यह बात सच है ?

श्री अध्यक्ष—

आपको सूचना कैसे मिली ? इसकी इजाजत नहीं है।

इसको स्थगित किया जाता है।

*13—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[1 ले सोमवार 20–3–78 को तारांकित प्रश्न संख्या 41 के अन्तर्गत उत्तरित]।

रिहन्द स्कूल पिपरी जिला मिर्जापुर के अध्यापकों का वेतनमान एवं स्थायीकरण और हड़ताल

*14—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा संचालित रिहन्द स्कूल पिपरी, मिर्जापुर के अध्यापकों को वेतन आयोग 1971–73 की संस्तुति के अनुसार राजकीय वेतनमान न देकर पुराना वेतनमान दिया जा रहा है और पिछले 21 वर्षों से कार्यरत अध्यापकों को अस्थायी ही रखा गया है ? यदि हां, तो इस प्रकार की अव्यवस्था का क्या कारण है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*15—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधीक्षण अभियन्ता, ओबरा बांध निर्माण, निर्माण मन्डल, ओबरा, मिर्जापुर के अर्ध0 शा0 पत्र संख्या 4061/ओ0 डी0 सीवया–4, दिनांक 26 नवम्बर, 1975 एवं पत्रांक 3874/ओ0 डी0 सी0/ई–53, दिनांक 21 अप्रैल, 1975 के अनुसार वेतन-मान व स्थायीकरण को लेकर दिनांक 12 जुलाई, 1977 से रिहन्द स्कूल पिपरी के अध्यापकों ने हड़ताल कर दी थी जिसे ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री, श्री सूबेदार प्रसाद ने अपनी जिम्मेदारी पर मध्यस्थता करके दिनांक 17 जुलाई, 1977 को हड़ताल समाप्त करवा दी थी ? यदि हां, तो क्या अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति के अनुसार वेतन देकर सेवायें स्थायी घोषित कर दी गयीं ? यदि नहीं, तो क्या कारण है और कब तक आदेश निर्गत हो जायेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री ईश्वर प्रसाद—

मान्यवर, 4 महीने हो गये हैं अभी तक सूचना एकत्र की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि सूचना एकत्र करने में विलम्ब का क्या कारण है?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

यह विद्यालय रिहन्द में सिंचाई विभाग के लोगों को बच्चों को पढ़ाने के लिए खोला गया था। 1971 में, जब श्री अली जहीर की अध्यक्षता में, वेतन आयोग बना, उसमें उनको वही वेतन दिया गया जो बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को दिया जाता है। सिंचाई विभाग के कर्मचारियों में उनको सम्मिलित नहीं किया गया। शासन ने इसको सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है कि जो वेतन-मान बेसिक शिक्षा के अध्यापकों का होगा, वही उनको भी दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है जिसके लिए सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं माननीय मंत्री जी यह जानना चाहूंगी कि जो 21 वर्ष से अधिक समय से अध्यापक कार्यरत हैं, उनको स्थायी करने का आपने क्या निर्णय लिया है और आपने उनके प्रावीडेन्ट फन्ड तथा पेन्शन के लिए क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष—

इनका प्रश्न है कि 21 साल हो गये हैं इन अध्यापकों को स्थायी क्यों नहीं किया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

और कब तक किया जायेगा ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में 7–8 साल पहले एक बैठक हुई थी तत्कालीन मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि यह जो प्रोजेक्ट का विद्यालय है, यह शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाये सिंचाई विभाग ने इस पर कार्यवाही की है, लेकिन सिंचाई विभाग के जरिए अनुपूरक सामग्री की मांग की जा रही है। स्थायीकरण का अधिकार शिक्षा विभाग को है। इसलिए सिंचाई विभाग इनको स्थायी नहीं कर रहा है।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

मान्यवर, बहुत से मंत्री यह कह देते हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है। 11 वें महीने का प्रश्न है। श्रीमन्, आप इनमें करेन्ट भरो। नहीं तो यह प्रश्न करना बेकार हो जावेगा अगर मंत्री ऐसा करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि प्रक्रिया नियमावली को क्या ताख में रख दिया गया है, जो ठीक समय पर उत्तर देना चाहिये वह नहीं देते हैं। तो श्रीमन्, इन मंत्रियों में आप करेन्ट भरो कि नियत समय पर उत्तर दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

10 महीने लगते हैं।

श्री अध्यक्ष—

करेन्ट भरना बड़ा खतरनाक होगा।

(हंसी)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जब वेतन आयोग की सिफारिशों को माननीय मंत्री जी स्वीकार करते हैं और सिद्धान्तः इस बात को मानते हैं कि नये वेतन मान देने चाहिए, तो अब कौन सी कठिनाई है इस निर्णय को लेने में ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

माननीय सदस्य ने जो कहा मैंने पहले ही निवेदन किया था कि हम सिद्धान्त: सहमत हैं कि नये वेतनमानों के अनुसार उन्हें वेतन दिया जाय, लेकिन एक निर्णय हो चुका है शिक्षा विभाग का कि उनको दिया जाय। इसमें हम वित्त विभाग की राय भी ले रहे हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि इनको दिया जाय और हम इनको देंगे।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

चूंकि सामने वाली घंटी में 12 बज चुके हैं इसलिए एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

रामाधीन हायर सेकेण्ड्री स्कूल, जिला खीरी के प्राभूत फंड में बरती गयी अनियमितता

*16—श्री नरेश चन्द्र वर्मा (जिला खीरी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रामाधीन हायर सेकेण्डरी स्कूल, बम्हनपुर, जिला खीरी के प्रबन्धक ने विद्यालय के प्राभूत फण्ड के बीस हजार रुपए को, जो अगस्त, 1968 में अस्थायी अमानत के रूप में, स्टेट बैंक, लखीमपुर खीरी में जमा किया गया था, उसके ब्याज को विद्यालय की कैशबुक में कम दिखाया हैं? यदि हां, तो अब तक कितना कम दिखाया गया है और विभागीय अधिकारियों ने गबन सम्बन्धी कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की है जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक को सन् 1976 व 1977 में शिकायत भी की गई है?

श्री काली चरण—

जी हां।

रु0 1645.65 पै0 विद्यालय में साधिकार नियंत्रक के नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

*17–18—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 6ठे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 31–32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मुरादाबाद जिले के भोजपुर के चीनी के कोटेदार श्री नफीस अहमद के विरुद्ध की गयी जांच

*19—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कस्बा भोजपुर, जिला मुरादाबाद के यू0 पी0 चीनी के दुकानदार श्री नफीश अहमद के विरुद्ध, जो जांच 1975–76 में ए0 आर0 ओ0 (श्री रस्तोगी,) इंस्पेक्टर (श्री बक्शी), डी0 एस0 ओ0 (श्री शर्मा) द्वारा की गयी जिनमें लगभग 80 (अस्सी) अनियमिततायें पायी गयीं थीं? उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र)—

जिला मुरादाबाद के कस्बा भोजपुर के लेवी चीनी कोटेदार श्री नफीस अहमद के विद्ध पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा पूर्ति निरीक्षकों द्वारा 1975–76 में की

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

गई जांच के फलस्वरूप राशन कार्डों पर फर्जी बिक्री, स्टाक में 5 किलो चीनी की कमी तथा कोटेदार के दुर्व्यवहार तथा उसके द्वारा कोटा स्वयं न उठाने आदि के आरोप सामने आये थे जिनके कारण कोटेदार का अनुबन्ध-पत्र अप्रैल, 1976, में निरस्त कर दिया गया और उसके विरुद्ध थाना भरतपुर टांडा, जिला मुरादाबाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई।

किसान, इन्टर कालेज सरैया राजा साहब, जिला सीतापुर की आडिट रिपोर्ट

*20—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 में किसान इन्टर कालेज सरैया, राजासाहब (सीतापुर) में हुये आडिट एवं स्पेशल आडिट रिपोर्ट में मुख्य आपत्तियां क्या हैं तथा उन पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री काली चरण—

वर्ष 1972 में किसान इन्टर कालेज, सरैया राजा साहब (सीतापुर) में हुये आडिट के समय निम्नवद आर्थिक अनियमिततायें पायी गई:—

1—दान के रूप में लिया गया धन विद्यालय के अनुपालन कोष में न जमा होने के कारण उसके गबन की आशंका व्यक्त की गई है।

2—संस्थाधिकारियों द्वारा विद्यालय धन का दुरुपयोग।

3—छात्र निधियों का दुरुपयोग।

4—विभागीय अनावर्तक अनुदान का दुरुपयोग।

5—अनुपालन कोष से अनेकानेक अनियमित व्यय।

6—विद्यालय के विकास शुल्क का दुरुपयोग।

7—छात्रों से प्राप्त काशनमनी का दुरुपयोग आदि उक्त आडिट आपत्तियों को दृष्टिगत रखते हुये इन्टरमीडियेट शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*21—श्री रवीन्द्र सिंह—

[1 ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

आजमगढ़ जिले के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण केन्द्र के हरिजन छात्रों के साथ छुआछूत का वर्ताव और छात्राध्यापक द्वारा दिया गया अवेदन पत्र

*22—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण केन्द्र, आजमगढ़ के गुलाब चन्द आदि हरिजन छात्रों/छात्राध्यापिकों को अपमानित और छूआछूत का घोर बर्ताव हो रहा है, के सम्बन्ध में छात्राध्यापक दिनांक 23 जून, 1977 मुख्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा दिनांक 26 अगस्त, 1977 को जिलाधीश, आजमगढ़ आदि को न्याय दिलाने हेतु आवेदन पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक किन-किन अधिकारियों ने किन-किन तारीखों को जांच किया ? जांच रिपोर्ट में क्या लिखा है ? जांच में दोषी कर्मचारियों अधिकारी आदि के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

*23—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त छात्र एवं अध्यापक के आवेदन-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता ने दिनांक 12 नवम्बर, 1977 व दिनांक 14 नवम्बर, 1977 को शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधीश, आजमगढ़ को आवश्यक कार्यवाही कर उत्पीड़न को समाप्त करने को लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री काली चरण—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*24—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[1ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मुरादाबाद जिले के प्राइमरी स्कूलों के अनुदानों का पारित किया जाना

*25—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद के प्राइमरी शिक्षा का रिइम्बर्समेन्ट मनी सन् 1976-77 वित्तीय वर्ष का कौनसी तारीख को किस-किस संस्था को दिया गया है। क्या यह सही है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला मुरादाबाद के यहां से इन अनुदानों की संस्तुति माह अक्तूबर सन् 1976 में भेज दी गयी थी ?

श्री काली चरण—

सूची संलग्न है (सूची-क)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद द्वारा संलग्न सूची (ख) के केवल 8 विद्यालयों के आवेदन-पत्र अक्तूबर 1970 तक भेजे गये थे ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 858-860 पर)

*26—श्री नरेश चन्द्र वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मथुरा जिले के जिलापूर्ति अधिकारी के विरुद्ध छापा मारने से संबंधित शिकायत

*27—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा के वर्तमान जिलापूर्ति एवं वितरण अधिकारी के विरुद्ध यह शिकायत पायी गयी कि अक्तूबर, 1977 में छापा मारने से पूर्व उनके द्वारा व्यापारियों को छापा मारने की सूचना प्राप्त हो गयी थी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र—

जी नहीं ।

पर्वतीय जिलों में निर्माणाधीन पुलों का विवरण

*28—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों में सन् 1977-78 में जो 20 पुल बनाए जाने हेतु प्रस्तावित हैं, वे प्रत्येक जिले में कहां-कहां बनाये जायेंगे और कब तक पूर्ण होंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्रस्तावित पुलों का विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में दिया गया है। जनवरी 1978 तक 10 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका था, 6 पुलों की प्रगति 92 प्रतिशत से अधिक थी तथा शेष 4 पुलों की प्रगति से 70 से 77 प्रतिशत तक थी । प्रगति की अद्यावधिक सूचना एकत्र की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे 861 पृष्ठ पर)

लोअर डिवीजन, आगरा के सहायक अभियन्ता, श्री रमेश चन्द्र गुप्ता के विरुद्ध शिकायती पत्र

*29—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लोवर डिवीजन, आगरा, सब डिवीजन, तृतीय, हाथरस के सहायक अभियन्ता (श्री रमेश चन्द्र गुप्ता) के विरुद्ध क्षेत्र के नागरिकों की शिकायतों पर 1975 में बिजलेन्स द्वारा जांच के आदेश हुये थे ? यदि हां, तो शिकायत क्या थी और उन पर अब क्या कार्यवाही हुई ?

सिंचाई मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

जी हां, लोअर डिवीजन, आगरा सब डिवीजन, तृतीय, हाथरस के सहायक अभियन्ता श्री रमेश चन्द्र गुप्ता के विरुद्ध श्री हरीश कुमार शर्मा के दो शिकायती-पत्रों पर वर्ष 1976 में सतर्कता जांच के आदेश दिये गये थे । सतर्कता विभाग द्वारा शिकायतों की जांच की जा रही है ।

जूनियर हाई स्कूल, शिवपुर, वाराणसी के अध्यापक, स्वर्गीय श्री बंशीधर राम का प्राविडेन्ट फंड एवं ग्रेच्युटी

*30—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल, शिवपुर, वाराणसी के सहायक अध्यापक (श्री बंशीधर राम) की मृत्यु 10 सितम्बर, 1963 को हो गई ? उनका प्राविडेंट तथा ग्रेच्युटी का पैसा उनके परिवार (लड़कों) को आज तक नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में उनके लड़के श्री राम लखन ने शिक्षा अधीक्षक, नगर महापालिका तथा प्रशासक, नगरमहापालिका, वाराणसी को सन् 1964 से लेकर सन् 1975 तक कई प्रार्थना-पत्र दिए? यदि हां, तो अब तक प्राविडेण्ट फण्ड तथा ग्रेच्युटी का पैसा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री काली चरण—

श्री बंशीधर राम की मृत्यु सन 1963 में हो चुकी है । प्राविडेण्ड फण्ड की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है तथा ग्रेच्युटी का भुगतान करने हेतु सम्बन्धित कागजात/पत्रावली जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी द्वारा तैयार करा कर प्रशासक, नगरमहापालिका, वाराणसी की शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण हेतु भेज दी गई है । मृतक के पुत्र द्वारा नगर महापालिका, वाराणसी को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं । मामले से नगर महापालिका, वाराणसी भी सम्बन्धित थी और समस्त औपचारिकतायें पूरी करने में समय लगा ।

*31—श्री राम नारायण वर्मा—

[6ठे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

*32—डाक्टर जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की जांच सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है ? क्या सतर्कता विभाग ने निष्पक्ष जांच के लिए प्रधानाचार्य को स्थानान्तरित करने की संस्तुति दी है ? यदि हां, तो अब तक स्थानान्तरण अथवा पद से हटाने के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री काली चरण—

जी हां । प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण किये जाने अथवा उन्हें पद से हटाये जाने के बारे में सतर्कता विभाग ने कोई संस्तुति नहीं की ।

सिंचाई यांत्रिक मंडल, इलाहाबाद के सेक्शन मिस्त्रियों के स्थायीकरण की मांग

*33—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंचाई यांत्रिक अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई, कार्य मंडल इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या 1483 (1) ई0—34, दिनांक फरवरी, 1977 के द्वारा लगभग 6 साल पूर्व स्थायी किये गये सेक्शन मिस्त्रयों को अस्थायी घोषित कर दिया ? क्या यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये लोग विभाग में कितने वर्षों से कार्यरत हैं तथा इन लोगों को पुनः कब तक स्थायी कर दिया जाएगा ।

श्री बलबीर सिंह—

प्रश्नगत आदेश अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई यांत्रिक मंडल, इलाहाबाद का है, जिसके द्वारा किसी स्थायी सेक्शन मिस्त्री को अस्थायी घोषित नहीं किया गया है बल्कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, खंड इलाहाबाद के कुछ मिस्त्रियों को स्थायी करने प्रोवेशन पर रखने विषयक आदेशों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है ।

प्रश्नगत सेक्शन मिस्त्रियों की नियुक्ति तिथियां निम्न प्रकार है :—

1—श्री राधेश्वर सिंह	.. .. ..	1—4—1957
2—श्री त्रिलोकी नाथ मिश्रा	.. ..	1—12—1960
3—श्री हाफिज अली	.. .. ..	1—11—1959
4—श्री राम नरेश सिंह	.. .. ..	1—4—1958
5—श्री देवराज	.. .. ..	1—12—1966
6—श्री महादेव सिंह	.. .. ..	1—12—1966

मिस्त्रियों को स्थायी करने के संबंध में इस हेतु गठित तीन अधिशासी अभियन्ताओं की समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा ।

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम रशीदपुर निवासी श्री राम दयाल का, खेतों पर आबपाशी अंकित किये जाने संबंधी शिकायती-पत्र

*34—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें ग्राम रशीदपुर, डाकखाना रसीदाबाद तिवारियान, तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद के श्री राम दयाल से प्रश्नकर्त्ता की संस्तुति के साथ में यह शिकायत दिनांक 12 सितम्बर, 1977 को प्राप्त हुई है कि उनके खेतों की आबपासी पतरौल एवं अमीन ने बिना जांच किए हुए गलत अंकित किया है ? क्या यह भी शिकायत मिली है कि कुछ काश्तकारों से सिंचित भूमि को असिंचित दिखा दिया है? यदि हां, तो मामले की जांच किसके द्वारा करवाई गई है और क्या तथ्य सही पाए गए और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलबीर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद जिले के कतिपय गांव सभाओं के प्रधानों का जल निकासी हेतु प्रार्थना-पत्र

*35—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सिंचाई मन्त्री को फैजाबाद जनपद की रामापुर, देवगिरिया, रेहड़ी तथा अमसिन गांव सभाओं के प्रधानों और निवासियों का प्रार्थना-पत्र जल निकासी और बाढ़ से बचाव के लिए एक नाला निकालने के बारे में प्रश्नकर्त्ता के दिनांक 18 नवम्बर, 1977 के पत्र के साथ मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां।

संबंधित क्षेत्र का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण के पश्चात तथा भूमि प्राप्त होने पर नाले के निर्माण के संबंध में उचित कार्यवाही की जाएगी।

तृतीय श्रेणी संस्कृत पाठशालाओं को वर्गीकरण के आधार पर वेतनमान दिये जाने का आदेश

*36—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि दिनांक 14 अक्तूबर, 1974 की राजाज्ञा सं0 1/9 (1)-73, शिक्षा (3) के अनुसार समस्त संस्कृत पाठशालाओं को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिन में से प्रथम व द्वितीय श्रेणी की पाठशालाओं को नवीनतम वेतनमान प्राप्त हो रहा है किन्तु जो पाठशालायें तृतीय श्रेणी की थीं उन्हें चतुर्थ श्रेणी का ही वेतन प्राप्त हो रहा है ? यदि हां, तो तृतीय श्रेणी की संस्कृत पाठशालाओं को शासन द्वारा वर्गीकरण के आधार पर वेतनमान कब मिलेगा ?

श्री काली चरण—

जी हां।

जो संस्कृत पाठशालायें तृतीय श्रेणी की हैं, उन्हें वर्गीकरण के आधार पर वेतनमान दिये जाने के आदेश निर्गत हो चुके हैं।

जवाहर लाल नेहरू पालीटेक्निक कालेज, सीतापुर के प्रधानाचार्य का त्याग-पत्र

*37—श्री राम नारायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर लाल नेहरू पालीटेकनिक कालेज, महमूदाबाद, जिला सीतापुर की प्रबन्ध समिति ने इमरजेंसी काल में संस्था के प्रधानाचार्य तथा कुछ अध्यापकों का त्याग-पत्र ले लिया था ? यदि हां, तो इन त्याग-पत्रों के लेने का क्या कारण था ?

श्री काली चरण—

जवाहरलाल नेहरू पालीटेकनिक कालेज, महमूदाबाद, जिला सीतापुर, जो सहायता प्राप्त संस्था है, के प्रधानाचार्य ने अपना त्याग-पत्र दिया था। परन्तु इसकी पुष्टि नहीं होती है, उपरोक्त त्याग-पत्र प्रबन्ध समिति द्वारा लिया गया था।

त्याग-पत्र में प्रधानाचार्य ने जो कारण बताये थे वह थे:—

'संस्था का वातावरण अनुकूल न होना एवं बच्चों के लिये अच्छे विद्यालयों का न होना।'

किसी अन्य अध्यापक के त्याग-पत्र देने की सूचना शासन को नहीं है।

प्राविधिक शिक्षा निदेशक के पद पर नियुक्त व्यक्ति की योग्यता

*38—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि आपातकालीन स्थिति के दौरान प्राविधिक शिक्षा निदेशक के पद पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई है उनकी योग्यता क्या है तथा नियुक्ति का आधार क्या है ?

श्री काली चरण—

जी हां।

प्राविधिक शिक्षा निदेशक के पद पर जनवरी, 1976 में नियुक्त व्यक्ति की योग्यता संलग्न है।

नियुक्ति अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 41/5–71–नियुक्ति–3, दिनांक 30 नवम्बर, 1971 में निर्धारित सामान्य सिद्धान्त अर्थात अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्ति की गई।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 862 पर)

जिला बांदा के मौजा धुधई के शक्कर कोटेदार श्री श्रीराम गुप्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र और निरस्त किया गया कोटा

*39—श्री देवकमार (जिला बांदा)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मौजा धुधई, विकास खण्ड कमासिन जिला बांदा के शक्कर के कोटेदार व पूर्ति निरीक्षक बबेरू, जिला पूर्ति अधिकारी, बांदा के भ्रष्टाचार व धांधली के विरुद्ध प्रधान ग्राम सभा, धुधई व कोटे से सम्बद्ध गांवों की जनता के शिकायती-पत्र 11 जुलाई, 1977 से 30 सितम्बर, 1977 तक राज्य सरकार व जिला अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो आरोप का पूरा विवरण क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र—

जी हां। कोटेदार श्री श्रीरामगुप्ता के विरुद्ध अनियमित वितरण तथा चीनी की चोर बाजारी तथा इसमें तहसीलदार बबेरू एवं पूर्ति निरीक्षक की सांठ-गांठ की शिकायतें प्राप्त हुई थी जिन पर जिला अधिकारी, बांदा द्वारा जांच कराई गई।

*40—श्री देवकुमार—

क्या यह सही है कि उक्त आवेदन-पत्रों पर जांच करके तहसीलदार महोदय बबेरू न तारीख 9 अगस्त, 1977 को कोटेदार के कोटा निरस्त कर देने की सिफारिश के बावजूद भी माह सितम्बर की शक्कर जिला पूर्ति अधिकारी ने उक्त कोटेदार को शक्कर उठवा दी है ? यदि हां, तो सरकार पूर्ति अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र—

तहसीलदार की जांच रिपोर्ट दिनांक 15 अगस्त, 1977 प्राप्त होने के पश्चात् जिला अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 18 अक्तूबर, 1977 द्वारा श्री श्रीराम का अनुबन्ध पत्र निरस्त कर दिया। भीषण स्थानीय दलबन्दी के कारण तथ्यों से पूरी तरह आश्वस्त होने में कुछ समय लगना स्वाभाविक था। अनुबन्ध पत्र निरस्त होने के पूर्व जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा कोटेदार से चीनी वितरण कराना ठीक ही था जिसके कारण उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव जिले के जवाहर लाल नेहरू इन्टर कालेज को अर्थशास्त्र विषय की मान्यता

*41—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के एक मात्र विद्यालय जवाहर लाल नेहरू इण्टर कालेज, फतेहपुर चौरासी को शिक्षा विभाग द्वारा अर्थ-शास्त्र विषय को मान्यता न प्रदान किए जाने के कारण तमाम छात्रों के सामने एक विषम समस्या उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्यालय में अर्थशास्त्र विषय पढ़ाने की मान्यता न प्रदान करने का कारण क्या है ?

श्री काली चरण—

जवाहर लाल नेहरू इंटर कालेज, फतेहपुर चौरासी को इंटर साहित्यिक वर्ग के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय अर्थशास्त्र की मान्यता प्रदान कर दी गई है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर द्वारा सहायक अध्यापक, बुक क्राफ्ट के पद हेतु कथित मांगा गया आवेदन-पत्र

*42—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ने जुलाई, 1977 में बुक-क्राफ्ट पद पर कितने स्कूलों में सहायक अध्यापक सी0 टी0 वेतनक्रम में नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र मांगे और उसमें से किन-किन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति की गयी तथा क्या यह भी सही है कि जो नियुक्तियां हुई उनमें से कुछ ऐसे लोगों की भी नियुक्ति हुई, जो नियमानुसार उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र भी नहीं थे और उनका आवेदन-पत्र भी नहीं था ? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ने ऐसी नियुक्तियों की स्वीकृति किस आधार पर दी और ऐसी गड़बड़ी करने के आरोप में जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री काली चरण—

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर ने जुलाई, 1977 में बुक क्राफ्ट पद पर सहायक अध्यापक सी0 टी0 वेतन-क्रम में नियुक्ति हेतु कोई आवेदन-पत्र नहीं मांगे । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

मलौनी बांध पर लगायी गयी ईंटें और व्यय की गयी धनराशि

*43—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले के मलौनी बांध पर ईंट बिछाने के लिए विगत दो वर्षों में कितना धन व्यय हुआ ? क्या यह सही है कि अल्प समय से ही बहुत स्थानों पर ईंटें नष्ट हो गयीं ? यदि हां, तो इसके कारणों का क्या सरकार पता लगायेगी ?

श्री बलवीर सिंह—

राप्ती नदी की बाढ़ की भयंकर स्थिति को देखते हुए मलोनी बांध को ऊंचा करना पड़ा तथा पुरानी ईटों को उखाड़कर बन्धे की सुरक्षा एवं भारी यातायात को देखते हुए ईंट लगाने का कार्य पुनः किया गया और इस पर कुल व्यय 93,950 रु0 हुआ ।

जी नहीं ।

देवरिया जिले में घाघरा नदी पर भागलपुर का टूटा हुआ पीपे का पुल एवं फर्मों को बेची गयी लोहे की चादरें

*44—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला—देवरिया)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगें कि देवरिया जनपद के अन्तर्गत घाघरा नदी पर भागलपुर में बना पीपे का पुल मार्च, 1977 में ही टूट गया जिस पर आवागमन का उद्घाटन माननीय तत्कालीन मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश में 23 मार्च, 1977 को किया था? क्या यह सत्य है कि उक्त पुल एक सप्ताह के अन्दर ही तैयार हुआ था और उक्त पुल में अधिकारियों ने लाखों रुपये का घन अर्जित कर लिया हैं तथा कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त भागलपुर में पीपे के पुल के निर्माण हेतु राज्य सरकार प्रशासन नें पूर्व लगभग 8 लाख रुपये की लोहे की चादरें दी थीं जिसे कुछ फर्मों ने कृषि यन्त्रों के निर्माण हेतु ले लिया और उक्त चादरें ऊंचे दाम पर काले बाजार में बेंच दिया? उक्त फर्मों ने न तो अभी तक चादरें ही वापस कीं और न तो चादरों का मूल्य ही यदि हां, तो चादरों को वापस लेने हेतु कौन-सी कार्यवाही की गयी?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी नहीं?

पुल 9 जून, 1977 को तोड़ा गया था।

उक्त पुल का उद्घाटन 10 मार्च, 1977 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने किया था।

जी नहीं।

इस पुल के लिये कुल चादरें मय ढुलाई के 6,02,211.00 रु0 में खरीदी गयी थी।

फर्मों ने चादरें कृषि यंत्रों के निर्माण हेतु इस शर्त के साथ खरीदी थी कि कन्ट्रोलर आफ स्टील से चादरों का कोटा प्राप्त होने पर फार्म चादर वापस करेगी। चादरें काले बाजार में बेचें जानें की जानकारी विभाग को नहीं है।

चादरों का मूल्य फर्मों से विभाग को प्राप्त हो चुका है परन्तु चादरें वापस प्राप्त नहीं हो सकी हैं।

इन चादरों को वापस लेने हेतु फर्मों को विभाग ने समय-समय पर अनेक बार पत्र लिखे और अन्त में चादरें वापस प्राप्त न होने पर फर्मों की जमानत को धनराशि जब्त कर ली गई है।

सनातन धर्म इन्टर कालेज, वाराणसी के प्रधानाचार्य का रिक्त पद

*45—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सनातन धर्म इण्टर कालेज शहर वाराणसी में एक वर्ष से प्रधानाचार्य नहीं है उन्हें हटा दिया गया है और इसके सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति ने एक पूरा प्रतिवेदन तारीख 15 फरवरी, 1977 को जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी को दिया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री काली चरण—

जी हां, दिनांक 10-8-76 से कोई स्थायी प्रधानाचार्य नहीं है। वरिष्ठतम प्रवक्ता कार्यवाहक, प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत है। 15-2-77 को प्रबन्ध समिति ने कोई प्रतिवेदन नहीं दिया बल्कि, प्रधानाचार्य के सेवाच्युत करने का प्रस्ताव दिनांक 14-2-77 विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदनार्थ भेजा जिसे 11-7-77 को निरीक्षक ने अमान्य कर दिया। इसके विरुद्ध प्रबन्धक ने मण्डलीय उपनिदेशक को प्रत्यावेदन दिया जो विचाराधीन है।

देवरिया जिलें के इण्टर कालेज, छितौनी का कथित आडिट

*46—श्री श्रीनरायन (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के इण्टर कालेज, छितौनी के कोष का आडिट पिछले तीन वर्षों के अन्दर कराया गया ? यदि हां, तो कितने रुपये का घोटाला या गबन पाया गया और उनसे सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री काली चरण—

जी नहीं, अभी आडिट नहीं हो पाया। अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग की निर्माण इकाई (भवन) के विरुद्ध जांच रिपोर्ट एवं पाई गयी अनियमितताएं

*47—श्री दीप नरायन पाण्डेय (जिला गोण्डा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जिलेमें अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई (भवन) के सम्बन्ध में नागरिकों की शिकायत पर प्रारम्भिक जांच के बाद जुलाई-अगस्त सन् 1977 में लाखों की गड़बड़ी के सिलसिले में उपरोक्त इकाई/खण्ड के रिकार्ड सील कियेगये थे ? यदि हां, तो अब तक की जांच रिपोर्ट क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां। प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट में गम्भीर वित्तीय एवं लेखा सम्बन्धी अनियमिततायें प्रकाश में आई है। इन अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है तथा इस इकाई के लेखों का विशेष आडिट करवानेकी व्यवस्था की जा रही है।

बांदा जिले में करवी-देवांगना मार्ग का निर्माण एवं अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*48—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में करवी-देवांगना रोड का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ और कब तक पूरा हो जाएगा ? क्या यह सही है कि किसानों के कई प्रार्थना-पत्र व शिकायतें करने के बावजूद उनकी अध्याप्ति भूमि का मुआवजा अभीतक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन दोषी है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इस मार्ग का निर्माण सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी, 1973 में प्रारम्भ किया गया था तथा आशा की जाती है कि यह कार्य नवम्बर, 1978 तक पूरा हो जायेगा।

जहां तक भूमि अध्याप्त के मुआवजे का प्रश्न है, किसानों के कोई प्रार्थना पत्र जिलाधीश के यहां या शासन में प्राप्त नहीं हुए है पर यह सही है कि अभी किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा सका है क्योंकि भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं हुई है। भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही शीघ्र ही पूरा करके मुआवजा शीघ्र ही दिये जाने की कोशिश की जा रही है।

पूर्वी यमुना नहर के आधुनिकीकरण की योजना

*49--श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नहर जमन पूर्वी के आधुनिकीकरण की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ होगा और इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

श्री बलबीर सिंह---

जी हां। पूर्वी यमुना नहर के आधुनिकीकरण की योजना पर इस वर्ष कार्य आरम्भ कर दिया गया है और इसके पूरा होने में लगभग चार वर्ष का समय लगने का अनुमान है।

बिजनौर जिले के ग्राम समाज इस्माइलपुर का नलकूप

*50--श्री गनेशी लाल चौधरी---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम समाज इस्माइलपुर, परगना बढ़ापुर, जिला बिजनौर में एक वर्ष पूर्व जो नलकूप बनकर तैयार हो गया था उससे कब तक किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिला ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री बलबीर सिंह--

जी नहीं। उक्त क्षेत्र में स्थित राजकीय नलकूप संख्या 496 धामपुर समूह का छिद्रण जून, 1975 को हुआ था। इसका विद्युतीकरण दिनांक 13-7-76 को हुआ तत्पश्चात् कृषकों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होने लगी।

*51--श्री श्रीनारायण---

[3 रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*52---श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

[11वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मथुरा जिले के दाऊ सराय इन्टर कालेज के प्रबन्धक के विरूद्ध शिकायती-पत्र

*53-श्री हुकम चन्द्र तिवारी---

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के दाऊ सराय इण्टर कालेज के प्रबन्धक के विरुद्ध 14 आरोपों की शिकायत मिली जिसमें अध्यापकों को पूरा वेतन न देकर कम वेतन देना, तथा दूसरे रजिस्टर आदि रख कर सरकार के द्वारा दी जा रही सहायता का अपने हित में उपयोग करना भी अंकित है ? यदि हां, तो क्या कागजात सरकार के कब्जे में लेने की कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण---

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा को आदेश दे दिये गये हैं कि आरोपों की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

*54--श्री हरि केवल प्रसाद---

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

राजकीय संस्कृत विद्यालय तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों का वेतनमान

*55—श्री कमला प्रसाद सिंह (जिला जौनपुर) तथा श्री राम शिरोमणि दुबे (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय संस्कृत विद्यालय तथा महाविद्यालय है और उन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का वेतन-क्रम क्या है साथ ही यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानाध्यापकों का वेतन-क्रम सहायक अध्यापकों से कम क्यों है ? क्या सरकार उसे ठीक करेगी ?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रिग्स खंड, वाराणसी के षष्टम उप खंड की मशीनों एवं कम्प्रेशरों की मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि

56—श्री देव राम (जिला गाजीपुर)—

क्या सचाई मिन्त्री कृपया बतायेंगे कि रिग्स प्रखण्ड, वाराणसी के षष्टम उपखण्ड में अप्रैल, 1972 से अगस्त, 1974तक कौन-कौन सी रिग मशीनें तथा कम्प्रेशर थे और उनमें से प्रत्येक की कीमत क्या थी और उनकी मरम्मत पर एम0 एण्ड आर0 व विशेष मरम्मत मदों के अन्तर्गत अलग-अलग क्या व्यय हुआ ? क्या यह सही है कि मशीनों की कीमत से कई गुना अधिक धनराशि उक्त अवधि में मरम्मत पर व्यय की गयी है । यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह—

रिग्स खण्ड, वाराणसी के षष्टम उपखण्ड में अप्रैल, 1972 से अगस्त, 1974 तक उपलब्ध रिग मशीनों,कम्प्रेशरों का विवरण संलग्न तालिका–1 में अंकित है तथा प्रत्येक मशीन की अवमूल्यित कीमत साधारण मरम्मत (एम0 एण्ड आर0) तथा विशेष मरम्मत पर किया गया व्यय तालिका–2 में अंकित है ।

जी हां । मशीनों की मरम्मत पर काफी अधिक धन व्यय हुआ है जो तालिका–2 में दर्शाया गया है। इस सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच हो रही है,जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 863–864 पर)

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत गोमती जल सेतु की निविदा में वृद्धि की गयी धनराशि एवं जांच की कार्यवाही

*57—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत गोमती जल सेतु निविदा, जो वर्ष 1972 में आमंत्रित की गयी थी, जिसकी वास्तविक लागत करीब 4 करोड़ रुपए थी, उसे सम्बन्धित अधिकारियों ने अनुबन्ध करके सम्बन्धित कम्पनी को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए बिना शासन की स्वीकृति के वर्ष 1974 में अनियमित रूप से करीब 14 करोड़ रुपये कर दिया ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारीगण दोषी हैं और उनके विरुद्ध अब तक कार्यवाही न होने का कारण क्या है तथा वर्तमान सरकार दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलवीर सिंह—

इस संबंध में जांच की जा रही है । जांच के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

बांदा जिले के लक्ष्मी नरायन संस्कृत विद्यालय के विरुद्ध कथित प्रार्थना-पत्र

58—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ श्री परमात्मादीन तिवारी का प्रार्थना-पत्र जिसमें लक्ष्मी नरायन संस्कृत विद्यालय,गोखिया, जिला बांदा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं का जिक्र किया गया है उन्हें 2 सितम्बर, 1977 को प्राप्त हुआ है ?यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

झांसी जिले के श्री भगीरथ भारद्वाज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को इन्टरमीडिएट की मान्यता न मिलना

*59—श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक श्री भगीरथ भारद्वाज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम पूंछु जिला झांसी को इण्टरमीडियेट की मान्यता क्यों नहीं दी गयी जब कि विद्यालय की सभी शर्तें काफी समय स पूर्ण है ?

श्री काली चरण—

इस विद्यालय का विगत दो वर्षों (1975 तथा 1976) का हाई स्कूल का परीक्षाफल निर्धारित मानक से काफी कम होने के कारण माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इंटरमीडिएट की मान्यता अस्वीकृत कर दी गई है।

*60—श्री श्याम नारायण तिवारी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

फिरोजाबाद के इस्लामिया इन्टर कालेज के ब्वायज फंड का गबन

*61—श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फिरोजाबाद नगर में स्थित इस्लामियां इण्टर कालेज को प्राप्त ब्वायज फण्ड के 42,850 रुपए के गवन की जानकारी जून 1975 में हुई है ?क्या यह सही है कि ब्वायज फण्ड के 42,850 रु0 के गबन के मामले में सरकार ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की द्वारा 16-डी (2) और 16-डी (3) के अन्तर्गत कार्यवाही के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री काली चरण—

जी हां।

छात्र कोष के 42,850 रु0 के कथित गबन तथा अन्य कारणों से शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी (2) और (3) के अन्तर्गत कार्यवाही पूरी हो जाने के उपरान्त शिक्षा निदेशक ने शासन को संस्तुति की कि ब्वायज फण्ड कीजिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होती है और प्रबन्धक द्वारा अन्य अनियमितताये के निराकरण करने के आश्वासन के कारण प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति का कोई औचित्य नहीं है। अतः शासन ने शिक्षा निदेशक की उक्त संस्तुति स्वीकार कर लिया। प्रधानाचार्य को प्रबन्ध समिति द्वारा निलम्बित किया गया परन्तु न्यायालय के स्थगन आदेश के फलस्वरुप वे कार्य कर रहे हैं।

शिवपति इन्टर कालेज, जिला बस्ती में छात्रों एवं अध्यापकों की संख्या

*62--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवपति इण्टर कालेज, शोहरतगढ़, जिला बस्ती में 1977-78 में छात्रों की संख्या क्या है और अध्यापकों की संख्या क्या है? क्या अध्यापकों की संख्या छात्रों से अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री काली चरण--

छात्र संख्या 1519 तथा अध्यापकों की संख्या प्राचार्य सहित 64 है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सनातन धर्म इण्टर कालेज वाराणसी को दिया गया अनुदान

*63--श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सनातन धर्म इण्टर कालेज, वाराणसी को अक्तूबर, 1973 दिसम्बर, 1973 नवम्बर, 1974 दिसम्बर, 1974, जनवरी, 1975 और दिसम्बर, 1975 में क्या नियम के विपरीत अधिक अनुदान दिया गया और 31 मार्च, 1970 का 6,500.00 रु0 एडहाक फिक्सेशन ग्रान्ट सरकार द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ था ? क्या इसका पुराना हिसाब-किताब पूरा हो गया ?

श्री काली चरण--

जी नहीं।

जी हां, रुपये 6500 वेतन निर्धारण एडहाक अनुदान दिया गया था।

जी नहीं।

शारदा सहायक खंड, जौनपुर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा ठेकेदारों के बिल के भुगतान में कथित विलम्ब

*64--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि शारदा सहायक खण्ड 38, जौनपुर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा बहुधा ठेकेदारों के बिल के भुगतान तीन या चार मास तक रोक देने से निर्माण कार्यों में शिथिलता आ गई है तथा रोष व क्षोभ व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या इसकी शीघ्र जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

शारदा सहायक खंड 38, जौनपुर के अधिशासी अभियंता द्वारा ठेकेदारों के बिलों का भुगतान बिलकुल नहीं रोका जाता है। बिल सहायक अभियन्ता से प्राप्त होने पर प्रीआडिट तथा चेकिंग करके तुरन्त भुगतान कर दिया जाता है। इसलिये निर्माण कार्यों में कोई शिथिलता नहीं आयी है तथा ठेकेदारों में क्षोभ व्याप्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

*65--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जूनियर हाई स्कूलों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतन मान

*66—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या बेसिक शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल, कन्या जूनियर हाई स्कूल के चौकीदारों, चपरासियों एवं दाइयों को निर्धारित सरकारी वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाता है ? यदि हां, तो कब दिया जाता है ? यदि नहीं दिया जाता है, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी हां, आंशिक रूप से ऐसा है ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन विद्यालयों के जिन पदनामों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतनमान शासन द्वारा पुनरीक्षित कर दिया गया है, उन पदनामों के धारक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दिनांक 1 अगस्त, 1972 से निम्नलिखित पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन दिया जा रहा है:—

(1) वेतन-क्रम रुपये 165–2–185–3–215
(2) नियत वेतन रुपये 165

इसी प्रकार सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों के पूर्णकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये दिनांक 1 जुलाई, 1974 से रुपया 165–2–185–द0 रो0–3–215 का वेतन के क्रम लागू है ।

बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन विद्यालयों के जिन पदनामों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण अभी तक नहीं किया जा सका है,उन वेतनमानों के धारक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अपने पुराने वेतनमानों में ही वेतन प्राप्त कर रहे हैं । इन छूटे हुये पदों के वेतनमान के पुनरीक्षण का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

*67—श्री उदय नारायण सिंह—

[5–10–77 को तारांकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

वाराणसी जिले के बंधी प्रखण्ड की प्रविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा जांच

*68—श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि वाराणसी जनपद के बन्धी प्रखण्ड में अनियमितता की जांच प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ में 4 जुलाई, 1977 से 8 जुलाई, 1977 तक किया था यदि हां, तो प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ की उक्त जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां, जांच 15 बंधियों के बारे में की जा रही है जिसमें से उक्त अवधि में केवल तीन पर ही प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा जांच पूर्ण की जा सकी है तथा शेष पर जांच अभी जारी है । शासन ने इस जांच को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के आदेश निर्गत कर दिये हैं । तीन बन्धियों की जांच में दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

फतेहाबाद तहसील के बन्द नलकूप

*69—श्री हुकम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सरकार को पता है कि तहसील फतेहाबाद के ब्लाक फतेहाबाद में अधिकतर सरकारी नलकूप बन्द पड़े हैं जिससे काफी भूमि में खेती नहीं बोई जा सकी है और जो बो दी गई थी वह पानी के बिना सूख गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री बलबीर सिंह—

तहसील फतेहाबाद ब्लाक फतेहाबाद के सभी सरकारी नलकूप 3-1-78 को चालू थे। प्रश्न नहीं उठता है।

नलकूप विभाग, आगरा के अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध जांच की कार्यवाही

*70—श्री हुकम सिंह परिहार—

क्या सरकार को पता है कि नलकूप विभाग आगरा के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच चल रही है और बार-बार मांग करने पर भी इस अधिकारी का तबादला नहीं किया गया है जिसके कारण विभागीय जांच में बाधा पड़ रही है ? क्या सरकार इस बाधा को दूर करने की कृपा करेगी ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां, विभागीय जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है। जिसमें आरोप निराधार पाये गये। अधिकारी के कारण जांच करने में कोई बाधा नहीं पड़ी है।

नगरपालिका से हस्तान्तरित शिक्षा अधीक्षकों एवं सहायक उपस्थिति अधिकारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा दिये जाने की मांग

*71—श्री राजकुमार शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि 1973 में राज्य सरकार द्वारा छुट्टियों के नकदीकरण की सुविधा से नगरपालिका के शिक्षा अधीक्षकों तथा सहायक उपस्थिति अधिकारियों को वंचित रखा गया ? यदि हां, तो क्यों, क्या सरकार इस ओर ध्यान देकर वंचित कर्मचारियों को भी यह सुविधा प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

न केवल नगरपालिकाओं से हस्तान्तरित शिक्षा अधीक्षकों तथा सहायक उपस्थिति अधिकारियों को वरन बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत समस्त कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा नहीं दी गई है क्योंकि यदि यह सुविधा उन्हें दी जाती है। तो माध्यमिक शिक्षा डिग्री कालेजों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारी भी इस सुविधा की मांग करेंगे और शासन की अर्थोपाय स्थिति ऐसी नहीं है कि इस सुविधा के दिये जाने के फलस्वरूप आर्थिक भार वहन किया जा सके। वर्णित स्थिति में इस प्रश्न पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

नगरपालिका और जिला परिषद् से बेसिक शिक्षा परिषद् को हस्तान्तरित कर्मचारियों को बोनस दिये जाने की मांग

*72—श्री राजकुमार शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका कर्मचारियों को जो बोनस दिया जाता था? अगस्त, 1972 से जब से आरम्भिक शिक्षकों नगरपालिका और जिला परिषद् से लेकर बेसिक शिक्षा परिषद् को दे दिया गया है वह बोनस बन्द कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार बोनस देने के प्रश्न पर पुनः विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी हां, क्योंकि नगरपालिका प्राविडेंट फंड रूल्स और उनके अधीन बनाये गये रेगूलेशन्स में बोनस दिया जाना प्रत्येक नगरपालिका की स्वेच्छा पर था और सब नगरपालिकायें उसको

देती भी नहीं थी । बेसिक शिक्षा परिषद् के पास शासन के अनुदान के अतिरिक्त आय का कोई साधन नहीं था जिससे बोनस दिया जाना संभव नहीं था । बोनस दिये जाने के प्रश्न पर शासन द्वारा अब विचार किये जाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जिला परिषदों व स्थानीय निकायों से हस्तांतरित कर्मचारियों के संबंध में 2 जून, 1975 से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा भविष्य निधि नियमावली, 1975 लागू कर दी गई है जिसके फलस्वरूप नगर-पालिका प्रॉविडेंट फंड नियम व रेगुलेशन्स इन कर्मचारियों के संबंध में निरस्त हो गये हैं ।

ए0 के0 इन्टर कालेज, शिकोहाबाद, तथा डी0 ए0 बी0 इन्टर कालेज, मैनपुरी में प्रशासक की नियुक्ति एवं प्रबन्ध समिति का चुनाव

*73—श्री वीरेंद्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा गत सितम्बर माह में इस आशय के आदेश पारित किये कि ए0के0 इंटर कालेज, शिकोहाबाद में सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक बेसिक अधिकारी को हटा कर एस0 डी0एम0, शिकोहाबाद को नियुक्त किया गया और उसे यह आदेश दिये गये कि 3 माह के अन्दर प्रबन्धक समिति का चुनाव कराने की व्यवस्था करें, क्या यह सत्य है कि इस आशय के 3 माह के अन्दर चुनाव संबंधी आदेश डी0 ए0 बी0 इंटर कालेज, मैनपुरी के लिये भी पारित किये गये थे जो अभी तक क्रियान्वित नहीं हुए, यदि हां, तो सरकार दोषी व्यक्तियों को दंडित करेगी? यदि हां, तो कब तक ?

श्री काली चरण—

जी नहीं । ए0 के0 इंटर कालेज शिकोहाबाद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी साधिकार नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहे हैं । प्रबन्ध समिति के चुनाव कराने के संबंध में आवश्यक आदेश निर्गत कर दिये गये हैं । परन्तु सदस्यों की सूची संकलित न होने के कारण चुनाव अभी नहीं कराये जा सके । डी0 ए0 वी0 इंटर कालेज मैनपुरी की प्रबन्ध समिति के चुनाव कराने के संबंध में भी निर्देश दे दिये गये हैं । उसके पश्चात् अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने अनुरोध किया है कि प्रबन्ध समिति के चुनाव न किये जाय जिससे तनाव बढ़ने की संभावना है । शिक्षा निदेशक से इस पर भी आख्या एवं संस्तुति मांगी गई है ।

उन्नाव जिले के चकलवंशी–संडीला तथा अजगैन–लखनऊ मार्ग के आधुनिकी करण की मांग

*74—श्री चन्द्र पाल (जिला उन्नाव)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव से 'चकलवंशी से संडीला मार्ग' एवं 'अजगैन से लखनऊ मार्ग' के आधुनिकीकरण का कोई आगणन सन् 1974 में आया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई सरकार इतनी महत्व की सड़कें कब तक पूरा करा देगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

(क) जी हां ।

(ख) परन्तु धनाभाव के कारण उक्त आगणन स्वीकृत नहीं किया जा सका था । धन उपलब्ध होने पर उनके निर्माण पर विचार किया जायेगा ।

छात्राओं को मेरीटोरियस छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु निदेशिका, गृह कला एवं गृह विज्ञान, संस्थान, आगरा का प्रार्थना-पत्र

*75—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निदेशिका, गृह कला एवं गृह विज्ञान संस्थान, खंदारी रोड, आगरा द्वारा मैरीटोरियस छात्रवृत्ति दिये जाने के लिये बी0ए0 और बी0एस0-सी0 की उत्तीर्ण छात्राओं के प्रार्थना-पत्र संस्तुति होकर, दिसम्बर, 1976 तथा जनवरी व फरवरी, 1977 में अतिरिक्त सहायक शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा (वित्त-3), इलाहाबाद को भेजे गए ? यदि हां, तो छात्रवृत्ति के कितने फार्म प्राप्त हुए और उन प्रार्थियों के नाम क्या हैं ? क्या यह सही है कि प्रथम श्रेणी प्रथम स्थान पर आने वाली छात्रा को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी छात्रवृत्ति ऐसी छात्रा को न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ललितपुर के भवन निर्माण की मांग

*76—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल, तालबेहट, जिला झांसी (अब ललितपुर) कब खोला गया था और इसका उच्चीकरण (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) कब किया गया और उक्त विद्यालय के भवन के निर्माण हेतु सन् 1926 और 1931 में जमीन भी क्रय व एक्वायर की गयी थी? यदि हां, तो अब तक उक्त विद्यालय का भवन न बन सकने का क्या कारण है? क्या यह सही है कि भवन की कमी के कारण विद्यालय में इंटर की कक्षायें नहीं खुल पा रही है?

श्री काली चरण—

तालबेहट में राजकीय बालिका जूनियर हाई स्कूल वर्ष 1914 में खोला गया तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इसका उच्चीकरण वर्ष 1965 में किया गया ।

विद्यालय भवन के निर्माण हेतु कभी कोई भूमि क्रय/अध्याप्त नहीं की गयी । वर्ष 1974 में ग्राम समाज से चार एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी परन्तु नान-फंक्शनल भवनों के निर्माण पर लगे प्रतिबन्ध के कारण उक्त भूमि पर भवन निर्माण नहीं कराया जा सका तथापि इस वर्ष विद्यालय में इंटर कक्षायें प्रारम्भ कर दी गयी हैं ।

*77—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[22-3-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत उत्तरित ।]

लखनऊ मंडल के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की बी0 टी0 सी0 अध्यापिकाओं का स्थायीकरण

*78—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सरकार को यह इस बात की जानकारी है कि लखनऊ मंडल में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 1974-75 के पहले जो अध्यापिकायें बी0टी0सी0 ग्रेड में कार्य कर रही हैं और जो अनुमोदित हैं, उनको अब तक स्थायी नहीं किया गया है जबकि बाद में नियुक्त इसी ग्रेड की अध्यापिकाओं को वर्ष 1975-76 में स्थायी कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या था? क्या सरकार जांच कराकर इस अनियमितता को दूर करने के लिये अविलम्ब कदम उठाएगी?

श्री काली चरण--

जी नहीं केवल 30 जून, 1972 तक अनुमोदित अध्यापिकाओं में से ही स्थायीकरण किया गया है ।

फैजाबाद जिले में शारदा सहायक परियोजना के राजवहे के पुल निर्माण संबंधी निविदा

*79--श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 आर0 बी0 कमफाल अमसिन राज-भट्ट, फैजाबाद शारदा खंड 33 पर पुल निर्माण कराने का निश्चय किया गया है? क्या यह सही है कि अभी हाल में उसके निर्माण के लिये 5 लाख रुपये का टेंडर मांगा गया जिसमें सिक्योरिटी मनी को 8000 रु0 के स्थान पर 1000 रु0 कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह--

जी नहीं,

शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत जनपद फैजाबाद में अमसिन राजबाहे के वि0पी0 16.64 पर बी0आर0बी0कम फाल के निर्माण हेतु निविदायें दिनांक 9-9-76 में आमंत्रित की गयी थी । निविदा के लिये धरोहर धनराशि 1000 रुपया रखी गयी थी । अनुबन्ध करते समय 8075 - रु0 जमानत की धनराशि ठेकेदार से जमा करायी गयी । अतः धरोहर धनराशि को 8000 रु0 से 1000 रु0 करने का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद जिले के खडमडिया-अहरन सुवंश मार्ग हेतु कथित आमंत्रित गिट्टियों का टेण्डर

*80--श्री मित्रसेन--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खडमडिया-अहरन-सुवंश मार्ग, फैजाबाद पर 10, 12 नं0 की पत्थर की गिट्टियों का टेण्डर वर्ष 1976 में हुआ था ? क्या यह सही है कि चार महीने प्रतीक्षा करने के पश्चात् पेमेंट न मिलने पर उक्त ठेकेदार गिट्टी उठा ले गए ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में बी0 टी0 सी0 वेतन-क्रम में नियुक्त किये गये अध्यापक

*81--श्री देवबहादुर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 टी0 सी0 पास व्यक्तियों में से दस हजार नौ सौ व्यक्तियों को अध्यापक के पद पर नियुक्त करने की घोषणा उन्होंने सदन की बैठक के द्वितीय सत्र में किया था ? यदि हां, तो उनमें से कितने व्यक्तियों की नियुक्ति हो चुकी है ?

श्री काली चरण--

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक 25 जनपदों में कुल 4629 अध्यापकों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं ।

टिहरी डैम के निर्माण के फलस्वरूप टिहरी नगर को अन्यत्र बसाने की योजना

*82—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी डैम के निर्माण से जलमग्न होने के कारण नया टिहरी नगर कहां बसाया जा रहा है ? क्या सरकार ने इस प्रश्न पर अन्तिम निर्णय ले लिया है ?

श्री बलवीर सिंह—

सरकार के अन्तिम निर्णय के अनुसार टिहरी डैम के निर्माण से जलमग्न होने के कारण नया टिहरी नगर कोठी, कुठा, गजना, पीपली मरोड़ा, इत्यादि ग्रामों में बसाया जायेगा ।

देवरिया जिले में बड़ी गंडक नहर की बत्तिसिया माइनर में पानी की कथित कमी

*83—श्री श्रीनारायण—

क्या सिंचाई मन्त्री को पता है कि देवरिया जिले में बड़ी गंडक नहर की उपशाखा बत्तिसिया माइनर में ग्राम नेवुआ रायगंज से आगे पानी किन कारणों से नहीं जा पाता है जिससे परसवनी, लक्ष्मीपुर, बरनहा आदि गांवों को पानी नहीं मिल पाता है ? क्या यह सही है कि बत्तिसिया माइनर पूर्व प्रस्तावित मार्ग से हटाकर बनाई गई है ? यदि हां, तो प्रस्तावित मार्ग को किसने और क्यों बदला ?

श्री बलवीर सिंह—

इस माइनर में पानी नेवुआ रायगंज से आगे प्रत्येक ग्राम में जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती उमादेवी मिश्रा प्रधानाचार्या, रानीगिरजा देवी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्रतापगढ़ के वेतन का भुगतान

*84—श्री अठई राम—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ की कुन्डा तहसील के अधिकांश उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की प्रधानाचार्याओं को अप्रैल, 1977 से वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसी प्रधानाचार्यों की सूची प्रस्तुत करते हुये क्या सरकार बतायेगी कि उनका वेतन किसके आदेश से और क्यों रोका गया है ? क्या सरकार उनके अवशेष तथा बकाया वेतन को तुरन्त अदा कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री काली चरण—

नहीं । केवल श्रीमती उमा देवी मिश्रा प्रधानाचार्या, रानीगिरजा देवी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुन्डा, प्रतापगढ़ का अप्रैल, 1977 से जुलाई, 1977 तक का वेतन मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, फैजाबाद के आदेशानुसार रोका गया था । उक्त प्रधानाचार्या का प्रश्नगत अवधि का वेतन विद्यालय की अन्य अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान न करने के कारण रोका गया था जो कि दिनांक 12–9–77 को भुगतान किया जा चुका है ।

विकास विद्यालय, खसरहा, बस्ती के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*85—श्री शिव लाल मित्तल (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास विद्यालय, खसरहा, बस्ती के गबन एवं भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र 1977 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री काली चरण—

जी हां ।

जांच की कार्यवाही जारी है ।

प्रदेश के कतिपय विश्वविद्यालयों का नाम श्री जय प्रकाश, आचार्य नरेन्द्र देव, श्री चन्द्रशेखर आजाद व डा0 राम मनोहर लोहिया रखे जाने के संबंध में ज्ञापन

*86—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नवम्बर, 1977 व 3 दिसम्बर से 5 दिसम्बर, 1977 को गोरखपुर, लखनऊ, प्रयाग व फैजाबाद विश्वविद्यालय का नाम श्री जयप्रकाश, आचार्य नरेन्द्र देव, चन्द्रशेखर आजाद, डा0 राममनोहर लोहिया के नाम पर रखने के संबंध में भेजा गया कोई ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री काली चरण—

ऐसा ज्ञापन 21-12-77 को प्राप्त हुआ । शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

*87—श्री रामेश्वर नाथ चौबे—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया] ।

प्रतापगढ़ जिले के सार्वजानिक निर्माण विभाग की वर्कशाप के विरुद्ध कथित श्री रामपूजन पटेल का पार्थना-पत्र

*88—श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कशाप के संबंध में घोटाला तथा गड़बड़ियां एवं गबन के संबंध में इलाहाबाद के राम पूजन पटेल का कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण, उत्तर प्रदेश के पास आया था ? यदि हां, तो कोई जांच हुई ? यदि जांच नहीं हुई, तो क्यों नहीं हुई ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी नहीं ।

*89—श्री विद्याशंकर—

[4 थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

नैनीताल जिले में हल्द्वानी–रामनगर मार्ग पर 'दावका काजवे' का कथित त्रुटिपूर्ण निर्माण एवं जांच किये जाने की मांग

*90—श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या नैनीताल जिले में हल्द्वानी-रामनगर मोटर मार्ग पर 'दावका काजवे' का निर्माण आरम्भ करने से पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता द्वारा जारी किये गये सर्कुलर संख्या 2310 पी0 एल0, दिनांक 23 अक्तूबर, 1954 में उल्लिखित सभी हिदायतों के आधार पर उपरोक्त काजवे का डिजाइन बनाया गया था ? यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त सर्कुलर के पैरा 5 तथा 8 (प्रिंसिपुल फार कन्स्ट्रक्शन आफ काजवे के भाग 2 व 3 के प्रतिकूल कार्य करने में अधीक्षण अभियंता से लेकर जूनियर इन्जीनियर तक सभी अधिकारियों के विरूद्ध 'दावका काजवे'के त्रुटिपूर्ण निर्माण के ध्वस्त हो जाने पर अनुशासन की कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग से जांच आख्या मांगी गई है जिसके प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

*91—श्री रामदत्त जोशी—

[चौथे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

डी0 ई0 आई0 इन्जीनियरिंग कालेज, जिला आगरा के छात्रों का शिकायती-पत्र एवं मांगे

*92—श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको डी0 ई0 आई0 इन्जीनियरिंग कालेज, दयालबाग, आगरा के छात्रों का कालेज के बारे में कोई शिकायती-पत्र नवम्बर माह, 1977 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो छात्रों की मांगें क्या हैं तथा शासन ने उनके विषय में क्या किया है ?

श्री काली चरण—

प्रश्न गत शिकायती-पत्र मुख्य मंत्री जी को नवम्बर, 1977 में प्राप्त हुआ था जिसमें छात्रों ने संलग्नक में अंकित मांगे प्रस्तुत की थी ।

इन सभी मांगों पर विचार किया गया और यह पाया गया कि कुछ शिकायतों पर आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में 27–8–77 को छात्रों के प्रतिनिधियों, कालेज के प्रधानाचार्य एवं विभागाध्यक्षों, की बैठक में विचार विमर्श के अनुसार कार्यवाही की गई, कुछ पर प्रधानाचार्य ने अपने स्तर पर ही कार्यवाही की शेष के संबंध में शासन द्वारा कार्यवाही अपेक्षित नहीं पाई गई ।

(देखिये नत्थी 'च', आगे पृष्ठ 865)

फतेहपुर जिले के कतिपय ग्रामों में पानी का जमाव एवं साइफन के निर्माण हेतु श्री बशीर अहमद, एम0 पी0 का पत्र

*93—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या यह सही है कि तहसील फतेहपुर, जिला फतेहपुर के मवाजयात रामपुर थवई, खेड़ा, छोट बगपुरवा में 200 एकड़ जमीन में हमेशा पानी भरा रहता है और वहां एक साइफन बनाने के लिये श्री बशीर अहमद एम0 पी0 ने सिंचाई मंत्री जी को अक्तूबर या नवम्बर, 1977 में लिखा भी है ? यदि हां, तो इस सिलसिले में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री बलवीर सिंह—

जी नहीं। 200 एकड़ क्षेत्र में हमेशा पानी नहीं भरा रहना है, बल्कि वर्षाकाल में अधिकतम 44 एकड़ क्षेत्र जलमग्न रहा है। श्री वशीर अहमद, एम0 पी0 की टिप्पणी सहित एक पत्र माह दिसम्बर, 1977 में प्राप्त हुआ है, जिसमें साइफन बनाने का सुझाव है। जांचोंपरान्त यह सुझाव तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं पाया गया।

राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा किया गया चीनी का रोजगार एवं लाभ

*94—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य खाद्य निगम द्वारा वर्ष 1975–76 में चीनी का कुल कितने रुपये का रोजगार हुआ और इसमें कितना लाभहुआ तथा प्रति कुन्तल चीनी पर उसे कितना कमीशन दिया जाता है और प्रति बोरी रिटेल शाप वाले दुकानदार को कितना कमीशन निर्धारित किया गया है ?

श्री हरीशचन्द्र—

वर्ष 1975–76 में उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा चीनी का कोई रोजगार सीधे नहीं किया गया बल्कि सचिवालय स्थित निगम की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को वितरण हेतु शासन द्वारा चीनी दी गई और उक्त दुकान से कुल रु0 1,96,156-09 के मूल्य की चीनी वितरित की गई। इसमें निगम को रु0 4,434–00 का लाभ हुआ।

अन्य सरकारी सस्तेगल्ले की दुकानों की भांति निगम की उक्त दुकान को भी शासन द्वारा रु0 213.34 प्रति कुन्तल की दर से चीनी दी गई। इसकी राशन कार्ड धारकों को बिक्री की दर रु0 2.15 प्रति किलोग्राम निर्धारित थी। यही व्यवस्था अन्य राशन की दुकानों के लिये भी है। निगम की उक्त दुकान से कुछ चीनी जिला पूर्ति अधिकारी, लखनऊ के परमिटों पर दवाई बनाने वालों को दी गई जिसे उक्त दुकान से रु0 2.17 प्रति किलोग्राम की दर से बेची गई।

राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा किये गये व्यापार से लाभ

*95—श्री कल्पनाथ सिंह श्री मकबूल हसन खां (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्टेट फूड कारपोरेशन ने उत्तर प्रदेश में कुल कितने रुपये का किस-किस सामग्री का रोजगार वर्ष 1975–76 मे किया और किस-किस मद में कुल कितना रुपया मुनाफा कमाया और वर्ष 1977 में 1 अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर, 1977 तक कितना रोजगार किस-किस सामग्री का किया और कितनी लागत लगाकर कितना रुपया मुनाफा कमाया?

श्री हरीशचन्द्र—

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम ने वर्ष 1975–76 में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित वस्तुओं का उनके सामने अंकित धनराशि का व्यापार किया:—

(1)	कपड़ा	रु0 22,21,141.91
(2)	चावल	रु0 3,40, 272.98
(3)	गेहूं	रु0 64,040.13
(4)	चीनी	रु0 1, 96, 156.09
(5)	सूजी	रु0 840.98
(6)	मैदा	रु0 2,951.09
(7)	दाल अरहर	रु0 1,63,240.45
(8)	चोकर	रु0 2,44, 839–41
	योग ..	रु0 32,33,483.04

प्रत्येक वस्तु के व्यापार पर कमाये गये शुद्ध लाभ की धनराशि पृथक-पृथक नहीं आंकी गई है। वर्ष 1975–76 में निगम को अपने पूरे कारोबार पर रु0 60,890.40 का शुद्ध लाभ हुआ।

वर्ष 1977 में 1–4–77 से 31–12–77 तक की अवधि में निगमने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित वस्तुओं का उनके सामने अंकित धनराशि का व्यापार किया:—

	(आंकड़े रु0 में)
(1) कपड़ा	1,46,67,000.00
(2) चावल	30,53,000.00
(3) गेहूं	3,33,94,000.00
(4) डालडा वनस्पति	4,27,000.00
(5) चाय	6,000.00
(6) चीनी	2,25,000.00
(7) रेपसीड आयल	33,93,000.00
(8) मिल्क पाउडर	1,000.00
योग ..	5,51,66,000.00

1–4–77 से 31–12–77 तक की अवधि में लगभग 9.30 लाख रुपये का लाभ होने का अनुमान है। शुद्ध लाभ के वास्तविक आंकड़े वर्ष 1977–78 के लेखे जोखे तयार हो जाने एवं उनका आडिट हो जाने के बाद ही उपलब्ध हो सकते हैं।

निगम की अंश पूंजी 50 लाख रुपये है।

एल0टी0 तथा एस0 एस0ई0 एस0 वेतन क्रम के अध्यापकों को पदोन्नति तथा अनुसूचित जाति का आरक्षण

*96–श्री पूरन चन्द (जिला अल्मोड़ा) तथा श्री बर्फिया लाल जुवाठा 'अरविन्द' (जिला उत्तरकाशी)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1977 से दिसम्बर, 1977 तक एल0 टी0 तथा एम0 एस0 ई0 एस0 वेतनक्रम मे कितने अध्यापकों को अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) वेतनमान में पदोन्नत किया गया है और इनमें से अनुसूचित जाति के कितने अध्यापकों को आरक्षित कोटे के अन्तर्गत पदोन्नत किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री काली चरण—

61 अध्यापकों को पदोन्नति किया गया है। आरक्षित कोटे हेतु अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण किसी भी अनुसूचित जाति के अध्यापक को पदोन्नत नहीं किया गया है।

गोंडा जिले में राजकीय नलकूप का विद्युतीकरण

*97—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि गोण्डा जिला सूखाग्रस्त है पिछली फसल सूख गई है किन्तु फिर भी इस वर्ष नए राजकीय नलकूप जिनका छिद्रण मई सन् 1977 तक हो चुका है आज (दिनांक 17 दिसम्बर, 1977) तक कार्यरत नहीं है? यदि हां, तो इस ढिलाई का कारण क्या है तथा इनको कब तक कार्यरत हालत में कर दिया जायगा?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां। अक्टूबर, 1977 में गोण्डा जनपद सूखा ग्रस्त घोषित किया गया था।

मई, 1977 तक गोण्डा जनपद में 4 राजकीय नलकूपों का छिद्रण हुआ था जिनके बी0 एल0 फार्म विद्युत विभाग को भेजे जा चुके हैं, जिनमें से एक कूप का विद्युतीकरण फरवरी, 78 में हो चुका है तथा 3 कूपों का विद्युतीकरण शेष है।

सिंचाई विभाग, दुगड्डा, जिला पौड़ी गढ़वाल में श्री राजेन्द्र प्रसाद नैथानी द्वारा पेट्रोल की चोरी

*98—श्री इन्द्रमणी बड़ौनी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2 नवम्बर, 1977 को सिंचाई विभाग दुगड्डा के सहायक अभियन्ता ने पेट्रोल चोरी की एक रिपोर्ट पुलिस चौकी दुगड्डा (थाना कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल) में दर्ज कराई है ? यदि हां, तो उस चोरी करने में किस-किस का हाथ था और उनके क्या नाम हैं तथा सरकार ने उसमें क्या कार्यवाही की ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां। दिनांक 31 अक्तूबर, 1977 को पुलिस चौकी दुगड्डा में 20 लीटर पेट्रोल की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार श्री राजेन्द्र प्रसाद नैथानी पुत्र श्री रघुनन्दन प्रसाद नैथानी, निवासी कोटद्वार व 3 अन्य व्यक्ति जिनका नाम पता अज्ञात है व शक्ल सूरत शिनाख्त की जा सकती है, का हाथ था।

पुलिस की अन्तिम रिपोर्ट अपेक्षित है।

प्रदेश में जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों की पेंशन दर में वृद्धि किये जाने की मांग

*99—श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूलों के अवकाश प्राप्त अध्यापकों के लिये 1 अक्तूबर, 1964 को लागू की गयी त्रिसूत्री लाभ योजना के अन्तर्गत पेंशन देने की दर रखी गई थी तथा पेंशन की राशि निर्धारित करने के लिये कोई फार्मूला निश्चित किया गया था ? यदि हां, तो वह क्या हैं ? क्या वर्तमान समय में बढ़ी हुई महंगाई व बढ़े हुए वेतनक्रम को देखते हुए उक्त पेंशन के लिये निर्धारित अधिकतम सीमा 100 रुपया या उससे अधिक निर्धारित करने के प्रश्न पर शासन विचार करेगी ?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती के सहायक अभियन्ता के विरूद्ध प्राविधिक आडिट जांच द्वारा सत्यापित अनियमिततायें

*100—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती के किसी सहायक अभियन्ता के विरुद्ध सितम्बर, 1976 में जो प्राविधिक आडिट ने जांच की, उस पर शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

सार्वजनिक निर्माण विभाग, बस्ती के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध सितम्बर, 1976 में प्राविधिक आडिट द्वारा जांच में सत्यापित अनियमितताओं में से कुछ अनियमितताओं के लिये उन्हें सेंसर किया जा चुका है एवं शेष अनियमिताताओं के लिये उनका स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

राजकीय शिक्षण संस्थाओं के एल0 टी0 वेतनक्रम के अध्यापक एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षक की विचाराधीन ज्येष्ठता सूची

*101--श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय शिक्षण संस्थाओं में कार्य करने वाले एल0 टी0 वेतनक्रम के अध्यापक एवं प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों का वेतनक्रम तथा ज्येष्ठता सूची एक करने का विचार है ? यदि हां, तो इनकी सम्मिलित ज्येष्ठता सूची कब तक प्रकाशित होगी ?

श्री काली चरण--

प्रसंगत प्रकरण शासन के विचाराधीन है। सूची का प्रकाशन अंतिम निर्णय की प्रकृति पर ही निर्भर करेगा।

राजकीय विद्यालय के सी0 टी0 वेतनक्रम के अध्यापकों की पदोन्नति एवं स्थायीकरण

*102--श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली) तथा श्री इन्द्रमणी बड़ौनी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में वर्ष 1972 से दिसम्बर, 1977, तक विभिन्न वेतन मान (सी0 टी0 एल0 टी0) से कितने अध्यापकों (सामान्य तथा हिन्दी) को तदर्थ रूप से पदोन्नत किया गया है और उनमें से कितने अध्यापकों को पदोन्नत पदों पर स्थायी किया जा चुका है ? यदि अभी तक स्थायी नहीं किए गए हैं तो इस अनावश्यक विलम्ब का क्या कारण है और यह कब तक हो जाएगा ?

श्री काली चरण--

	सी0 टी0 वेतन क्रम से पदोन्नत सहायक अध्यापकों की संख्या	एल0 टी0 वेतन क्रम से पदोन्नत सहायक अध्यापकों की संख्या
(क) सामान्य वर्ग	277	321
(ख) हिन्दी	83	201
(ग) सामान्य एवं हिन्दी की मिश्रित ज्येष्ठता सूची। ..		228

किसी को भी स्थायी नहीं किया गया। नियमानुसार तदर्थ रूप से पदोन्नत अध्यापकों का उक्त पदों पर स्थायीकरण नहीं किया जाता। प्रोन्नति के कोटा के अध्यापकों की नियमित प्रोन्नति होने पर ही स्थायीकरण का प्रश्न उत्पन्न होगा।

शिक्षा विभाग के राजपत्रित वेतन क्रम में पदोन्नत किये गये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार

*103--श्री प्रताप सिंह पुष्पवान तथा श्री इन्द्रमणि बड़ौनी--

क्या शासन ने कोई ऐसी राजाज्ञा निर्गत की है (राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा) कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के निर्धारित आरक्षित कोटा पूर्ति हेतु स्टैन्डर्ड मानदण्ड में शिथिलता बरत कर भी (सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों मामलों में) निर्धारित कोटा पूरा किया जाय ? यदि हां, तो शिक्षा विभाग ने इस वर्ष अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) वेतनमान में कितनी पदोन्नतियां की और उनमें से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये कितने-कितने व्यक्ति पदोन्नत किये गये तथा कोटा पूर्ति के लिये विभाग क्या कदम उठा रहा है और यह कब तक पूरा किया जा सकेगा ?

श्री काली चरण--

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग द्वारा वर्ष 1976 में भविष्य की सीधी भर्ती के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को मापदंड शिथिल करके आरक्षित रिक्तियों को इस शर्त के साथ भरने के आदेश दिए गए थे कि ये उम्मीदवार ऐसे पद/पदों पर नियुक्ति के लिये अयोग्य न पाए जाय ।

अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) वेतन-मान में इस वर्ष कोई नियमित पदोन्नति नहीं दी गई । केवल निम्नलिखित तदर्थ प्रोन्नतियां की गईं:--

विवरण	प्रोन्नत व्यक्तियों की कुल संख्या	अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के प्रोन्नत व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
एल0 टी0 विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा तथा निरीक्षण शाखा से पदोन्नतियां ।	84	5

जब तक प्रसंगग पदों के लिये योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते तब तक निर्धारित कोटा पूरा किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

शिवपति इन्टर कालेज, जिला बस्ती के हड़ताली अध्यापकों के वेतन का भुगतान

*104--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवपति इन्टर कालेज, शोहरतगढ़ जिला बस्ती के 23 अध्यापक 15 नवम्बर, 1977 से 30 नवम्बर, 1977 तक हड़ताल पर थे और उन्हे इस सम्बन्ध में प्रबन्धक तथा प्रधानाचार्य एवं जिला विद्यालय निरीक्षक बिना काम किए और बिना शासन की स्वीकृति के 16 दिन का वेतन बिना अध्यापन कार्य किए पेमेन्ट किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त धन को वापस करने के लिए सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री काली चरण--

जी हां, कलम बन्द हड़ताल पर थे । जी हां, संख्याधिकारियों द्वारा पारणा-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसे पारित किया गया था ।

अवैध रूप से प्राप्त धन की वापसी के लिए निर्देश विद्यालय के प्रबन्धक को भेज दिये गये हैं ।

*105—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसूफ—

[5 वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

इटावा जिले के भर्थना–उसराहर, भर्थना–इटावा व एरवा–कुदरा कोट मार्गों का निर्माण

*106—श्री महेन्द्र सिंह यादव (जिला इटावा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री, कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद इटावा में क्षेत्र भरथना की सड़क भर्थना–अरुरातार तथा भर्थना–इटावा एवं एरवा–कुदरा कोट का कार्य अब तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इन तीनों मार्गों की स्थिति इस प्रकार है—

(1) भर्थना–उसराहर मार्ग—इस मार्ग की कुल लम्बाई 24.20 कीलोमीटर है। इसमें 20 किलोमीटर मार्ग पहिले ही पूर्ण है। शेष 4.20 किलोमीटर पर कार्य प्रगति पर है।

(2) भर्थना इटावा मार्ग—इस भाग की लम्बाई 21 किलोमीटर है। इसमें 8 किलोमीटर बेरोजगार योजना के अन्तर्गत पहिले ही पूर्ण हो चुका है। शेष 13 किलोमीटर पर कार्य प्रगति पर है।

(3) एरवा–कुदरा कोट मार्ग—यह मार्ग 11 किलोमीटर लम्बा है। इसमें से 5 किलोमीटर बेरोजगार योजना के अन्तर्गत पहिले ही पूर्ण किया जा चुका है। शेष 6 किलोमीटर का भाग किसी योजना के अन्तर्गत निर्माण के लिये स्वीकृत नहीं है।

बस्ती जिले में उसका–धानी रोड को तारकोल रोड बनाये जाने की मांग

*107—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसका-धानीरोड का वह हिस्सा जो बस्ती जिले में पड़ता है उसकी हालत बहुत खराब है ? क्या सरकार इस रोड को तारकोल रोड बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह योजना कब पूर्ण होगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के कुल सचिव के सेवाकाल में वृद्धि

1—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के विद्यालय नियमावली की धारा 9 (दो) का उल्लंघन करते हुए कुल सचिव को 60 वर्ष की आयु हो जाने के उपरान्त भी उनके कार्यकाल में जुलाई, 1977 से 6 माह की बृद्धि की गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री काली चरण—

जिस नियम का हवाला दिया गया है उसमें 60 वर्ष की आयु के बाद दो वर्ष तक सेवा विस्तरण का प्राविधान है। अतः अवकाश प्राप्ति के बाद कुल सचिव को स्वीकृत

6 महीने के सेवा विस्तरण में किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। कुल सचिव को यह सेवा विस्तरण विशेष परिस्थितियों में दिया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 16 जनवरी, 1976 को समाप्त हो गई है।

शारदा सहायक परियोजना के अधीक्षण अभियन्ता, श्री भार्गव व अधिशासी अभियन्ता श्री अवतारसिंह का निलम्बन

2--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक योजना के एक अधीक्षण अभियन्ता (श्री भार्गव) तथा अधिशासी अभियन्ता (श्री अवतार सिंह) जोभ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप में निलम्बित किये गये थे उन्हें राष्ट्रपति शासन में बहाल कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां।

इन अधिकारियों को इस आधार पर बहाल कर दिया गया था कि निलम्बन की अवधि लम्बी थी। श्री भार्गव को दिनांक 15--6--77 को और श्री अवतार सिंह को दिनांक 19--7--77 को बहाल कर दिया गया।

बाद में एक अन्य जांच के सिलसिले में दोनों अधिकारियों को पुन: निलम्बित कर दिया गया है।

हिण्डन वर्क्स खण्ड, ओखला के अधिशासी अभियन्ता श्री टी0 आर0 खुराना के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

3---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि न्यू ओखला योजना के अधीक्षण अभियंता (श्री पी0 आर0 खुराना) के विरुद्ध भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय धन के दुरुपयोग के गम्भीर आरोपों की जांच सतर्कता अधिष्ठान के अन्तर्गत चल रही है? और जांच की कोई अन्तरिम रिपोर्ट शासन को प्राप्त है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलबीर सिंह---

हिण्डन वर्क्स खंड, ओखला के अधिशासी अभियंता, श्री टी0आर0 खुराना के विरुद्ध शिकायतों की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है। जांच की कोई अन्तरिम रिपोर्ट अभी तक नहीं प्राप्त हुई है।

बहराइच जिले के कटरा श्रावस्ती गांव में आसाम रोड हेतु अधिगृहित भूमि का मुआवजा

4---श्री कमला प्रसाद वर्मा---

क्या शासन कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले में कटरा श्रावस्ती गांव के पास बाई पास (आसाम रोड) के निर्माण के लिये वर्ष 1965 में उक्त गांव के किसानों की भूमि अधि-गृहीत की गयी थी और जिसका मुआवजा अभी देना शेष है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1973 से अब तक अधिग्रहण एवं मुआवजा देने तथा अधिगृहीत भूमि से काश्तकारों के नाम खारिज करने के संबंध में श्री श्यामता प्रसाद चौधरी, लाल जी आदि ग्रामवासी ने शासन को कोई प्रार्थना-पत्र भेजें ? क्या इस संबंध में राजस्व परिषद् से आख्या मांगी गयी थी ? यदि हां तो अब तक आख्या क्या थीं? अधिग्रहण व काश्तकारों के नाम खारिज करने के संबंध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

आजमगढ़ जिले की रतु आपार, प्राइमरी पाठशाला के प्रधानाध्यापक, श्री नन्द किशोर पाण्डेय के विरुद्ध शिकायती-पत्र

5--श्री राम जनम (जिला आजमगढ़)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18 अक्तूबर, 1977 को प्रधानाध्यापक (श्री नन्द किशोर पांडेय), प्रा0पाठशाला, रतुआपार, ब्लाक अतरौलिया, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायती दरख्वास्त दिया गया था? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण--

जी हां, शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था। जांचोपरान्त श्री नन्द किशोर पांडेय, प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ के विचाराधीन है।

मदन मोहन इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में चेतना क्लब द्वारा खेला गया नाटक का व्यय

6--श्रीमती शारदा देवी (जिला प्रतापगढ़)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में स्थापित चेतना क्लब द्वारा आयोजित एक नाटक जो दिनांक 24 अप्रैल, 1976 को मदन मोहन इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर के रंगमंच पर खेला गया उस पर होने वाले समस्त व्यय को विद्यालय के प्राचार्य द्वारा वह न किया गया एवं उन्हें विद्यालय के अन्य मदों के खर्च में दर्शाया गया ? यदि हां, तो क्यों?

श्री काली चरण--

चेतना क्लब कालेज के छात्रों, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की एक सांस्कृतिक संस्था है, जिसने दिनांक 24-4-76 को कालेज में एक नाटक खेला था। क्लब ने बिजली का खर्च छोड़कर नाटक का सम्पूर्ण व्यय स्वयं वहन किया था। केवल 17 यूनिट बिजली पर रु0 5.10 पैसे का व्यय कालेज के हिस्से में जरूर आया, परन्तु नाटक के समय छात्रावासों में रहने वालों की उपस्थिति के कारण ऊर्जा की बहुत बचत भी हुई। नाटक ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम सामान्यत: शिक्षण संस्थाओं के सामान्य कार्यकलापों के अन्तर्गत आते हैं। अत: मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, द्वारा कालेज प्रागंण में आयोजित उक्त नाटक के सिलसिले में किया गया नाम मात्र का प्रसंगगत व्यय पूर्णतया आपत्ति रहित है।

बिजनौर निवासी श्री बनारसी लाल कपूर की सस्ते गल्ले की दुकान का निरसन

7--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर निवासी किन-किन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र इस आशय के उनके पास अक्टूबर, 1977 में आये कि आपात्कालीन स्थिति के दौरान उन्हें एलाट राशन की दुकानें राजनीतिक कारणों के आरोप लगाकर निरस्त कर दी गयीं जिन पर पत्र संख्या स/2928/ख/77 द्वारा आवश्यक कार्यवाही के लिये सचिव खाद्य विभाग को भेज दिया गया ? इस बारे में सरकार द्वारा क्या अंतिम कार्यवाही की गयी है ?

श्री हरिश्चन्द्र—

जी हां, चर्चित पत्र सं0 स/2928/खा0मं0/77 के पूर्व, उसी आशय का एक अन्य आवेदन-पत्र श्री बनारसी लाल कपूर नामक सरकारी सस्ते गल्ले/चीनी के भूतपूर्व बिक्रेता से प्राप्त हुआ था जिस पर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा श्री कपूर की दुकान किन्ही राजनैतिक कारणों से नहीं, बल्कि चीनी वितरण में की गई गम्भीर अनियमितायें पाये जाने पर दिनांक 7 जून, 1976 को निरस्त की गई थी । उस समय की प्रशासकीय व्यवस्था के अनुसार उक्त प्रकार के मामलों में जिलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध मंडलीय आयुक्त के समक्ष दुकानदार प्रत्यावेदन दे सकते थे । दिनांक 20 अगस्त, 1977 से संशोधित वितरण व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप उक्त प्रकार के प्रत्यावेदन स्वयं जिलाधिकारी के सम्मुख होने लगे हैं । चूंकि प्रस्तुत मामले में जिलाधिकारी द्वारा दिया गया आदेश 20 अगस्त, 1977 से पहले का है, अतः श्री कपूर संबंधित मंडलायुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन दे सकते हैं ।

पीलीभीत के गांधी स्मारक सुन्दर लाल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विरुद्ध शिकायती–पत्र

8—श्री राजेंद्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांधी स्मारक सुन्दर लाल उ0मा0 विद्यालय, विलसण्डा, जिला पीलीभीत के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं नियम विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में कोई शिकायती-पत्र अगस्त, 1977 के दूसरे पखवारे में मिला? यदि हां, तो शिकायत क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस्ती जिले के बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का बकाया

9—श्री सुखपाल पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती के अन्तर्गत कुल कितने अध्यापक/अध्यापिका कार्यरत हैं ? उन में कितने अध्यापकों का किस-किस प्रकार का बकाया जिला परिषद् कार्यकाल का है और कितना बकाया बेसिक शिक्षा परिषद् पर नवम्बर, 1977 तक है ? उपरोक्त बकाये को सरकार संबंधित अध्यापकों/अध्यापिकाओं को कब तक देने का विचार कर रही है? अब तक बकाया धनराशि के भुगतान न देने का क्या कारण है?

श्री काली चरण—

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती के अधीन कुल 7093 अध्यापक व 681 अध्यापिकायें कार्यरत हैं ।

1736 शिक्षकों का विभिन्न प्रकार का बकाया रुपया 4,26,376.99 जिला परिषद् कार्यकाल का है और 489 अध्यापकों का बकाया रुपया 1,70,219-79 बेसिक शिक्षा परिषद् पर नवम्बर, 1977 तक का देय है।

बकाया धनराशि का नियमानुसार भुगतान अनवरत किया जा रहा है।

वैधानिक कठिनाइयों एवं अन्य अनियमितताओं को दूर कराने तथा पूर्व अवधि के पूर्ण अभिलेख यथासमय उपलब्ध न होने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ ।

सीतापुर जिले के जनता जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों का वेतन

10—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनता जूनियर हाई स्कूल, बकहुंआ बाजार, जिला सीतापुर के अध्यापकों को पिछले 11 माह से वेतन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो न देने का क्या कारण है तथा वेतन कब तक दे दिया जायेगा?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

रेन्ट कन्ट्रोल एण्ड इविक्शन, अधिकारी, मथुरा द्वारा मकानों का एलाटमेंट

11—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मथुरा के रेंट कंट्रोल अधिकारी द्वारा शहर में 26 जुलाई, से 25 सितम्बर, 1977 तक की अवधि में रेंट कंट्रोल के कितने मकान रिलीज किये तथा किन-किन व्यक्तियों के मकानों को?

श्री हरिश्चन्द्र—

प्रश्नगत अवधि में मथुरा शहर में रेंट कंट्रोल ऐंड इविक्शन आफिसर, मथुरा द्वारा तीन मकान निम्नलिखित व्यक्तियों को रिलीज किये गये:—

(1)	मकान नं 2, डाइबिल नगर मथुरा	श्रीमती कपूरी देवी जैन ।
(2)	मकान नं 0 2627, लक्ष्मी सदन व बरामपुरा का एक भाग	श्रीमती पुनिया देवी ।
(3)	मकान नं 0 840 केशोपुरी गली भार्गव, मथुरा के भाग को	श्रीमती प्रयाग देवी।

12—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान रेंट कंट्रोल अधिकारी, मथुरा (श्री गुप्ता) ने भूतपूर्व रेंट कंट्रोल अधिकारी (श्री शर्मा) के नाम एलाट मकान को अपने निकट के संबंधी के नाम अभी हाल में एलाट कर दिया है और अन्य व्यक्तियों द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर विचार करने के लिये उनको सूचना जारी नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र—

जी हां । श्री हर स्वरूप शर्मा, भूतपूर्व जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा खाली किये गये भवन संख्या 2143, डैम्पियर नगर, मथुरा के एक भाग को वर्तमान जिला पूर्ति अधिकारी श्री एस 0पी 0गुप्ता, ने अपने संबंधी श्री सुरेश चन्द्र को 12 अगस्त, 1977 को एलाट कर दिया । उक्त भाग के एलाटमेंट हेतु कोई अन्य प्रार्थना-पत्र 12 अगस्त, 1977 तक कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ था अतः उस पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

13—श्री रवींद्र सिंह—

[1ले सोमवार (20-3-78) को अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के अन्तर्गत उत्तरित]

बहराइच जिले में आसामरोड पर मोहमदा नाला के पुल पर पुलाही की वसूली

14—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बहराइच में ,आसाम रोड पर रिसिया के पास मोहमदा नाला पर बने पुल पर पुलाही कम आती है और कर्मचारियों पर व्यय अधिक ? यदि हां, तो एक वर्ष पूर्व का लेखा देखकर पुलाही समाप्त करने की कृपा करेंगे?

श्री मोहम्मद मसूद खां---

जी हां । मामले पर विचार किया जा रहा है ।

प्रतापगढ़ जिले में सरकारी नलकूपों का छिद्रण

15---श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के लिये वर्ष 1976-77 में कितने सरकारी नलकूप लगाये जाने की स्वीकृति मिली थी और अब तक कितने नलकूप लगाये जा चुके हैं ?

श्री बलबीर सिंह---

प्रतापगढ़ जनपद के लिये वर्ष 1976-77 में 22 नलकूप लगाने की स्वीकृति दी गई थी और उनमें से 20 नलकूपों का छिद्रण हुआ था ।

न्याय पंचायत, मेला रायगंज, जिला बाराबंकी के चीनी कोटेदार, श्री शिव कुमार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

16---श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)---

क्या खाद्य एवं पूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि न्याय पंचायत मेला रायगंज, विकास खंड दरियाबाद, तहसील राम सनेही घाट, जिला बाराबंकी के सरकारी फुटकर चीनी के कोटेदार के विरुद्ध जनता द्वारा शिकायत के प्रार्थना-पत्र 25 जुलाई, 1977 को जिला पूर्ति अधिकारी बाराबंकी, 28 जुलाई, 1977 को हाकिम तहसील राम सनेही घाट, 10 अगस्त, 1977 को जिला अधिकारी, बाराबंकी को प्रेषित की गयी? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र---

न्याय पंचायत, मेलारायगंज, जिला बाराबंकी के लेवी चीनी बिक्रेता श्री शिवकुमार के विरुद्ध जिला पूर्ति अधिकारी को संबोधित शिकायती-पत्र दिनांक 25-7-77 परगनाधिकारी को संबोधित शिकायती-पत्र दिनांक 26-7-77 एवं जिलाधिकारी को सम्बोधित शिकायती पत्र दिनांक 9-8-77 प्राप्त हुए थे । परगनाधिकारी ने जांच के दौरान बिक्रेता का कोटा रोक दिया था और तदुपरान्त 14-1-78 को उसका अनुबन्ध-पत्र निरस्त कर दिया था । कोटेदार की अपील पर अपील अधिकारी ने ताफैसला अपील निरस्तीकरण आदेश स्थगित कर दिये हैं ।

ग्राम अखबरी, जिला सीतापुर में घाघरा नदी से कटाव एवं डैम्पनर का निर्माण

17---श्री राम नरायन वर्मा---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अखरी, ब्लाक रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर में घाघरा नदी के कटाव को रोकने के लिये जो बन्धे बन रहे थे वह क्या पूरे हो गये हैं ? यदि नहीं, तो कब बन कर तैयार हो जाने की संभावना है?

श्री बलबीर सिंह---

ग्राम अखबरी, ब्लाक रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर में घाघरा नदी के कटाव को रोकने के लिए किसी बंधे का निर्माण नहीं हो रहा है । इन ग्रामों में नदी के कटाव को रोकने के लिये 11 डैम्पनर का निर्माण किया जाना है जिसमें से 3 पर कार्य हो रहा है । सभी डैम्पनर का कार्य मई, 78 तक पूर्ण होने की आशा है ।

श्रीमती गोमती देवी गर्ल्स इण्टर कालेज, फ़र्रुखाबाद की अध्यापिका, श्रीमती सीता देवी के वेतन का भुगतान

18—श्री संगम लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती गोमती देवी गर्ल्स इंटर कालेज, मकरन्द नगर, फर्रुखाबाद के प्रबन्धक ने कालेज के एक सहायक अध्यापिका (श्रीमती सीता देवी) का पिछले दो साल का वेतन मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका चतुर्थ मंडल, इलाहाबाद के आदेश संख्या अनु0/505-6/77-78 दिनांक 1 अगस्त, 1977 के बावजूद भी नहीं दिया है ? अगर हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ।

श्री काली चरण—

वेतन भुगतान किया जा चुका है शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले में प्राइमरी पाठशाला तथा जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों का नसबंदी के सम्बन्ध में स्थानान्तरण

19—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद में आपात्काल में बेसिक प्राइमरी पाठशाला तथा जूनियर हाई स्कूल के कितने अध्यापकों का नसबन्दी न कराने अथवा नसबन्दी का केस न देने के कारण उनके घरों से काफी दूर तबादला कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उन अध्यापकों को यथास्थान करने हेतु कोई उपाय कर रही है ?

श्री काली चरण—

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के जनपद बस्ती में प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूलों में कुल 259 अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया था । अब उन्हें पुनः यथास्थान स्थानान्तरित कर दिया गया ।

बलिया जिले में सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत पर व्यय की धनराशि और आमंत्रित किये गये टेण्डर

20—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बतायेगी कि बलिया जनपद में वित्तीय वर्ष 1975–76, 1976–77 में किन-किन सड़कों के निर्माण, जीर्णोद्धार सुधार और आधुनीकरण पर कितनी-कितनी धनराशि किस किस मद या कार्य पर व्यय की गई है?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

सूचना संलग्न 'क' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 866 पर)

21—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त कार्यों के सम्पादन के लिये टेंडर आमंत्रित हुए थे ? यदि हां, तो कब कब ? किन-किन व्यक्तियों ने आमंत्रित टेंडरों में किस-किस दर से टेंडर दिया और किस व्यक्ति का टेंडर किस कार्य के सम्पादन हेतु किस दर पर स्वीकृत हुआ ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

यह प्रश्न बहुत व्यापक है । इसका उत्तर बनाने में बहुत समय लगेगा । उत्तर लगभग 50-100 पृष्ठों में तैयार होगा । माननीय सदस्य यदि किसी विशेष बिन्दु पर सूचना चाहेंगे तो उत्तर दिया जायेगा।

बलिया जिले मे निर्मित लिफ्ट सिचाई योजनाएं एवं व्यय की गयी धनराशि

22--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार बतायेगी कि बलिया जनपद में कौन-कौन लिफ्ट सिचाई योजनायें वर्ष 1977 तक पूर्ण हो गई हैं और ऐसी प्रत्येक योजना पर सरकार को कितनी-कितनी धनराशि किस किस मद में खर्च करनी पड़ी है ?

श्री बलवीर सिंह--

बलिया जनपद में निम्नलिखित लिफ्ट सिंचाई योजनायें वर्ष 1977 तक पूर्ण हो गई, और प्रत्येक पर शासन द्वारा व्यय की गयी धनराशि का मदवार विवरण उनके समक्ष दर्शाया गया है :--

लिफ्ट नहर का नाम	कार्यों पर व्यय	विद्युतीकरण पर व्यय	योग
	रु0	रु0	रु0
1--सोहांव	1,39,463.62	25,995.00	1,65,458.62
2--पलियाखास	2,15,822.69	8,153.00	2,23,975.69
3--रामपुरचिट	67,000.31	31,040.00	98,040.31
4--सागरपाली	72,184.92	18,499.00	90,183.92
5--सुरापाली	1,13,036.66	11,025.00	1,24,061.66
6--दुहबिहार	1,27,836.72	40,000.00	1,67,836.72

बलिया जिले की वादिलपुर पम्प नहर के निर्माण को त्याग देने का प्रस्ताव

23--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बलिया जनपद की गाय घाट लिफ्ट सिंचाई योजना को त्याग देना पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों और इस योजना पर सरकार ने कितनी-कितनी धनराशि किस-किस मद में खर्च किया है ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां । बलिया जनपद में गंगा नदी पर गाय घाट के पास वादिलपुर पंप नहर न कि गाय घाट लिफ्ट सिंचाई योजना को गंगा नदी की धारा की अस्थिरता और जनता में विरोध के कारण त्याग देना प्रस्तावित है । शासन द्वारा योजना पर मदवार निम्नांकित व्यय किया गया:--

	रु0
1--मिट्टी के कार्य	28,886.00
2--सिविल कार्य	73.90
3--मेकेनिकल कार्य	359,906.90
4--विभिन्न कार्य	13,515.93
5--स्टाक	1,91,321.90
योग ..	5,93,704.63

उपर्युक्त धनराशि में से 4,13,800.23 रु0 का सामान इस योजना से वापस ले लिया गया, अतः अंतिम व्यय 1,79,904.40 रु0 हुआ ।

उन्नाव जिले के सफीपुर परियर मार्ग को डामर रोड बनाये जाने की मांग

24—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जनपद में त्वरित योजना के अन्तर्गत बनने वाले सफीपुर परियर मार्ग को जिला परिषद् ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया है? यदि हां, तो उक्त मार्ग कब तक डामर रोड बनकर तैयार हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

सिंचाई विभाग के संगणक (कम्प्यूटर) के स्थायीकरण की मांग

25—श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कम्प्यूटरों की स्थायी पदों की संख्या कुल कितनी है और विभाग में कुल कितने कम्प्यूटर स्थायी हैं ? कम्प्यूटरों के शेष रिक्त स्थायी पदों की संख्या कुल कितनी है ? क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग में पिछले बारह वर्षों से कार्यरत कम्प्यूटरों को अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

सिंचाई विभाग में संगणक (कम्प्यूटर) के स्थायी पदों की संख्या 88 है जिनके समक्ष 51 संगणक स्थायी हैं । 37 पद रिक्त है । पिछले बारह वर्षों से कार्यरत अस्थायी संगणकों की कुल संख्या 34 है । उपरोक्त 37 रिक्त स्थायी पदों पर कर्मचारियों के स्थायीकरण के संबंध में कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्नों के उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय अध्यक्ष जी, अभी कई माननीय सदस्यों के प्रश्नों के संबंध में जो उत्तर दिये गये हैं, उनमें कहा गया है कि "सूचना एकत्रित की जा रही है ।" मेरा भी चौथे नम्बर पर एक अतारांकित प्रश्न था जिसके उत्तर में कहा गया है कि "सूचना एकत्रित की जा रही है ।" मान्यवर, बहराइच जिले में कटरा श्रावस्ती गांव के पास बाई पास के निर्माण के लिये 2 लाख रुपये का मामला था ....

श्री अध्यक्ष—

आप जरा स्थान ग्रहण करें । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, यह तो व्यवस्था के प्रश्न का दुरुपयोग है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष—

यह 15 दिन के बाद फिर आयेगा । अब मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

(श्री ओंकार नाथ के खड़े होकर कुछ कहने पर)

प्रश्नों के समय की समाप्ति के बाद कोई ऐसी आपत्ति नहीं होगी। जिन्हें कुछ कहना है, वे मेरे कक्ष में आकर मिल लें। मैं इस प्रकार से बोलने की अनुमति नहीं देता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप पहले नियमों को पढ़ लें।

(श्री ओंकार नाथ के पुनः खड़े होकर कुछ कहने पर)

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, आप बैठ जायं, मैं इस प्रकार बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। यह प्रश्नों का समय नहीं है। आप कृपया बैठिये।

प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका है। यदि आपको कोई आपत्ति करनी है तो मेरे कक्ष में आकर कीजियेगा।

(व्यवधान)

आप कृपया बैठिये।

श्री रवींद्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जिस प्रकार से जनरल एन्सर्स दिये गये कि सूचना एकत्रित की जा रही है, इसको देखते हुए क्या आप यह निर्देश देने की कृपा करेंगे कि जिन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार के आये हैं कि "सूचना एकत्रित की जा रही है", वे सब स्वगित मान लिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इनको तो स्थगित मानते ही हैं और यह कोई व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, जो इस प्रकार के उत्तर दिये जाते है कि सूचना एकत्रित की जा रही है मैं चाहता हूं कि इसमें जो अल्पसूचित प्रश्न हों उनका मैक्सिमम समय आप निर्धारित कर दें और जो तारांकित प्रश्न हैं, उनका भी कोई मैक्सिमम समय फिक्स कर दें ताकि यह सब बात ही न होने पाये।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था नियमों के अन्दर है।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि अधिकारियों द्वारा सरकार को गलत सूचना देकर सरकारी सम्पत्ति को गायब करने का प्रयास किया जा रहा है..

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

के० डी० सिंह बाबू की मृत्यु की जांच तथा मुख्य मंत्री की अमेरिकी राजदूत से बातचीत की सूचना सदन में देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन् कि परसों जब स्व० के० डी० सिंह बाबू को श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो आपने व्यवस्था दी थी माननीय मुख्य मंत्री उनकी हत्या या आत्महत्या के संबंध में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]

मैं एक बयान देंगे । तो मैं चाहता हूं कि उस संबंध में आप कोई ऐसी व्यवस्था दें कि वे आज या कल जो भी तिथि निर्धारित करें, सदन के अन्दर बयान दें ।

साथ ही साथ मेरा एक विनम्र निवेदन है कि परसों शाम को अमेरिका के राजदूत से इस सूबे के मुख्य मंत्री की बात-चीत हुई है और यह सार्वजनिक रूप से समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि सूबे की खेती और राज्य के नियोजन और आर्थिक प्रगति के बारे में दोनों की बात-चीत हुई है और इस समय सदन बैठा हुआ है और सूबे के हित के लिये यहां पर सदन में विचार-विमर्श होता है तो मैं विनम्र निवेदन करते हुए जानना चाहता हूं और शायद सदन की भी भावना होगी कि अमेरिका के राजदूत से और माननीय मुख्य मंत्री से इस सूबे की भलाई के लिए, आर्थिक विकास के लिये क्या बात हुई है, इससे सूबे को अवगत कराया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मुख्य मंत्री और अमेरिका के राजदूत से क्या वार्ता हुई, यदि इस प्रकार के समाचारों को लेकर उनका नोटिस लिया जायगा तो उनका अन्त नहीं होगा । इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

दूसरा प्रश्न जो उठाया गया तो मैं उपनेता सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस रोज भी मैंने कहा था कि चूंकि के 0 डी 0 बाबू के निधन के संबंध में यह कहा गया है कि उन्होंने आत्महत्या की है तो उस रोज माननीय मुख्य मंत्री जी ने केवल उनके निधन का जिक्र किया था । इसके संबंध में मैंने यह निर्देश दिया था कि इसकी जांच करके समझकर, इस सदन को अवगत करायें । तो उपनेता सदन कृपया मुख्य मंत्री को यह सूचित कर दें कि हो सके तो आज शाम को सदन को इस घटना की पूरी जानकारी देने की कृपा करें ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है । जो शतरुद्ध प्रकाश जी ने सवाल उठाया है कि अमेरिका के राजदूत से मुख्य मंत्री की बात-चीत हुई, तो विकास और तरक्की के प्रश्न पर तो केंद्रीय सरकार ही बात-चीत कर सकती है, माननीय मुख्य मंत्री को अधिकार नहीं है । सवाल इस समय यह है कि वार्ता करना अपराध नहीं है, [× × ×] इसलिये जरूरी है, मान्यवर, इस सवाल को माननीय मुख्य मंत्री सदन में स्पष्ट करें कि वार्ता क्या हुई, वरना अखबारों में जो छपा है उससे तरह-तरह की र्‌यूमर फैलेगी ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पर व्यवस्था दे चुका हूं । अब इस पर विवाद नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष के चुनाव के स्थगन के सबन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष के चुनाव के लिये आज नामांकन की तारीख 12 बजे तक निश्चित थी और चुनाव कल होना था । इसको मैं स्थगित कर रहा हूं और 4 अप्रैल को 12 बजे तक नामजदगी के पर्चे लिये जायेंगे और यदि आवश्यकता हुई तो चुनाव 5 तारीख को होगा ।

श्री कमल (जिला वाराणसी)—

हमारी बात सुन लें । हमारी पार्टी का अधिवेशन कल से भटिंडा में शुरू हो रहा है । हमारे सभी माननीय सदस्य 30 तारीख को जायेंगे और 8 तारीख तक लौटेंगे । अगर

नोट :— [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आपने 4 तारीख को निर्धारित कर दिया तो हमारे दल के माननीय सदस्य इस कार्य में हिस्सा लेने से वंचित हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष---

आप कौन-सी तारीख चाहते हैं ?

श्री ऊदल---

मेरा सुझाव यह था कि 10 तारीख से लेकर किसी भी दिन कर दें।

श्री अध्यक्ष---

आपकी कठिनाई वास्तविक है, इसलिये आज चुनाव स्थगित कर रहा हूं और कल इसके संबंध में निश्चय करूंगा।

मुख्य मंत्री के प्रति श्री राम अधार द्वारा कहे गए आपत्तिजनक शब्दों को कार्यवाही से निकाल देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

व्यवस्था का प्रश्न है । अभी श्री राम अधार जी ने एक ऐसी बात कह दी है जो इस सदन की कार्यवाही का भाग नहीं बननी चाहिये ।

श्रीमन्, उन्होंने अभी माननीय मुख्य मंत्री के बारे में कहा कि [× × × ×] तो इसको आप कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अध्यक्ष---

कार्यवाही देखने के बाद मैं इस पर निर्णय दूंगा । अगर समझूंगा तो इसको निकलवा दूंगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

एक इतना बड़ा गम्भीर आरोप है और वह भी शासन की तरफ से लगाया जा रहा है (व्यवधान) में चाहता हूं इस पर माननीय मुख्य मंत्री कोई वक्तव्य दें ।

श्री अध्यक्ष---

सदन के माननीय सदस्यों को इस पर इतना सेंसीटिव नहीं होना चाहिये । (व्यवधान) एक दफा लोक सभा में भी पीलूमोदी के लिये (व्यवधान) ऐसा प्रश्न उठा था । मैं नहीं समझता कि माननीय रामअधार ने कोई गम्भीरता से इसे लिया हो (व्यवधान) ।

श्री ऊदल---

श्रीमन्, इसे निकलवा दें ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कह दिया कि कार्यवाही देखने के बाद । (व्यवधान) (कई सदस्यों के खड़े होने पर) आप लोग कृपया बैठिये ।

श्री राजेंद्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, अभी माननीय रामअधार राय ने जो आरोप लगाया वह यहां आपने स्वयं सुना । आपने व्यवस्था दी कि आप कार्यवाही से देखने के बाद निर्णय लेंगे । जब आपने

नोट:---[× × × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

स्वयं सुना है तो आप पुनः उस पर विचार कर तत्काल वह शब्द कार्यवाही से निकलवाने के आदेश देने की कृपा करें। (व्यवधान)

(श्री रामअधार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

यह अनुचित है। आप कृपया बैठिये। रामअधार जी आप कृपया बैठिये।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, मैंने यह आरोप नहीं लगाया ह कि [× × × ×] मैंने कहा कि इस तरह की चर्चा हो सकती है (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष---

श्री राम अधार राय ने जो कुछ कहा है कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता, आप कृपया बैठिये, (व्यवधान) आप बैठिये, इस समय कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार के गेट पर सुरक्षा गार्ड तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा संघर्ष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)---

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

गत 23 मार्च, 1978 को हरिद्वार जिला सहारनपुर के अन्तर्गत भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स में प्रातः 7-8 बजे बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जिसका विवरण इस प्रकार है--उपरोक्त दिनांक को एक कर्मचारी के मुख्य द्वार में प्रवेश करते समय सुरक्षा गार्ड ने उससे परिचय-पत्र दिखाने को कहा। कर्मचारी द्वारा परिचय पत्र न दिखाने पर गार्ड ने उसे भीतर जाने से रोका। बात-बात में झगड़ा बढ़ गया। सैकड़ों कर्मचारी तथा गार्ड आ गये और मार-पीट तथा पथराव होने लगा। एक अधिकारी ने गोली चलायी, 23 कर्मचारी तथा 75 गार्ड घायल हुए। उक्त अधिकारी को इतनी चोटें लगीं कि वह मर गया। एक फोटोग्राफर को भी पीटा गया। 11 बजे फैक्टरी अधिकारियों ने फैक्टरी बन्द कर दी। 24 मार्च को फैक्टरी में सामान्यतः काम शुरू हो गया। बताया गया है कि यदि फैक्टरी के उच्च अधिकारी भीड़ में आकर बीच बचाव करते तो दुर्घटना टल सकती थी। यद्यपि अब वहां शांति है, किन्तु भीतर ही भीतर तनाव, भय और आतंक व्याप्त है। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह सारी घटना की जांच कराकर स्थिति का विवरण सदन में प्रस्तुत करें।

नोट:---[× × × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कानपुर में बढ़ते हुए अपराधों तथा बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की ओर उचित कदम उठाये जाने की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शून्य प्रहर में शासन का ध्यान कानपुर महानगर की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

कानपुर महानगर जन संख्या की दृष्टि से उत्तर भारत का दूसरे नम्बर का नगर है किन्तु खेद का विषय है कि इस नगर में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति इतनी गम्भीर रूप से बिगड़ती जा रही है कि कोई भी नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता । नगर में औसतन प्रति दिन एक दो कत्ल, डकैतियां एवं कम से कम एक दर्जन राहजनी हो जाना सामान्य-सी बात बन गयी है, शहर में अनेक मुहल्ले ऐसे हैं जहां के निवासी सायंकाल से ही अपने दरवाजे बन्द कर लेते हैं तथा इन मोहल्लों में शमशान जैसी शांति का वातावरण दिखाई देने लगता है । सड़कों पर चलती स्त्रियों के गले की जंजीरें छीनने की घटनायें तो आमतौर पर होती रहती है । नगर के कुछ प्रमुख बाजारों जैसे नौघड़ा, जनरल गंज, नयागंज, कलेक्टर गंज, नवीन मार्केट, पी0 पी0 एन0 मार्केट, पी0 रोड तथा गुमटी नम्बर पांच में प्रति दिन दिन-दहाड़े अराजक तत्व दुकानों में घुस जाते हैं । तथा रिवाल्वर एवं चाकू दिखा कर दुकानदारों से जबरन रुपया वसूल करते हैं । इस सबके परिणाम स्वरूप दुकानदारों में इतना भय तथा आतंक व्याप्त है कि प्रातः वह अपने बच्चों को छोड़कर जब दुकान के लिये चलते हैं तो उनके मन में यह विश्वास नहीं रहता कि वह सायंकाल सुरक्षित अपने घर वापस आ सकेंगे अथवा नहीं । अतः कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान निम्नलिखित कुछ सुझावों की ओर इस आशा के साथ आकृष्ट करता हूं कि सरकार इस दिशा में तुरन्त कदम उठावेगी।

1—कानपुर महानगर में अविलम्ब पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की जाय।

2—नगर की कुछ प्रमुख पुलिस चौकियों को अपग्रेड कर थाना बना दिया जाय ।

3—शहर की जनसंख्या एवं विस्तार को देखते हुए पुलिस फोर्स में वृद्धि की जाय ।

4—जिस थाना क्षेत्र के अन्तर्गत अपराधों की संख्या सामान्य से अधिक हो हो उसके अधिकारियों को दंडित तथा जिस थाना क्षेत्र में अपराधों की संख्या सामान्य से कम हो उसके अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाय।

5—सम्पूर्ण नगर को जोंस में बांट कर प्रत्येक जोन के लिये एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाय जो पुलिस गश्त के समय किसी आकस्मिक घटना के घटने पर मौके पर ही पुलिस को आदेश दे सके ।

कस्बा बिलारी, मुरादाबाद में होली खेलने वालों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

माननीय अध्यक्ष जी, 25 मार्च, को कस्बा बिलारी, जिला मुरादाबाद में जब एक बस्ती के लोग होली खेल रहे थे तो पुलिस के एक गश्ती दल ने होली खेलने वालों के साथ दुर्व्यवहार किया, लाठी से लोगों के साथ मारपीट की गयी। इस घटना से क्षेत्र में असंतोष फैल गया और एक जुलूस के रूप में उक्त क्षेत्र के निवासी रिपोर्ट लिखाने थाने गये, तो थाने के अन्दर और बाहर उक्त जुलूस पर लाठी चार्ज किया गया जिसमें 200 व्यक्ति घायल हो गये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

घटना से पूरे कस्बे में आतंक छा गया। सरकार की ओर से शीघ्र संबंधित अधिकारियों को निलम्बित करके, जांच कराई जाये ताकि शान्तिप्रिय नागरिकों पर इस तरह के अमानुषिक अत्याचार लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत न हों।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, मेरे जिले मुरादाबाद के कस्बा बिलारी के बारे में जो रिपोर्ट सुनाई गयी है। यह बिलकुल गलत है।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का सवाल नहीं। आप बैठ जाइये।

आपातकाल के समय बन्दी व्यक्तियों की मृत्यु पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता व रोजगार देने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपातकाल में राजनीतिक कारणों से जेल के सीकचों में बन्द यातनाओं के कारण अनेक व्यक्ति स्वर्गवासी हो गये। सरकार ने इन हुतात्माओं की संख्या 16 बताई है। परिवार बेसहारे हो जाने के कारण अनेकों के आश्रितों की दशा दयनीय है और वह आज भुखमरी की कागार पर खड़े हैं। सरकार ने घोषणा की थी कि उन जनतंत्र शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने एवं आश्रितों के सहायतार्थ आर्थिक अनुदान दिया जायेगा।

परन्तु, मान्यवर, मुझे बड़े दुःख के साथ आपके माध्यम से आदरणीय सदन के संज्ञान में यह बात लानी पड़ती है कि अभी तक वह सहायता उन तक नहीं पहुंचाई गयी। शासन की ओर से सफाई दी गयी है कि जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिये गये हैं कि वह इस बारे में विवरण तैयार करके प्रदेश को भेजें। वास्तव में यह निर्देश हस्यास्पद है, क्योंकि सरकार के पास मृत व्यक्तियों की सूची उपलब्ध है, उसके बाद भी विवरण मांगने का औचित्य समझ में नहीं आता। यदि विवरण मांगा ही गया था तो हृदयहीन नौकरशाही ने तुरन्त विवरण न भेजकर इस बात का परिचय दिया है कि वह वर्तमान सरकार की नीतियों के परिपालन को गंभीरता से नहीं लेते। यह स्वयं में चिंता की बात है। मान्यवर, क्या सरकार यह आशा करती है कि कर्त्तव्य की बलि वेदी पर काम आए वीरों की संतानें सरकार की ड्योढ़ी पर आकर सहायता के लिये गिड़गिड़ायें। मैं यह समझता हूं कि सरकार का यह इरादा कदापि नहीं है।

अतएव, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अविलम्ब सहायता भिजवा कर उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने की कृपा करें। शहीदों के परिवारों की आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु यह कदम अविलंबनीय महत्व का है।

सरकारी कार्यालयों में लगे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद के चित्र को हटाने के सरकारी आदेश के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ सरकार और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 को एक 'गोपनीय' सरकारी विज्ञप्ति (79/16-72) द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों और जन-संपर्क विभागों में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद के चित्र को हटाने का आदेश दिया गया है। विचित्र बात यह है कि इस विज्ञप्ति में जो सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को भेजी गयी है इस बात पर जोर दिया है कि श्री अहमद के चित्र को 'खामोशी' और 'अहतियात' के साथ हटाया जाये ताकि इस पर जनता का ध्यान न जाये।

उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय से न सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग में रोष है अपितु, राष्ट्रीय एकता, मिली जुली संस्कृति और साम्प्रदायिक विरोधी विचारों को मानने वाली शक्तियों को धक्का लगा है। श्री अहमद न सिर्फ राष्ट्रपति रहे हैं बल्कि छात्र जीवन से ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर अनेक बार जेल यात्रायें कीं। इसके अलावा खुद मुसलमानों में सम्प्रादायिक शक्तियों के विरुद्ध उनकी लड़ाई आज इतिहास बन चुकी है। उ0 प्र0 सरकार के इस निर्णय से उत्पन्न चिंताजनक स्थिति पर सरकार से निवेदन है कि वह अपने इस निर्णय पर पुर्नविचार करें और इस संबंध में इस सदन को भी जानकारी दे। धन्यवाद।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1977–78 का अनुपूरक) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1977–78 का अनुपूरक) विधेयक, 1978 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 मार्च, 1978 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 22 मार्च, 1978 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 23 मार्च, 1978 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1978 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

श्री नरेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष—

सत्र एवं जिला न्यायाधीश, खीरी ने 27 मार्च, 1978 के रेडियोग्राम, जो यहां 28 मार्च, 1978 को प्राप्त हुआ, द्वारा सूचना दी है कि श्री नरेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा दिनांक 27 मार्च, 1978 को रिहा कर दिये गये।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

धारा कौन सी है ?

श्री अध्यक्ष—

गिरफ्तारी की सूचना पहले दी जा चुकी है। उसमें धारा का उल्लेख है। इसमें धारा का उल्लेख नहीं है।

लोक लेखा समिति, स्थायी समितियों तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

विधान सभा की लोक लेखा समिति, 28 स्थायी समितियों तथा 13 स्थानीय निकायों के निर्वाचन के संबंध में मतदान के लिये 29 मार्च, 1978 की तिथि निर्धारित की गई थी। इस मतदान के स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न दलों के नेताओं की प्रार्थना पर, मैंने इसे दिनांक 30 मार्च, 1978 के लिये स्थगित कर दिया है। तद्नुसार इन समितियों एवं निकायों के निर्वाचन हेतु मतदान अब दिनांक 30 मार्च, 1978 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक कमरा नम्बर 48, विधान भवन लखनऊ, में होगा।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी 29 मार्च, 1978 की बैठक में यह सिफारिश की है कि सदन के 30 मार्च, 1978 के उपवेशन में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण के लिये उनके सामने लिखित समय निर्धारित किया जाये:---

1---सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978	.. 30 मिनट
2---उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, 1978	.. 1 घंटा
3---उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति (मजदूरी का यथासमय संदाय) विधेयक, 1978	.. 2 घंटा

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष ने सदन को दी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना अभी श्री अध्यक्ष द्वारा दी गयी, से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1977 को वापस लेने का प्रस्ताव

पर्वतीय विकास उप मंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)---

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा, दिनांक 22 मार्च, 1978 को पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि इस सदन द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में लम्बित उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1977 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 मार्च, 1978 को पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि इस सदन द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में लम्बित उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1977 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है उसमें भाग लेने की अनुमति दी। मान्यवर, जो अभिभाषण राज्यपाल ने यहां सदन में दिया यह उस सरकार का कार्यक्रम है जो यहां बनी और यह सरकार एक ऐसी पार्टी की सरकार है जो कोई पार्टी आज तक सरकार नहीं बन पायी। इसलिये हम ऐसा मानकर चलते हैं कि यह कोई सरकार नहीं है, इसकी कोई नीति नहीं है।

---

†27 मार्च, 1978 की कार्यवाही से।

जब कोई नीति नहीं है तो उसको सरकार कार्यान्वित कैसे करे ? जितनी बातें इस अभिभाषण में कही गयी हैं, शुरू से देखें, तो पहले हरिजनों के बारे में उनकी सुरक्षा के विषय में जो उद्घोषणायें की गयीं जैसे उन्हें अत्याचारों से बचाया जायेगा और किसी हरिजन की मौत होने पर उसे 5 हजार रुपया मिलेगा।

(इस समय 12 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

तो इस शासन ने एक जान की कीमत 5 हजार रु0 मुकर्रर कर दिया वह देकर यह सरकार संतुष्ट हो जायेगी। इसलिये मैं इस सरकार से चाहूंगा कि व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिये कि एक भी जान न जाने पाये। यदि जाय तो उसे इतना मुआवजा दें कि उसका जीवन-यापन आगे से ठीक हो सके। लेकिन 5 हजार रुपये देकर इस औचित्य को सिद्ध करें कि हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर लिया तो यह बात मानने योग्य नहीं है। मैं यह भी कहूंगा कि केवल यही नहीं जितनी भी पिछली सरकार ने भूमि आबंटित की चाहे वह पट्टा भवन के लिये हो या कृषि भूमि के लिये, ऐसी सूचना मिल रही है कि उन्हें जबरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। कोई आदेश आपका गया है कि उन पर केस चलेगा लेकिन एक भी ऐसी सूचना नहीं मिली कि किसी पर कोई कार्यवाही की गयी हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो आदेश गया है उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिये।

मान्यवर, इसमें सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात कही गयी है। जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी यह बात कही गयी थी। लेकिन आप देखें कि इनके आगमन के बाद ज्यों ही केन्द्र में सरकार बनी उसने 9 विधान सभाएं भंग कर दीं। उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी एक रही। यहां भी चुनाव होने के बाद जब यह आए तो पहला काम यह किया कि जितनी स्थानीय निकाय थीं वह समाप्त कर दी गयीं। उसके बाद जिला परिषदें समाप्त कर दी गयीं। कहा यह गया कि जल्दी चुनाव करा देंगे लेकिन आज तक कोई तारीख उसके लिये मुकर्रर नहीं की गयी। मैं सीधे इस सरकार पर आरोप लगा रहा हूं कि आप विकेन्द्रीकरण नहीं बल्कि केन्द्रीकरण करते जा रहे हैं। आपने उन संस्थाओं को भंग किया जिनमें आपकी पार्टी के लोग नहीं थे। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी उनके चुनाव कराये जांय जिससे कि जनप्रतिनिधि उनमें जायं और कार्य करें।

आपने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कहा था कि बिक्री-कर समाप्त करेंगे लेकिन इसमें लिखा है सरलीकरण करेंगे। सरलीकरण की बात तो आपने कही नहीं थी। अगर इनमें यह सूझबूझ हो जाय कि बिक्री-कर से जो क्षति होगी उसकी किस प्रकार पूर्ति कर सकेंगे तो यह बिक्री कर समाप्त कर सकेंगे। इसी प्रकार गन्ने के लिये इसमें है कि अच्छा से अच्छा गन्ना बोया जाय और उसका उत्पादन बढ़ाया जाय। जो वर्तमान स्थिति है उसमें किसान का गन्ना सड़ रहा है और कोई पता नहीं उसका क्या होगा। जब यह सरकार बनी तो यह एलान किया गया कि 15 रुपया कुंतल गन्ने का दाम मिलेगा। किसान भी बड़ा खुश था। जब चौधरी चरण सिंह यहां थे तो साढ़े 17 रुपया तक लोगों को मिल चुका है हालांकि उसको दिलाने में उनका कोई हाथ नहीं था बल्कि स्थिति ही ऐसी थी। अगर आज की स्थिति में 14 या 15 रुपया किसान को दिला दें तो बहुत बड़ी बात होगी लेकिन आपने दिलाया क्या चवन्नी। किसानों के बकाये को चुकता करने के आदेश यहां से गये लेकिन उनका अमल नहीं हुआ। खंडसारी की इकाई बन्द रहीं और आज भी उनमें उत्साह नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि मिल या खंडसारी इकाई में किसान का गन्ना जाय। किसान का गुड़ मंडी में जाता है। वहां जब तक आप खरीद नहीं करेंगे तब तक किसान को राहत नहीं मिलेगी। आपने इसमें कहा है कि मंडी समिति के माध्यम से जनसंपर्क मार्ग बन रहे हैं। किसान इस बात की प्रशंसा करते हैं लेकिन किसान केवल इतना ही नहीं चाहते कि मंडी समिति के माध्यम से केवल मिट्टी डाल दी जाय। वह चाहते हैं कि जो भी लिंक मार्ग हैं,

[श्री देव बहादुर सिंह]

उनको पक्का कर दिया जाय। अगर पक्का नहीं करते तो 2-1 साल में मिट्टी बह जायेगी और सड़क किसी काम की नहीं रह जायेगी। इसलिये मंडी समिति के माध्यम से जो भी सड़कें बनी हैं उनको योजनाबद्ध ढंग से पक्का बनाइये तभी गांव वालों को राहत मिल सकती है।

आपने यह भी कहा कि जो विकास कर हैं, उसको माफ कर देंगे। आपकी हुकूमत जब आयी तो यह ऐलान किया गया था। आपने कहा था कि पिछली सरकार द्वारा बढ़ा हुआ लगान नहीं बढ़ने दिया जायगा और विकास कर समाप्त कर देंगे। मान्यवर, पिछली सरकार ने तो बढ़े हुये लगान को ही समाप्त कर दिया था और विकास कर को कम कर दिया था। लेकिन आपकी सरकार उस बढ़े हुये लगान को बड़ी सख्ती से वसूलना शुरू कर दिया है। लोगों को जेलों में भेजा जा रहा है और कुर्की वारंट निकल रहे हैं। तो किसानों को इससे बड़ा दुख हो रहा है। तो आपने जो ऐलान किया था इस संबंध में उसको पूरा नहीं किया।

इसी तरह से, मान्यवर, बुनकरों के बारे में इसमें बात की गयी है। बुनकर जितने प्रदेश में हैं, उनकी सतकर्ता विभाग द्वारा जांच करायी जा रही है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि जितनी भी इकाइयां हैं, वे मारे डर के बंद हो गयीं। कहीं पैसे का दुरुपयोग हुआ हो या किसी खास इकाई के बारे में कोई गड़बड़ी की बात हो तो उसकी जांच करें लेकिन, मान्यवर, जांच सबकी की जा रही है जिससे गरीब बुनकर मारे डर के अपनी-अपनी इकाइयां बंद कर दिया है। इसलिये जितने भी बुनकर हैं, उनमें अगर किसी ने अच्छा काम किया है, तो उसकी प्रशंशा होनी चाहिये और किसी ने कोई गड़बड़ी की है, तो जरूर उसकी जांच हो। लेकिन उस तरह से जांच करने से सारी इकाइयों ने काम बंद कर दिया है। आज जितने भी बुनकर हैं, वे रोटी-रोजी के लिये मोहताज हो रहे हैं। इसलिये प्रयास यह होना चाहिये कि उस संबंध में सुधार हो ताकि बुनकरों को राहत मिल सके।

इसी तरह से, मान्यवर, बाढ़ के नियंत्रण की बात है। मैं तो चाहता था कि इसमें कोई मास्टर प्लान प्रस्तुत करते ताकि प्रदेश में बाढ़ की समस्या का अन्त होता। अगर उस तरह की बात होती तो मैं समझता कि कोई रूपरेखा है आपके मन में उसके बारे में। प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की फसल बाढ़ से खराब हो जाती है। जब तक उसके लिये कोई योजना नहीं रखेंगे, तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है।

मान्यवर, हमारे यहां पर्वतीय अंचल में भाभर का क्षेत्र है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। पिछले दिनों जितना कम पैसा विकास के लिये मिला, उससे ऐसा लगता है कि सरकार के मन में उस अंचल से दुराब बढ़ता जा रहा है। आपकी जो योजना सामने आयी। जिसके बारे में बजट में बतायेंगे, उसमें कोई जिक्र नहीं है कि वहां के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये क्या-क्या योजना रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार उसमें कितना पैसा देगी, उसका कोई उसमें जिक्र नहीं है।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं चाहूंगा कि जो मैंने सुझाव दिये हैं, यह सरकार उन पर ध्यानपूर्वक गौर करे। आपने, मान्यवर, मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, यह जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, गांव के गरीब किसानों के लिये जनता पार्टी की सरकार ने अनेकों योजनायें रखी है जिसके कारण आज गांव के लोगों का जनता पार्टी के प्रति बड़ा उत्साह है। पहले

तो केवल नारा ही लगाया जाता था, लेकिन अब इस सरकार ने, मान्यवर, उसको कार्यरूप में परिणित करने के कार्यक्रम शुरू कर दिये हैं।

इसी के साथ मान्यवर, मैं बस्ती जिले की तरफ उसके पिछड़ेपन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बस्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक सबसे पिछड़ा जिला है जिसकी जनसंख्याबहुत अधिक है और उस क्षेत्र की गरीबी पैर तोड़ कर के बैठ गयी है। एक तरफ घाघरा और पनगंगा का बाढ़ और कटान् है दूसरी तरफ सूखे और पत्थर से पीड़ित जनसंख्या। बस्ती जिले का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां पर कोई भी पीड़ित न हो। 96 किलोमीटर घाघरा नदी का कटान जहां लाखों पशु प्राणी हर साल बेघर हो कर के घूमते हैं। 90,000 एकड़ जमीन घाघरा से अब तक काटी जा चुकी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पिछड़े हुए जिले के संबंध में मैंने माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन किया कि वहां पर पत्थर की दिवाल लगाने की व्यवस्था की जाय जिससे घाघरा के कटान की रोकथाम की जा सके।

मान्यवर, आप के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब केन्द्रीय सरकार ने यह घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में सड़कों का निर्माण कराया जायगा, गांवों में लिंक रोड बनायी जायेंगी और इसका हम लोगों ने गांव-गांव में घूम-घूम कर के ढिंढोरा पीटा, बड़ी चर्चा हुई लेकिन दुःख है, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सितम्बर में केन्द्रीय सरकार के कृषि राज्य मंत्री का पत्र मुख्य मंत्री जी के पास आया कि यहां से डिमान्ड भेजी जाय कि कितने गेहूं की आवश्यकता है ताकि सड़कों का निर्माण कराया जा सके लेकिन यहां से कोई भी पत्र नहीं भेजा गया। 13 अक्तूबर को माननीय कृषि मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह ने यहां पर मंत्रियों और अधिकारियों की मीटिंग में घोषणा की कि 100 करोड़ रुपये का गेहूं देंगे। मान्यवर, उसके बाद 26 अक्तूबर को एक पत्र लिखा गया 166 हजार मैट्रिक टन गेहूं के लिये जो 20 करोड़ रुपये का गेहूं होता है। मान्यवर, हम लोगों ने गांवों में सड़कों के विकास के लिये प्रचार किया, बात की, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही है कि केन्द्र सरकार को केवल 20 करोड़ रुपये गेहूं के लिये पत्र भेजा। मान्यवर, वह गेहूं ठीक ढंग से उपयोग नहीं हो सकेगा। सड़कों का निर्माण गांवों में न करने का क्या कारण था? अधिकारीगण चाहते थे कि गेहूं न दिया जाय। यदि दस करोड़ रुपया दिया जाता है तो 20 करोड़ रुपया और दे दिया जाय तो एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर उस पैसे को खर्च कर सकता है लेकिन गेहूं के नाम पर नहीं। यह इसलिये क्योंकि सरकार को असफल करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार असफल रहे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि उन अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय ताकि सरकार को असफल करने के प्रयास में उनको एक चेतावनी मिले।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं मान्यवर, गन्ना विभाग के बारे में। गन्ना विभाग ऐसा विभाग है जिससे उत्तर प्रदेश में 41 लाख किसान परिवार प्रभावित हैं। इन लोगों को मुट्ठी भर पूंजीपतियों ने हल्ला मचाकर नरवस कर दिया है कि गन्ने का दाम घटा दिया गया है, फैसला ले लिया है गन्ने का दाम घटाने का। मान्यवर, सारे लोग परेशान हैं, विधायक लोग परेशान हैं कि इस प्रकार का निर्णय लिया जाय। उन अधिकारियों के खिलाफ, मिल मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय। इन मिल मालिकों ने चार करोड़ रुपया लोकसभा के चुनाव के वक्त सरकार को दिया है न उस पैसे का बान्ड भरा है न कोई जमानत ली गयी। उन अधिकारियों से साजिश करके मिल मालिकों ने यह सब किया ताकि किसानों को गन्ने का दाम भुगतान नहीं होगा बल्कि पहले उससे सामान खरीदा गया और सामान के नाम पर उस पैसे का दुरुपयोग किया गया। मैं चाहूंगा कि बिना बांड भरवाये इन मिल मालिकों को जो पैसा दिया गया उसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करके उनको दंडित किया जाय। एक शुगर मिल बभनान है। 4 लाख रुपया मजदूरों का बकाया है। 22 तारीख

[श्री सुखपाल पाण्डेय]

को नोटिस दी गयी है कि वह हड़ताल करेंगे। गन्ना किसान व मजदूर काफी परेशान हैं। मिल मालिक सरकार से पैसा लेकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं मजदूरों को नहीं दे रहे हैं न किसानों को दे रहे हैं। सरकार से पैसा ऐंठ कर बम्बई में दूसरा व्यवसाय वह करने जा रहे हैं। इसके लिये उनके खिलाफ कार्यवाही करके स्थिति को नियंत्रित किया जाय।

आपने ढिंढोरा पीटा था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जायगा। चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के नाम पर मिल मालिक पुर्जे निकाल कर बेच रहे हैं। इससे किसानों की दुर्गति हो रही है। मेरा कहना है कि बिना मुआविजा के इन चीनी मिलों को जब्त कर लेना चाहिये ताकि वहां के किसानों व मजदूरों के कब्जे में वे मिले हों और सरकार का उन पर नियंत्रण हो।

आज सारे प्रदेश में यह जो रिजर्वेशन की पद्धति है जात-पांत के नाम पर मैं तो यहकहूंगा इस रिजर्वेशन को समाप्त कर देना चाहिये। आर्थिक आधार पर लोगों को नौकरिया मिलनी चाहिये। उनकी हैसियत आंक कर नौकरी दी जानी चहिये। ऐसा न होने पर जो वास्तव में गरीब है वह लाभान्वित नहीं हो सकेगा। जात पात के नाम पर रिजर्वेशन रहनेसे वर्ग संघर्ष तथा गृह युद्ध होने की संभावना है। इसलिये जात-पांत के नाम पर रिजर्वेशन समाप्त करके आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिये।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)—

36 फीसदी रिजर्वेशन हरिजनों का होना चाहिये।

श्री सुखपाल पांडेय—

यह किसी से छुपा नहीं है और न कोई इससे इन्कार ही कर सकता है कि आज ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत भयावह है। हर आदमी भयभीत है और किसी को दम नहीं है कि रात्रि के समय सड़कों पर चल सके। चोरी, डकैती तथा कत्ल बढ़ रहे हैं। इसके पीछे हमारे कुछ मित्रों का हाथ हो सकता है लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है।

आज कालेजों में ही देखिये। आपने छूट दे दी तो सारे कालेज बन्द पड़े हैं। फैजाबाद विश्वविद्यालय की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। साकेत महाविद्यालय में 10,15 छात्र चाहते हैं कि इम्तहान जुलाई में किये जायं जब कि अधिकांश विद्यालयों के छात्र यह नहीं चाहते लेकिन परीक्षायें टल गयी जिससे हर विद्यालय के छात्र परेशान हैं क्योंकि समय से परीक्षायें नहीं हो पा रही हैं। मैं चाहूंगा कि समय से साकेत महाविद्यालय तथा अन्य विद्यालयों की परीक्षायें कराई जायें।

मैं सरकार का ध्यान परिवहन विभाग की ओर भी दिलाना चाहूंगा। इसमें चरम सीमा तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इस विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर मामले चल रहे हैं लेकिन उनको दबाया व छिपाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय।

यह जो क्षेत्र समिति हैं, ब्लाक प्रमुख हैं उनको भंग कर दिया जाय। उनको खत्म करके उनके स्थान पर विकल्प सोचना चाहिये।

जिला परिषद् में आपने अध्यक्ष को समाप्त किया और जिलाधिकारी को अध्यक्ष बनाकर बिठा दिया। उसमें गैर सरकारी हम लोग जाकर बैठेंगे। इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसके स्थान पर अध्यक्ष को मनोनीति किया जाना चाहिये। मैं आपके माध्यम से बस्ती जिलाधिकारी के भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। वे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनके खिलाफ अनेक प्रकार को शिकायतें हैं। उन्होंने नियमित ढंग से काम नहीं किया। मै यह भी चाहूंगा कि उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय और जो अधिकारी इमरजेन्सी के दौरान रखे गये उनका वहां से स्थानान्तरण किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)---

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण जनता सरकार की उपलब्धियों एवं भावी कार्यक्रमों को प्रतिबिम्बित करता है। जहां तक मेरा मत है, निश्चित रूप से चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप ही है। उन्होंने अपने अभिभाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी सरकार बुनकरों की उन्नति के लिये प्रयत्नशील है। मेरा निश्चिन मत है कि विगत 30 वर्षों में हमारे प्रदेश में गरीब तबके के लोगों का शोषण होता रहा है और जब से यह जनता सरकार देश के शासन में आयी है उसने गरीब तबके की ओर ध्यान दिया है। मान्यवर, मैं मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही, खमरिया आदि जगहों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मिर्जापुर गोपीगंज, भदोही खमरिया में और ज्ञानपुर में 75 हजार कालीन बुनकर है और उनको जो पारिश्रमिक मिलना चाहिये वह उन्हें नहीं मिल रहा है साथ ही उन बुनकरों के छोटे-छोटे बच्चे जिनकी अवस्था 10-10 और 12-12 साल की है, वे भी कालीन बुनाई में लगे हुये हैं। वे शिक्षा प्राप्त करने के लिये स्कूल नहीं जा पाते हैं। अभी कुछ ही वर्ष पूर्व ईरान सरकार ने अपने देश में व्यवस्था दी थी कि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनकी अवस्था कम से कम 16 वर्ष की हो उनको बुनाई के कार्य में नहीं लगाना चाहिये उन्हें विद्यालयों में विद्या अर्जन के लिये भेजना चाहिये। मैं चाहता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी इस तरह की व्यवस्था दे कि जो भी बुनकर हैं उन्हें अपने बच्चों को जिनकी अवस्था 16 वर्ष से कम हो, बुनाई के कार्यों में नहीं लगाया जायगा। मान्यवर, मिर्जापुर, भदोही, गोपीगंज, खुमरिया में जो कालीन बनते हैं उनका पूरे हिन्दुस्तान में विशेष महत्व है। भारत सरकार प्रति वर्ष यहां से 40 करोड़ रुपये की लागत के कालीन निर्यात करती है। हमारा सुझाव है कि चूंकि सारे विदेशी ग्राहक भी इन क्षेत्रों में आते रहते हैं लेकिन चाहे मिर्जापुर नगरपालिका हो,गोपीगंज टाउन एरिया हो,भदोही नोटीफाइड एरिया हो या खमरिया टाउन एरिया हो, वहां सभी जगहों पर सड़कों की दशा बहुत दयनीय है। यदि कोई भी विदेशी ग्राहक यहां पर आयेगा तो वह देश के प्रति एक अजीबोगरीब धारणा लेकर जायगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इन क्षेत्रों की सड़कों की ओर विशेष ध्यान दे।

महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में लघु उद्योग और ग्रामीण उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देने की बात कही है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जनता सरकार की नीति अत्यन्त ही प्रशंसनीय है। मैं मिर्जापुर के लघु उद्योग की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वहां पर बर्तन उद्योग की 250 इकाइयां हैं और उसमें 20 हजार मजदूर काम कर रहे हैं। 10 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष वहां पर उत्पादन होता है। इस उद्योग की स्थिति वहां पर दिनोदिन दयनीय होती जा रही है क्योंकि कार्यभार प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है और प्रांतीयकर भी वहां पर बर्तनों पर लगाया जाता है जो कि इस समय लगभग 13 प्रतिशत है। इस सम्बन्ध में मैं आंकड़े देना चाहता हूं कि 1-4-48 को 2 प्रतिशत, 1-12-62 को 3 प्रतिशत और 1-4-71 को 7 प्रतिशत बिक्री कर बढ़ा दिया। बर्तनों पर प्रति किलो 3.50 रु0 बिक्री-कर बढ़ा दिया। लेकिन 1-4-71 को उसमें पूर्णतया छूट दे दी गई और किसी प्रकार का बिक्री-कर नहीं लगाया गया था। लेकिन अब 2-10-75 को पुनः 7 प्रतिशत का बिक्री-कर आरोपित कर दिया। आज इतना बिक्री-कर उसमें लगा हुआ है कि एक किलोग्राम पर 3.50 पैसे बिक्री कर पड़ता है जब कि अन्य राज्यों का मैं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि कुटीर उद्योग और बर्तन उद्योग से तैयार होने वाले सामान पर हरियाणा, हिमांचल प्रदेश पंजाब, और जम्मू काश्मीर में किसी प्रकार का बिक्री-कर नहीं लगता है। इसलिये मैं राज्य सरकार से अपेक्षा करूंगा कि मिर्जापुर में भी इस प्रकार के जो उद्योग हैं उन पर बिक्री-कर न लगाया जाय जैसा कि तत्कालीन सरकार ने 1-4-71 को किया था।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनाथ सिंह]

श्रीमन्, आज एक ज्वंलत प्रश्न जो पूरे देश के लिये है वह है पिछड़े वर्ष के आरक्षण के लिये। श्रीमन्, मैं मानता हूं कि जो यहां पर अनुसूचित जाति अथवा जनजाति या पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका उच्च वर्ग के द्वारा शोषण हुआ है। मैं मानता हूं कि वह एक सामाजिक असमानता है और उसको दूर किया ही जाना चाहिये। जनता सरकार ने आज प्रशंसनीय कदम भी उठाये हैं लेकिन जाति के आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है और जो शुभकामनायें दी जा रही हैं उसमें संशोधन किये जा रहे हैं। जैसा कि प्रश्नकाल में माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने कहा था कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर वरीयता दी जा रही है। हमारे कहने का मतलब यह है कि निश्चित रूप से यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिये कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि इसी सदन में माननीय मुख्य-मंत्री जी हैं वह एक पिछड़े वर्ग से आते हैं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनका या अन्य किसी मंत्री का ड्राईवर अथवा घर में झाड़ू लगाने वाला उच्च वर्ग का हो तो क्या उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिये जब कि मुख्य मंत्री जी या दूसरे मंत्री जी को आरक्षण मिल सकता है। जब अंग्रेजों की हुकमत थी तो उन्होंने फूट डालो और हुकूमत करो की नीति अपनाई जिसका एहसास आज भी हम कर रहे हैं। अगर हमने आर्थिक आधार को नहीं माना तो आने वाली पीड़ी हमारी जनता सरकार के ऊपर यह कलंक का टीका लगा देगी कि जनता सरकार भी वर्गभेद को फैला कर शासन करना चाहती है। अत: इस कलंक से बचने के लिये एक आर्थिक आधार को हम लें और सामाजिक विषमता को दूर करें। वैसे हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं।

श्रीमन्, मिर्जापुर के पिछड़ेपन की तरफ भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मिर्जापुर का दुद्धी और रावर्ट्सगंज पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां की जो आदिवासी महिलायें बच्चा जनन करती हैं और जब वह चिकित्सालय से निकलती तो जिस साड़ी को पहन कर भर्ती होती है उसी के टुकड़े कर अपने नवजात शिशु को लपेट कर लाती हैं। मिर्जापुर के दक्षिणांचल में उद्योगों की स्थापना सरकार ने की है लेकिन उस दक्षिणांचल के जो नागरिक हैं उनके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है। अत: जो आंकड़े सरकार ने प्रस्तुत किये हैं या जो हम लोगों की जानकारी में हैं जिनके आधार पर किसी जिले को पिछड़ा जिला घोषित किया जाता है उन्हीं आधारों पर मैं कहूंगा कि मिर्जापुर को भी पिछड़ा जिला घोषित किया जाना चाहिये और वहां पर लघु और ग्रामोद्योग को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

श्रीमन्, माननीय राज्यपाल महोदय ने आवासीय सुविधा की बात कही है। इस संबंध में इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे सरकारी कर्मचारी इसलिये ही स्थानान्तरण नहीं चाहते हैं कि स्थानान्तरित होकर जहां पर वह जायेंगे वहां पर उनके रहने के लिये आवास की सुविधा प्राप्त नहीं होगी। चूंकि जहां पर वह काम कर रहे हैं वहां पर उनके रहने का प्रबंध है। इसलिये यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उसके साथ जुड़ा हुआ है। अत: सरकार से इस प्रकार की व्यवस्था की अपेक्षा की जाती है कि वह कर्मचारियों के लिये आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये विचार करे और मैं समझता हूं कि स्थानान्तरण के समय सरकारी कर्मचारी इसके कारण उससे घबड़ायेंगे नहीं और साथ ही वे अपना काम भी सुचारु रूप से कर सकेंगे।

तीसरी बात, शिक्षा के संबंध में मुझे यह कहना है कि राज्यपाल महोदय ने कहा है कि शिक्षा में सुधार करने के लिये, उसे रोजगार पूरक बनाने के लिये तथा शिक्षा सुधार के कारण को हम निर्धारित करेंगे, तो वह कारक उसमें स्पष्ट नहीं होते हैं। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो पब्लिक स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको हम समाप्त करें और साथ ही साथ सभी स्थानों पर एक ही प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये, ताकि उसमें व्याप्त असमानता को हम दूर कर सकें। मैं शासन का ध्यान उन विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की ओर भी दिलाना चाहता हूं, जहां पर साधिकार नियंत्रक नियुक्त किये गये हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे बहुत से विद्यालय महाविद्यालय हैं, जहां पर के अध्यापकों को उनका बकाया

वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है । सरकार इस ओर ध्यान दे और उनका बकाया वेतन दिलाने की शीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करें । मिर्जापुर का के0 बी0 स्नातक विद्यालय जो है, उसके भी 50–60 ऐसे अध्यापक हैं, जिनको अभी तक वेतन नहीं मिला है, अत: उनके वेतन भुगतान की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये । इसके साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का पुन: समर्थन करता हूं ।

*श्री मन्नू राम (जिला बलिया)—

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जिन-जिन विषयों का उल्लेख किया है, वे सराहनीय हैं । अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के समुदाय के लोगों को ऊपर उठाने के काम की जो चर्चा की गई है, वह सत्य है। मान्यवर, 1 लाख हरिजनों को उनके पट्टे पर कब्जा दिलाया गया है । पिछली सरकार जो 30 साल तक करती रही वह केवल अब तक हरिजनों को गुमराह ही करती रही और उनके लिये अब तक कोई ठोस कदम उनके सामने नहीं लाये, जिससे वे राहत की सांस ले सकें । इसके कारण ही आज भी गरीबों की झोपड़ियों में आहें सिसकती हुई दिखाई दे रहीं हैं । गांवों की ओर चलने, सवा तीन एकड़ तक की जोतों से लगान माफ करने, विकास कर समाप्त करने, गन्ना की मूल्य वृद्धि करने और विकास मे प्रगतिशील कदम उठाने, नशाबंदी करने,हर गांव की सड़कों से जोड़ने और बेकारों को काम देने आदि के जो महत्वपूर्ण कार्य इस सरकार ने अपने हाथ में लिये हैं और जिनके लिये योजनायें बनाई हैं, वे सब सराहनीय हैं । माननीय नारायणदत्त तिवारी को यह नहीं समझ में आया कि गावों की ओर चलो और गांव में जाओ में क्या फर्क है गांवों की ओर चलेंगे तो वहां पर विविध प्रकार के विकास कार्यक्रम दिखाई पड़ेंगे और सम्पूर्ण भारत का विकास उसमें दिखाई देगा । गांवों की ओर चलो की जो उन्होंने आलोचना की वह कतई उचित नहीं है । जहां तक लगान और गन्ना के मूल्य वृद्धि का प्रश्न है, वर्तमान सरकार ने लगान के संबंध में नये आदेशों को भेजकर जो सरलता लाये हैं, उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं ।

जहां तक गन्ने की मूल्य वृद्धि का सवाल है, 22 लाख किसान इस गन्ना मूल्य वृद्धि से लाभान्वित होंगे । यही नहीं विगत वर्ष कुल 12 लाख एकड़ में इसकी खेती हो रही थी, जो इस वर्ष बढ़कर 14 लाख एकड़ भूमि में हो गई है और उसके फलस्वरूप उत्पादन 537 लाख टन से बढ़कर 645 लाख टन हो जायगा । इस तरह से इस सरकार के सारे कार्यक्रम सराहनीय हैं । इस तरह से सम्पूर्ण प्रदेश में नशाबंदी करने से 44 करोड़ रुपये की जहां सरकार को क्षति होगी, वही इससे लाभ यह होगा कि एक करोड़ जनता जो इसके सेवन से तरह-तरह की बीमारियों से पीड़ित होती थी, वह उससे मुक्त हो जायगी ।

शराब पीने के कारण होने वाली बीमारियों से प्रति वर्ष ढाई करोड़ रुपये की क्षति होती थी । शराबबंदी करने से उसमें दवा की बचत होगी । नशा सेवन करने से गरीब किसान और गरीब जनता के जो बच्चों के जीवन बरबाद होते थे अब नशाबन्दी से गरीब तबके के लोग अपने बच्चों का पालन कर सकेंगे । प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार, डकैती और अनाचार में जो वृद्धि होती थी उसमें कमी आयेगी । सद्व्यवहार एवं ज्ञान में 60 प्रतिशत की वृद्धि होगी ।

जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है वर्तमान सरकार ने जो कदम उठाया है, कानून व्यवस्था के संबंध में वह सराहनीय है । यह बात मैं मान लेता हूं कि जो छुटपुट वारदातें हुई हैं, वह किस ने करायी हैं । यह आपने देखा। जगजीवनराम जी ने वाराणसी में जो प्रतिमा का अनावरण किया था और देवरिया में जो कुछ हुआ, ये उदाहरण हैं । यह किसने किया था ? यही नहीं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मन्नूराम]

एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित करूंगा 55 प्रतिशत पिछड़ी जाति जिसमें 22 जातियां, मुस्लिम जातियां भी हैं, 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों के लिये और 10 प्रतिशत मुस्लिम जातियों के लिये संरक्षण किया गया है। कांग्रेस पार्टी और इनका साथ देने वाली कम्युनिस्ट पार्टी सरकार की नीति को विफल करने के लिये साजिश बना रहे हैं। विगत कांग्रेस की सरकार ने हरिजनों को नौकरियां में चतुर्थ श्रेणी में 12 प्रतिशत, तृतीय श्रेणी में 8 प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी में 4 प्रतिशत और प्रथम श्रेणी में 2 प्रतिशत संरक्षण पूरा किया था। जब से जनता पार्टी की सरकार आयी है। एकदम से सबका सब जो भी कोटा है वह पूरा किया जा रहा है। अगर कोटा पूरा नहीं हुआ है तो जगहें खाली छोड़ी गयी हैं। उदाहरण के तौर पर जहां पर मैं हूं रसड़ा चीनी मिल की फुरती देखें। चतुर्थ श्रेणी में हरिजनों की भरती की गयी है और बाकी जगहें खाली हैं। सारे के सारे कदम उठाये गये हैं और उनका कोटा पूरा किया गया है।

आवास निगम तथा वित्तीय सहायता के लिये जो निगम बनाये गये थे इन दोनों निगमों ने अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिये कोई भी काम नहीं किया न हरिजनों के भवन बनवाये और न उनके उद्योग धंधे खुलवाये। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी की इस बात के लिये प्रशंसा करूंगा कि मेरे पत्र के हवाले से या अपनी सूझ-बूझ से जो उन्होंने कदम उठाये हैं, उनसे जल्दी से काम करेंगे और इन निगमों ने जो पिछले दो वर्षों से कार्य पूरा नहीं किया है और अगर इस वर्ष भी पूरा न करें तो यह अच्छा होगा कि इन निगमों को तोड़कर उसका पैसा इस विभाग को दिया जाय।

हरिजनों की पिछले वर्षों में जो उपेक्षा की गयी उसका एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहता हूं। हजरतगंज के चौराहे पर बाबा साहब डाक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक मूर्ति बनायी गयी थी, जो कांग्रेस के जमाने में बनायी गयी थी, उसका निचला हिस्सा जीर्ण-शीर्ण है और कांग्रेस जमाने में आंख की पुतली तक नहीं लगायी गयी।

मैं अब आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की तरफ दो मिनट ध्यान आकर्षित करूंगा। रसड़ा नोटीफाइड एरिया की समस्याओं की ओर मैं कई बार ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। जिलाधीश, बलिया ने एक पत्र लिखा हैं। नोटीफाइड एरिया, रसड़ा में प्रायः सभी सड़कें टूटी-फूटी दशा में है तथा नालियां भी अत्यन्त खराब हालत में है। पानी निकास की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। स्थानीय सार्वजनिक निर्माण विभाग से कस्बा क्षेत्र रसड़ा की दो मुख्य सड़कों का, जिनकी लम्बाई लगभग 6 किलोमीटर है,को पक्का कराने हेतु आगणन मु0 21,00,000 रुपये का बनवाया गया, जो उत्तर प्रदेश शासन, स्वायत्त शासन अनुभाग को जिलाधिकारी, बलिया के पत्र सं0 913, प0 अ0, रसड़ा स्था0 नि0 लि0, दिनांक 14-3-77 द्वारा स्वीकृति हेतु भेजा गया था। सड़कों के अतिरिक्त कस्बे के नालों के रिमाडलिंग हेतु 2,31,000 रु0 का आगणन उसी पत्र के साथ प्रेषित किया गया। वह अभी तक नहीं हुआ।

श्री अधिष्ठाता—

समय समाप्त हो रहा है।

श्री मन्नू राम—

मिल्क चिलिंग प्लांट, रसड़ा, बलिया में खोलना चाहते थे। उसकी रिपोर्ट डी0 एम0 ने दी है। बलिया में मिनी स्टील प्लान्ट के लिये भूमि ली गयी है। हलधरपुर क्षेत्र में चर्म उद्योग के लिये, जिसमें जूते, अटैची, मिलिटरी के सामान बनाने के लिये एक प्लाटं लगाने की मांग की गयी थी। लेकिन अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। मान्यवर, जहां तक विद्यालयों का सवाल है, बलिया जनपद के स्कूलों की स्थिति बड़ी ही भयावह है। शून्य प्रहर की सूचना

में मैंने दिया था। नरायनपुर स्कूल के बच्चे इस गर्मी में तिलमिला रहे हैं और विद्यालय की इमारत खंडहर के रूप में आज करीब 4 वर्षों से सरकार की तरफ देख रही है।

श्री अधिष्ठाता—

देखकर पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री मन्नू राम—

इसी तरह से सोहवारी पाठशाला है जिसकी इमारत गिर गयी है। रसड़ा दक्षिणी प्राइमरी पाठशाला की भी इमारत ढह गयी है। यही दशा प्राइमरी पाठशाला परखिया, जाम मिगुडी ,हलदरपुर, चकरा, अमहर, खरखवांव, अमहरा, चांदपुर डुमरिया, सरदासपुर, कन्या पाठशाला अठिला, कन्या पाठशाला जाम प्राइमरी पाठशाला बईलख, उरदयाना, बेलौझा नशीराबाद, रतपुरा, मिर्जापुर जोवनिया, सिडवल, पिन्डोहरी, सराय भारती, नगहर आदि स्कूलों की हो चुकी है। इस तरह से मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा आज 4 दिनों से हो रही है। जहां तक मैंने अभिभाषण को पढ़ा तो पिछले सत्र में जो अभिभाषण दिया गया था उससे कोई खास फर्क इसमें नहीं है केवल कई संपर्क मार्गों के बारे में नयी चर्चा की गयी है और बाकी पहले जैसा ही है। मान्यवर, यह सरकार 8–9 महीने से चल रही है। जनता ने 30 वर्षों सेजो कांग्रेसी शासन चल रहा था उसमेंभ्रष्टाचार होने के कारण उसको हटाया और जनता गवर्नमेंट को प्रशासन में लायी, लेकिन जो आशायें इससे की जाती थीं वह पूरी नहीं हुई। मैं सबसे पहले मंत्रि-परिषद् को लेता हूं कि आशा की जाती थी कि मंत्रि परिषद् में सादगी आयेगी और खर्च कम होगा लेकिन पहले से भी ज्यादा खर्च में बढ़ोत्तरी हो गयी है। ज्ञात हुआ है कि अब उनकी कान्स्टीट्युएन्सी में एक टेलीफोन सरकारी खर्च पर लगाया जायेगा। जो हमारे जनता पार्टी के विधायक बोलते हैं और प्रदेश की हालत को देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि शासन बिलकुल समाप्त प्राय हो गया है। 'लालेसनेस' है और सरकारी मशीनरी इनके काबू में नहीं है। सरकारी मशीनरी एक घोड़े की तरह होती है अगर वह देखती है उसका सवार तेज और होशियार है तो ठीक प्रकार से कार्य करती है, लेकिन इस बात की कमी है।

मैं भूमि वितरण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। कहा गया कि एक लाख से अधिक भूमिहीनों को भूमि पर कब्जा दिलाया गया। मैं समझता हूं कि इस में सत्य नहीं है। अगर पांचहजार भी केसेज सही है तो मैं चुनौती देता हूं। मैं कह सकता हूं कि हजार दो हजार दिलाए गये होंगे। कागज पर तो कब्जा दे दिया गया है लेकिन मौके पर कब्जा नहीं दिया गया है, बल्कि बहुत सी जगहों पर लोगों का कब्जा था, उनको हटाया गया। एक मिट्ठू नाम का आदमी था, आपकी पार्टी के एक सदस्य गये थे, परिवहन गांव में 19 फरवरी को साढ़े सात बजे उसको जला दिया गया सिर्फ इसलिये कि सरकार गुरदास सिंह हाईकोर्ट से स्टे-आर्डर ले गये थे कि जमीन से कब्जा हटाया जाये। लेकिन ऐसा न करने पर उसकी वहां पर जला दिया गया लेकिन खुशी की बात है कि वहां पर जो पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन्होंने तुरन्त कार्यवाही की और दोषी व्यक्तियों पर मुकदमें कायम किए लेकिन यह जो राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि एक विशेष अभियान चलाकर एक लाख से अधिक हरिजनों एवं अन्य भूमिहीनों को उनको आवंटित भूमि पर वास्तविक कब्जा दिलाया गया है, इसमें कोई सत्यता नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जन्नाथ प्रसाद]

गांव समाज की भूमि और सीलिंग की भूमि के जहां पर पट्टे हुए है, उन सबके बारे में माननीय सदस्यों को जानकारी होगी। इस सम्बन्ध में मैंने एक सुझाव दिया था कि इसके लिए नान आफिशियल्स की एक समिति बना दी जाय, जैसे कि मंगल देव विशारद कमेटी बनी थी, जो कि माल विभाग की ओर से गठित की जाय जिसमें इस सदन के माननीय सदस्य भी हों, जनता पार्टी के भी कुछ कार्यकर्त्ता हों, विभिन्न जिलों के और उसमें कुछ सरकारी अधिकारी जैसे परगना अधिकारी भी हों, जो जाकर स्वयं जांच करें उन गांवों की जहां पर समस्या बड़ी भयंकर है और सही आकड़े इकट्ठे करें कि कितने पट्टे किस गांव में किए गये और कितनों पर कब्जा हुआ और कितनों पर नहीं हुआ। तो उनको सही पता चल जायेगा कि यह जो राज्यपाल जी ने कहा है कि 1 लाख से अधिक हरिजनों एवं अन्य भूमि-हीनों को, उनको आवंटित भूमि पर वास्तविक कब्जा दिलाया गया है, यह बात सही नहीं है। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि जो आवंटी हैं उनको किसने जबरदस्ती बेदखल कराया और उनकी क्या संख्या है। उन व्यक्तियों में से कितनों को सजा दी गयी और कितनों पर मुकदमे कायम हुए और कहां। जो चीज कांग्रेस के जमाने में चल रही थी वह वैसे ही चल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। यह चीज लगातार 30 वर्षों से चल रही है लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जहां तक गन्ने किसान का सम्बन्ध है वे आज सबसे दुखी काश्तकार है। मैं खीरी जिले की बात कहता हूं, वहां पर महीनों से क्रशर्स और फैक्टरी बन्द पड़ी है। उस इलाके में जो गन्ने के क्रशर्स हैं वे फैक्टरी से अधिक गन्ना पेरते हैं। यह पता नहीं है कि जून और जुलाई के महीनों में फैक्टरी या केन क्रशर्स चलेंगे या नहीं। आज वहां का किसान बड़ी तबाही में पड़ा हुआ है। इन्टीरियर में जो केन क्रशर्स हैं वे गन्ने को 3 रुपये प्रति क्विन्टल में खरीद रहे हैं जबकि उनको 9 रुपये 40 पैसे का रेट दिया जाना चाहिये, कोई इसकी जांच नहीं होती है। कागज पर दिखा दिया जाता है लेकिन गन्ना 3–4 रुपये के रेट पर ही लिया जाता है। कहीं-कहीं पर जब गन्ना किसान अपनी गाड़ी में गन्ना क्रशर्स पर ले जाता है तो क्रशर्स के मालिक 10 क्विन्टल गन्ने के बजाय यह कहते हैं कि तुम्हारा गन्ना केवल 4–5 क्विन्टल है, डालना चाहो तो डाल दो अन्यथा चले जाओ। तो इस प्रकार से आज गन्ने की हालत खराब हो रही ह।

आरा शुगर फैक्टरी एरिया में केन सोसाइटी है जिसके माध्यम से काश्तकार गन्ना सप्लाई करता है, लेकिन जिन काश्तकारों के पास गन्ना है उनको पर्चियां नहीं मिलती हैं बल्कि हजारों की तादाद में जिनके सट्टे बने हुये हैं उनको पर्चियां, 3–3 सौ ट्रक्स और 2 1/2–2 1/2 सौ ट्रक्स की पर्चियां 50 रुपये गाड़ी के हिसाब से बेच कर फायदा उठाते हैं और दूसरी ओर गन्ने का काश्तकार, निरीह व्यक्ति, देखता रहा है। पिछले जो हमारे केन कमिश्नर साहब थे, श्री घेसी, उन्होंने काफी सुधार किया। नये जो केन कमिश्नर साहब आये हैं और डिप्टी केन कमिश्नर हैं, उन्होंने भी इस ओर ध्यान दिया है लेकिन हालत इतनी खराब है कि अभी तक कोई सुधार दिखाई नहीं पड़ता है, मेरी प्रार्थना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

जहां तक सिंचाई विभाग का सम्बन्ध है, शारदा सहायक योजना एक बहुत बड़ी योजना है। हमारे यहां से 2 नदियां घाघरा और शारदा निकली हैं। घाघरा का पानी बांध कर शारदा में डाला गया है जिससे 22 जिलों की सिंचाई हो रही है और वही पर सुहावली योजना साढ़े छः करोड़ की बनायी गयी है। उसमें कहा है कि सिंचाई खरीफ में कर सकेंगे। लेकिन तराई के इलाके में खरीफ की सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस रुपये का सदुपयोग नहीं हो रहा है। अगर इसको खुदवाया जाता है और निर्णय कर लिया है तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कुछ पंपिंग सेट लगाकर शारदा सहायक नहर से कुछ रबी की फसल में भी पानी

दें, तब तो काम चलेगा वरना नहीं। जिन लोगों की जमीन ली जा रही है, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि जो छोटे काश्तकार होंगे एक एकड़ या ऊपर या नीचे वाले, उनकी जितनी जमीन हम अधिग्रहण करेंगे नहर में उनको उतनी जमीन दे देंगे। तो यह मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार देंगे? जिन में चकबन्दी हो गयी है उनमें तो बड़ा नुकसान पड़ेगा और जिनमें नहीं हुई है उनके लिये कहते है कि हम कुछ थोड़ी और अधिग्रहण कर लेंगे। अगर 100 एकड़ लेना है तो 115 एकड़ ले लेंगे। 15 एकड़ भूमिहीनों को दे देंगे। तो यह समझ में नहीं आता है कि ठोस तरीका क्या निकाला जिससे भूमिहीन लोगों की जो जमीन नहर में ली जायगी उनको जमीन दी जा सके।

इस प्रदेश में 3–4 महीने के अन्दर इतनी बस-दुर्घटनाएं हुई हैं कि जब से यह बस योजना चली तब से कभी इतनी दुर्घटनाएं नहीं हुई। मैं मानता हूं कि गाड़ी की खराबी या ड्राइवर की गलती से यह हो जाता है, लेकिन आप बस-वर्कशाप को नियंत्रण में रखें। ज्यादातर अच्छे पुर्जे बिक जाते हैं और भ्रष्टाचार की वजह से ये ठीक आर्डर में नहीं रहती इसी कारण से बस-दुर्घटनाएं हो रही हैं.. 5 मिनट और दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने आपको 15 मिनट दिये इसलिए कि आप नेता हैं। एक आध मिनट और ले लीजिये आप बोलें।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

मैंने महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है उस पर 3–4 प्वाइंट्स लिये। उसमें इनको चाहिए कि टीम वर्क में काम करें जिससे प्रदेश के ऊपर अच्छा असर पड़े। जब ये मंत्रिगण ही आपस में, सब घटक, मिलकर काम नहीं करते हैं तो उसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो मेरी प्रार्थना और निवेदन है कि प्रदेश के हित में, 10 करोड़ जनता के हित में आप टीम वर्क में काम करें—यह मंत्रि-परिषद—जिससे सरकार मजबूत हो और कुछ काम कर सके। मैं बधाई देता हूं इस सरकार को कि इन्होंने कहा कि गांव की ओर चलो। ये लिंक मार्ग बना रहे है, सड़कें पाट रहे हैं, कुछ अच्छी योजनाएं बना रहे हैं। तो उनके अच्छे काम के लिए बधाई देता हूं।

*श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के संबोधन के संबंध में श्री रमाशंकर कौशिक जी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल 17 मार्च को जब सदन में पधारे संबोधन के लिए तो उस समय जिन तत्वों द्वारा या जिन शक्तियों द्वारा उस समय जो दृश्य उपस्थित किया गया वह दुर्भाग्यपूर्ण तो था ही, संसदीय इतिहास के लिए एक अशोभनीय और निन्दनीय कृत्य था। केवल इतना ही नहीं है। जिन शक्तियों ने विधान मंडल के पवित्र सदन में वह दृश्य उपस्थित किया इसके पीछे हमारे देश की भतपूर्व प्रधान मंत्री और उनका दल देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में एक अव्यवस्था, एक अराजकता का वातावरण उत्पन्न करना चाहता था। विरोधी दल में रहकर देश की और जनता की सेवा की जा सकती है यह उनकी समझ में नहीं आता। कैसे भी, जल्दी से इस देश या प्रदेश के प्रधान मंत्री की कुर्सी पर वे पहुंच जायं और उस पर पहुंचने के लिए प्रदेश में अराजकता उत्पन्न करना, कैआस उत्पन्न करना, संसदीय लोकतंत्र में अनिष्ठा उत्पन्न करना, ऐसे कृत्य आज श्रीमती गांधी और उनके दल के द्वारा किये जा रहे हैं। आज सारे प्रदेश के अन्दर कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिसके कारण प्रदेश की शान्ति व्यवस्था को खतरा हो गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। 17 तारीख के घटना के बारे में जब एक कमेटी बन गयी है तो उस पर यहां क्या चर्चा की जा सकती है ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं समझ गया आपकी बात। माननीय सदस्य कृपया अपने को सीमित रखें क्योंकि उस विषय में समिति गठित हो गयी है, उसका जिक्र न करें।

श्री कृष्ण स्वरूप—

आज एक दल के द्वारा जो संकट उत्पन्न किया जा रहा है उससे निपटने के लिये इस बात की आवश्यकता है हम अपने प्रशासन तंत्र को, जिलों के प्रशासन को अधिक प्रभावी और चुस्त बनायें। आज हम देख रहे हैं कि कुछ निहित स्वार्थ सिद्धि के लिये कुछ लोगों द्वारा प्रदेश के वातावरण को और उसकी शान्ति को भंग करने की कोशिश की जा रही है।

मान्यवर, प्रदेश के छात्रों की भी अपनी समस्यायें हैं। उनके द्वारा प्रदेश के कभी किसी विश्वविद्यालय में, तो कभी किसी में, आन्दोलन चलाये जा रहे हैं वे आंदोलन हिंसा का भी रूप ले रहे हैं। एक जगह का आन्दोलन बढ़ते-बढ़ते अन्य जिलों और पूरे प्रदेश तक में फैल जाता है। हमें खुशी है इनकी समस्याओं के समाधान के लिये एक गोलमेज सम्मेलन बुलाने की की बात कही गयी है। मैं चाहता हूं कि इसकी जल्दी ही व्यवस्था की जाये। इसके अलावा मैं यह भी चाहता हूं कि छात्रों के लिये हमें एक आचार संहिता भी बनानी चाहिये। सारे प्रदेश के शिक्षा शास्त्री, युवक और छात्रों के प्रतिनिधि आदि बैठकर, विचार कर, उसको बनायें। इसमें यह रखा जाय कि कब, किन-किन बातों पर, किस प्रकार छात्र अपनी मांगों के लिये आन्दोलन करेंगे। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हर विश्वविद्यालय तथा हर कालेज के शिक्षक, अभिभावक और छात्रों के प्रतिनिधियों की मिली जुली एक गार्जियन्स काउन्सिल होना चाहिये इसका शीघ्र गठन किया जाये। हमें इसी काउन्सिल द्वारा उनकी समस्याओं पर विचार करना चाहिये। किसी भी प्रकार से हमें छात्रों के आन्दोलन को ट्रेड यूनियनिज्म का रूप नहीं देना है। उनकी समस्यायें है, कठिनाइयां हैं और बहुत सारे उनके गम्भीर प्रश्न भी है जिसके लिये छात्र अकसर आन्दोलित हो उठते हैं। इनकी सभी समस्याओं का हल गार्जियन्स काउन्सिल द्वारा किया जाना चाहिये जिसका मैंने अभी सुझाव दिया है।

इस बात का भी प्रयास किया जाना चाहिये कि विश्वविद्यालय की परीक्षायें नियमित समय से ही अवश्य हुआ करें।

बेरोजगारी की समस्या भी बड़ी गम्भीर समस्या है, उसका भी समाधान होना चाहिये। उसके लिये आवश्यक है कि हमारी शिक्षा के ढांचे में बुनियादी परिवर्तन हो। वह श्रम प्रधान हो और रोजगार उन्नत हो। कोई भी सरकार इतनी नौकरियों का सृजन नहीं कर सकती कि विद्यार्थी जैसे ही स्कूल या कालिज से निकलें तो वह तुरन्त उनको नौकरी दे सकें। परन्तु हमें उनके दृष्टिकोण, उनके आदर्शों, उनके लक्ष्यों में परिवर्तन करना पड़ेगा। पढ़े-लिखे विद्यार्थियों का श्रम के प्रति आदर हो। आज जो समस्यायें विद्यार्थियों की प्रदेश में है, उसका कारण केवल रोजगार नहीं है, उसका कारण यह है कि आज का छात्र दिशा भ्रमित है। जो सही दृष्टिकोण, जो सही नेतृत्व आज के छात्र को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। आज देश के राजनीतिज्ञों ने उन छात्र युवकों को अपने स्वार्थ का साधन बना रखा है। आज के विद्यार्थियों को, अपने देश के प्रति क्या कर्त्तव्य है, वह उन्हें समझना चाहिये।

आज बेकारी है हमारे प्रदेश के अन्दर जो निर्बल वर्ग है, साधनहीन वर्ग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उनको उठाने के लिए अवसर प्रदान किया जाय, जिससे कि वे भी दूसरे लोगों के समान कदम मिला कर चल सकें। इसके लिए उन्हें अवसर दिया जाय। लेकिन पैदाइश के

आधार पर, कोई भी व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर जात का सदस्य है, इसलिए केवल उसको आरक्षण दिया जाय, यह समस्या का समाधान नहीं यह केवल कुछ लोगों को प्रसन्न करने की बात हो सकती है।

पिछले 30 वर्षों तक इस देश में कांग्रेस उत्तर प्रदेश और दिल्ली में शासन करती रही, उन हरिजनों को स्वार्थ के नाम पर दूसरे समाज से अलग रखा। आज जो छुआछूत की समस्या है, पानी की समस्या है, यह राजनैतिक समस्या नहीं है, बल्कि इस देश की सामाजिक समस्या है। इसके लिए सभी दलों को,सभी वर्गों के लोगों को राजनैतिक स्तर पर नहीं, सामाजिक स्तर पर देश के अन्दर एक ऐसा वातावरण पैदा करना पड़ेगा, वायु मंडल पैदा करना पड़ेगा। अपने आचरण से उनको हम एक राजनैतिक शक्तियों का अस्त्र न बनायें। जो हम आरक्षण देना चाहते हैं सेवाओं में, होना यह चाहिए कि पिछड़े वर्ग के लोगों का, जिसका सामाजिक स्तर नीचा हो, उनका एक मानक तय करें। यदि कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति सम्पन्न है, आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 का व्यक्ति है, तो उसके परिवार वालों के बच्चों को सेवाओं में आरक्षण मिलेगा और यदि कोई निचले स्तर का व्यक्ति है, जोकि पिछड़ी जाति का नहीं है, तो वह सेवाओं में आरक्षण से वंचित हो जायगा, यह उचित नहीं है।

मान्यवर, जहां पर इंडस्ट्रिलाइजेशन हुआ है, वह ठीक तरीके से नहीं हुआ है। मान्यवर, कुछ स्थान जो पिछड़े हैं, जहां बेरोजगारी है, जहां बेकारी है, आज हमको उन स्थानों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश का बुन्देलखंड एक डिवीजन है, उसमें बदायूं एक ऐसा जिला है, जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां की आबादी 17 लाख की है। वहां पर कोई उद्योग धंधा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि उस जिले का इंडस्ट्रिलाइजेशन यदि चाहते हैं, तो उस जिले के अन्दर व्याजमुक्त ऋण देना पड़ेगा। बिजली की विशेष सुविधायें देनी होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री राम सिंह)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर यह जो चर्चा चल रही है इस संबंध में सदन के माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से जिन विषयों के बारे में चर्चा की है वह यही है कि जब से जनता सरकार ने शासन की बागडोर संभाली है तब से इस प्रदेश के अन्दर कुछ नहीं हुआ है। और जो पिछला महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था, उसके अंदर जो वायदे किये गये थे उनकी पूर्ति इस सरकार ने नहीं की। इसके साथ ही कुछ इस प्रकार की चर्चायें हुयीं कि जो कार्य सरकार ने किये हैं।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या चर्चा अभी चलेगी? या क्लोजर मूव हो गया है?

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी भाषण दे रहे हैं। उनको अधिकार है।

श्री राम सिंह—

तो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के जिन विषयों पर चर्चा हुई है और जो कार्यक्रम सम्पन्न किये गये हैं, और पूर्ववत् सरकार के संबंध में जो चर्चा हुई है तो इस संबंध में मैं 2–3 आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। 30 वर्षों के शासन में जो उत्तर प्रदेश को क्षति हुई है और पर कैपिटा इनकम के संबंध में जो स्थिति है उस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं:—

1951 में उत्तर प्रदेश के अन्दर पर कैपिटा इनकम 260 रुपये थी और भारतवर्ष की 248 रुपये थी। पूरे देश की 149.8 प्रतिशत उस समय थी। इसके पश्चात् 1975–76 में जो उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम हमारे सामने आयी वह इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश में 268 रुपये प्रति व्यक्ति रही और पूरे देश की 366 हो गयी। तो पूरे प्रदेश का 73.2 प्रतिशत रहा। तो आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम घटकर 73.2 हुई है। इस 30 साल के शासन में।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सिंह]

दूसरी बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्लान आउट ले रहा है भारतवर्ष का, उसमें जो खर्च किया गया है उसका छोटा-सा आंकड़ा पेश करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 1951—68 तक की अवधि में प्रति व्यक्ति नियोजनागत व्यय 181 रुपये रहा और पूरे देश में 241 रुपये रहा। तो दोनों आंकड़े हैं, उनसे साबित करने में आसानी होगी कि जो पूर्ववर्ती सरकारों की प्रशंसा करते हैं।

इसी के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिन विषयों की चर्चा की गयी है तो जो अच्छे काम किये गये हैं उनकी प्रशंसा हमने नहीं की। उदाहरण के रूप में कुछ कार्य ऐसे हमने लागू किये हैं जिनसे इस प्रदेश की ग्रामीण जनता को बहुत लाभ होगा। प्लान के संबंध में कुछ चर्चा हुयी। कहा गया कि जो प्लान आउट ले है वह कुछ कम है अन्य वर्षों के मुकाबले में। तो इस संबंध में मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। यही नहीं अपनी बात को आंकड़ों से साबित करके दिखाना चाहता हूं। जो प्लान आउट ले उत्तर प्रदेश का रहा है वह किसी भी दशा में पहले के वर्षों के मुकाबले में कम नहीं है, कुछ अधिक है। तो जो प्लान के आंकड़े हमारे सामने है, उनसे बिल्कुल स्पष्ट हो जायगा कि पिछले वर्षों में जो पैसा हमको मिला इससे इस वर्ष में कम पैसा नहीं मिला। पांचवी पंचवर्षीय योजना का पहला साल 1974—75 था। उसमें 370 करोड़ रुपये का एलाटमेंट हुआ था। उसके पश्चात् 1975—76 में 472 करोड़ हुआ। यानी कि 102 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई। उसके पश्चात् 1976—77 में 585 करोड़ रुपये हुआ। इसमें 113 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई। 1977—78 में 675 करोड़ था। जिसमें 90 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी थी। तो पिछले तीन वर्षों में, इमरजेंसी वर्ष की बहुत दुहाई दी जाती है कि शासन ने बहुत कार्य किया। तो 90 करोड़ रु0 इसमें अधिक खर्च किया गया, केवल इतना ही अन्तर रहा। पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 1978—79 में 786.87 करोड़ रुपये का प्राविधान है, 111.87 करोड़ रुपये का अन्तर इस वर्ष के प्लान में है। तो यह कहना कि पिछले साल के प्लान आउट ले से इस वर्ष कम हुआ है, प्लान में कम सेंक्शन हुआ है, वह सही नहीं है। अन्य वर्षों के मुकाबले में इस वर्ष व्यय अधिक है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चर्चा की गयी कि यह सरकार गांव की ओर चलने का वायदा करती है और कुछ कार्यक्रम भी शुरू किये हैं। तो उनको यदि मैं सूचीबद्ध करूं तो उसमें समय लगेगा। इसलिये उनको मैं संक्षेप में बता रहा हूं और वह इसलिये कि माननीय सदस्यों को उन पर विचार करने का मौका मिले। हमने शासन सभांलते ही यह किया कि छोटे काश्तकार को खाद के अन्दर 20 प्रतिशत सब्सिडी दी। उसके पश्चात् ऐसे काश्तकार जिसकी भूमि का आवंटन चाहे सीलिंग की भूमि हो या ग्राम समाज की हो, जिसमें हरिजनों की संख्या अधिक है, उसमें 10 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय दिया है।

पिछली सरकार ने बिजली पर भी पाबन्दी लगायी थी लेकिन हमने नहीं लगायी और उस पाबन्दी को समाप्त किया। इस प्रकार बढ़े हुये लगान को हमने समाप्त किया जो कि लगभग 63 करोड़ का था। विकास कर को, जो कि पिछली सरकार ने लगाया था, हमने समाप्त किया। इस प्रकार अब टोटल वसूली लगान की 29 करोड़ रुपये भरेंगे। यह पिछले साल के मुकाबले कम है। यह राहत किसानों को हमने दिया है। छोटे काश्तकार का जोत का लगान हमने माफ किया। अब उससे 70 प्रतिशत काश्तकार लाभान्वित हो रहे है। इसका परिणाम हुआ कि धान की इस वर्ष रिकार्ड पैदावार हुई। इस वर्ष 51 लाख मैट्रिक टन धान पैदा हुआ है। इसी प्रकार गेहूं होने की संभावना है और लगभग 2 करोड़ मैट्रिक टन होगा। इस प्रकार शासन ने जो भी कदम उठाये हैं उसका परिणाम हुआ कि पैदावार बढ़ गयी है।

मान्यवर, गन्ना के संबंध में कहा गया कि बड़ी दुर्गति हुई है। आंकड़ों को देखें तो इस वर्ष लगभग 20 प्रतिशत गन्ने की पैदावार अधिक है। हमने किसानों को अधिक से अधिक लाभ देने की कोशिश की है। इससे पहले क्रशर पर कुछ पाबन्दी थी कि मिल एरिया से साढ़े 12 किलोमीटर की एरिया में कोई क्रशर नहीं लग सकता था। हमने उस पाबन्दी को समाप्त किया और काश्तकार को छूट दिया कि अपना गन्ना पेरने के लिए चाहे तो कहीं भी क्रशर लगा सकते हैं हमने क्रशर के लाइसेंस को फ्री कर दिया है।

पश्चिमी क्षेत्र में गन्ने की जो समस्या है उसके कारण डेढ़ महीने से लगातार बारिश हो गयी जिससे कोल्हू और क्रशर नहीं चल पाये। चूंकि इस वर्ष गन्ना की पैदावार अधिक हुई इसलिये चीनी भी पिछले साल से अधिक होगी। मान्यवर, पेराई की समस्या हमारे सामने आयी है। लेकिन जो सहूलियतें हम दे सकते थे वह दी है। खांडसारी यूनिटों को सहुलियतें दिया है। 1965 में खांडसारी का सबसे बड़ा काम शुरू हुआ। 1965 में सरकार के सामने विचार आया कि शुगर फैक्ट्रियों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। उसके बाद जब यह बात उठी तो जब कोई मुख्य मंत्री बदलता रहा तो इस फैसले पर दूसरा फैसला होता रहा जिसका परिणाम हुआ कि फैक्ट्रियों के स्वामियों को कोई गारन्टी नहीं रही कि यह फैक्ट्री हमारे पास रहेगी कि नहीं।

इस बात की दुविधा में यह जो फैक्ट्री की मालिकान थे उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट करना बन्द कर दिया और कुछ ने तो यहां तक किया कि अच्छे पुर्जे रिप्लेस करके दूसरी जगह पहुंचा दिये और जो खराब पुर्जे मिल सकते थे उनको यहां लगा दिया। गन्ने की जो दुर्गति हुई कहते हैं उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि फैक्ट्रियों के बारे में पूर्ववर्ती सरकार ने भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये और आश्वासन तथा बयान दिये। फैक्ट्री के मालिकान को संतोष नहीं हो पाया कि हमारे प्रदेश के अन्दर उनको रहना है या बाहर जाना है।

गांव की ओर चलो का जो नारा हमने दिया उसको तरक्की के लिये जो-जो काम कर सकते थे वह करने की कोशिश की है। बहुत से माननीय सदस्यों ने हरिजनों की बात बहुत कही और विशेष रूप से उन लोगों ने जो हमसे पूर्व सत्ता पक्ष में रहे हैं। हरिजनों को जो सहूलियतें दी हैं उसके दो आंकड़े पेश करना चाहता हूं। 30 वर्षों के कांग्रेस के शासन काल में जो उपलब्धि आरक्षण के मामले में हुई उसकी मिसाल रखना चाहता हूं। शासन से यह एक पुस्तक छपी है जनवरी, 76 में। इसमें आरक्षण संबंधी आंकड़े हैं। 19 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था थी अनुसूचित जातियों के लिये पिछले 30 सालों की उपलब्धि यह है। पहली श्रेणी में 3.1 दूसरी श्रेणी में 13.6, तृतीय श्रेणी जिसमें क्लेरिकल स्टाफ आता है 8 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी जिसमें विशेष रूप से चपरासी या उसके समकक्ष लोग आते हैं 12.75 प्रतिशत। अनुसूचित जन-जातियों के संबंध में भी कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगा ...

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 30 वर्ष के कांग्रेस शासन में यह कमी रही वह कमी रही। उन्होंने कुछ संख्या भी दी जो सही संख्या दी। माननीय मंत्री जी स्वयं कांग्रेस में थे जिसकी बात वह कह रहे हैं। उनकी क्या जिम्मेदारी थी यह भी बतला दें ?

श्री राम सिंह—

मैं स्वयं आपके साथ रहा हूं लेकिन मैं शासक के रूप में नहीं रहा मैं उस दल में रहा। जो स्थिति रही उसको रख रहा हूं अगर उसमें कोई गल्ती हो या विरोधाभास हो तो वह आप बतला दें। मैं निवेदन कर रहा था कि मुझको यह आंकड़े देने की आवश्यकता इसलियेपड़ी कि बहुत कुछ चर्चा उठी कि पिछड़ी जाति और अनुसूचित जातियों का जो आरक्षण किया गया वह जातिगत आधार पर किया गया। इसलिये अब तक की जो स्थिति रही उसको आपके सामने

[श्री रामसिंह]

रख रहा था । जनजाति में प्रथम श्रेणी मैं यहां कोई आंकड़ा नहीं लिखा है जिसका अर्थ मैं यह लगाता हूं कि शासन में एक भी अधिकारी जनजाति का नहीं है । क्लास वन आफिसर एक भी जनजाति का नहीं है । दूसरी श्रेणी में 0.07 प्रतिशत है, तृतीय श्रेणी में 0.24 प्रतिशत और चतुर्थ श्रेणी जिसमें चपरासी इत्यादि होते हैं उसमें भी यह पोजीशन है । यह ऐसा तबका है जिसमें उसको कम से कम सेवा के योग्य समझा ही जाना चाहिये क्योंकि इसमें किसी शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती । इसी प्रकार से इंजीनियरिंग कालेजेज जो हमारे हैं और एक कृषि विश्वविद्यालय है, उसमें आरक्षण की व्यवस्था रखी गयी थी, वहां की क्या स्थिति रही वह आपके सम्मुख रखना चाहता हूं । इन्जीनियरिंग कालेज दयालबाग, आगरा जहां 60 सीट में 2 सीट्स शिड्यूल कास्ट्स को देने की व्यवस्था है । यानी 60 में केवल 2 ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि.....

श्री अधिष्ठाता—

अभी नहीं । पहले मंत्री महोदय को समाप्त कर लेने दें । मंत्री महोदय, कृपया शीघ्र समाप्त करें ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

सारा समय तो मान्यवर, उन्हीं को दिये दे रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठिये ।

श्री रामसिंह—

मान्यवर, मुझको तो 25 मिनट बोलना था लेकिन अधिकांश समय तो इन्टरेप्शन में ही चला गया ।

मान्यवर, मैं कह रहा था कि 60 सीटों में केवल 2 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है । मान्यवर, एक कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का है जिसके अन्दर अनुसूचित जातियों के लिये केवल 5 प्रतिशत आरक्षण उस वक्त की सरकार ने किया था जब 18 प्रतिशत की व्यवस्था की थी । उसी तरह से यह देखने की बात है कि दूसरी संस्थाओं में आरक्षण की स्थिति क्या है । आज तक किसी व्यक्ति ने इस बात को देखने की जरूरत नहीं समझी कि शासन में इसमें हो क्या रहा है । तो यह तो आरक्षण की व्यवस्था है ।

अब जो पिछड़ी हुई जातियों पर आरक्षण किया है, उसमें हमारे कुछ मित्रों की आपत्ति है कि यह क्यों किया और यह जातिगत क्यों है । मान्यवर, मैं आपके समक्ष यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आर्थिक बंदिश के साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को शैक्षिक क्षेत्र में सहायता करने की बात है । उदाहरण के लिये यदि किसी अनुसूचित बच्चे की छात्रवृत्ति या फीस माफी की बात है तो (छठी तक तो माफ है) छठी के बाद यानी 7 से कक्षा 10 तक उन्हीं हरिजनों को यह सुविधा है जिनके पिता की आमदनी 500 रुपये तक है । उसके बाद वालों को यह सुविधा नहीं देगें । उसी तरह से 10 वीं के बाद यानी 11 वीं से ऊपर की कक्षाओं में जिस किसी अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग के बच्चे को छात्रवृत्ति देंगे तो उसमें उसके पिता की आर्थिक बंदिश 750 रुपये है यानी उससे ऊपर को नहीं देगें । तो, मान्यवर, यह आर्थिक बंदिश बराबर लगी है । जातिगत तो है, लेकिन आर्थिक बंदिश लगी है । तो इस प्रकार से यह कहना कि किसी आई० ए० एस० के बच्चे की भी फीस माफ

हो, या उसको छात्रवृत्ति मिले, तो ऐसा नहीं है, मान्यवर 750 से अधिक को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, पुस्तक या फीस नहीं माफ होती । उस बंदिश के बाद आरक्षण की व्यवस्था में इसमें की है । तो मैं कह रहा था कि कोई भी स्थिति आये, कि इस आरक्षण को समाप्त किया जाय, तो वह तभी हो सकती है जबकि कमजोर तबका दूसरों के समकक्ष आ जाये । उसकी आर्थिक स्थिति वैसी हो जाय और वह समाज में सम्मानित नागरिक की तरह रह सके । तो जो आरक्षण के संबंध में बात कही गयी है, मान्यवर, वह तथ्य से परे है । वह तथ्य के आधार पर नहीं कही गयी ।

इसी तरह से, मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ और जो कदम उठाये है उनकी चर्चा है मान्यवर हरिजनों पर एट्रोसिटी की बात आती है। मान्यवर, यह केवल मुख्य कारणों से आती है और उसमें भूमि सबसे पहला कारण है। मान्यवर, हरिजनों को भूमि आवंटित हुयी । भूमि आवंटन के बाद उसमें धांधली हुयी कि वह आवंटित किसी को हुयी और कब्जा किसी दूसरे का है। उसके बाद फिर दरख्वास्त आयी। फिर भूमि दूसरे को दे दी गयी लेकिन कब्जा किसी दूसरे को दे दिया गया। इसको अब समाप्त किया है। इसमें एक अध्यादेश लागू किया है जो विधेयक के रूप में आयेगा। उसमें है कि भूमि के ऊपर अगर किसी का नाजायज कब्जा है तो उस कब्जे को तोड़ने के लिये जो उस जमीन पर काबिज है, उस पर जुर्माना और सजा दोनों करेंगे। तो अगर परोक्ष रूप में देखे तो इससे हरिजनों को सबसे बड़ा लाभ होगा। जो ताकतवर है, वह कानून से उसको तोड़ सकते हैं, जबर्दस्ती नहीं। तो अध्यादेश में इसकी व्यवस्था की गयी है कि अगर गैरकानूनी तरीके से किसी आदमी का कब्जा है तो उसको तोड़ने के लिये हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जिसमें इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उस पर जुर्माना और सजा दोनों हो सके ताकि गांव समाज की जमीन गरीबों को दी जा सके। इसके आदेश मौके पर जाकर दिये गये और कब्जा उनको दे दिया गया है।

एक और आंकड़ा यहां पर पेश किया गया कि उत्तर प्रदेश में 200 हरिजन कत्ल हुये हैं। मैं 'फिगर' को 'डिसप्यूट' तो नहीं करता। हो सकता है कि उनकी बात सही हो। लेकिन पूरे प्रदेश के दो तीन वर्ष के आंकड़े आप के सामने प्रस्तुत करूं तो उससे आप अनुमान लगायेंगे कि यह जो आंकड़ा यहां पर दिया गया वह सही नहीं है और यह बात साबित नहीं होती कि हम हरिजन विरोधी हैं।

आपने सीलिंग ऐक्ट पास किया। लेकिन जिस नेता की आप आलोचना करते हैं भूतपूर्व मंत्री की, उन्होंने सीलिंग सन् 52 में लगाई थी। लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट में इस बात का प्राविधान किया था कि किसी भी व्यक्ति को साढ़े बारह एकड़ जमीन से अधिक एलाट नहीं होगी। 18 एकड़ सीलिंग दी है। आप समाजवाद को नहीं जानते। सम्पत्ति का बंटवारा नीचे से जायगा और आम आदमी को लाभ दिया जा सकेगा यह समाजवाद की परिभाषा है, इस मुल्क के अंदर जो गरीब था वह गरीब होता गया और जो अमीर था वह अमीर होता गया। जिस समय पं0 जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे उस समय उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर 67 पैसे खर्च किये गये और आज पिछले वर्ष में 44 पैसे खर्च किये गये। यानि इंदिरा गांधी जो अपने को हरिजनों की हितैषी मानती है उन्होंने अपने शासन काल में उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर 44 पैसे खर्च किया। 67 पैसे लेकर 44 पैसे पर आये। तो उस समय कितनी हरिजनों की तरक्की हुई? हरिजनों के बारे में हमने कितनी बढ़ोत्तरी की है इन सभी तथ्यों से यह बात साबित हो जायगी।

तो क्राइम्स के सिलसिले में 200 हरिजनों के कत्ल की फिगर यहां पर पेश की गयी। इस बारे में दो साल के आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं जिसमें से इमरजेन्सी का वक्त निकाल दिया जाय जब कि न अखबार प्रकाशित होते थे, न कोई अधिकारी बोल पाता था न राजनीतिक दल ही बोल पाते थे अपने मुंह से 74 से 77 का मुकाबला आप के सामने प्रस्तुत

[श्री राम सिंह]

है। 74 में डकैतियां हुई 4583, 77 में हुई, 4187, लूट हुई 74 में 8536, 77 में हुई 7843 हत्यायें हुई 74 में 4504, 77 में हुई 4756; दंगे 74 में 13596 और 77 में 11290; आगजनी 74 में 46432 और 77 में 37300। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता के अपराध 74 में 2,50,902 और 77 में 2,22,400। जितनी हत्यायें हुई प्रदेश के अन्दर 4756 उनमें से ये 200 हत्यायें भी शामिल हों यह हो सकता है। हो सकता है कि ये हरिजन फौजदारी में मारे गये हैं, हो सकता है कि भिन्न-भिन्न वर्ग के लोगों में किसी तरह का मतभेद हुआ हो। केवल इस पक्ष को पेश करने से यह बात साबित करने की कोशिश कि सरकार हरिजन विरोधी है मैं समझता हूं यह सब मुनासिब नहीं है। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो बातें कही गयी हैं वे सही हैं और उनसे हमें संतोष होना चाहिये। इस सदन के माननीय सदस्यों को इस सरकार को बधाई देना चाहिये और शुक्रिया अदा करना चाहिये कि उसने इतने कम समय में जिन बातों के लिये वायदा किया था उन बातों को पूरा करने की कोशिश की है।

*श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ा अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जो हमारे सम्मानित सदस्य कौशिक जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। 5–6 महीने पूर्व महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था। उसमें यह विचार प्रकट किये गये थे कि जनता पार्टी के लोक प्रिय सरकार ग्रामोद्धार के लिये और प्रगति की दिशा की ओर कदम रखने जा रही है। उसके 5–6 महीने बाद इस सत्र में महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ उसमें यह विचार प्रकट किया गया है कि 8, 9 महीने की अल्पावधि में जो कार्य इस सरकार ने किया है उससे प्रकट होता है कि वह अपने लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आगे बढ़ रही है, मैं समझता हूं कि यह विचार शत-प्रतिशत सही और हमारी यह लोकप्रिय जनता पार्टी की सरकार किसी हद तक जैसा कि हम लोग महसूस भी कर रहे हैं सफलता के साथ ग्रामोद्धार के लिये, समाज कल्याण के लिये, जनहित के लिये जुटी हुई है। इसे देखने के लिये कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है।

गांव-गांव में हम लोग जब जाते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में तीस साल में, विरासत में जो बुराइयां मिली थीं, राजनीतिक प्रभाव के कारण प्रगति में जो अड़ंगेबाजी तथा धांधलियां होती थीं जिसके कारण निर्माणकार्य अधूरे पड़े हुये थे, तमाम स्थानों पर सड़कें तथा ट्यूबवेल बेकार पड़े हुए थे, नहरें अधूरी पड़ी हुई थीं, शिलान्यास की बाढ़ आ गयी थी। जनता पार्टी की सरकार आने पर पिछले 8-9 महीने की अल्पावधि में उसने जो कुछ इस दिशा में प्रगति के कार्य किये हैं उससे उसने अपनी सक्षमता तथा जनप्रियता का परिचय ही दिया है और अधिक से अधिक कारगर तरीके से उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है। हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र से चुन कर मैं आया हूं और पहली बार जब कुछ अधिकारियों के बीच में बैठ कर बातचीत की तो ज्ञात हुआ कि हमीरपुर जिले में हर साल लगभग 50 सरकारी ट्यूबवेल्स एलाट होते थे लेकिन उनमें आधे से अधिक लैप्स हो जाते थे, बहुत कम 'बोर' हो पाते थे। बड़े ही रोमांचकारी आंकड़े देखने को मिले। मेरा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। सिंचाई के नाम पर बहुत ही कम क्षेत्र सिंचित है। बहुत सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें बीज भी वापस नहीं हो पाता था। जब ये आंकड़े मैंने देखे तो सिंचाई मंत्री तथा संबंधित मंत्रियों से सम्पर्क स्थापित किया और उनसे स्थिति सुधारने की मांग की जिसका फल यह है कि 31 मार्च, 78 के पहले ही सभी ट्यूबवेल 'बोर' हो जायंगे। जितनी नहरें है और सम्पर्क मार्ग हैं उन पर भी कार्य पूरा हो जायगा। कुछ सम्पर्क मार्ग अवश्य अधूरे रह गये हैं। उसका कारण यह है कि कुछ अराजकतत्व और प्रति-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्रियावादी तत्व हैं जो जनता सरकार की बढ़ती हुई लोक प्रियता से नाराज थे। उन्होंने कुछ लोगों को उकसा करके अड़ंगे डालकर के उसको रुकवा दिया गया। उससे मैं समझता हूं कि समाज के हर वर्ग में यह भावना फैली हुई है। जो जनहित में रुचि रखते है वह यह समझते हैं कि जनता पार्टी की सरकार के कदम आगे ही बढ़ते चले जा रहे है और उसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है।

मान्यवर, मैं बड़ी ही खामोशी से 27 तारीख को अपने सामने वाली बेंचो में बैठने वाले माननीय सदस्य को, जो विरोधी पक्ष के नेता भी रह चुके हैं, की आलोचना को बड़े ध्यान से सुन रहा था। और भी सदस्यों ने, जो सामने बैठे हुये है, भी जनता पार्टी की नीतियों और कार्य-पद्धतियों पर आलोचना की। एक क्षण के लिये उनकी बात सही हो सकती है। उनको आलोचना करने का हक है, उनको सरकार की कार्य-पद्धतियों पर नई दिशा देने के बारे में कहने का हक है लेकिन केवल विरोध करने के लिये विरोध करना मेरी समझ में नहीं आता कि यह प्रजातांत्रिक पद्धतियों में कहां तक उचित है। उन्होंने केवल विरोध करने के लिये विरोध किया है। एक सदस्य ने कहा कि सरकार डी0 सी0 जी0, ए0 डी0 जी0 सी0 के एप्वाइन्टमेन्ट्स और समितियों के नाम निर्देशन में उलझ गई है और सरकार ने कोई निश्चित स्तर नहीं रखा है। मैं उन बंधुओं को बताना चाहता हूं कि वे अपनी पुन:स्थिति को देखें और सोचें कि पिछले 30 सालों में किस तरीके से डी0 जी0 सी0 और ए0 डी0 जी0 सी0 के एप्वाइन्टमेन्ट्स हुये हैं। यदि जनता पार्टी को आपने कोई ठोस सुझाव दिये होते जिन पर विचार हो सकता था, तब उनका विरोध करना उचित हो सकता था किन्तु विरोध के लिये विरोध करना उचित नहीं है। सामान्य ढंग से यह कह दिया गया कि डी0जी0सी0के एप्वाइन्टमेंट्स में न्याय नहीं किया गया, क्या न्याय नहीं किया गया, इस विषय में कुछ कहने की उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि डी0 जी0 सी0 और ए0 डी0 जी0सी0 चुनाव के लिये पहले डिस्ट्रिक्ट जज की राय आती है और फिर जिलाधिकारी की राय आती। इन दोनों की राय को लेकर ही सरकार या सम्बन्धित मंत्री निर्णय लेकर उनका एप्वायन्टमेन्ट करती है। किन्तु उनको केवल एक छींटा-कसी करनी थी और कीचड़ उछालना था। इसके अतिरिक्त हमारे विरोध पक्ष में बैठे माननीय सदस्यों ने अपनी चर्चा के दौरान जैसा कि अभी तक राजनीति का ट्रेन्ड हुआ करता है और राजनीति में रोचकता हुआ करती है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक पर कीचड़ उछालने का प्रयास किया गया उन्होंने एक सामान्य लहजे में कह दिया.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आपके दो मिनट हैं.....

श्री ओंकार नाथ—

उन्होंने कहा कि आर0 एस0 एस0 की शाखायें कालेजों में लगी हुई हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वे क्यों आर0 एस0 एस0 से परेशान हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सी0 बी0 आई0 के सदस्य .....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया सदन में शांति बनाये रखें।

श्री ओंकार नाथ—

उन माननीय सदस्य ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक की शाखायें कालेजों में लगने लगी हैं.... (व्यवधान)। आपको सुनने में क्यों परेशानी होती है? उन्होंने यह भी कहा कि इसीलिये प्रदेश में ला एन्ड आर्डर की स्थिति खराब हो गयी है....

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

(कुछ सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

एक सदस्य--

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य व्यवस्था के नाम पर ऐसी कोई अव्यवस्था न करें जिसे हम न समझ पायें ।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर आज 3, 4 दिन से चर्चा चल रही है । मान्यवर, 12 पृष्ठों के इस अभिभाषण को अगर देखा जाय तो अलंकार की छटा के सिवाय और कुछ नजर नहीं आता है । यह सही है कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से प्रशंसा करने की कोशिश की है लेकिन स्पष्ट दृष्टि क्या है किसी भी विषय में नहीं व्यक्त है । महामहिम राज्यपाल ने इस शासन की नीतियों या दिल दिमाग क्या है, उसे स्पष्ट करने की कोशिश नहीं की । पिछले भाषण में भी कुछ ऐसी ही चीज थी और उसकी पुनरावृत्ति ही इसमें नजर आती है और कोई स्पष्ट दृष्टि इसमें नहीं दिखाई देती । एक बात जरूर पुरजोर ढंग से कहा गया कि प्रेस की सेंसरशिप को हटा दिया गया है लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी इस देश के बहुत से समाचार पत्र और बुद्धिजीवी पत्रकार स्वतंत्र नहीं हैं । उदाहरण के तौर पर मैं सरिता के प्रधान सम्पादक की बात कहना चाहूंगा । उनके ऊपर जोर डालकर भारत के सूचना मंत्री एवं सूचना विभाग द्वारा उनके मेन कार्यालय को बम्बई से उठा कर दिल्ली लाया गया क्योंकि कमलेश्वर जी से टकराव हो गया और उन्हें प्रकाशन से अलग करना चाहते हैं । आज कोई भी समाचार पत्र या पत्रकार स्वतंत्र नहीं है । जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों के समाचार पत्र हैं चाहे वह बिड़ला का हो या टाटा या किसी अन्य पूंजीपति का हो उनको कुछ नहीं किया गया है और एक बुद्धिजीवी समाचार पत्रकारों को कोई सहूलियतें नहीं दी गई हैं । उन्हें बोनस आदि की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे स्वच्छ पत्रकारिता कर सकें ।

मान्यवर, अभी हमारे पूर्ववक्ता मंत्री महोदय ने और दूसरे साथियों ने हरिजनों की बात कही । अभी जो श्रद्धेय बाबू जगजीवन राम जी के साथ हुआ वह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ तत्वों द्वारा किया गया है उसकी सही ढंग से जांच की जानी चाहिये । विद्यापीठ की जिस घटना का जिक्र इस सदन में तमाम लोगों ने किया उसके बारे में मेरी निश्चित जानकारी है वहां पर विद्यार्थी परिषद् में राष्ट्रीय छात्र संघ का कब्जा होने के बावजूद ऐसी घटनायें घटित हुई उसके पीछे एक संगठन का हाथ है ।

यहां पर आज हरिजन आपसे दुखी और द्रवित हैं जब कि आपके दिल और दिमाग में उनके प्रति प्यार और सारी चीजें हैं उसके बावजूद भी हरिजन आपसे दूर भाग रहे हैं । कारण स्पष्ट है । अभी पिछले दिनों मंत्री महोदय ने जोरदार अपील की है लेकिन कल के प्रश्न काल में उन्होंने स्वीकारा है कि हरिजनों के कोटे में से कटौती करके पिछड़ी जाति में कर दिया गया है । एक सम्मानित सदस्य के प्रश्न में इस बात को उन्होंने स्वीकारा है कि हरिजनों का कोटा घटाया गया है । इस प्रकार से हरिजन विरोधी सरकार है ।

आपकी भूमि आवंटन की जो बातें हैं वह भी सब पिछले शासन ने ही की है उसके बाद आज तक कोई भूमि आवंटित नहीं हुई है । वहां पर स्थिति हरिजनों की जिन्दगी बड़ी दूभर है । यहां पर बैठे हुये सदस्यों को मालूम है कि हरिजन आज भी आवंटित भूमि के लिए कराह रहे

हैं। आज भी प्रदेश में जो सरप्लस जमीन है उसका वितरण नहीं हो रहा है। जब यहां पर बैठे हुए लोग हरिजनों के लिए किस तरह सजग है तो नीचे का शासन कुछ नहीं करता है अर्थात् स्थिति साफ है किस तरह से शासन हरिजन के प्रति ईमानदार है जिसका कारण है कि आज भी सही ढंग से भूमि का वितरण नहीं हो रहा है।

मान्यवर, लघु और कुटीर उद्योगों के विकेन्द्रीकरण के बारे में मैं कहूंगा अभी भारत सरकार ने लघु उद्योगों के स्थान पर मिलीकरण की जो योजना चला रखी है, उसका विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को कहना चाहिए था कि मशीनों के चलन से प्रदेश में बेरोजगारी अएगी और यहां अव्यवस्था फैलेगी। आप लघु और कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं, इस लिए भारत सरकार ने जो लाइसेंस दिया है, उसके लिए उसका विरोध करना चाहिए था और जो सात लाइसेंस दिये गये हैं, उसे रुकवाना चाहिये था, क्योंकि उससे यहां बेरोजगारी फैलेगी।

इसमें सड़कों के बारे में जिक्र किया गया है। आपकी सड़कें कागजों पर ही हैं। मंडी समिति में सड़कें जरूर हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति को देखा जाए और सरकार उससे अवगत हो तो सारी की सारी सड़कों की स्थिति सुस्त पड़ी हुई है। मंडी समिति की सड़कों का निर्माण जिस गति से चलना चाहिए था, वह भी पीछे पड़ा है। इसलिए सड़कों की व्यवस्था पर ज्यादा जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। उन्हें इन पन्नों पर ही नहीं जमीन पर भी लाने का आप प्रयास करें क्योंकि प्रदेश की प्रगति का प्रमुख अंग है।

जन स्वास्थ्य योजना के बारे में केवल इतना निवेदन करना है कि हम लोगों ने बार-बार यह कहा है कि स्वस्थ्य जगत में जन स्वास्थ्य रक्षक के नाम पर जो योजना चलाई जा रही है, उसका कोई भी सीधा उपयोग क्षेत्र की जनता को नहीं मिलेगा। इसलिये ये सारी मदें स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से वहां के चिकित्सा केन्द्रों को दी जाएं और नये नये चिकित्सालय उससे खोले जायें। यह नीम हकीम खतरे जान की जो व्यवस्था की जा रही है और उसके माध्यम से जो अपने कार्यकर्त्ताओं को संजोने की बात की जा रही है, वह चीज बहुत अनुचित है। इससे जनधन की क्षति के अलावा कुछ होने वाला नहीं है।

मद्य निषेध के संबंध में केवल इतना ही कहना है कि सरकार की दृष्टि इसमें साफ नहीं है। अगर शासन ईमानदार है तो इस चीज को पूरे प्रदेश के पैमाने पर एक साथ करना चाहिये था, नहीं तो इससे हर पीने वाला अपने घर में भट्ठी संजोएगा और घर में मदिरा लाकर मद्यपान करेगा। उससे समाज में अव्यवस्था फैलेगी क्योंकि गंदी मदिराओं का चलन बढ़ जायगा एवं चोरी से लोग लाकर मदिरा पियेंगे और जानें जायेंगी।

सरकार ने सिंचाई और किसानों के बारे में बड़ी जोरदार बात कही है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि सिंचाई की पिछड़ी जो योजनाएं थीं, वे अपने आप में शिथिल पड़ी हुई हैं। शारदा सहायक एवं अन्य योजना भी वैसी ही पड़ी हैं। इसमें तेजी से काम होना चाहिये। कनहर योजना, जिससे रिहन्द में पानी जाकर विद्युत् उत्पादन होना है, वह भी सुस्त पड़ी है। जिससे प्रदेश में बिजली की कमी है और उत्पादन पर भी कुठाराघात है।

आपकी नीतियों से पीड़ित होकर गन्ना किसान जिस तरह कराह रहा है, उससे पूरा प्रदेश वाकिफ है। सरकार का औद्योगिक शान्ति के बारे में जो नजरिया है, उसका नतीजा यह ही दिखाई देता है कि कानपुर की स्वदेशी काटन मिल में मजदूरों पर भीषण गोलियां चलाई गयीं हैं। साथ ही प्रदेश में अन्य मजदूरों के आन्दोलनों पर लाठी चलीं एवं दफा 144 लगाकर जनतांत्रिक मूल्यों पर चोट की गयी, गोलियां चलायी जा रही हैं। यह बात बड़ी खेदजनक है। शिक्षा जगत के बारे में इतना निवेदन है कि सारी की सारी शिक्षा संस्थाएं अपने आप में विकृत पड़ी हैं। शिक्षा संस्थाओं में जो घोर अशान्ति व्याप्त है, उसके लिए सरकार को सावधानी से पहल करनी होगी। इसमें सरकार को तेजी से कदम उठाना चाहिये। अक्तूबर

[श्री अरुण कुमार]

से दिसम्बर तक के आंकड़े जो मंत्री जी ने रखे है, उसके विपरीत भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री धानिकलाल मण्डल ने कहा है कि इस अवधि में 1038 एंट्रोसिटीज उत्तर प्रदेश में हुई हैं। कानून एवं व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्रदेश का प्रशासन चरमरा गया है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त। बारी-बारी सबको समय मिलेगा।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, माननीय कौशिक जी द्वारा प्रस्तावित धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अधिष्ठाता—

जो बोलने वाले लोग हैं, वे तैयारी में जुट जायं।

श्री विक्रमा राय—

महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीतियों का एक तरह से मार्ग दर्शन का काम किया करता है। यह नौ महीने के अन्दर राज्यपाल का दूसरा अभिभाषण है। जैसा कि माननीय तिवारी जी ने अपने भाषण के दौरान इस तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया था कि जैसा केवल कोरे वादों का अभिभाषण नौ महीने पहले हुआ था उसी तरह से यह अभिभाषण कोरे वादों का अभिभाषण है। मैं जनता पार्टी की तरफ से तिवारी जी और उन तमाम विरोधी नेताओं को जिन्होंने इस तरह की भावना व्यक्त की है, विश्वास दिलाता हूं कि जनता पार्टी की तरफ से जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, यह केवल कोरे वादों का अभिभाषण नहीं है बल्कि कार्यरूप में परिणत होने वाला अभिभाषण है। मिसाल के तौर पर गांवों की तरफ चलो और 'गांवों में चलो' दो शब्दों की व्याख्या करते समय बहुत से व्यक्तियों ने अपने को एवं सदन को भ्रमित किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि गांवों की तरफ चलो, यह केवल नारा नहीं है, बल्कि 9 महीने के पुराने कामों को अगर आप देखें तो आपको ज्ञात होगा कि इस सरकार ने गांवों की ओर चलना शुरू कर दिया है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

एक बात जानना चाहता हूं। महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार की तरफ से कोई माननीय सज्जन सुन रहे हैं या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं अभी व्यवस्था करता हूं।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

प्रस्तावक, मैं मौजूद हूं।

श्री विक्रमा राय—

गांवों की तरफ से चलो, जनता पार्टी की मंशा क्या है? पिछले नौ महीने के जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है, क्या उनसे आपको यह आभास मिलता है या नहीं कि गांवों के विकास के काम तेजी से किये जा रहे हैं ? गांवों की तरफ चलो से जनता पार्टी का मंशा है कि गांवों का विकास करो। गांवों में बिजली दी जा रही है, ग्रामोद्योग के नाम पर नये उद्योगों की स्थापना की जो कल्पना की गयी है वह खोले जा रहे हैं। सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है या नहीं ?

गांवों की ओर चलने का अर्थ खेती में क्रान्तिकारी सुधार लाना प्रमुख काम है। गांवों को सड़कों से जोड़ने की व्यवस्था हो रही है या नहीं ? अगर इन चार पांच मदों को जिनसे गांवों में विकास की सम्भावना है, देखें तो नौ महीने के अन्दर सरकार की तरफ से उसको एक एक करके देखें, बिजली पर सरकार का खर्चा बढ़ा है, सिंचाई के ऊपर बीस प्रतिशत कुल अलोकेशन का खर्च करने जा रहे है, लिंक रोड्स बनाने के लिये 5 हजार किलोमीटर नौ महीने पहले संकल्प किया था। उसको पूरा करने जा रहे हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

व्यवस्था का प्रश्न है। कोई भी माननीय मंत्री सदन में नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं व्यवस्था कर रहा हूं ।

श्री विक्रमा राय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो देश विकास के दौर से गुजर रहे हैं, अगर उनको देखे तो आप पायेंगे कि बिजली, सिंचाई और सड़कों की कितनी उन्नति की गयी है।

श्री रवीन्द्र सिंह—

श्री चन्द्र शेखर जी हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं ?

श्री विक्रमा राय—

उनकी जो विकास योजनायें होती हैं, उनकी ओर देखने की कोशिश की जावे 9 महीने का जो समय जनता पार्टी की सरकार का गुजर गया है उसमें किसानों को सिंचाई की सुविधा, खाद की सुविधा दी गयी है। इस साल मेरठ से लेकर बलिया, तक जो खेतों में गेहूं लहलहा रहा है यह उसी का फल है। इससे यह आभास होता है कि हमारी जनता पार्टी की सरकार कृषि में विकास करना चाहती है। डा0 लोहिया ने कहा था कि अगर देश की उन्नति करना है तो सबसे अधिक सुविधायें किसानों को दो। हमारी सरकार उसी ओर कार्यरत है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब मैं उद्योग धन्धों के बारे में कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। अगर आप इस साल के बजट को उठाकर देखें तो पावेंगे कि तमाम उद्योग धन्धे लगाये जा रहे हैं। इससे बेकारों को काम मिलेगा और उनकी गरीबी दूर होगी। हमारे जनपद में बुनकरों की एक बहुत बड़ी समस्या है।कांग्रेसी शासन ने बुनकरों के उत्थान के लिये सरकार की ओर से रुपये का एलाटमेंट किया था कि उसे बुनकर उद्योग में लगाया जाय लेकिन हुआ क्या कि तमाम फर्जी सोसाइटीज बन गयी और सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया। इस कारण बुनकर उद्योग को भारी क्षति पहुंची और वह उद्योग विकसित नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जो इस तरह की सोसाइटीज हैं उनकी जांच करायी जाये जिससे सही माने में बुनकरों की सहायता हो सके ।

हमारी जनता पार्टी की सरकार ने ऐलान किया है कि एक ब्लाक स्तर पर एक जरसी सांड रखा जायगा। इससे जो दूध की कमी थी वह पूरी होगी। कांग्रेसी शासन अपने 30 साल के शासन में दूध की कमी को पूरा नहीं कर पाया है। इस कमी को जनता पार्टी सरकार एक साल में ही पूरा करने की तरफ बढ़ने जा रही है।

[श्री विक्रमा राय]

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हरिजनों के नाम पर बहुत से विरोधी दल के लोग आवाज उठाते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों को प्रसन्न करने के लिये उनको सुविधायें दी जाती थी, उनको मंत्रि-परिषद् में सुविधायें दी जाती थीं और यह सुविधायें केवल वोट मांगने के लिये दी जाती थी। लेकिन हमारी जनता पार्टी की सरकार उनके हाथ में पूंजी देकर उनको मालिक बनाना चाहती है जिससे वह अपना विकास करके आगे बढ़ सकें।

पूर्वान्चल के विकास के बारे में भी कहना चाहता हूं कि सन् 1965 में गहमरी साहब ने लोक सभा में एक प्रश्न उठाया था जिसके फलस्वरूप पटेल आयोग का गठन किया गया था और उस पटेल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में संस्तुति की थी कि चीनी मिलें और कागज की मिलें खोली जायं, लेकिन कांग्रेसी सरकार ने उस आयोग की संस्तुतियों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उस पर अमल नहीं किया, केवल सड़कों के निर्माण पर कार्यवाही की गयी।

बुन्देलखंड और पर्वतीय क्षेत्रों का अगर आप विकास करना चाहते हैं तो पटेल कमीशन का पुन: अध्ययन करें तो आपका खर्च भी बच जायेगा और जांच करने में आसानी भी होगी। उसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार के सुझाव पूर्वान्चल के उत्थान के लिये पटेल कमीशन की रिपोर्ट में दिये है, जनता पार्टी की सरकार को, उन्हीं को कार्यान्वित करके आगे बढ़ाना है। तभी पूर्वान्चल का विकास होगा अन्यथा केवल वायदों से नहीं हो पायेगा। घोसी में एक चीनी मिल की स्वीकृत हो गयी थी लेकिन सरकार की अकर्मणयता से आज तक भी स्थापित नहीं हुयी यद्यपि केन्द्रीय सरकार से लाइसेंस भी मिल गया था। इसके अलावा आजमगढ़ जिले में लघु उद्योगों के खोलने के लिये भी केन्द्रीय सरकार की स्वीकृतियां मिल चुकी हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि पैसे को लैप्स होने से बचाकर पूर्वान्चल के विकास में लगा दिया जाय जिससे वहां का उत्थान हो सके।

गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये में खड़ा हुआ हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में पर्वतीय अन्चल के लिये 2 बातों की ओर इंगित किया गया है। पहली बात यह है कि पहाड़ी पर लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और दूसरी बात यह कही गयी है कि 5 सौ की जन संख्या वाले गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जायगा। परन्तु मुझे दु:ख है कि यह वित्तीय वर्ष आज से 2 दिन के उपरान्त समाप्त होने वाला है इसमें जो 56 करोड़ का बजट में प्राविधान किया गया था और यह कहा गया था कि कांग्रेसी काल मे केवल 37 करोड़ रुपये का ही प्राविधान था, उसको हमने ड्योढ़ा कर दिया है लेकिन ड्योढ़ा बजट होने के वावजूद भी एक इंच सड़क भी पहाड़ों में इस वित्तीय वर्ष में नही बनायी गयी हैं और न ही कोई पुल ही बनाया गया है तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह ड्योढ़ा बजट करने का क्या उपयोग हुआ ? मुझे इसका मुख्य कारण यह लगता है कि शक्ति का केन्द्रीकरण हो रहा है, सेन्ट्रेलाइजेशन आफ पावर हो रहा है। उदाहरण के लिये हमारे जो मुख्य मंत्री हैं, बहु धंधी हैं, जिनको हर काम करना पड़ता है, वे ही पर्वतीय विकास परिषद के अध्यक्ष बना दिये गये हैं। इस प्रकार से शक्ति का केन्द्रीयकरण हुआ है। खेद की बात यह भी है कि इस परिषद की इस वर्ष में एक भी बैठक नहीं हुई। जितने भी पर्वतीय अंचल के माननीय सदस्य हैं उनको वहां के विकास की किसी योजना को देखने का मौका तक नहीं मिला है। हमारे जो पर्वतीय विकास मंत्री, श्री शोबन सिंह जीना हैं, वे धन को आवंटित तो जरूर करते हैं लेकिन जो एक्जीक्युशन है वह उनके हाथ में नहीं है। विभिन्न विभागों द्वारा काम कराया जाता है जिससे न उनको कोई प्रशासकीय अधिकार है और

न योजनाओं को एक्जीक्यूट करने का ही अधिकार है। जिस प्रकार से कांग्रेसी शासन काल में सेन्ट्रेलाइजेशन आफ पावर था, उसी प्रकार से आज हमारी जनता सरकार उनका अनुकरण कर रही है। अगर शक्ति का विकेन्द्रीकरण हो जाय तो ज्यादा अच्छा हो सकता है, इससे हम अधिक लोगों को लाभान्वित कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, आपके द्वारा, मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तराखंड और हिल के नाम से जो आरक्षण हैं उसके बारे में कुछ नहीं हो रहा है। आज जाति के आधार पर आरक्षण हो रहा है लेकिन उत्तराखंड और हिल के नाम पर जो आरक्षण होना चाहिए और जिसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी वैध ठहराया है, नहीं हो रहा है उसको जिसने उचित ठहराया है, उत्तराखंड हिल के आरक्षण की ओर ध्यान शासन ने नहीं दिया है। जब पिछड़ी जाति के आधार पर आरक्षण हो सकता है तो मैं नहीं समझ सकता कि शैक्षिक और आर्थिक रुप से जो पर्वतीय अंचल पिछड़ा हुआ है उसमें आरक्षण क्यों नहीं हो सकता है ?

मैं समझता हूं कि अब इस प्रान्त का विभाजन होने में ही हमारा हित है। पश्चिमी अंचल वाले लोग भी कहते हैं कि इसका विभाजन हो, बृजवाले कहते हैं कि विभाजन हो और उत्तराखंड वाले कहते हैं कि विभाजन हो। क्योंकि यह प्रदेश इतना विस्तृत है, इतना अनमैनेजेबिल हो गया है जब तक उसका विभाजन नहीं होता है, किसी का हित होने वाला नहीं है और मैं समझता हूं शीघ्र ही 'देवांचल' या उत्तराखंड के नाम से एक अलग हमारा पर्वतीय राज्य हो। तभी मैं समझता हूं पर्वत वालों का भला होगा।

एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय, कि आज एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात पर्वतों के लिए कही जाती है। सारे सदन के सम्मानित सदस्य इस बात को जानते है कि दोगड्डे में 14–15 मौते एक मैन-ईटर ने कर दी है। दूसरी तरफ एक वाइल्ड हाथी पागल होकर दोगड्डे के पास आंतक फैला रहा है। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के नाम से वाइल्ड लाइफ अधिकारी ही उसको मारेंगे और मैनेजमेंट करेंगे ऐसा कहां जा रहा है, इस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ह्यूमेन लाइफ के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है। हमारे यहां पीपली नाम का एक गांव है, वहां एक वाइल्ड वोर, सुअर ने एक आदमी की हत्या घटनास्थल पर ही कर दी और दूसरे को घायल कर दिया डी0 एम0 से कहा गया तो उसने कहा कि मैं असमर्थ हूं, इसमें तो वाइल्ड लाइफ के वन विभाग के लोग कार्यवाही करेंगे। इस तरह से ह्यूमन लाइफ के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि फिर से इसको देखा जाय और ऐक्ट में रिवीजन किया जाय।

दूसरी बात, अधिष्ठाता महोदय, जबसे कांग्रेसी शासन हटा है तब से शीतल हिमालय में गर्मी आ गयी है। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जगह जगह हड़ताल हो रही हैं, लाठी चार्ज हो रहे हैं, जितने राजकीय महाविद्यालय हैं तो कालेजेज हैं, सब बन्द है। अगर शासन का ध्यान पहाड़ की समस्याओं की ओर नहीं जाता है तो मैं समझता हूं जल्दी ही एक उग्र उपद्रव भड़क सकता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए पुनः धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

श्री रामनरेश पांडेय। सबका समय आयेगा, धीरज रखिये। श्री लक्खी सिंह, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

(एक महिला सदस्य की ओर इशारा करते हुए) ये बोली नहीं हैं, बोलना चाहती हैं, इन्हें अवसर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, तैयार रहें, पढ़ लें ।

श्री रामनरेश पांडेय (जिला देवरिया)—

तीन चार दिन से जो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है उसको मैंने गौर से सुना है और जिन बातों को प्रस्तुत किया गया है उनकी ओर. . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों से एक बात जरूर कहूंगा कि जो बातें माननीय सदन में कही गयी हों उनकी पुनरावृत्ति न की जाय ।

श्री राम नरेश पांडेय—

मैं मुख्यत: अपने क्षेत्र की समस्याओं से ही अपने को सम्बद्ध करना चाहूंगा । ऐसे तो हमारा उत्तर प्रदेश गरीब इसलिए है कि हमारे यहां खेतिहर ही लोग विशेषकर अधिक हैं और जनता पार्टी ने फैसला किया है कि हम गांव की ओर चलेंगे, वहां की समस्याओं को सुलझायेंगे, पानी का प्रबन्ध करेंगे, सस्ते खाद का प्रबन्ध करेंगे, आदि इससे बढ़ कर खुशी की बात क्या हो सकती है ? आप जानते हैं कि हमारे यहां के लोग जो पावर्टी लाइन से भी नीचे हैं उनकी संख्या 67 फीसदी है । 67 फीसदी लोग गरीबी लाइन से भी नीचे स्तर पर अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

हमारे यहां चकबन्दी हुई है और उससे बड़े बड़े लोगों की काफी जमीन निकली है पर आजतक उसका कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ है । हमारे यहां 72 एकड़ का तुमकुही का सीलिंग का निकला एक बड़ा फार्म है । मेरा सुझाव है कि सरकार उसे लेकर आलू के फार्म में बरवा में मिला दे ।

चकबन्दी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के लिये इस सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है । चकबन्दी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये सरकार को शीघ्र कोई कदम उठाना चाहिये ।

शिक्षा का जहां तक संबंध है, आज छात्रों में चारों तरफ बड़ी बेचैनी है । विश्वविद्यालय के छात्रों का भविष्य अनिश्चित है । बेरोजगारी के कारण उनमें बड़ी बेचैनी बनी रहती है । आज चाहे मेडिकल के छात्र हों, चाहे इंजीनियरिंग के छात्र हों, चाहे टैक्नीकल शिक्षा प्राप्त छात्र हों, सभी बेरोजगार हैं और इधर उधर घूम रहे हैं । जब तक इनकी बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं किया जायेगा, इन छात्रों का असंतोष दूर नहीं होगा ।

मान्यवर, छात्रों में बढ़ते हुये असंतोष को दूर करने के लिये हमारे मंत्री जी ने एक राउन्ड टेबिल कांन्फ्रेन्स बुलाने की घोषणा की है । मगर आज तक उस घोषणा के बाद उसको बुलाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसको शीघ्र बुलाने की व्यवस्था की जाये ।

देवरिया में लड़कियों के लिये एक डिग्री कालिज की अत्यन्त आवश्यकता है । वहां उनके लिये एक डिग्री कालिज की शीघ्र व्यवस्था की जाये ।

स्पोर्टस कालेज की भी वहां बहुत जरूरत है । उसकी मांग भी हम काफी समय से करते चले आ रहे हैं । मगर इस ओर भी अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है । अगर इसकी व्यवस्था वहां कर दी जाये तथा लड़कियों के लिये एक डिग्री कालिज भी खोल दिया जाये तो उससे वहां काफी भला हो सकता है ।

हमारे यहां नहरों का काफी जाल सा बिछा हुआ है। कई गांव ऐसे हैं जो नदियों के किनारे बसे हुये है। मगर कुछ जगह पानी नहीं पहुंच पाता क्योंकि वे नदियों की सतह से काफी ऊंचे हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि उन गांवों में नलकूप लगाने की व्यवस्था की जाये।

हमारे यहां ड्रेनों की खुदाई का भी काफी काम हुआ है। यह खुशी की बात है। बखिया, चकदहवां और सिघरिया ड्रेनों से काफी लाभ हुआ है। यह अच्छा काम है। इसके पहले किसानों की लाखों एकड़ की फसल पानी में डूब कर बरबाद हो जाया करती थी। मगर इन ड्रेनों के बारे में मेरा एक सुझाव है। जहां पर यह ड्रेने जाकर गिरती हैं वहां पर उनमें काफी मिट्टी जमा हो जाती है। मिट्टी जमा होने से पानी आसानी से निकल नहीं पाता। इसलिये उनकी मिट्टी की सफायी समय-समय पर होनी चाहिये। इससे पानी के आने जाने का रास्ता साफ बना रहेगा।

हमारे यहां गन्ने की भी बहुत भारी समस्या है। हमारे यहां के 3–4 इलाके में आज भी गन्ना पैदा होता है। आज गन्ना खेतों में खड़ा है। चीनी मिलें भी अब की बार कुछ देर से चली हैं। मैं पूछता हूं जो गन्ना रह जायेगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। शासन को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिये। गन्ना यूनियनों पर सारी जिम्मेदारी उसके लिये होना चाहिये।

एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि नहरों का सर्वे कराया जाये। जहां पर फाल नहीं बने हैं वहां पर फाल बनाये जायं। जहां पुलियों की आवश्यकता हो वहां पुलियां बनायी जायं।

लिंक रोड के बारे में कई लोगों ने उसका स्वागत किया है। उसके लिये हम शासन की तारीफ करना चाहते हैं। हमारे यहां नहरों का जाल सा बिछा है। उनकी पटरियों को पक्का करना चाहिये और हमारे इलाके में दो प्रमुख नहर हैं जिसकी मधुरिया, राजबहा, जौकवा राजबहा। अगर बाईं पट्टी तुर्कपट्टी से लेकर जौरा बाजार तक पक्की कर दिया जाय, तो वह लिंक रोड का काम करेगी। एक गांव से दूसरे गांव तक जोड़ने का काम जब तक नहीं करेंगे, यातायात का साधन नहीं देंगे, तब तक तरक्की नहीं हो सकती है।

अभी किसी ने कहा कि हमारे यहां बेरोजगारी नहीं दूर हो रही है। हमारी विफलता का सबसे बड़ा मूल कारण यह है कि हमारी आबादी दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। आपने नशाबन्दी तो कर दिया, लेकिन नसबन्दी क्यों नहीं की जाती है? लगभग हर प्राइमरी हेल्थ सेंन्टर पर नसबन्दी का काम निराशाजनक हुआ है। हम चाहते हैं कि नशाबन्दी के साथ-साथ नसबन्दी के कार्यक्रम को भी प्रोत्साहन देना चाहिये, नहीं तो नतीजा यह होगा कि हम कमजोर होंगे और हमारी पर कैपिटा इन्कम गिरेगी।

डाक्टर लोग जिनकी प्रैक्टिस आपने बन्द कर दिया है, उनको यू0 जी0 सी0 ग्रेड दिया जाय।

आखिर में न्याय के संबंध में अगर मैं न कहूं तो बात अधूरी रह जायगी। कसिया एक सेन्टर है, जहां दो एस0 ओ0 सी0 दफ्तर हैं, दो एस0 डी0 एम0 हैं, इसलिए वहां पर एक डी0 डी0 सी0 का दफ्तर होना चाहिये। वहां पर एक सिविल कोर्ट के लिये जमीन एक्वायर की गयी है। आज तक वहां पर दीवानी की अदालत नहीं बनी है। अगर देर से न्याय मिलेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो आपने वायदा किया है कि हम न्याय व्यवस्था को सुलभ और आसान बनायेंगे, तो उधर आपका ध्यान जाना चाहिए। लिंक रोड की तरफ जल्द ध्यान जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

(श्री श्याम नारायण तिवारी का नाम पुकारे जाने पर।)

एक सदस्य—

मान्यवर, बसन्त लाल जी को भी समय मिलेगा?

श्री अधिष्ठाता—

हर माननीय सदस्य को समय मिलेगा।

श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में गांव की ओर चलने की बात कही गयी है। गांव में रहने वाले गन्ना उत्पादकों के हितों के संबंध में या उनकी सुख-सुविधाओं के सिलसिले में जितनी भी बात कही जाय पर वास्तविकता यह है कि आज गन्ना उत्पादकों में रोष व्याप्त है। दूसरी ओर चीनी मिल मालिकों के हितों की हिफाजत की गयी है। इस सिलसिले में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली में जब जनता पार्टी की नीति का प्रतिपादन हो रहा था, तो एक बात सामने आई थी कि लेवी चीनी पर से नियंत्रण हटाया जायगा। लेकिन जनमत को देखते हुए बाद में यह बात दब गयी। थोड़े दिनों के बाद श्रीमन् भारतीय चीनी मिल एसोशियेशन के प्रेसीडेंट जनाब कनौडिया साहब ने ऐलान जारी किया कि अगर लेवी चीनी का दाम बढ़ाया न गया, तो गन्ना उत्पादकों को गन्ने का देय मूल्य नहीं दिया जायगा, कम कर देंगे। इस घोषणा के साथ ही थोड़े दिनों के अन्दर यह बात कर दी गयी। श्रीमन्, जो सरकार विद्यार्थियों से निपट सकती है, जो सरकार कपड़ा मिल मजदूरों पर गोली चला सकती है जो सरकार अध्यापकों के आन्दोलन को दबा सकती है, यह बात समझ में नहीं आती है कि कनौडिया या चंद चीनी मिलों के मालिकों के इस तरह के एलान के खिलाफ कोई कदम वह क्यों नहीं उठाती। सिट्टी पिट्टी सरकार को गुम हो गयी। थोड़े दिन में पता चला, अखबार में आया कि सरकार ने लेवी चीनी से नियंत्रण उठाने की बात सिद्धान्त रूप से कुबूल कर ली है। दूसरे ही दिन लेवी चीनी के दाम बढ़ गये। तो कहना हमारा यह है कि गांवों की तरफ चलने की बात की जाती है लेकिन लगता ऐसा है कि बड़े-बड़े लोगों, धन्नासेठों, चीनी मिल मालिकों के हित को हिफाजत हो रही है।

मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है, आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा कि हमारे देश के बड़े-बड़े पूंजीपति, धन्नासेठ ट्रस्टी हैं। गुजरात में अहमदाबाद और गांधी नगर के दो जिलों में बड़े-बड़े घराने को गांवों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमार देश के गांवों की तरक्की नौकरशाही से होने वाली नहीं है। हम भी यह बात कुबूल करते हैं और मानते है लेकिन कौन सी एजेंसी गांवों के विकास को करेगी? माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि गांवों की तरक्की अब हमारे देश का पूंजीपति वर्ग करेगा। पूंजीपति जो चीनी के दाम नहीं घटाता है लेकिन गन्ने का दाम कम करता है, आज उनको गांवों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और कहा गया है कि हम गांवों की ओर जा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि किसानों की क्रय शक्ति बढ़ानी चाहिये। लेकिन किसानों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ रही है। अगर किसान की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तो गांवों की तरक्की नहीं हो सकती है। इस तरह से पूंजी वादी रास्ते पर चल कर गांवों की तरफ चलने की बात केवल कहने की रह जायगी।

दूसरी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कहा गया है कि अब उद्योगों का विकेन्द्रीकरण किया जायगा और छोटे छोटे उद्योग धंधों को, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायगा। एक तरफ तो यह बातें करते हैं लेकिन दूसरी तरफ यह बात समझ में नहीं आती है कि हमारे देश में बहु राष्ट्रीय कम्पनियों को बुलावा देकर श्रम सघन उद्योगों की बात कही जाय। बड़ी-बड़ी बहु राष्ट्रीय कम्पनियां क्या तकली, फावड़ा और हल लेकर आयेंगी? वह तो विकसित टेक्नोलाजी लेकर आयेंगी। हमने देखा है, एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी, हमारे देश की जो निजी और सार्वजनिक पूंजी है उससे ज्यादा पूंजी की है, तो इसी तरह को बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां आयेंगी। ईस्ट इंडिया कम्पनी की तरह यह बहु राष्ट्रीय कम्पनियां हमारे देश में आयेंगी तो हमारी राष्ट्रीय आजादी खतरे में पड़ेगी और उपनिवेशवाद के दलदल

में हम फसेंगे। हम जानते है कि ब्रिटिश काल में इस तरह की बड़ी कम्पनियों ने और बड़े-बड़े उद्योग धंधों ने किस तरह से हमारे देश के हथकरघा उद्योग को मुकाबले में चौपट किया है। तो इस तरह अगर कुटीर उद्योगों को छोड़ दिया जायगा और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बुलावा दिया जायगा तो हमारे देश का हित नहीं हो सकता। तो मेरा कहना यह है कि यही बातें 30 वर्ष तक मुतवातिर कांग्रेस हुकूमत में होती रहीं। कांग्रेसियों ने हमारे देश के विकास की गाड़ी को जिस दलदल में घसीटा उसी का नतीजा हुआ कि देश की जनता तबाह हुयी और एक बगावत की भावना पैदा हुई। इमरजेन्सी की तानाशाही से उस बगावत को दबाने की कोशिश की गयी। नतीजा जो हुआ वह सब को मालूम है और आप सफल हुये शासन में आने में। आप आने में तो सफल हुये लेकिन उस संकट को हल करने में आपको सफलता नहीं मिली। जिस राष्ट्रीय आकांक्षा को लेकर बगावत हुयी थी, वह आकांक्षा नहीं पूरी हुई। आप उसी पूंजीवादी रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे है उससे हमारे देश की जनता उसी दलदल में फंसी हुई है। आज हमारे देश में समाज का हर हिस्सा आन्दोलन करने पर मजबूर हो गया है और आन्दोलन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उस आन्दोलन में जनता पार्टी की तरफ से और इस तरफ से तथा देश के हर हिस्से से देश भक्त की ताकतों का समर्थन मिलेगा। इस प्रकार एक राष्ट्रीय मोर्चा बनेगा जो पूंजीवाद को बढ़ने से रोकेगा और फिर वह देश को जनतांत्रिक विकास की ओर ले जायेगा।

मान्यवर, अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि लिंक रोड्स की चर्चा की गयी। हमारे यहां एक-एक मिल, दो-दो मिल पर लिंक रोड बने हैं। उनमें मिट्टी पड़ी है। लेकिन बरसात आने वाली है जिसमें वह मिट्टी बह जायेगी। दूसरे आपने मजदूरों की मजदूरी तय किया था लेकिन उसमें उनको 80 पैसे, 1.11 रुपये और 1.22 रुपये रेट से मजदूरी मिली है। इसलिये इस रेट पर कोई मजदूर काम करने को तैयार नहीं है। इसलिये यदि लिंक रोड पूरा करना है तो मजदूरों को उचित मजदूरी निर्धारित करके इन कामों को पूरा किया जाय।

*श्रीमती विमला राकेश (जिला सहारनपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपकी हृदय से आभारी हूं। मान्यवर, इमरजेन्सी के नाम पर कांग्रेस सरकार ने हजारों लोगों को घरों से बेघर किया, मजदूरों के अधिकारों को छीना गया, अंधाधुन्ध गिरफ्तारियां की गयीं, भय का वातावरण पैदा किया गया। लगभग 2 वर्ष आंतक, तनाव और घुटन का वातावरण रखकर सम्पूर्ण भारतीय जनता को त्रस्त किया था। तानाशाही शासन और आपातकालीन स्थिति ने सब को भयभीत कर हर व्यक्ति की जबान पर ताला लगा रखा था। किसी को बोलने का अधिकार नहीं था। इसलिये हर व्यक्ति दुखी था। जेलों के दरवाजे सबके लिये खुले थे। मीसा रूपी तलवार सब के ऊपर लटकती रहती थी। हमारी सरकार ने हरिजनों के लिये, अनुसूचित जातियों के लिये, जन जातियों के लिये एक आयोग नियुक्त किया है। गरीबी को मिटाने के लिये, बेरोजगारी मिटाने के लिये, नशाबन्दी को लागू करने के लिये हमारी सरकार कटिबद्ध है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहती हूं कि हमारी सरकार 75 प्रतिशत देहात पर खर्च कर रही है। जिनमें सड़कों का निर्माण और कुओं को बनांया जाना है। छोटे उद्योगों को बनाया जाना है। इसके साथ ही हमारी सरकार काश्तकारों को काफी सुविधा दे रही है जिसमें कम कीमत पर खाद, बिजली और पानी को उपलब्ध कराना है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां हमने इतनी तरक्की की हैं वहीं एक तरफ हमको नीचा भी देखना पड़ता है। शांति के दूत मोरार जी के देश में आज भी मानवता तड़प रही है और लोग एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। आज भी निम्न वर्ग के लोगों को कुचला जा रहा है जिन्हें चिलचिलाती धूप और कपकपाने वाली सर्दी में मेहनत और खून बहाने के बाद भी भर पेट भोजन नहीं मिल पाता। एक ओर तो वे लोग हैं और दूसरी ओर गरीबों का खून चूसने वाले, लक्ष्मी के लाल कांग्रेसी नेता लक्ष्मी के सागर में गोते लगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

[श्रीमती विमला राकेश]

रहे हैं। सोचा था शायद यह बातें मनगढ़ंत हों, कपोलकल्पित हों लेकिन जनता पार्टी के शासन में आज भी ऐसी बातें देखकर हमारी आत्मा चीत्कार उठती है। बनारस में बाबू जगजीवनराम के साथ जो कांड हुआ और यहां पर महामहिम राज्यपाल का जो अपमान इन कांग्रेसियों द्वारा किया गया यह क्या हमारे लिए कम लज्जा की बात है। मैं इन शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

अधिष्ठाता महोदय, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया कि मुझे बोलने का मौका दिया क्योंकि करीब चार दिन हो गये और अब इसका समय होने वाला था। इसके पहले भी मैं गवर्नर एड्रेस पर बोला था। इसके पहले जो गवर्नर एड्रेस आया था और यह जो गवर्नर एड्रेस है इन दोनों में कहा गया है कि मजदूरों की ओर, किसानों की ओर और देहात की ओर बढ़ रहे हैं। देहात की ओर बढ़ने के लिए जो पत्र निकला और उसके पहले भी भाषण दिया गया था कि किसानों को आबपाशी के लिए सहूलियत दी जायगी। आबपाशी की सहूलियत तो जो दी गयी वह दीही गयी लकिन तावान की रकम जरूर बढ़ गयी। तावान का 11 लाख रु0 90 हजार 262 रुपया बढ़ गया। जिन्होंने पानी नहीं लिया था उनके ऊपर भी लगाया गया जिससे कि आपके आंकड़े हो जाय कि किसानों को ज्यादा सुविधा दे रहे हैं। दूसरी सुविधा कही गयी मजदूरों के लिए देने की। पिछले मौके पर भी मैंने गवर्नर एड्रेस पर बोलते हुए बतलाया था और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा था। मजदूरों को क्या सुविधा मिली। इस वर्ष छंटनी किये गये कर्मचारी 42000 हैं जिनमें सिंचाई विभाग के 12233 व पी0 डब्लू0 डी0 के 6216 व निर्माण निगम में 813 व एल0 एस0 जी0 ई0 डी0 में 1242 मजदूर एवं बाकी अन्य विभागों से हटाये गये, उन्हें शीघ्र नियुक्त किया जाय। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे और भी बातें कहनी हैं इसलिए जो कुल संख्या है वह सब मिलाकर 42 हजार की है। इन 9 महीनों में 42 हजार मजदूरों को काम से हटाया गया। मेरा सवाल है कि आखिर हमारी पार्टी ने जो ऐलान किया था उन नीतियों के अन्दर कोई भी बात तो हुई होती। यही होता कि 20 फीसदी सिंचाई में तरक्की की। मुख्य अभियन्ता इसमें अपनी तहरीर में लिखते हैं कि 253 करोड़ इस साल खर्च करने के लिये मिला था उसमें से 153 करोड़ कर पाये और 100 करोड़ बच गया। यह आपकी किताब है, आपके आंकड़े हैं। लानत है मेरे ऊपर और मेरी गवर्नमेंट के ऊपर। क्या रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट क्यों है? इसलिए कि सरकारी मजदूरों से काम नहीं लिया जाता, कन्ट्रैक्टर से काम लेना चाहते हैं, गरीबों को सताना चाहते हैं। क्या यह मजदूरों के हित में है? सिंचाई विभाग के वर्ष 1977-78 के खर्च में 253 करोड़ रुपये में से केवल 153 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 100 करोड़ रुपया खच क्यों नहीं हो पाया, जबकि सरकार एक तरफ सिद्धान्त में सरकारी काम ठेकेदारों के द्वारा न कराके कर्मचारियों के द्वारा विभागीय रूप में कराना मानती है? दूसरी तरफ ठेकेदारों को काम देकर इतना रुपया खर्च न हो पाना राष्ट्र का कितना बड़ा नुकसान है। कह दिया कि पैसा दो काम करगे लेकिन मान्यवर, क्या हुआ? रुपया बच गया और अधिकारी लोग कुर्सी पर बैठे रहे--काम नहीं हुआ। यह रिपोर्ट है। इस पर इन्क्वायरी करा लें।

नम्बर दो बात--इसके पहले कि बजट भाषण हो, अधिष्ठाता महोदय, आपने स्वयं आश्वासन दिया सिंचाई मंत्री जी अपना जवाब देंगे लेकिन 8 महीने या 6 महीने हो गये, उत्तर नहीं मिला। इस सिलसिले में एक और रिक्वेस्ट की थी कि कासगंज के अन्दर बड़ी गम्भीर समस्या फैली हुई है। डेढ़ साल हो गया। उसके अन्दर वहां के अधिकारियों को शानदार कमरे दे दिये गये। उद्घाटन हो गया। मैं भी भाग ले आया और चाय पी आया अध्यक्ष महोदय, भी हो होआये और मुख्य मंत्री जी भी दौरा कर आये। लेकिन जब लेबर का सवाल आया तो कह

दिया कि इलेक्शन आ गया। वे रेलवे पटरी के पीछे तिरपाल लगाये बैठे हैं। अब उनसे कहते हैं कि हड़ताल न करो। मान्यवर, क्या जुर्म है मकान मांगना जी0 ओ0 निकला कि जितने लेबर हैं उनको मकान देंगे। क्यों नहीं उस पर कार्यवाही हो रही है ?

नम्बर तीन बात बताना चाहता हूं कि इन आई0 ए0 एस0 अफसरों को 6 महीने के अन्दर न जाने क्या ट्रेनिंग दे देते हैं कि वे हर डिपार्टमेंट का काम देखने के काबिल हो जाते हैं। इसको हम लोग सिर्फ़ भगवान से पूछ सकते हैं। ऐसी क्या डिग्री कलेक्टर को 6 महीने के अन्दर दे दी जाती है कि वह एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट, ट्रांस्पोर्ट स्पेशलिस्ट या पशुपालन स्पेशलिस्ट हो जाता है ? बाकी सारे अधिकारी अनक्वालीफाइड हैं। यह सौतेला बर्ताव क्यों है ? कलेक्टर को 6 महीने केअन्दर कौन सी स्पेशल ट्रेनिंग दे देते हैं कौन सा स्पेशल कोर्स दिया जाता है कि वह कोई भी डिपार्टमेंट हो—वह उसको सम्भाल सकता है ? मेकेनिकल इंजीनियर सिविल को नहीं देख सकता सिविल इंजीनियर मेकेनिकल को नहीं देख सकता लेकिन एक आई0 ए0 एस0 उन सबको देख सकता है, मुझे भी देख सकते हैं। उसके बारे में सोचना पड़ेगा

यह तुमने क्या किया मेरे जनाजे पर चले आये।

किसी ने कह दिया बे साख्ता कत्ल तो क्या होगा ?

मान्यवर, 30 साल की गवर्नमेंट को केवल विरोधी दल ने या हमने हटा दिया, यह कहना ठीक नहीं। यह गलतफहमी होगी। इसको हमें अपने दिमांगों से निकाल देना चाहिये। वे इसलिये बदले कि उन्होंने 30 साल तक मुसलसल झूठे वायदे किये, मुसलसल चार सौ बीस की। तीस साल के अन्दर इन्दिरा गांधी की नहीं, आई0 ए0 एस0 हिटलर का राज्य था और डा0 राम मनोहर लोहिया, या जे0 पी0 का नहीं, बल्कि उसी आई0 ए0 एस0 की हुकूमत हैं देश और प्रदेश के अन्दर। वे हुकूमत करते आ रहे है और कर रहे हैं मंत्री जी से कह दिया कि जी साहब, काम हो जायेगा, यह चाय लीजिए यह बिस्कुट लीजिये। लेकिन जब दफ्तर में गये तो कहने लगे कि यह नहीं हो सकता। आज हर अफसर ने यही सोच रखा है। हर अफसर आज इसी नजर से देखता है। उसमें क्या है ? ए क्लास माइन्ड आई0 ए0 एस0 बनता है। नम्बर 2 का, डाक्टर और इंजीनियर बनता है और नम्बर तीन का बिजनेस मैन बनता है। और नम्बर 4 का लीडर बनता है। आज, मान्यवर, हम लोगों की क्या पोजीशन है ? एस0 का मतलब है अहमक, एल का मतलब है गाली और ए का मतलब एक। एस0 एल0 ए0 एक गाली है, एक अहमक है। हम को कोई पावर नहीं है।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शांत रहें। कोई भी ऐसी बात होगी तो वह कार्यवाही से निकाल दी जायेगी।

श्री मुकीमुर्रहमान--

मैं किसी खास व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा, मान्यवर। मेरा मतलब एस0 एल0 ए0 से नहीं है। आखिर हम क्या करें ? इसी सदन के अन्दर जितने भी एस0 एल0 ए0 बैठे हुये हैं, इनको कोई रूपरेखा बता दी जाये कि वह क्या करें। किस काम के बारे में वे क्या करें। मान्यवर, मेरे खून से या मेरी जान से अगर हमारी पार्टी की इज्जत बचती है, तो, मान्यवर, मैं सबसे पहला आदमी हूंगा जो पार्टी के इमेज के लिये, पार्टी के नाम के लिये, पार्टी के मैनीफेस्टो के लिये अपनी जान देने के लिये तैयार हूं। लेकिन अपने वायदे से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिये।

[श्री मुकीमुर्रहमान]

मान्यवर, एक बात बताना चाहता हूं। (लाल बत्ती जलने पर) आप ने तो लाल बत्ती जला दी। सिंचाई विभाग के आंकड़े दे रहा हूं। सिंचाई विभाग के अन्दर सन् 48 में 17 सर्किल थे चीफ इंजीनियर एक, सन 52 में 22 सर्किल चीफ इंजीनियर 2, सन 64 में 55 सर्किल चीफ इजीनियर 4 और सन 77 में 81 सर्किल, यानि 400 एसिस्टेन्ट इंजीनियर जिसका मतलब है इस साल 122 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। आज हमारे यहां चीफ इन चीफ का पद डिसाल्व कर दिया है।

चीफ इन चीफ कोई नहीं रहेगा। एडिशनल चीफ इजीनियर्स को सब पावर दे दी गयी है। मान्यवर क्या यह हो सकता है कि हमारे इतने बड़े प्रदेश के सिंचाई विभाग का काम एक हेड आफ डिपार्टमेंट, एक चीफ इंजीनियर कर सकता है एक आदमी कर सकता है। नहीं हो सकता।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री मुकीमुर्रहमान--

एक बात और कहना चाहता हूं। सिंचाई विभाग में राम गंगा परियोजना कालागढ़, राम गंगा बांध परियोजना, टिहरी में ऋषीकेश स्वीला परियोजना हलद्वानी पी0 एल0 जी0 सी0 व मध्य गंगा परियोजना, खटीमा, लोहिया हेड, झांसी, ललितपुर, बरेली व अन्य जगहों पर टोटल 36 करोड़ रुपये की मशीनरी खाली पड़ी पड़ी जंग खा रही है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री मुकीमुर्रहमान--

दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। राम गंगा परियोजना में साढ़े छः हजार क्वार्टर खाली पड़े हैं। तीन साल हो गये लेकिन क्वार्टरों में कोई नहीं रहता। इन्हें किसी सरकारी स्कीम को चलाकर भरा जाये। अगर आप चाहें तो अपने कक्ष में मुझे बुला सकते हैं। मेरे पास आंकड़े हैं। हजारों लेटर्स सिंचाई विभाग को भेज चुका हूं उनकी कापी मेरे पास है। 6-7 यूनियनों का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूं। सात महीनों के अन्दर 74 लेटर भेजे सिर्फ 13 लेटरों का जबाव मिला। यह सब अधिकारियों की लापरवाही है। शासन उनकी तरफ कड़ा रुख अपनाये और उनकी हुकूमत पर निगाह रखे।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)--

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार सदन के सम्मुख रखता हूं। जनता पार्टी ने लोकसभा तथा विधान सभा के चुनावों के दौरान जनता से वायदा किया था कि पिछड़े वर्ग के लिए 25 से 33 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण करेंगे परन्तु आज वह अपना वायदा पूरी तरह निभाने में असमर्थता प्रकट करती है।

श्री अधिष्ठाता--

आप किताब में से न पढ़ें।

श्री बाबू राम वर्मा--

स्वर्गीय दीन दयाल उपाध्याय ने कहा था कि दरिद्र नारायण की पूजा करनी चाहिये। दरिद्र नारायण का क्या अर्थ था ? देश और समाज में जो गरीब पिछड़े वर्ग के लोग है उनको दरिद्रनारायण की संज्ञा दिया करते थे और बराबर कहा करते थे कि जब तक इसकी हम पूजा नहीं करेंगे तब तक...

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें ।

श्री बाबू राम वर्मा—

इनकी उपेक्षा करते रहेंगे, छुआछूत को दूर नहीं कर सकेंगे तब तक हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं । स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया ने यही नारा दिया था । नारा ही नहीं उन्होंने दल के संस्थाओं, समितियों तथा पदाधिकारियों के चयन में 100 से 60 जगहें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कर दी थीं और सारे देश के अन्दर एक वातावरण पैदा किया था कि जब तक मुल्क में हरिजनों, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जायगा तब तक इस मुल्क का उत्थान नहीं हो सकता है । उनका कहना था कि इस समाज के 80 प्रतिशत लोग हजारों वर्ष से हर क्षेत्र में पिछाड़ दिये गये हैं । कर्म करने वाले आदमी को यहां हजारों वर्ष से नीच समझा गया है । जब तक उसको सामाजिक, आर्थिक रूप से ऊंचा स्थान नहीं दिया जायगा और उसके लिये उसे हर क्षेत्र में आरक्षण नहीं दिया जायगा तब तक न वह उन्नति कर सकेगा और न उसमें स्वाभिमान की भावना जागृत हो सकेगी । यही सोच समझ कर जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस आरक्षण को पूरा करने की चर्चा की है । लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज कतिपय माननीय सदस्य जो चुन कर आये हैं और विधान सभा में बैठे हैं । वह आर्थिक पिछड़ेपन की बात कहते हैं कि आरक्षण नहीं रहना चाहिये । मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आरक्षण है कहां ? आप देखेंगे कि राज्य के बजट का 75 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक सरकारी नौकरों के पेट में चला जाता है और ये सरकारी नौकर हैं कौन ? 85 प्रतिशत ऊंची जाति के और मुश्किल से 15 प्रतिशत पिछड़ी जाति व हरिजनों में हैं । इस प्रकार राज्य की आमदनी का 85 प्रतिशत ऊंची जाति के लोगों के घर में चली जाती है और हरिजन व पिछड़ी जाति के लोग जिनकी संख्या 85 प्रतिशत होगी उनके घरों में केवल 15 प्रतिशत जाती है । तो यह पिछड़ापन दूर कैसे होगा ? अब आर्थिक पिछड़ेपन की बात कहने को तो बड़ी सुन्दर लगती है लेकिन उसका तात्पर्य क्या है । उसका अर्थ है ऊंची जाति के लोगों को संरक्षण देना, उनका पेट भरना गांवों में गरीब से गरीब ऊंची जाति का व्यक्ति खेत में मजदूर बन कर काम नहीं करता है, पिछड़े वर्ग के लोगों का यह पुश्तैनी काम है । पिछड़ो जाति के लोगों में गरीबों की संख्या 80–90 प्रतिशत से ऊपर है और ऐसी स्थिति में आर्थिक पिछड़ेपन की बात कहने का तात्पर्य यह होगा कि जो कुछ सुविधायें दी जायं आर्थिक पिछड़ेपन के नाम पर वह भी उनको उपलब्ध नहो सकें,उनको भी खत्मकर दिया जाय । आप दक्षिण भारत को लें । वहां पर मदरास में 31 प्रतिशत संरक्षण सन् 48 से चला आ रहा है । आन्ध्र मे यह संरक्षण 58 प्रतिशत है, केरल में 38 प्रतिशत है । इसी का नतीजा यह है कि दक्षिण भारत में कांग्रेस इतनी बदनाम होने पर भी और जनता पार्टी का इतना प्रचार होने पर भी कांग्रेस को ही बहुमत मिला । इसमें बहुत बड़ा तर्क है । जब तक उत्तर भारत में उच्च वर्ग के लोग इस पर नहा सोचेंगे कि अछूतों एवं पिछड़ों को दबाना नहीं है तब तक उनका उत्थान नहीं हो सकता । वह इस पर सहानुभूति पूर्वक सोचेंगे कि पिछड़ी जाति के लोगों तथा हरिजनों को ऊपर उठाने के लिये उनको समाज के अन्दर सम्मान एवं नौकरियों के अन्दर संरक्षण देना होगा ।

(इस समय 3 बज कर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

तभी इस मुल्क की तरक्की होगी । अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक दिन वह स्थिति पैदा हो सकती है जब कि समाज के इस पिछड़े हुए वर्ग के लोग एक जुट होकर क्रॉति के रास्ते पर उभर पड़ेंगे और उस समय सोचना पड़ेगा कि समाज के इन चन्द अविलयत के लोगों के लिये आरक्षण की बात स्वतः माननी पड़ेगी । राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पिछड़े वर्ग

[श्री बाबूराम वर्मा]

क लोगों की सुख सुविधा के लिये, आरक्षण के लिये बात कही है। आज सारे सूबे के अन्दर एक ऐसा वातावरण, पिछड़े वर्ग के लोगों में फैला हुआ है जो केवल प्रचार के कारण है। सोये हुये लोग जाग रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी इनके आरक्षण के बारे में विरोध की आवाज उठ रही हो उस पर कड़ी निगाह रखी जाय। अन्यथा एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में आपके माध्यम से सरकार को जानकारी दे देना चाहता हूं कि इसी 18 मार्च की शाम को हमारे बस्ती जिले में ओले पड़े जो कि पांच-पांच सौ ग्राम से लेकर 1-1 किलो तक के थे। उसका नतीजा यह हुआ कि 200 गावों की पूरी फसल नष्ट हो गई, पेड़ों में पत्ते नहीं रहे और सारे खपरैल के मकान ध्वस्त हो गये। चारों ओर वहां त्राहि-त्राहि मची हुई है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में करमहिया ग्राम, अमरौली आदि ग्रामों में जो विकास क्षेत्र रामनगर डुमरियागंज में पड़ते हैं उनमें व्यापक ढंग से राहत का कार्य चलाया जाय। एक तो सूखे के कारण पहले ही वहां की फसल मारी गई और दूसरे रबी की फसल ओले के कारण नष्ट हो गयी। इससे हजारों लोग बेघरबार हो गये और वे भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, तत्काल कोई राहत कार्य सरकार की तरफ से प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है। पिछड़ेपन को दूर करने के लिये अलग से एक योजना बनानी होगी जिसके सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में थोड़ी सी झलक दिखाई दी है।

जहां तक गांवों की ओर बढ़ने की बात है वह अपनी जगह पर ठीक है। हमारी सरकार ने गांवों का तरफ अपना रुख मोड़ा है लेकिन इस दिशा में जितनी सफलता मिलनी चाहिये वह नहीं मिली है। इस ओर हमें कड़ी निगाह रखनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री बाबूराम वर्मा —

जो आई0 ए0 एस0 आफीसर हैं, जब तक इनके ऊपर अंकुश नहीं रखा जायगा तब तक प्रदेश के कल्याणकारी काम नहीं हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सत्य पाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मैंने यह महसूस किया जैसा कि अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि पिछड़े वर्ग और हरिजनों के लिये इस सरकार ने 15 प्रतिशत का आरक्षण कर दिया, यह पिछली के द्वारा किया गया था और इसका कार्यान्वयन वर्तमान सरकार कर रही है। यह भी सही है कि इस सरकार ने अपने सुझाव चुनाव के घोषणा पत्र में 25 प्रतिशत से 33 प्रतिशत तक आरक्षण देन का वायदा किया गया था और उसी बल पर सारे हिन्दुस्तान के एक बड़े वर्ग ने 85 प्रतिशत लोगों का समर्थन किया और उसको विजयी बनाया। लेकिन हम देखते हैं कि सरकार उन वायदों को अभी पूरा नहीं कर पाई है और न कर रही है। आज मैंने यह भी देखा है कि आरक्षण के नाम पर विपरीत प्रतिक्रिया भी हुई हैं। यहां पर कुछ उच्च वर्ग के लोग भी यह कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग और हरिजनों के आरक्षण के नाम पर जातीयता को उठाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस समय आपने अपने घोषणा पत्र को जारी किया था उस समय भी इस तथ्य को समझा होगा। लेकिन आज यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहां पर जातीयता की बात की जा रही है। आज भी प्रदेश में जिनके लिये आरक्षण की बात कही जा रही है वह 90 प्रतिशत लोग हैं जो आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं। ऐसी स्थिति

मैं वह कौन सा क्राइटेरिया होगा जिसके बिना पर कहा जा सके कि समाज में इस वर्ग के लिये आरक्षण कर रहे हैं ? इसलिये जातीयता की बात उठाकर ऐसे वर्ग के लिये उपेक्षा की दृष्टि से देखना वायदा पूरा न करना है। मैं समझता हूं कि सरकार अपना वायदा पूरा करने में असफल रही है। उत्तर प्रदेश के अन्दर आरक्षण किया गया है। वह बहुत कम है और उसका कार्यान्वयन भी नहीं हो पा रहा है। हमने देखा है कि पुलिस में आरक्षण पद्धति को कम करने की कोशिश की जा रही है। और 10 प्रतिशत स्थान चौथी श्रेणी की सेवाओं में आरक्षण किया गया है। और बाकी सारी की सारी जो है वह दूसरे लोगों को उच्च वर्ग के लोगों को दे दी जाती है। इसलिये इस आरक्षण के नाम पर घाटा ही हुआ है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

अब मैं एक बात हरिजनों के पट्टे के बारे में कहना चाहता हूं। इस सरकार ने कहा था कि कांग्रेस सरकार ने गलत पट्टे कर दिये थे और यह सरकार उसे सही कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बरेली जिले के आंवलसुर में जहां पर जनता पार्टी के एक माने जाने व्यक्ति हैं उन्होंने पट्टे कराये। हरिजनों को पट्टे देने की बात है वहां पर एक इंटर कालेज के अध्यापक हैं उनको पट्टा दे दिया गया और अभी पिछले महीने 20 हजार रुपये में बैनामा कर दिया है। मैंने इस बात को बरेली जिलाधिकारी से भी कहा और एक पत्र भी राजस्व मंत्री को लिखा है है। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार वर्तमान सरकार अनुत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से काम कर रही है। और उच्च वर्ग के लोग इस काम को कर रहे हैं। यह सरकार इस संबंध में सही कदम उठाने में सक्षम नहीं है।

हमने यह भी देखा है कि बरेली में ला एण्ड आर्डर की समस्या बहुत खराब है। मैंने मुख्य मंत्री जी को भी लिखकर दिया कि वहां पर स्थिति खराब हो रही है। पिछले एक महीने के अन्दर चार बार वहां गोलियां चलीं। मुख्य मंत्री जी ने गंभीरता से इस समस्या को लिया और आदेश दिये थे कि वहां का पुलिस अधीक्षक जो कानून और व्यवस्था कायम रखने में असमर्थ है, जो काम नहीं कर पा रहा है। उसे तत्काल हटा दिया जाय। इस बात के आदेश उन्होंने कर दिये लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक महीना बीत गया है माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशों का पालन नहीं हुआ। इस तरह से मैं समझता हूं कि आपकी नौकरशाही आपका साथ नहीं दे रही है। आपने कहा है राज्यपाल के अभिभाषण में कि हम सामान्य प्रशासन को ठीक करने के लिये कदम उठा रहे हैं। लेकिन मुख्य मंत्री जी के आदेशों की इस प्रकार अवहेलना हो रही है इसलिए इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

बिक्री कर के बारे में जब मैंने राज्यपाल के अभिभाषण को देखा और बजट को देखा तो निराशा हुई। हमें आशा थी कि बिक्री कर आप खत्म करेंगे। गत बार भी आपने कहा था कि बिक्री कर को समाप्त करेंगे लेकिन अफसोस होता है उसे खत्म करने के बजाय बिक्री कर बढ़ाया गया है। बिक्री कर को खतम न करके समाज के महत्वपूर्ण वर्ग के साथ अन्याय किया गया है। इस को खत्म करने के लिय पिछली बार मंत्री जी ने भी कहा था कि हम इसे खत्म करेंगे।

आज हमारे प्रदेश की जो सबसे बड़ी अहम समस्या है वह गन्ने की है उसके विषय में कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद में ही नहीं सारे उत्तर प्रदेश में 70 प्रतिशत गन्ना अब भी खेतों में पड़ा है। गन्ने के महत्वपूर्ण विषय पर मैंने देखा है कि देश के कुछ नेताओं ने गन्ने का हाथ में लेकर फोटो खिचवाये तो उनसे मुझे आशा थी कि वह गन्ने की दुर्दशा नहीं होने देंगे।

मेरे जनपद में फैक्टरियां बन्द पड़ी हैं, इस बारे में मैंने जिला अधिकारी और दूसरे लोगों को बताया है। मेरे यहां गन्ना 4-5 रुपया क्विन्टल तक खरीदा जा रहा है।

[श्री सत्यपाल सिंह यादव]

क्या उत्तर प्रदेश के किसानों ने यही सपना देखा था कि जिस गन्ने को वह खून पसीने से पैदा करता है, उसको उसकी लागत भी वसूल नहीं होगी। आप सत्ता में आये थे तो वह जनता की प्रतिक्रिया थी कांग्रेस के खिलाफ और मैं आप से कहना चाहता हूं आपने गन्ने की समस्या को ठीक से समझकर उसका समुचित हल नहीं निकाला तो जनता की वही प्रतिक्रिया आपके खिलाफ भी होगी और जैसे देश और प्रदश की जनता ने कांग्रेस को माफ नहीं किया था । वैसे ही आपको भी माफ नहीं करेगी। इसलिये शीघ्र से शीघ्र ऐसा कदम उठाया जाये, जिससे प्रदेश की जनता सुख की सांस ले सके और जो उसने अपनी सम्पन्नता के सपने देखे थे, वे पूरे हो सकें।

श्री अध्यक्ष—

सदस्यगण से निवेदन करना है कि मेरे पास सूची बहुत लम्बी है, माननीय सदस्यगण बोलने के लिये उत्सुक हैं। किन्तु चूंकि अभी मुख्यमंत्री जी को बोलना है और आज अन्तिम दिन है गवर्नर के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर, चर्चा का, इसलिये मुख्य मंत्री को अवसर दिया जाता है। अब जनरल बजट पर 5 दिन का विवाद होगा, तो उसमें आप चाहें तो बोलें और चाहें समय भी बढ़ा लें, मुझे अत्यन्त खेद है कि बहुत से लोगों को अवसर नही मिल पाया है । मेरा निवदन है कि आप मुख्य मंत्री को सुनें।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, अब समय नहीं है। अब नेता सदन बोलने जा रहे हैं, उन्हें आप सुनें। आज नियम 51 के प्रश्न भी हैं, इसलिये समय बढ़ाना सम्भव नहीं है।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मैं यहां एक दल का प्रतिनिधित्व करता हूं और आज इसका छठवां सातवां दिन है, मुझे अपने दल की नीतियों के आधार पर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का अपनी नीति स्पष्ट करने का मौका नहीं मिला है । मैंने इस पर संशोधन भी आपके सचिव जी को आप के कमरे में दिया था। उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसका मतलब यह है कि मैं केवल एक हजार रुपया पाने के लिये विधान सभा में हूं। मेरे दल की नीतियों से सम्बन्धित संशोधन इसमें छपे भी नहीं, मैने पत्रकारों को दिया भी नहीं।

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में नियम है कि संशोधन विवाद से एक दिन पहले देना चाहिये। आपका संशोधन 17 तारीख के बाद आया है, इसलिये वह नहीं छपा है । माननीय सदस्य अकेले सदस्य हैं । यह ठीक है कि दल की मान्यता होती है। लेकिन किसी एक सदस्य या एक व्यक्ति को अकेले चाहे वह सी0 पी0 आई0 (एम0) हो या और कोई, उसे मान्यता नहीं है। उनकी संज्ञा तो निर्दलीय की है। उनको सी0 पी0 आई0 (एम0) की मान्यता नहीं दी जा सकती है। आपको समय मिलेगा। जब बजट पर विवाद होगा, तो उस समय आप बोलें । विवाद करने का मतलब तो केवल यही है कि आप सरकार के दृष्टिकोण को सुनें। अब इस समय मुख्य मंत्री बोलेंगे।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

यह नियम हो सकता है, लेकिन एक तरफ राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो रहा है और दूसरी तरफ आप संशोधन मांग रहे हैं, यह कहां तक सम्भव है।

या तो नियमावली में कोई परिवर्तन किया जाय, कम से कम यह अवसर दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद किताबों को देख कर अपने संशोधन को दूसरे दिन दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आपका सुझाव है तो विचार करेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)—

(उठने पर तालियों की गड़गड़ाहट)

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है इधर कई दिनों से और उस सम्बन्ध में जो सदन में विपक्ष की तरफ से और अपनी तरफ से भी माननीय सदस्यों के विचार आ रहे हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार से अपने विचारों को रखा जो प्रदेश की सारी समस्याओं स सम्बन्धित थे, उनमें हमारे प्रदेश की सारी समस्याओं पर विशेष रूप से चर्चा हुई है। एक बात अवश्य हुई है। उस चर्चा के संबंध में माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ अपने विचारों को रखने का प्रयास किया लेकिन एक बात अवश्य रही है कि जो रचनात्मक सुझाव, जो सृजनात्मक तर्कशक्ति से अपने विचार रखे जाने चाहिये थे, उस प्रकार से नहीं रखे जा सके हैं। यद्यपि काफी समय माननीय सदस्यों ने लिया।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के अवसर पर मुख्य सचिव तथा अन्य सचिवों की अनुपस्थिति के संबंध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी, एक बात की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस वक्त गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा हो, वित्त सचिव, मुख्य सचिव, गृह सचिव को उपस्थित रहना चाहिये। उनका यहां न होना सदन की उपेक्षा करना है। मैं इसको अपमान भी समझता हूं और यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में जिस वक्त सामान्य बहस हो अधिकारियों को जो माननीय सदस्यों के विचार हों, सुनना चाहिये ताकि वह लाभान्वित हो सकें। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अधिकारी लोगों को जो सम्मान सदस्यों का करना चाहिये वह आज नहीं कर रहे हैं। इसकी उपेक्षा करना, यह अत्यन्त अनुचित है।

मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)—

मान्यवर, वैसे अधिकारी यहां पर रहे हैं कुछ अधिकारी तो जरूर आते रहे हैं। उन विचारों को सुनते भी रहे हैं, यह जरूर है कि मुख्य सचिव, कुछ ऐसे वरिष्ठ लोग यहां पर नहीं रहे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपकी नोटिस में यह लाना चाहता था। मैं भी सरकार का काफी समय तक सदस्य रहा हूं और मुख्य सचेतक रहा, मैंने कभी नहीं देखा जब कि बजट के समय, गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा के समय मुख्य सचिव और सब सचिव मौजूद नहीं रहे हों। यह परम्परा है, अगर इसका पालन नहीं किया जायगा तो इस सदन की गरिमा घटेगी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको मुख्य सचिव और अन्य सचिवों को आदेश देना चाहिये कि वह सदन की गरिमा का विचार रखें।

एक सदस्य—

कार्यवाही में होना चाहिये।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, यह जिस प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सारे अधिकारी जहां पर आवश्यकता जिस वक्त महसूस होगी, राज्यपाल के अभिभाषण के समय (व्यवधान एवं शोर) ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस सदन के भीतर आपकी गारिमा सर्वोपरि है, चाहे मंत्री हो चाहे मुख्य मंत्री, आपकी तरफ से आदेश को टालमटोल ढंग से लीपा-पोती करना यह सदन की अवमानना है ।

श्री रामनरेश यादव--

टालमटोल करने का कोई प्रश्न नहीं है । यह अधिकारी उपस्थित रहेंगे ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । अभी आपने एक निर्देश दिया है कि गवर्नर साहब के भाषण पर और बजट में जो जनरल बहस होगी विभागों की अलग-अलग होगी, उनसे सम्बन्धित उच्चाधिकारी यहां आए । लेकिन जो जनरल डिसकशन हुआ है 5 दिन तक उसमें मुख्य सचिव से लेकर सभी विभाग के विभागाध्यक्षों का रहना जरूरी है । माननीय मुख्य मंत्री जी आपके निर्देश के बाद कह रहे हैं कि आवश्यकता होगी तो इसमें संशोधन किया है । वह इस तरह का बयान आपके निर्देश के बाद दे रहे हैं । मैं समझता हूं कि यह सदन का अपमान है और इस बयान के बाद मैं इस सदन से त्याग करता हूं ।

(श्री ऊदल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी मेरा कहना यह है कि आवश्यकता पड़ने पर नहीं । आपका निश्चित आदेश होना चाहिये कि जिस ववत गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा और बजट पर सामान्य चर्चा हो, तो सभी विभागों के सचिवों को और मुख्य सचिव को रहना चाहिये । जनरल बजट का कुछ अभिप्राय होता है । मुझे खेद है कि आपको यह नहीं कहना चाहिये कि आवश्यकता पड़ने पर । आखिर सदन की कुछ परम्परायें हैं । इसलिये आपको आश्वासन देना चाहिये कि भविष्य में इस तरह की भूल नहीं करेंगे ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मैं यह कह रहा था कि हमारे अधिकारी जरूर रहेंगे और इस समय आ भी गये हैं । जो नया वातावरण उत्पन्न किया गया है पूरे प्रदेश में प्रदेश और देश की जनता में 30 वर्षों के पश्चात एक नयी क्रान्ति आयी है और उस क्रान्ति के आधार पर पूरे देश में और प्रदेश में तथा विभिन्न प्रदेशों में जो जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बनने के बाद वास्तव में जो जनता की आकांक्षायें थीं, जनता की जो आशायें थीं उनकी पूर्ति में कदम उठाये जाने का प्रयास किया गया है ।

हम मानते हैं और जनता पार्टी की सरकार इस बात का अनुभव करती है कि जनतांत्रिक मूल्यों और परम्पराओं की रक्षा की जाय और इसी व्रत को लेकर पिछले चुनाव में जनता का निर्देश पाने के लिये हमारे कयकर्त्ता गांवों में गये थे और जनता ने भारी बहुमत देकर प्रदेश और केन्द्र में सरकार बनाने का अवसर दिया । यह हमारा कहना था कि लोकतंत्र की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जो मर्यादायें हैं और जो परम्परायें हैं और उसके जो मूल्य हैं उनकी रक्षा करने की दिशा में बराबर प्रयास करेंगे और कदम उठायेंगे। कहा यह जाता है कि सचमुच जनता पार्टी की सरकार जब से बनी चारों ओर जन जीवन के क्षेत्र में जो प्रगति होनी चाहिये थी वह नहीं हुई है बल्कि प्रदेश को अवनति की दिशा की ओर ले जाया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमें विरासत में यहां का लड़ खड़ाता हुआ आर्थिक ढांचा मिला। ऐसी स्थिति में जनता पार्टी की सरकार बनी। उस ढांचे को पिछले 30 वर्षों में जो सत्ता में रहे हैं, उसके लिये वह जिम्मेदार हैं और उसके बाद हमें जो मौका मिला तो जनता पार्टी की सरकार ने 9–10 महीनों में उसे चलाने का प्रयास किया और जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश को नयी दिशा दी है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारी नीति स्पष्ट है। उसमें सरकार की नीति का दिग्दर्शन होता है और उसके आधार पर हमारी सरकार अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की दिशा में कदम उठाती है और उसका प्रभाव, उसकी स्थापना और उसकी परिचर्चा आने वाले बजट में हमने सम्मिलित किया है। इस अवसर पर मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 30 वर्षों तक जो कांग्रेस सरकार सत्ता में रही, हकूमत में रही, उसने प्रदेश की स्थिति को जर्जर अवस्था में पहुंचा दिया। यही इस बात का सबूत है कि किन परिस्थितियों में यह सरकार चल रही है। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जो कहा है कि "मेरी सरकार का यह निर्णय है कि गांव की ओर चलो" वह इस बात का परिचायक है कि हमारी पार्टी गांवों के विकास की ओर बढ़ना चाहती है और उस कार्य के लिये कोई ऐसी ताकत नहीं है, जो जनता पार्टी की सरकार को आगे की ओर बढ़ने से रोक सके। (तालियां)

माननीय तिवारी जी, जो बहुत वाक पटु हैं। इस सदन में जिस प्रकार से "गांवों की ओर चलो" पर व्यंग्यात्मक दृष्टि से अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस का जो 30 वर्ष का शासन काल रहा है उसमें वह गांवों की दशा को सुधारने की ओर नहीं बढ़ पायी। इसलिये हमने शहरों की ओर से अपना मुंह मोड़ कर गांवों की ओर जाना चाहा है। इसीलिए महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में संकेत किया है कि यह उनकी सरकार का निर्णय है। हमारा प्रदेश गांवों का है और जब तक हम गांवों का विकास नहीं कर पायेंगे तो प्रदेश का विकास नहीं हो सकेगा और जब तक प्रदेश का विकास नहीं होगा तो राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। हमारे प्रदेश की जनता जो गांवों में रहती है, 67 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे अपना गुजर बसर करती है, पिछली सरकार के आंकड़े इस बात को बताते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की उपेक्षा पिछले 30 वर्षों में हुई है और वही इसके लिय पर्याप्त है। उधर के बैठने वाले को जो इन वर्षों में सत्ता में रहे हैं, हमारी सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों की इस प्रकार से थोथी आलोचना करना उनके लिये शोभा नहीं देता है।

प्रदेश के आंकड़ों की ओर जब हम ध्यान देते हैं, 1948–49 के मूल्यों पर ध्यान देते हैं तो हमारे प्रदेश की जो आय थी, वह किस प्रकार से गिरती चली गयी, वही इस बात का प्रतीक होगी और प्रामाणिकता की बात होगी कि किस प्रकार से इसकी उपेक्षा हुई है। 1948–49 के मूल्यों के आधार पर वर्ष 1950–51 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 260 रुपये थी और उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 248 रुपये थी। वर्ष 1975–76 के आधार पर पूरे भारत की 366 रुपये प्रति व्यक्ति हो गयी जब कि उत्तर प्रदेश की आय 268 रुपये ही हुई वर्ष 1960–61 के मूल्यों के आधार पर। वहां भी आय गिरती चली गयी। केवल यही नहीं, उत्तर प्रदेश में 1960–61 के मूल्यों के आधार पर वर्ष 1970–71 में प्रति व्यक्ति आय 289 रुपये हो गयी थी जो कि 1975–76 में घटकर 268 रुपये रह गयी। इस प्रकार से वर्ष 1973-74 में चालू मूल्यों के आधार पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे प्रदेश की आय में ह्रास होता चला गया। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय 1386, महाराष्ट्र में 1075, गुजरात में 1034, पश्चिमी बंगाल में 910, आन्ध्र प्रदेश में 808, राजस्थान में 780, मध्य प्रदेश में 720 और उत्तर प्रदेश में 707 रुपया प्रति व्यक्ति आय थी। वर्ष

[श्री रामनरेश यादव]

1948–49 के मूल्यों के आधार पर वर्ष 1950–51 में उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय 260 से घटकर 207 रह गयी। यही इस बात का सबूत है कि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश को प्रति व्यक्ति की औसत आय कम होती चली गयी। जहां वर्ष 1950–51 में हमारे प्रदेश का स्थान तीसरा था आमदनी के आधार पर, विकास के आधार पर वहां अब नीचे से तीसरा स्थान हो गया है। सचमुच हम दिनों दिन नीचे चलते चले जा रहे हैं, बजाय ऊपर बढ़ने के। उसके साथ जिस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती रही, जिसकी दर 3.4 प्रतिशत रही उत्तर प्रदेश में वृद्धि की दर 2.2 प्रतिशत ही रही। लेकिन हमारे प्रदेश में 2.2 प्रतिशत का आय में वृद्धि हुई।

हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के अधार पर आप देखेंगे कि उसमें ह्रास होता चला गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत की आय 3.8 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी जबकि उत्तर प्रदेश की 1.9 प्रतिशत बढ़ी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जबकि भारत की 3.7 के हिसाब से बढ़ी, उत्तर प्रदेश की 1.8 प्रतिशत बढ़ी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत की 3.2 प्रतिशत के हिसाब से और उत्तर प्रदेश की 1.8 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी। पंचवर्षीय योजना के बाद जो त्रिवर्षीय योजना आयी उसमें जबकि भारत की आय 4 प्रतिशत बढ़ी, पूरे उत्तर प्रदेश की 0.2 प्रतिशत बढ़ी। इस प्रकार से इस प्रदेश में आर्थिक ह्रास होता चला गया बजाय उन्नति होने के, और इसका मूल कारण यह रहा है कि खेती के विकास की दिशा में जो योजनाओं का आधार बनाना चाहिये था, उधर सरकार का ध्यान नहीं गया। क्योंकि यह बात स्पष्ट है 70 प्रतिशत लोग खेती पर यहां अपनी जिन्दगी बसर करते हैं, कृषि प्रधान प्रदेश है। तो जो आज उधर लोग बैठे हैं वह कहते हैं कि 9–10 महीनों के अन्दर कौन सा विकास कार्य हुआ, तो यह उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि 30 वर्षों के अन्दर जो उनको प्रदेश को नयी दिशा देनी चाहिये थी, प्रदेश की आमदनी बढ़ानी चाहिए थी उस जिम्मेदारी का उन्होंने निर्वहन नहीं किया। तो इस पिछड़े प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाने का एक कदम यह उठाया गया है, जनता पार्टी की सरकार जो कि जनता की भावनाओं के आधार पर बनी है, वह कभी भी अपना मुख गांव की ओर ले जाने से मोड़ नहीं सकती, यही बात इस अभिभाषण में परिलक्षित होती है जिसमें 'गांव की ओर चलो' का नारा दिया है।

सिंचाई और खेती का सवाल भी खड़ा होता है और गांव की ओर क्यों चलना चाहिये उससे ही सारा संबंध इनका जुड़ा हुआ है। जो लोग उधर बैठे हैं उन्होंने कभी गांव को नयी दिशा देने का काम नहीं किया। उन्होंने गांव को दिशा देने के नाम पर सारी योजनाओं में 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत देने की बात कही थी, लेकिन यह जनता पार्टी की सरकार है जिसने 50 फीसदी धन केवल गांव से संबंधित समस्याओं के निराकरण की दिशा में रखा है, यह एक प्रतीक है जिससे स्पष्ट होता है कि हम गांव के विकास की दिशा में कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं।

बिजली की खपत के संबंध में हमारे प्रदेश का सबसे नीचा स्थान है। सिंचाई में सबसे नीचा स्थान है, और उसकी जिम्मेदारी हमारे उधर बैठे हुए सभी लोगों की है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिये तो जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहिये, इस सरकार को धन्यवाद देना चाहिये कि सारी स्थितियों में भी जनता पार्टी ने गांव की तरफ चलने के लिये जो कदम उठाया है तो एक कदम उठाया, दो कदम उठाये, दिन-प्रति-दिन कदम उठाये जा रहे हैं––उसकी ओर ध्यान देना चाहिये और धन्यवाद देना चाहिये।

एक सदस्य––

दे रहे हैं माननीय, 6 रुपया क्विन्टल गन्ना बिकवा दिया।

श्री राम नरेश यादव—

एक चीज और है, आखिर जब गांव की ओर चलने का नारा दिया गया तो यह भी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में जब कि हमारे राजस्व की आय 69 करोड़ रुपया होती थी तो उस समय पिछली सरकार जिसके लोग उधर बैठे हुए हैं 59 करोड़ का घाटा दिया था। हम बताना चाहते हैं कि जबकि इन सारे संसाधनों में ह्रास हो गया, ह्रास होने के बाद भी जनता पार्टी की सरकार ने जो योजनाओं को जो त्रिवार्षिक योजना थी उनमें हमने किसी प्रकार की कटौती नहीं होने दिया क्योंकि उनसे उत्तर प्रदेश की जनता की सारी समस्याओं का समाधान होना था और उस दिशा में वह कदम था। इसलिये जबकि संसाधनों में 59 करोड़ तक राजस्व में कमी आ गयी तब भी जनता सरकार ने गांव की ओर चलने की दिशा में कदम उठाने की ओर ध्यान दिया और इसके लिये 'गांव की ओर चलो' का नारा हमने दिया।

एक बात और मैं मूल्यों के नियन्त्रण के बारे में कहना चाहता हूं। उस विषय पर भी यहां बहुत चर्चा हुई है। पिछले दिनों में मूल्य बढ़ते चले गये थे। आपको इस पार्टी की सरकार को धन्यवाद देना चाहिये था कि उसने किस प्रकार से बढ़ते हुये मूल्यों पर नियन्त्रण किया। जो मूल्य बढ़ते चले जा रहे थे उसकी जिम्मेदारी भी उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों की ही है और वह इसलिये है कि उन्होंने कभी इस दिशा में प्रयास नहीं किया कि किस तरह खेतों की पैदावार को बढ़ाया जाय उत्पादन को बढ़ाया जाये। इसलिये चाहे तेल के दाम बढ़े हों, चाहे अन्य किसी चीज के दाम बढ़ें हों, दामों के बढ़ने की जिम्मेदारी आपकी रही है। मगर जब से जनता की भावनाओं के आधार पर, जनता पार्टी की यह सरकार बनी है, उसने खेती की पैदावार बढ़ाने की ओर सबसे पहले ध्यान दिया है। यह पहली सरकार है जिसने इस ओर विशेष ध्यान दिया है। इसके फर्टीलाइजर की जो मात्रा पहले दी जाती रही है हमने उसे दुगना कर दिया। उस कारण पैदावार काफी बढ़ी। इसका प्रभाव यह हुआ कि श्रमिक वर्ग और गरीब जनता को चीजें उतनी महंगी नहीं खरीदना पड़ीं जितनी कि महंगी हो गयीं थीं। उसके कारण मूल्य-वृद्धि रोकने में हम सफल हुये। सस्ते गल्ले की दुकानों से वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाते हुये हमने गेहूं, चीनी और चावल पर्याप्त मात्रा में लोगों को दिया। कड़ुआ तेल के दाम काफी बढ़ रहे थे, उसके भाव को रोकने के लिये हमने पर्याप्त मात्रा में रेपसीड आयल 7 और 8 रुपये किलो के हिसाब से बाजार में उपलब्ध कराया। इस सबका परिणाम यह हुआ कि चीजों के दाम गिरे, जो आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे थे वे गिरे। महंगायी की चर्चा जो हुआ करती थी उसका सवाल ही नहीं रह गया।

गन्ने का जहां तक सवाल है, जिसकी काफी चर्चा यहां सदन में की गयी है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार की नीति सदा ही गन्ना किसानों के हित में, गन्ना उद्योग के हित में, रही है और रहेगी। हमने हमेशा ही इनके हितों को ध्यान में रखा हैं। हमारा ध्यान सदा ही गन्ना किसानों की ओर रहा हैं, गांवों की ओर रहा है, इस चीनी उद्योग के हितों की ओर रहा है और इस ओर हम हमेशा ही सजग रहे हैं। हमने सदा ही ऐसे कदम उठाये हैं जिनसे किसानों को राहत मिल सकें और चीनी का सारा उद्योग संकट में न पड़ने पाये। इन बातों को ध्यान में रख कर ही हमने किसानों को गन्ने का मूल्य भी अधिक दिलवाया। पिछले साल गन्ने की जो कीमत किसानों को मिली थी उसमें हमने 25 पसे की बढ़ोत्तरी की। इस प्रकार उनको 25 पैसे ज्यादा दिलवाये। इससे दो करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 4 करोड़ रुपये देने का फैसला किसानों के लिये किया गया। इसलिये किसानों को हम मानते हैं और हमारे घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों को, जो वह अपने खेतों में सामान पैदा करता है, उसको उचित मूल्य मिल सके। इस बात को ध्यान रखते हुए हमारी जनता पार्टी की सरकार ने फैसला किया है कि आखिर यह कठिनाई क्यों उपस्थित हुई, उसका सामना करने के लिए किस तरह से हमने कदम उठाये हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले वर्ष जो 11.62 लाख

[श्री रामनरेश यादव]

हेक्टेयर में गन्ने की काश्त की गयी थी इस वर्ष 13.60 लाख हेक्टेयर में गन्ने की काश्त की गयी, जब कि गन्ने की उपज .....

(श्री अरुण कुमार खड़े हो गये)

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)---

क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि शासन ने जो भाव निर्धारित किया है, किसानों को गन्ने का मूल्य उस भाव में मिल रहा है ?

श्री राम नरेश यादव---

मैं उस पर आ रहा हूं । इस बार 644.64 लाख टन होने की उम्मीद है । जैसा कि उसका रकबा भी बढ़ा, परसेंटेज को जो मात्रा थी, वह भी बढ़ी । चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भी हमारे उद्योग पर एक बहुत बड़ा संकट डालने का कारण रहा है, जिसकी चिन्ता हमें भी है और आज पूरे, प्रदेश को जनता को है, विशेषकर गन्ना उत्पादकों को । जनवरी के दूसरे सप्ताह में 1876 पर मीट्रिक टन बाजार में चीनी का भाव था, 1978 के इसी मास में 1615 रुपये पर मीट्रिक टन अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी का दाम हो गया । यह ऐसा कारण रहा है कि जिसके कारण कि चीनी का मारकेट जब गिरने लगा तो स्वाभाविक था कि चीनी मिल मालिकों और गन्ना उत्पादकों में असंतोष पैदा हुआ । इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने इस समस्या का समाधान निकालना चाहा । हमने इस बात का फैसला किया कि जितने भी क्रेशर, जितने भी फैक्टरी चलाने वाले लोग हैं और आज जो 84 मिल हमारे प्रदेश में गन्ना पेर कर चीनी पैदा करती हैं, सारी की सारी मिल साढ़े 13 रुपये, साढ़े 12 रुपये के हिसाब से गन्ने का मूल्य किसानों को दे रही हैं ।

किसानों के सामने कठिनाई यह हुई । आखिर जो उनके यहां खांडसारी पैदा हो रही है, जो गुड़ पैदा हो रहा है, किसानों को उसका उचित मूल्य मिले, इसके लिये क्या किया जाय, इस बात को ध्यान में रख कर, जब तक कि इसे बाहर नहीं भेजा जायगा, तब तक इसका दाम दिन प्रति दिन और गिरता चला जायगा । चीनी हमारे स्टाक में बहुत भरी पड़ी हुई है । तो उस सूरत में जो चीनी पैदा होगी, उसको ध्यान में रख कर हमारे सामने और परेशानी पैदा हो गयी । इसलिये उस बात को ध्यान में रख कर जो परचेज टैक्स था 25 पैसे, उसकी भी छूट दी गयी । मंडी का जो शुल्क था, उसमें भी छूट दी गयी । इस बात को ध्यान में रख कर कि यहां का गुड़, यहां की चीनी बाहर जाय, अब उस पर से भी सारे प्रतिबन्ध हटा दिये गये हैं । मेकेड और पी0 सी0 एफ0 के द्वारा सरकार खरीदने का प्रयास कर रही हैं । सरकार इस बात को मानती हैं कि किसानों के खेतों में जो गन्ना पड़ा हुआ है वह बिना पेरे न रह जाय । 25 क्रेशर्स ऐसे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर रिट फाइल कर दिया और हमने जो रेट निर्धारित किये थे, उस पर भी स्टे आर्डर ले आये । जब तक फैसला न हो जाय हमने तय किया हैं कि यह रुपया बाकी पैसा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करेंगे ताकि जब निर्णय हो जाय तब निर्णय के बाद जो धनराशि होगी, वह दी जायगी । इस बात को ध्यान में रखते हुए.....

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि आपने सारी रियायतें सल्फर प्लांट्स को दी हैं, जैसा अभी आपने बतलाया है । क्या आपके पूरे प्रदेश में एक भी सल्फर प्लांट ऐसा है जो 9 रुपये 40 पैसे निर्धारित रेट पर पैसा दे रहा है और क्या खुशी से अपने क्रेशर को चला रहा है ?

श्री राम नरेश यादव---

मान्यवर, बहुत से ऐसे हैं जहां पर दाम मिल रहे हैं । केवल जो रिटें सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गयी हैं, उसके आधार पर कुछ जगहों पर कुछ दिक्कत हो रही हैं । लेकिन शासन की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह से इस बात का प्रयास किया जाय कि जो किसानों को दाम मिलना चाहिये वह उनको मिले । उस आधार पर मैं बता देना चाहता हूं कि कई क्रेशर्स वालों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया और उन मुकदमों का नतीजा यह हुआ कि वह जेलों में गये और फिर जमानत पर बाहर आये । सरकार सोच रही है कि किसानों का गन्ना किसी भी तरह से खेतों में न पड़ा रह जाय, अप्रैल के बाद भी फैक्टरियां चल सकें । क्रेशर्स तो हो सकता है कि पानी पड़ने के बाद न चल पायें, लेकिन मिलों में व्यवस्था की गयी जिससे किसान मिलों में गन्ना ले जायं ।

सरकार का ध्यान इस ओर भी है कि ऐसी फैक्टरियां जहां गन्ना कम है और ऐसे स्थान जहां पर गन्ना अधिक है तो उन किसानों को इस बात के लिये प्रेरित किया जाय, उनको सहायता दी जायगी, कि वह किसान उन फैक्टरियों में अपने गन्ने को ले जाय । ताकि उनका गन्ना खेतों में न रह जाय । इस बात में सरकार की दृष्टि बिल्कुल साफ है क्योंकि हम किसानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने देना चाहते हैं । यह जरूर है कि कहीं कहीं पर क्रेशर्स बन्द करने की लोगों ने धमकी दी और बन्द भी किया । लेकिन उसके बाद उनको बुलाकर स्पष्ट निर्देश दिये गये और क्रेशर्स चालू हुए । यह इस बात का सबूत है कि सचमुच में सरकार की नीति किसी भी तरह से किसान के हित पर कुठाराघात करने की नहीं है । जो फैक्टरियों की क्षमता है और जिस तरह से उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिस तरह से अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में चीनी का दाम गिरा है और चीनी स्टाक में भरी पड़ी है, जिस मात्रा में चीनी का निर्यात होना चाहिये था तो वह नहीं हुआ है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बात में कृत संकल्प है कि किसी न किसी प्रकार से जो फैक्टरियां चलाने वाले लोग हैं वह फैक्टरियां चलायें जिससे किसान गन्ना ले जायें और उनको निर्धारित दाम मिले ।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में करीब 30, 35 रिटें दाखिल की गयीं और स्थगन आदेश भी आ गया लेकिन अब 84 फैक्टरियां चल रही हैं । हम नहीं चाहते हैं कि किसानों का गन्ना खेतों में रह जाय । किसानों का गन्ना अगर खेतों में रह जायगा तो उनका नुकसान होगा और उनका मनोबल टूटेगा । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी क्रेशर्स को इस बात को इजाजत नहीं होगी कि वह जो निर्धारित दाम है उससे कम दे । जो रिटें फाइल हैं, उनका निर्णय होने के बाद किसानों का जो रुपया जमा हो रहा है राष्ट्रीयकृत बैंकों में वह रुपया उनको वापस मिलेगा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)

मान्यवर, बता दें कि कहां जमा हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री देव बहादुर सिंह---

मेरा स्पष्ट प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

यह कोई तरीका नहीं है कि आप बीच-बीच में व्यवधान डालें । यह गलत है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, अगर वह कहते हैं कि मैं जवाब दूंगा तो आप क्यों एतराज करते हैं ?

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मेरा तो स्पष्ट सवाल है ।

श्री अध्यक्ष—

देवबहादुर जी, जब तक मैं इजाजत न दं तब तक आप नहीं बोलेंगे । पहले अनुमति लीजिये ।

श्री देव बहादुर सिंह—

किसी जगह का नाम बता दें, जहां वह पैसा जमा हो रहा है ?

श्री राम नरेश यादव—

जमा हो रहा है । इसकी व्यवस्था जिलाधिकारियों को दे दी गयी है कि किसी तरह का किसानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये ।

श्री देव बहादुर सिंह—

कहीं नहीं जमा हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

श्री देव बहादुर जी आपका जो व्यवहार है वह नियमावली के विरुद्ध है । आप बैठ करके कमेंट नहीं करेंगे । आप पुराने सदस्य हैं, आप जानते हैं कि अपने स्थान पर बैठकर टिप्पणी नहीं करनी चाहिये । लेकिन आपकी आदत हो गयी है बीच-बीच में टिप्पणी करने की ।

श्री श्याम धर मिश्र—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय देव बहादुर सिंह जी खड़े हुए और इनको तथा किसी भी माननीय सदस्य को नियमावली में अधिकार है कि यदि माननीय मंत्री जी बोलते हों तो उनसे प्रश्न करने का । माननीय मन्त्री जी कह सकते हैं कि हम आपका उत्तर नहीं दे सकते हैं । इसके बाद यदि माननीय मंत्री खड़े रहें तो निश्चय हो जाता है कि प्रश्नकर्त्ता को बैठ जाना चाहिये । लेकिन इस तरह से आप कह दें कि बैठ जाय तो आपको यह अधिकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

श्री श्यामधर मिश्र की आपत्ति अवैध है । नियमावली में लिखा है बिना अध्यक्ष की अनुमति के नहीं बोल सकते है । यदि कोई वक्ता बोल रहे है तो बीच में बारबार खड़े होकर प्रश्न करना अनुचित है । माननीय मुख्य मन्त्री का भाषण समाप्त हो जाय तो एक आध स्पष्टीकरण यदि चाहते हैं तो कर सकते है लेकिन प्रश्नों का समय भी उसे नहीं बनाया जा सकता है । यह आप तो जानते है। और आप अधिष्ठाता मंडल में है, कि अपने स्थान से बार-बार सीधे बात करना और इस प्रकार टिप्पणी करना और आपके दल के कुछ सदस्य जैसे अरुण कुमार और देव बहादुर जी की प्रायः आदत है, इस प्रकार बीच में बोलते हैं, यह अनुचित है ।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, जो चर्चा चल रही थी चीनी और गन्ना के सिलसिले में उधर बैठे लोग आज अलोचना कर रहे हैं, लेकिन उनको भी स्वयं सीने पर हाथ रखकर सोचना चाहिये कि जिस तरह वह सत्ता में थे, जो किसानों के हिमायती होने का दम भरते हैं । लेकिन 13 करोड़ रु0 किसानों का बकाया था । उनमें देने की क्षमता नहीं थी और न देकर गये । यह एक ऐसी मनोवृत्ति का द्योतक है जो बताता है कि वह

किसानों के हिमायाती थे कि नहीं, लेकिन यह सरकार किसानों की भावना की समझती है और इसीलिये जो 13 करोड़ का बकाया था उसको 2.2 करोड़ पर लाकर कर दिया है और सारे बकाये दिलाये हैं, सत्ता में आने के बाद। इतना ही नहीं जैसाकि मैं पहले कह रहा था कि सचमुच मैफ्रेड ने गुड खरीदा है। आज दिन प्रति दिन गुड़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं हमने फैसला किया है कि गुड़ और खांडसारी के दाम बढ़ें इसको ध्यान में रखकर पी0 सी0 एफ0 द्वारा खांडसारी खरीदने का फैसला किया है। यदि इनके दाम बढ़ते हैं। तो जो जमा है वह बाहर जायेगा और उसका नतीजा होगा कि गन्ना उत्पादक पेराई में लगेंगे और किसानों को उचित दाम मिलेंगे। इस तरफ सरकार का ध्यान सजग है और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिये जो भी पेराई में कदम उठाने होंगे वह सरकार उठाने में पीछे नहीं रहेगी। किसानों का नुकसान हम किसी भी प्रकार नहीं होने देंगे क्यों कि सरकार बनने के बाद हमने संकल्प लिया है कि हम गांव की ओर चलेंगे और गांव में चलने के लिये जो भी करने की आवश्यकता होगी वह करेंगे।

इस प्रकार.....

श्री श्यामधर मिश्र—

अध्यक्ष जी, आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूंछ लूं ?

श्री अध्यक्ष—

उनको भाषण समाप्त हो जाने दीजिये।

श्रीश्याम धर मिश्र—

यह बात समाप्त हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—

मैं अनुमति नहीं देता। आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं। जब कोई वक्ता बोल रहा हो तो माननीय सदस्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार है और अगर वह नहीं बैठते तो क्या उनको बोलते रहना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—

का हूं। मैं व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री श्याम धर मिश्र :—

मैं अध्यक्ष जी से आज्ञा मांग रहा था आज्ञा मांगना कोई अव्यवस्था नहीं है।

श्री राम नरेश यादव—

एक प्रश्न और है जो प्रदेश की जनता से सीधा सम्बन्ध रखता है और वह सवाल है शांति व्यवस्था का। जब उसकी चर्चा होती है। तो हरिजनों के सम्बन्ध में अत्याचार की चर्चा होती है। और उनका नाम लिया जाता है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकारी नीति चाहे हरिजन हों या अल्पसंख्यक हों उनके संबंध में कोई ऐसी नीति नहीं है और न जनता पार्टी की सरकार की ऐसी भावना है कि उन्हें किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाय। पिछले तीस वर्षों के अन्दर नाम तो हरिजनों को उठाने का लिया गया लेकिन जगह-जगह पर उनको दबाने का काम किया गया। वह काम जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकती। जो सामाजिक विषमता है उसको ध्यान में रखते हुए जो आंकड़े हैं वह सचमुच इस बात को बताते हैं कि हमने उस दिशा में कदम उठाया है, प्रयास किया है और हरिजनों पर 'एट्रोसिटी' संबंधी जो चर्चा की जाती है वह जनता पार्टी की सरकार के शासन काल

[श्री राम नरेश यादव]

में कम हुई है और हमारा यह प्रयास है कि हम वह दिन देखना चाहते हैं कि इस विषय से संबंधित चर्चा ही यहां न हो । हमने जो अन्त्योदय की नारा दिया है उसकी नीव में यही भावना है कि उनका उत्थान हो और मैं कह देना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं जबकि इस सदन में कम से कम हरिजन संबंधी अत्याचार की चर्चा हम नहीं होने देना चाहते ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

अध्यक्ष जी एक प्रश्न.

श्री अध्यक्ष—

मैं कोई अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, ऐसा कि शायद उधर पक्ष में बैठे हुए लोग जब हरिजनों की चर्चा आती है तो यह मन बनाकर चर्चा करते हैं कि चाहे वह कहीं पर आपस में घटना हो गयी हो तो उसको भी उससे संबंध जोड़ दिया जाता है । कहीं पर किसी अपराधी मनोवृत्ति के कारण घटना हो जाती है तो उसे भी उससे जोड़ देते हैं । आपके ही जो पत्र उस समय के हैं वह बतलाते हैं कि हरिजन अत्याचार संबंधी जो परिभाषा दी गयी है उसके अन्दर ये सारी चीजें नहीं आतीं । 4-3-1973 का एक आदेश है कि जिसमें हरिजन उत्पीड़न की परिभाषा में कवल वही अपराधी माना जायगा जो उत्पीड़न जाति पर आधारित हो या अस्पृश्यता पर आधारित हो । यह दो क्राइटेरिया रखे गये जिनसे समझा जायगा कि हरिजनों के साथ अत्याचार हुआ या नहीं । जो आंकड़े हैं इस संबंध में उनको देखें । सन् 73 से देखें । 1973 में प्रदेश में कुल हस्तक्षेपी अपराध 2 लाख 5 हजार 532 हुए जिनमें हरिजन संबंधी 3908, सन् 74 में 2 लाख 24 हजार 522 जिनमें हरिजन संबंधी 6154 . . . .

श्री अध्यक्ष—

कोई आदरणीय सदस्य सदन में पर्चा नहीं बांटेगा । इसका मतलब है कि कोई अर्दली खड़े होकर बीच. में नहीं आयेगा ।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, 1975 में 2,29,360 और हरिजन संबंधी 6,317. 1976 में 1,98,890 और हरिजन संबंधी 6002. 1977 में 2,15,833 और हरिजन संबंधी 5,531 तो मान्यवर, इस बात से बिल्कुल साफ है कि हरिजन संबंधी अपराध, जो कहा जाता है कि 1977 में बढ़े हैं, वे जनता पार्टी के समय में कम हुए हैं । इसलिये यह जो आरोप लगाया जाता है कि इन अपराधों की वृद्धि हुयी है, यह गलत है और मिथ्या आरोप हैं ।

अब जातीयता के आधार पर और अस्पृश्यता के आधार पर जो बताया है कि ये अपराध बढ़े हैं, तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये अपराध भी कम हैं । आपको वैसा इसलिये लग रहा है कि आप सत्ता में रहे हैं और उस समय कोई भी इस तरह की बात जनता के बीच में नहीं जाने दिया । लेकिन जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है, कहीं भी कोई उस तरह की बात होती है तो वह समाचारपत्रों में छपती है और रिपोर्ट थाने में दर्ज की जाती है । इन अपराधों की स्थिति कुछ इस प्रकार है 1973 में जातीयता के आधार पर जो मुकदमें दर्ज किये गये वे 76 थे और अस्पृश्यता के 237, 1974 में जातीयता के आधार पर 166 और अस्पृश्यता के आधार 351 केसेज थे । 1975 में जातीयता के आधार पर 175 और अस्पृश्यता के आधार पर 443, 1976 में जातीयता के आधार पर जो मुकदमें थे वे 111 और अस्पृश्यता के आधार पर 426 इसी तरह से 1977 में जातीयता के आधार पर

15 और अस्पृश्यता के आधार पर 208 ऐसे केसेज हुए हैं । इससे भी यह स्पष्ट है कि जो आप अपराध की परिभाषा करते थे, हमारी जनता पार्टी के शासन काल में वह कम हुए हैं जैसी चर्चा की है, वह बात नहीं है ।

एक बात, मान्यवर, जरूर हुयी है कि जहां तक कुछ जगहों पर वाद-विवादों के उत्पन्न होने की बात है, वह हुए हैं लेकिन उसमें भी आप ही लोगों की जिम्मेदारी थी । हमारी सरकार आने के बाद हमने यह महसूस किया कि हमारे प्रदेश के गांव में रहने वालों, निर्बल और दुर्बल भूमिहीनों को, जिनको गलत ढंग से आपके समय में परेशान किया जाता था, भूमिहीनों को जिनको जमीन आवंटित हुयी, और उन्हें कब्जा नहीं दिया जाता था, उनको किसी तरह से तंगी और परेशानी न हो और जिनको आपने कब्जा नहीं दिलाया, उनको कब्जा दिलाने का प्रयास आपकी इस जनता पार्टी की सरकार ने किया है । कब्जा न दिलाने के कारण जो उन लोगों को परेशानी हो रही थी और एक तरह से अशांति का वातावरण व्याप्त था, उसको सम्भालने का प्रयास हमने किया है । इसलिये जो अपराध की स्थिति के संबंध में बात कही जाती है, स्थिति वैसी नहीं है बल्कि केवल जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस की तरफ से इस तरह का झूठा और गलत प्रचार किया जाता है ।

(ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से मेजें थपथपायी गयीं ।)

श्री अरुण कुमार--

मान्यवर, ... (शोर)

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से नहीं ।

श्री गुलाब सेहरा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया शांत रहें । आप लोग व्यवधान न डालें । यहां व्यवस्था का काम हम पर छोड़ें । आप बैठ जायें ।

(शोर)

मैं उस तरफ के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वह स्वयं व्यवधान डाल रहे हैं । आप लोगों को ध्यान रखना चाहिये कि जब नेता सदन बोल रहे हों तो आप लोग शांत रहें । आप लोग खुद चाहते हैं कि शोरगुल मचे । कृपया शांत रहें ।

श्री राम नरेश यादव--

यहीं पर दूसरे प्रदेशों में भी जो स्थिति रही है उसकी चर्चा कर देना आवश्यक समझता हूं । आंध्र प्रदेश में जहां कि कांग्रेस की हुकूमत रही है वहां पर सन् 74 में 22 ज्यादतियां हरिजन अत्याचार संबंधी हुई जैसा मैं ऊपर कह चुका हूं और बढ़ते बढ़ते 70 हो गयी है यह उस प्रदेश की हालत है । उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं लेकिन वहां भी अत्याचारों में वृद्धि हुई जैसा कि ये आंकड़े बताते हैं । इतना अवश्य है कि निर्बल वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार काम करना चाहती है । इसकी हमने गारन्टी दी है। यहां पर आई० जी० के स्तर पर एक सेल कायम किया है जो इस बात को ध्यान में रखेगा कि जहां कहीं भी इस

[श्री राम नरेश यादव]

तरह की घटना सुनाई पड़े उसकी जांच होनी चाहिये । जिलों में भी इसी तरह के सेल स्थापित किये जा रहें हैं हरिजन सेल ताकि इस प्रकार की घटनाओं के मालूम होते ही जांच करायी जा सके । ऐसा इसलिये किया गया है ताकि हम उन्हें गारन्टी दे सकें, उनको आश्वस्त कर सकें कि कहीं पर भी उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी । यदि ज्यादती सुनाई भी पड़ती है तो उस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश है ।

श्री अरुण कुमार—

जनता का सरकार पर से विश्वास उठ गया है ।

श्री राम नरेश यादव—

हम जानते हैं कि जनता आप पर कितना विश्वास करती हैं और आप ने कितना विश्वास किया था । जनता पार्टी जनता की भावनाओं से बनी हैं और हम लोग उसकी भलाई की दिशा में ही कदम उठाते रहेंगे और विपक्ष के लोग देख कर चौंकते ही रहेंगे । यह भी अपनी जगह पर सही है ।

श्री अरुण कुमार—

निकायों का चुनाव करा दीजिये पता चल जायगा ।

(शोर)

श्री राम नरेश यादव—

(शोर) जनतंत्र की हिमायती है कांग्रेस पार्टी लेकिन अधिकार से जनता पार्टी की सरकार ने ही दिया है कि सदन में बैठकर आप बोलते हैं। यहां पर उसका मोकलन भी बनता है आपने वह अधिकार भी छीन लिया था। जनता कभी आपको क्षमा नहीं कर सकती। आपके इशारे पर चलने वाली नहीं है। यह जरूर है कि जब आप सत्ता में नहीं हैं उकर बैठे हुए हैं तो जगह-जगह पर अराजकता की स्थिति पैदा करने पर आप तुले हुए हैं लेकिन जनता पार्टी लोकतंत्र में आस्था रखती है और आस्था रखते हुए वह कभी भी तानाशाही रास्ते पर नहीं जा सकती । इसलिये जिस तरीके से आप लोगों ने कानून तोड़ा है गिरफ्तार भी हुए हैं केवल लोकतंत्र पर आस्था रखने के कारण ही दूसरे दिन आप छोड़ दिये गये नहीं तो आप सबको सब जेल की चहारदीवारी में रहते (व्यवधान) . . . क्योंकि (शोर) यह बात साफ है कि हम कानून की दृष्टि से सबको समान समझते हैं चाहे वह हमारे प्रदेश का छोटे से छोटा नागरिक हो या सरकारी नौकर हो चाहे वह बड़े से बड़ा नेता क्यों न हो । आप भेद कर सकते है इंदिरा गांधी से और उन के सारे कार्यकर्ताओं से लेकिन जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, विधि सम्मत राज्य में विश्वास करती है और किसी के साथ भेद भाव नहीं कर सकती ।

तो जब इन आंकड़ों की चर्चा होती हैं यह वही आंकड़े है सन् 75–76 के जब आप ने पूरे देश की जनता की जुबान बन्द कर दी थी । ताला लगा दिया था । जब यह अधिकार नहीं था उस समय भी अपराध आपके समय में बढ़े हैं और आज हमको यहां बैठकर देखना होगा कि आपके समय में क्या हुआ था और जिस गति से अपराध बढ़े हैं उस गति से फिर न बढ़ने पायें और उन पर नियंत्रण लग सके इसका हम प्रयास कर रहे हैं । 1974 में अपराधों के आंकड़ों क्या थे और 1977 में क्या हैं इसके तुलनात्मक आंकड़े मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं । डकैती 74 में 4,541 पड़ी और 77 में 4,187 राहजनी 74 में 8,536 हुई और 77 में 7,853 । 74 में दंगे 13765 पड़े और 77 में 1,1290 । नकबजनी 74 में 46,433 पड़ी और 77 में 37,300 हो गई इस तरह आप देखेंगे कि 74 में अपराधों की

जो स्थिति थी वह आपको 77 में नहीं मिलेगी । जनता पार्टी के इन्हीं प्रयासों के कारण और आगे बढ़ने के कारण जिस तरह की छटपटाहट तथा कड़ुवाहट आपके मन में हो गयी है उसका आप यहां प्रदर्शन करते हैं । (व्यवधान) इन आंकड़ों का स्रोत इन आंकड़ों का वही है जो आपके आंकड़ों का स्रोत सन् 74 में था । ये आंकड़े 74, 75–76 तथा 77 के हैं और इनका स्रोत एक ही है और अगर आप इन आंकड़ों की तुलना करेंगे तो यह पायेंगे कि डकैती में 8.6 प्रतिशत, लूट में 8.10 प्रतिशत, बलवा में 16.8 प्रतिशत, नकबजनी में 19.6 प्रतिशत और सभी प्रकार के हस्तक्षेपीय अपराधों में 11.3 प्रतिशत की कमी वर्ष 1977 में हुई है । अत अपराधों में इधर कोई बढ़ोत्तरी हुई है यह कथन सही नहीं है । परन्तु फिर भी शांति और व्यवस्था की स्थिति में निरन्तर सुधार की ओर प्रयास किये जा रहे हैं ।

कुछ घटनाओं की चर्चा कभी कभी हो जाती है । कभी लखनऊ का मामला उठाया गया । लखनऊ में एक वकील की हत्या हो गयी थी । फिर रायबरेली का प्रश्न उठाया गया । प्रदेश के कोने कोने के प्रश्न उठाये गये । मेरठ की भी चर्चा की गयी कि वहां पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं । वहां के आंकड़े भी मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं और 74 के मुकाबले अगर आज के अपराधों की आप तुलना करेंगे तो देखेंगे कि वहां भी आज अपराधों में वृद्धि नहीं हुई है, (व्यवधान) ये आंकड़े भी उन्हीं किताबों और स्रोत से हैं जो आपके बनाये हुए हैं और वे आंकड़े आज हमारा काम भी कर रहे हैं । मेरठ में 74 में डकैती की संख्या 121 थी और 1977 में 120। 74 में लूट की संख्या 1909 थी और 77 में 189। हत्या 74 में 128 थीं और 77 में 116। बल्वे 74 में 426 थे और 77 में 446 गृहभेदन 74 मे 1113 थे और 77 में 1078। ट्रांसफार्मर्स की चोरी 74 में 397 थी और 77 में 137। बलात्कार 74 में 15 थे और 77 में 27। इस तरह से आप देखेंगे कि जिस तरह की चिन्ता व्यक्त की जा रही है स्थिति वास्तव में वैसी नहीं है। यह नहीं मैं कहता कि यही स्थिति बनी रहे, उसमें भी हम सुधार लाना चाहते हैं और कमी लाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री अरुण कुमार—

बलात्कार के संबंध में आपको क्या कहना है ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । बार-बार खड़े हो कर व्यवधान न डालें।

श्री राम नरेश यादव—

मैं यह बतलाना चहता हूं कि जो रिपोर्ट लिखाई गयी है इस संबंध में उन्हीं को प्रमाणित माना जायगा । वैसे तो कहने के लिये कितने ही आरोप आप लगाते जायें लेकिन जो रिपोर्ट लॉज हुई हैं उसमें केवल 3 व्यक्ति आशंकित थे जिनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। अगर कोई ऐसी घटना हो जाय अधिकारी ध्यान न दें तब तो प्रशासन की लापरवाही समझी जायेगी । जहां कहीं भी ऐसी घटनायें हुई हैं रायबरेली में, बाराबंकी में वहां तत्काल कार्यवाही होती है और हुई है । इसी आधार पर प्रशासन की चुस्ती और उसकी क्षमता आंकी जा सकती है । इतना जरूर है कि स्थान स्थान पर चाहे वह वाराणसी की घटना हो चाहे कहीं की भी घटना हो, कांग्रेस (आई) की तरफ से उसे एक ऐसा रंग दिया जाता है जिससे लोगों में विद्वेष की भावना पैदा हो जाती है । लेकिन सरकार उन सारी घटनाओं की तरफ सजग ह और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां कहीं भी इस तरह की घटनायें कांग्रेस (आई) की तरफ से इंदिरा गुट के द्वारा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है उसके ऊपर सरकार की कड़ी दृष्टि ह और आज भी कुछ ऐसे लोग जो उधर बैठे हैं, उनको सरकार क्षमा नहीं कर सकती है. . . .

(श्री अरुण कुमार के कुछ कहने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

आप बार-बार खड़े होकर व्यवधान डाल रहे हैं । आप लोग इधर से शोर मचाक शोर बन्द नहीं कर सकते । सत्तारूढ़ दल की कुछ मर्यादायें होती हैं और लगता है कि आपक विरोध पक्ष की आदत है ।

श्री गुलाब सेहरा—

यदि हमारे ऊपर आक्षेप हो तो उसके स्पष्टीकरण का भी मौका आप नहीं देंगे ? य कौन सी व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष—

यदि आप पर व्यक्तिगत आक्षेप हो तो स्पष्टीकरण का मौका आपको दिया जायेगा ।

राम नरेश यादव—

इतना जरूर है कि इस दिशा में जो ऐसे लोग हैं जो समाज में रह रह कर अपराधशी हैं और वातावरण को अशांत कर देते हैं तथा जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करते ह उनके खिलाफ़ भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही की गई है । उधर के बैठे हुए लोगों को इस तर भी ध्यान देना चाहिये कि कितने ही पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी भी डकैतों के सा मुठभेड़ में मारे गये हैं । इस प्रकार 204 डकैत मुठभेड में मारे गये हैं और 4 000 से अधिक गिरफ्तार होकर जेलों में भेज दिये गये हैं । यह सारी स्थिति प्रदेश जनता पार्टी की नीतियं के आधार पर ही हुई । जो स्थिति पैदा हो गयी थी उस पर नियंत्रण पाने के लिये सारे कदम उठाये गये हैं और उठाये जा रहे हैं ।

इसी सिलसिले में एक बात की और मैं चर्चा करना चाहूंगा । यहां पर स्वच्छ प्रशासन और भ्रष्टाचार की बहुत चर्चा की जाती है । इस संदर्भ में सरकार ने जो कदम उठा हैं जो छापे मारे गये हैं लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं वे ही इस बात को बताती हैं सचमुच इस दिशा में काफी प्रयास किया गया है । अप्रैल से दिसम्बर, 1977 तक 237 ट्रैप डाले गय जिसमें से 219 पकड़े गये जब कि पिछले वर्ष में कांग्रेस की हुकूमत मे 160 ट्रैप हुए थे जिसमें से केवल 13 पकड़े गये थे । हमने इस दिशा में बड़े से बड़े अधिकारी सेल्स टैक्स अधिकारी, एडीशिनल जज, बिक्रीकर अधिकारी आदि लोगों को भी पकड़ा। वह अधिकारी भी पकड़े गये इसी बात को ध्यान में रख कर कि प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन हो । आज जो आप उधर बैठे हुए हैं 30 वर्षों के अन्दर पूरे प्रशासन को बिगाड़ दिया था आप बात तो नई दिशा देने की करते थे लेकिन जन-जन तक भ्रष्टाचार पहंचा दिया था उसे निकालने का प्रयास जनता सरकार कर रही है (व्यवधान)

मान्यवर, जनता पार्टी की नीति का जैसा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में संकेत दिया गया है कि समय बद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत हम पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे । 30 वर्षों के शासन में आज भी 5 हजार से ऊपर गांव ऐसे पड़े हुए हैं जिनमें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी । जनता पार्टी की सरकार ने जिसकी नीति महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में पल्लवित होती है कहा है कि तीन वर्ष के अन्दर ही पूरे प्रदेश में गांव में पीने की व्यवस्था करेंगे और यह बात समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार आयेगी ।

मद्यनिषेध के संबंध में भी हमने संकल्प लिया है कि चार वर्ष के अन्दर पूरे प्रदेश में इसको लागू करेंगे और इस बात को ध्यान में रख कर कि जहां सरकार को 50 करोड़ की रेवेन्यू प्राप्त होती है वहां 130 करोड़ रु0 की जनता की गाढ़ी कमाई को हम बचाना चाहते हैं । हमने संकल्प किया है कि चार वर्ष में पूरी तरह से मद्यनिषेध लागू करेंगे । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने 5 महानगरियों तथा 3 जिलों को ले लिया है इस तरह से इसमें 8 जिले आ जाते हैं । इस संदर्भ में सरकार कड़ाई के साथ अपनी नीति का पालन करेगी ।

इन शब्दों के साथ जो इस तरह की सारी चर्चायें यहां पर हुई हैं और जिनको जनता पार्टी को बदनाम करने के लिये किया गया है उनका उत्तर मैंने दिया। सारी चीजें सरकार के सामने हैं और जनता सरकार ने जो गांवों की ओर चलने का नारा दिया है उस पर वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस सरकार के कदम किसी भी तरह रुकगे नहीं। इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रखे हैं उनकी भावनाओं, का स्वागत करते हुए और प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए कि जो सारे प्रस्ताव हैं वह प्रदेश की जनता से संबंध रखते हैं, हमारे साथी दलगत भावनाओं से ऊपर उठ कर समाज को उपर उठाने का मौका देंगे। मैं उन माननीय सदस्यों की भावनाओं का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि जो संशोधन उन्होंने रखे हैं उनको वह वापस ले लेंगे और इस धन्यवाद प्रस्ताव को पास करेंगे।

श्री देवबहादुर सिंह—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूंकि जो तीन न्यायिक जांच करने के आदेश आपने दिये लखनऊ, कानपुर और बनारस के संबंध में क्या वह न्यायिक जांच शुरू हो गई है ? यदि नहीं, तो विलम्ब क्यों हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर) श्री देवबहादुर सिंह आपके दल के हैं इसलिये आप बैठें। मैं इसे प्रश्नोत्तर काल नहीं बनने दूंगा।

(व्यवधान)

(श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी के खड़े होने पर।)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

आपके दरबार में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री गुलाब सेहरा—

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी इसी महीने मार्च माह में हरिजन उत्पीड़न की घटनाओं के बारे में भारत सरकार के राज्यगृह मंत्री श्री धनिक लाल मंडल ने लोकसभा में बयान दिया कि देश के समस्त प्रदेशों में हरिजन उत्पीड़न सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ है उन्होंने 1038 की संख्या बताई और बलात्कार की 130 घटनायें बताईं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि केंद्रीय मंत्री का वह बयान सही है या मुख्य मंत्री जी का बयान सही है ?

(व्यवधान)

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप इतने पुराने सदस्य हैं, संसद के सदस्य रहे हैं, वहां ऐसा कभी नहीं होता।

श्री श्याम धर मिश्र—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों के संबंध में जब बात कही थी, तो गुड़ की बात कही थी और उसकी कीमत की बात कही थी कि उन्हें लाभकर कीमत दी जा रही है। लेकिन हमें यह मालूम हुआ है कि जो कीमत ने फेड द्वारा दी जा रही है वह बाजार कीमत से दी जा रही है जो किसानों के लिये क्षतिकारक है, तो उन्हें इसके स्थान पर लाभकर कीमत क्यों नही दी जा रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

इसलिये खरीद की जा रही है ताकि वह नेफेड के माध्यम से अधिक से अधिक खरीद हो जायेगी, तो बाजार में जो गुड़ पड़ा रह जायेगा, उसकी कीमत बढ़ेगी । जहां तक आयोग के काम करने का सवाल है, माननीय सदस्यों और विशेषकर इन माननीय सदस्य को इसकी जानकारी है कि आयोग नियुक्त हो गया है और उसके कर्मचारियों की तथा अन्य व्यवस्थायें भी हो गई हैं और उसका कार्य आरम्भ हो गया है ।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का तो उत्तर दिया ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं । श्री रियासत हुसैन, आप अपने संशोधन पर बोलें, कोई नया व्याख्यान न दें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

आप मुझे एक छोटा सा प्रश्न पूछने की इजाजत दे दें (व्यवधान) आप महिलाओं को हमेशा दबाते रहते हैं । मैं महिलाओं के बारे में पूछना चाहती हूं ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, आप बैठें । (व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्रीमन्, मैं आपकी बात मानूं या इन लोगों की जो मुझे रोक रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं उनको रोक रहा हूं, आप बैठें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

कभी भी मुझे प्रश्न पूछने का अवसर नहीं दिया जाता है .... (व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मुझे खेद है कि आज जो इस प्रदेश के अन्दर गन्ने की समस्या सारे किसानों के सामने खड़ी है, 70 प्रतिशत गन्ना खेतों में खड़ा है, उसका समाधान तो मुख्य मंत्री जी ने बताया, लेकिन उसका कहीं कोई कार्यान्वयन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने उसकी उत्साहवर्धक कीमत नहीं रखी है और न मजदूरों और फैक्टरियों को चलाने का समुचित प्रबन्ध क्या होगा इस पर कोई रोशनी डाली है, इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है । मेरे किसी भी अमेंडमेंट का कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया । न मालूम आपने कहां से फीगर इकट्ठा की है । इस फीगर से मौजूदा हालत कहीं भी मेल नहीं खा रही है इसलिये मैं अपने संशोधन को वापस नहीं ले रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से बार-बार अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस माननीय सदन के सदस्य हैं, आपको दो लाख लोगों ने चुनकर भेजा है । आप इसे ध्यान में रखें कि पत्रों के द्वारा तमाम प्रदेश में आपके आचरण को जनता गहरी नजर से देखती है । सीट पर बैठकर बोलना शिष्टता के विरुद्ध है । आप थोड़े धैर्य से काम लें और वाद-विवाद में आपको थोड़ा संयम रखना चाहिये । आप विरोध पक्ष की बात सुनें, और विरोध पक्ष भी आपकी बात सुनें। यह कोई मल्ल-युद्ध या वाक्युद्ध का स्थान नहीं है ।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्यसूची का कार्य जब तक समाप्त न हो जाय तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय जब तक यह कार्य सूची का कार्य समाप्त न हो बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, कई दिन सें प्रदेश के जो सवाल हैं उन सवालों पर यहां पर माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं । एक तरह से प्रदेश की सारी समस्याओं पर इन कई दिनों में चर्चा हुई है ।

श्री अध्यक्ष—

कृपया पांच मिनट में समाप्त करें ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

जैसा कि मैंने पहले दिन निवेदित किया था, महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है, वह सम्पूर्ण कार्यक्रम नही होता । माननीय रियासत साहब और अन्य माननीय सदस्यों ने जो अपने संशोधन रखे हैं उन संशोधनों से ऐसा लगता है, कि इस आधार पर रखे हैं, जैसे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सम्पूर्ण समस्याओं का समाधान या सम्पूर्ण कार्यक्रम हो । महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण एक दिशा देता है, सरकार के आगामी कार्यक्रमों की दिशा का बोध हमको कराता है । महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण निश्चित रूप से जनता पार्टी की सरकार के आगामी मंसूबों की, कार्यक्रमों की रूपरेखा को अच्छी तरह से हमको बताता है ।

जनता पार्टी की सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में पिछड़े इलाकों, पिछड़े लोगों और गांवों की दिशा की ओर चलने की जो बात कही गयी है उसके पीछे निहित है कि जो हमारे समाज में पिछड़े तबके हैं, जो हमारे प्रदेश के पिछड़े इलाके हैं, उनकी तरफ बढ़ कर उनकी प्रगति की ओर बढ़ना है उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है। एक साल के कार्यक्रम में प्रदेश की सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता । हरिजन वाली समस्या के मामले में, विपक्ष के लोगों ने, हमेशा इस अभिभाषण के मौके पर भी और उससे पहले भी बहुत जोर शोर से आवाज उठाने की कोशिश की है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां तक हरिजन समस्या का सवाल है, वह हमारी एक सामाजिक समस्या है। वह समस्या हमारे समाज में है, अगर इस बात से मुंह मोड़ते हैं तो तथ्यों से परे जाते हैं । हमारे समाज की जो रचना है जो वर्ण व्यवस्था है, उसमें ऐसा सम्भव है और यह है । लेकिन जो सामाजिक बुराई है, सामाजिक समस्या है, हम सब लोगों को मिल कर हल करनी पड़ेगी । कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस (इंदिरा) के लोग इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं । यह हरिजनों के साथ और भी अन्याय है । हरिजन समस्या, जो एक सामाजिक समस्या है उसके निराकरण की बात नहीं करते । लेकिन राजनैतिक लाभ उटाने की कोशिश करते हैं । तो सोचने की बात है कि उस समस्या के निराकरण के लिये जो एक सामाजिक बुराई है इस माननीय सदन के सभी सदस्यों का योग होना आवश्यक है या पिछड़े लोगों की जो मुसीबतें

[श्री रमाशंकर कौशिक]
हैं, जो उनकी आर्थिक और सामाजिक परेशानियां हैं, जो उनकी सामाजिक ढ़ंग से अवहेलना की जाती है, उन सारी समस्याओं को सबको मिलकर समाधान निकालना चाहिये। लेकिन जहांतक उससे राजनीतिक लाभ उठाने की बात है, हमारे प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरह से जान गयी है कि जो राजनीतिक लाभ उठाने की बात करते हैं, उनके खराब इरादे उसके पीछे है, इस प्रदेश की जनता उसको अच्छी तरह से समझ गयी है।

मान्यवर, दुख होता है कि कुछ लोगों ने मद्य निषेध के कार्यक्रम पर जो महात्मा गांधी का दिया हुआ है, पिछले 30 सालों से उपेक्षित पड़ा हुआ है, उस पर भी लोगों ने आपत्ति प्रकट की है और आलोचना की है। हमारे देश का मौसम ऐसा है कि शराब हमारे देश को बरबाद कर रही है। हमारा देश गर्म देश है और हमारा प्रदेश इतना पिछड़ा और गरीब है हमारी गरीबी शराब द्वारा और बढ़ रही है। गर्म मौसम के कारण थोड़ी सी शराब पीकर आदमी पागल हो जाता है। यह निश्चित बात है कि जब तक मद्य निषेध नहीं होता है और उस पर अमल नहीं किया जाता है हमारे देश और प्रदेश की उन्नति संदिग्ध रहेगी।

श्री अध्यक्ष—

कौशिक जी आपको चाहिये था कि जो आपने प्रस्ताव रखा है और उसकी लोगों ने आलोचना की है उसका उत्तर देते, आप तो नया भाषण दे रहे हैं। अब आप समाप्त कीजिये।

श्री रमा शंकर कौशिक—

अरुण कुमार जी को कुछ तकलीफ हो गयी है।

श्री अध्यक्ष—

श्री श्यामधर जी को और बहुत लोगों को तकलीफ है।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मद्य निषेध से बहुत से लोगों का भला होगा। जैसा पहले मैंने निवेदन किया गन्ने की समस्या को पिछली सरकार ने खराब किया। चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होगा या नहीं इस पर विवाद होता रहा है। जनता सरकार निश्चित रूप से गन्ना समस्या का हल करेगी, गन्ना पेरा जायगा। आगे के लिये ऐसी व्यवस्था जरूरी है कि जो क्रेशर हैं गन्ने की पेराई करते हैं, उन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है उसकी व्यवस्था करनी होगी। हम लोग यह कार्य इस साल नहीं कर पाये हैं लेकिन आगे जरूर करेंगे और जो कानूनी नियंत्रण नहीं था वह रहेगा। मैं इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों से एक बार फिर यह अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने इस प्रस्ताव पर संशोधन पेश किये हैं वह उसको वापस ले लें और जैसा कि बजट सेशन शुरू हो गया है और सभी लोग अपनी अपनी बात करेंगे इसलिये महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसको सर्वसम्मति से पारित करें।

श्री अध्यक्ष—

रियासत जी, क्या आप अपना संशोधन वापस लेते हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

नहीं साहब, असली चीजें हमारे संशोधन में हैं।

श्री अध्यक्ष—

कौशिक जी के समझाने पर भी नहीं समझते हैं।

श्री रियासत हुसैन के संशोधन पर मैं मत ले रहा हूं । इसके साथ ही साथ और जो संशोधन हैं जिनको पढ़ा हुआ माना गया था वह भी इसी प्रश्न के अन्दर सम्मिलित कर लिये गये हैं ।

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया—

(1) प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्या का निदान,

(2) शिक्षित, अशिक्षित, बेरोजगारों की समस्या का समाधान,

(3) प्रदेश में 80 प्रतिशत आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जनता के पढ़े-लिखे योग्य नौजवानों के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण,

(4) अल्पसंख्यक, हरिजनों, महिलाओं तथा अन्य निर्बल वर्गों की जान-माल तथा इज्जत की रक्षा न होने पर सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना,

(5) उर्दू जुबान को प्रदेश की दूसरी जुबान घोषित करना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब मैं मूल प्रस्ताव को ले रहा हूं । प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को दिनांक 17 मार्च, 1978 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यबाद प्रकट करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनमें से मैंने श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी के प्रश्न को स्वीकार किया है जो इस प्रकार है "गंगा में अथाह जल छोड़ दिये जाने के कारण फर्रुखाबाद में नदी के किनारे हजारों एकड़ भूमि में उपजी जायद फसल के नष्ट होने से समाज के कमजोर वर्ग को भारी क्षति ।'

सिंचाई मंत्री जी इस संबंध में आप कब वक्तव्य देंगे ?

सिंचाई मंत्री (श्री बलबीर सिंह)—

मैंने निवेदन किया है कि आप तारीख निश्चित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

जो तारीख आपको सुविधाजनक हो, वह बता दें ।

श्री बलबीर सिंह—

मान्यवर, 5 अप्रैल को वक्तव्य दे दूंगा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि ओले के संबंध में जो प्रदेश भर में पड़ा उसके संबंध में आपने माननीय मुख्य मंत्री को आदेश दिया था कि वे एक वक्तव्य दे दें परन्तु उसके लिये कोई तारीख निश्चित नहीं हुयी है?

श्री अध्यक्ष—

राजस्व मंत्री जी आप कब वक्तव्य दे देंगे ओले गिरने के संबंध में जिससे प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है?

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

मान्यवर, जो तारीख आप निश्चित कर देंगे उसी दिन मैं अपना वक्तव्य दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप बतायें कि क्या आपको सूचना प्राप्त हो गयी है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, 6 अप्रैल को अपना वक्तव्य दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, इसके लिये 6 अप्रैल निश्चित की जाती है ।

रेलवे सरक्षा दल, हरदोई के सिपाहियों द्वारा चीनी मिल के सुरक्षा अधिकारी एवं एक अन्य व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर देन व एक अन्य व्यक्ति को घायल कर देने के कथित आरोपों के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

पर्वतीय विकास उप मंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 24–3–78 को घटित कथित घटना के संबंध में श्री राघे गोविन्द स्वरूप हेड रक्षक आर0 पी0 एफ0 ने थाना राजकीय रेलवे पुलिस हरदोई में यह लिखित सूचना दी कि वह रक्षक ईश्वर दयाल के साथ ट्रैक पैट्रोलिंग कर रहे थे कि लगभग सवा नौ बजे रात्रि में उन्होंने देखा कि एक मालगाड़ी लेविल क्रासिंग गेट पूर्वी केबिन हरदोई से पास हुई जिसमें कोयले के वैगन थे । एक वैगन में एक चोर चढ़कर कोयला गिराने लगा । ललकारने पर उत्तर कर दक्षिण की तरफ भागा । जब दोनों रक्षक कोयला साइडिंग पर पहुंचे तो उन्हें 15-20 व्यक्तियों ने घेर लिया व मारने पीटने लगे और राइफल छीनने लगे । रक्षकों के शोर करने पर रक्षक आशाराम बाजपेई व चन्द्रमणि त्रिपाठी व उप-निरीक्षक रेलवे सुरक्षा दल श्री गजाधर प्रसाद आ गये । उन्होंने मना किया लेकिन अभियुक्त-गण मारपीट व राइफल छीनने का बराबर प्रयास कर रहें थे । इस पर हेड रक्षक श्री राघे गोविन्द ने अपने बचाव में अपनी राइफल से पांच राउन्ड फायर किये । इस सूचना पर थाना जी0 आर0 पी0 हरदोई में धारा 147/323/353 भारतीय दंड विधान का अभियोग पंजीकृत हुआ ।

इसके विपरीत श्री उमाशंकर दीक्षित पुत्र श्री कमलाकांत दीक्षित निवासी मोहल्ला नई बस्ती थाना कोतवाली हरदोई ने दिनांक 25–3–78 को प्रात: सवा दो बजे थाना कोतवाली में यह लिखित सूचना दी कि दिनांक 24–3–78 को वह अपने पिता कमलाकांत व भाई केशव दत्त के साथ भट्ठे की तरफ काम देखने जा रहे थे और जब गन्ना साइडिंग के पास पहुंचे तो लक्ष्मी शुगर मिल के निरीक्षक श्री सतेन्द्र नाथ श्रीवास्तव के चिल्लाने की आवाज सुनी और उस ओर दौड़े तो देखा कि रेलवे सुरक्षा दल के दो जवान वैगन से गन्ना लेकर ग्राम खदरा की पुलिया की ओर जा रहे थे वे रेलवे सुरक्षा दल के जवानों तथा श्री सतेन्द्र नाथ श्रीवास्तव से वाद-विवाद हो रहा था । उन लोगों न जैसे ही गन्ना छीनने का प्रयास किया कि रक्षक ईश्वर दयाल ने अपने साथी हेड रक्षक राघे गोविन्द के आदेश पर गोली चलाना शुरू कर दिया । गोली लगने से श्री सतन्द्र नाथ श्रीवास्तव एवं केशवदत्त दीक्षित मर गये व श्री कमलाकांत

दीक्षित गम्भीर रूप से घायल हो गये । इस सूचना पर धारा 302/307 भारतीय दंड विधान का अभियोग कायम हुआ और यह प्रथम सूचना भी जी0 आर0 पी0 हरदोई भेज दी गयी । दोनों अभियोगों की विवेचना की जा रही हैं।

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे तथा पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और आम जनता म जो भ्रांतियां उत्पन्न हो रही थीं उसका निराकरण करते हुए निष्पक्ष एवं न्यायसंगत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया । जिलाधिकारी ने घटना की मैजिस्टीरियल जांच क आदेश दे दिये है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दो प्रथम सूचनायें लिखाई गयीं, पहली सूचना सिपाहियों की ओर से । आप देखें कि 6 सिपाही थे राइफल सहित वह कहते हैं कि 15 आदमियों ने घेर लिया, राइफल छीनने की कोशिश की तो उन्होंने गोली चला दी और वह लोग उनमें से मर गये । यह रिपोर्ट डिफेंस में लिखाई गयी प्रतीत होती है । चूंकि चोरी करते हुए पकड़े गये तो बदनामी के भय से गोली चलाई और दो आदमी घटना-स्थल पर मर गये इसलिये 302/307 का मुकदमा चलाया गया । लेकिन मैं जानना चाहता हूं, टीका-टिप्पणी नहीं करता, कि पुलिस वाले दोषी पाये गये हैं और बाकायदा उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है तो उनको अब तक गिरफ्तार किया गया या नहीं और सेवा से निलंबित है अथवा नहीं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, इस पूरे मुकदमें में निष्पक्षता रहे, इसलिये सबसे पहले एस0ओ0 जी0आर0पी0 से विवेचना लेकर लखनऊ के जी0आर0पी0 श्री राम स्वरूप को जांच सौंप दी गयी है अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह बात तो में आपके माध्यम से फिर इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि वे पुलिस के सिपाही हैं और क्षेत्र में गवाहों को प्रभावित कर रहे होंगे । जब प्राग्दर्शन में आरोप सिद्ध हैं और रिपोर्ट आ गयी है और मेरी सुनिश्चित जानकारी हैं कि सिपाहियों को दोषी ठहराया गया है तो उनको न गिरफ्तार क ना और न निलंबित करना कहां तक ठीक है ? क्या उनकी गिरफ्तारी करक उस पर पुनः विचार करन की कृपा करेंगे ? उसके साथ ही 24 तारीख को घटना हुई और मैजिस्ट्रेट की जांच के आदेश कब जारी किये गये ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह क्रास केस है । इसमें कौन एंग्रेसर है यह काम तो अदालत के तय करने का है, लेकिन जो भी जांच में दोषी होगा उसको तत्काल गिरफ्तार किया जायगा और मैजिस्टीरियल जांच भी 26 के बाद से शुरू की जायगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

इस घटना की दो रिपोर्ट अलग-अलग लिखायी गयी हैं । मरने वालों की तरफ से जो 302 की रिपोर्ट लिखायी गयी हैं उसका समय 2 बजकर 15 मिनट हैं सुबह का । पुलिस की तरफ से रिपोर्ट किस समय लिखायी गयी हैं और कब ? किस तारीख को ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

पहले रिपोर्ट हरदोई में जी0आर0पी0 थाने में 10 बजकर 15 मिनट पर लिखायी गयी है, घटना सवा 9 बजे की है । दूसरी रिपोर्ट कोतवाली में 2.15 मिनट पर लिखायी गयी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

जब पुलिस वालों के खिलाफ दफा 302 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हो गया तो कौन सा कारण है कि इसमें जो लोग अभियुक्त हैं उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और 81-82 के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की गयी हैं ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

यह देखते हुए कि जी0आर0पी0 के एस0ओ0 से इन्क्वायरी कराने में वह एस0 ओ0 प्रभावित न हों, हमने लखनऊ से दूसरे अधिकारी को इन्वेस्टीगेशन करने के लिये भेजा। इसमें जो भी दोषी पाये जायेंगे उनको गिरफ्तार किया जायगा।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार ने ऐसा कोई नियम बनाया हैं कि जो भी क्रास केस होंगे उनमें किसी की गिरफ्तारी नहीं की जायेगी ? क्या ऐसा नियम बन चुका हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप कानून बनाने का सुझाव दे रहे हैं।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

नियम के अनुसार जब दफा 302 में रिपोर्ट दर्ज हैं तो मुलजिमान को गिरफ्तार होना चाहिये। नियम के अनुसार जब एफ0आई0आर0 दर्ज है तो मुलजिमान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

इस घटना की दो तरफ से रिपोर्ट है। दो एफ 0आई0 आर0 हैं। इसलिये इन्वेस्टीगेशन के बाद प्राइमाफेसी जब भी किसी के खिलाफ केस बनेगा, गिरफ्तारी की जायगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

पुलिस ने जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखायी हैं क्या उनकी गिरफ्तारी हुई हैं?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मैंने निवेदन किया कि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

लखनऊ से इन्सपेक्टर भेजे गये है जांच के लिये यह कहा गया। अगर जी0 आर0 पी0 द्वारा जांच होती तो निष्पक्ष नहीं होती। तो क्या इसको देखते हुए कि निष्पक्ष जांच हो सरकार मैंजिस्टीरियल जांच के आदेश देगी ?

श्री अध्यक्ष—

26 तारीख को उसके तो आदेश हो चुके हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मैजिस्टीरियल जांच के आदेश किस सक्षम अधिकारी ने दिये हैं। जब मैजिस्टीरियल जांच चल रही हैं तब जो अधिकारी जांच के लिये लखनऊ से भेजे गये हैं उनको जांच करने का क्या अधिकार हैं ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

इस घटना की पूरी जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा ही होगी । इन्वेस्टीगेशन अलग चीज है। दोनों में अन्तर है । पहले जी0आर0पी0 के एस0ओ0 को इन्वेस्टीगेट करने के लिये कहा था, बाद में लखनऊ से श्री रामस्वरूप सिंह, इन्सपेक्टर को भेजा हैं।

श्री बलदेव (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह जानना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट लिखाई गयी 147/323/353 की, क्या यह नामजद रिपोर्ट थी ? यदि हां, तो वे कौन-कौन लोग हैं ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मान्यवर, 147/353 में जो एफ0आई0आर0 लिखाई गयी है, उसमें 15-20 आदमी कहे गये हैं, कोई नामजद नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, जिस बाकये के ऊपर 14/323/353 की रिपोर्ट हुई है, उसमें डाक्टरी मुआइने हुए हैं, तो किस-किस को क्या-क्या चोटें आई हैं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्रीमन्, किसी की भी डाक्टरी रिपोर्ट इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं यह पूछ रहा हूं कि डाक्टरी हुई है कि नहीं हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

यह कहा कि किसी की डाक्टरी नहीं हुई ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यह नहीं कहा कि किसी की डाक्टरी नहीं हुई । माननीय मंत्री जी ने कहा कि उपलब्ध नहीं है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से संबंधित । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन्वेस्टीगशन और जांच में क्या फर्क है ? मैं नहीं जानता कि किसी इंग्लिश की डिक्शनरी में इन्वेस्टीगेशन का मतलब जांच न होता हो। उस फर्क को हम समझना चाहेंगे । इन्क्वायरी, मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी दूसरा चीज है, लेकिन इन्वेस्टीगेशन और जांच में मैं नहीं जानता कि फर्क होता है । आप कहते हैं कि इन्वेस्टीगेशन और जांच में फर्क है। तो उस फर्क को हम समझना चाहेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

श्री आरिफ आप खुद समझ रहे हैं । आप शब्दों के फर्क में न जायें । आपने कहा कि मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी और सब-इंस्पेक्टर इन्वेस्टीगेशन कर रहा है, बिलकुल स्पष्ट है ।

श्री रियासत हुसैन —

मान्यवर, यह देखते हुए कि एक रिपोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट नहीं हुई है, दूसरी रिपोर्ट में जान से आदमी मारा गया यह देखते हुए कि दोनों में विरोधाभास है, क्या इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि यह क्रास केस है । यह अदालत तय करेगी कि अग्रेसर कौन था । इसलिये मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दिये गये हैं । मैजिस्टीरियल जांच में सारे तथ्य आ जायेंगे ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, क्या दूसरी रिपोर्ट को ठीक मानते हुए, यह माना जायगा कि पुलिस कर्मचारी 302 के अभियुक्त हैं और इस समय कार्य पर हैं, जब तक कि जांच मैजिस्टीरियल और इन्वेस्टीगेशन चल रहा है, तब तक उन्हें सेस्पेंड कर दिया जायगा, ताकि वे जांच अधिकारी को प्रभावित न कर सकें ?

श्री अध्यक्ष—

यह आपका प्रश्न काल्पनिक है । इसकी मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

एक इन्क्वायरी आई० ओ० की और दूसरी मैजिस्टीरियल जांच है, दोनों की अगर विभिन्न रिपोर्ट होती है, तो प्रासीक्यूशन किस पर करेंगे?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

आई०ओ० या इन्वेस्टीगेशन आफिसर क्रिमिनल केसेज में जो चार्जशीट सब्मिट करता है, उसी पर कोर्ट केस चलता है । लेकिन मैजिस्टीरियल जांच उन तमाम तथ्यों को लाने के लिये की जा रही है ताकि पूरी घटना में आई०ओ० को मदद मिल सके।

श्री जसवीर सिंह (जिला एटा)—

मान्यवर, पुलिस की तरफ से जो रिपोर्ट लिखाई गयी है, उसमें कोई चोटों का जी० डी० में अंकन किया गया है, कि नहीं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि आर०पी०एफ० की तरफ से जो रिपोर्ट लिखाई गयी है, जी०आर०पी० थाने में, उसमें चोटों का हवाला नहीं है ।

आयुर्वेदिक छात्रों का विधान सभा के सामने आमरण अनशन के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब श्री पुरुषोत्तम कौशिक, श्री श्रीराम द्विवेदी, श्री राजेंद्र कुमार गुप्त, श्री रमाशंकर कौशिक, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री ब्रज बल्लभ सिंह द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम 51 की सूचनाओं को ले रहा हूं ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)—

मान्यवर, निखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली एक परीक्षा संस्था है, जोकि प्राइवेट संस्थाओं की आयुर्वेद शास्त्री तथा आयुर्वेदाचार्य के पाठ्यक्रम को संचालित करती है और उनकी परीक्षायें भी आयोजित करती रही हैं । कुछ समय पूर्व इन प्राइवेट विद्यालयों क छात्रों ने आन्दोलन किया था और केन्द्र सरकार से यह मांग की गई थी कि उसने विद्यालयों में भी पठन-पाठन की व्यवस्था की जाय और उनकी परीक्षायें राज्यों के विश्वविद्यालयों से या राजकीय बोर्डों द्वारा आयोजित कराई जायें । भारत सरकार द्वारा छात्रों को यह आश्वासन

दिया गया था कि इसकी सम्भावनाओं के विषय में पता लगाया जायेगा और यदि राज्य सरकारें सहमत न होंगी तो उनकी परीक्षायें एक केन्द्रीय बोर्ड द्वारा ली जायेगी । तदनुसार भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों से यह सूचना मांगी थी कि क्या विद्यापीठ के छात्रों की वर्ष 1978 की वार्षिक परीक्षायें संबंधित राज्यों के बोर्डों द्वारा आयोजित कराई जा सकती हैं और क्या राज्य सरकारें इन विद्यालयों में भी प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करा सकती है ? भारत सरकार द्वारा इस संबंध में दिये गये आश्वासन के कारण ही निखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ से सम्बद्ध उत्तर प्रदेश के प्राइवेट आयुर्वेदिक विद्यालयों के छात्र अपनी मांगों को लेकर कुछ समय से आन्दोलन कर रहे हैं ।

निखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली विधि द्वारा स्थापित संस्था नहीं है और न इसका गठन किसी अधिनियम या अध्यादेश के अन्तर्गत किया गया है । प्रदेश में विद्यापीठ के अधीन चल रहे प्राइवेट विद्यालयों की संख्या 42 हैं । इन शिक्षण संस्थाओं की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है, क्योंकि इनमें छात्रों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु आवश्यक भूमि, भवन, स्टाफ, यंत्र एवं उपकरण, साज-सज्जा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा क्रियात्मक प्रशिक्षण हेतु अस्पताल की समुचित व्यवस्था नहीं है । उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा विश्व-विद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में हैं और कोई विश्वविद्यालय ऐसी प्राइवेट संस्थाओं की परीक्षायें नहीं ले सकता है, जोकि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं है । सम्बद्धता प्रदान करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालयों को हैं, चूंकि निखिल भारतीय विद्यापीठ के विद्यालयों का स्तर अत्यन्त न्यून एवं असंतोषजनक हैं और इनमें प्रचलित पाठ्यक्रम छात्रों के प्रवेश की अर्हतायें आदि भी निम्न कोटि की हैं तथा इनमें अपेक्षित साधनों का पूर्णतया अभाव है अस्तु यह कहना कठिन है कि यह विद्यालय, विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता देने के लिये उनके परिनियमों (Statutes) में निर्धारित शर्तें पूरा करते हैं । अतएव इन परिस्थितियों में विद्यापीठ के प्राइवेट विद्यालयों को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराना तथा उनकी परीक्षायें आयोजित कराना कदापि सम्भव नहीं है ।

जहां तक भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा विद्यापीठ के छात्रों की परीक्षायें आयोजित कराने का संबंध हैं, यह उल्लेखनीय है कि बोर्ड द्वारा परीक्षायें आयोजित करने, डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने तथा किसी आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेज की सम्बद्धता प्रदान करने का अधिकार यू0पी0 इंडियन मेडिसिन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1930 जो दिनांक 20 अगस्त, 1975 से प्रभावी हुआ है, द्वारा समाप्त कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप अब भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा भी विद्यापीठ के छात्रों की परीक्षायें आयोजित कराना किसी भी दशा में सम्भव नहीं हैं । इस संबंध में अन्य राज्यों से भी सूचनायें मांगी गयी थी, जिनमें से एक केंद्र शासित राज्य तथा तीन अन्य राज्यों से सूचनायें प्राप्त हुयी हैं । महाराष्ट्र, गुजरात तथा दिल्ली के राज्यों ने यह सूचित किया है कि वे विद्यापीठ के छात्रों की परीक्षायें आयोजित कराने का दायित्व स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है । केवल मध्य प्रदेश सरकार ने यह सूचित किया है कि वह विद्यापीठ के द्वितीय वर्ष से पंचम वर्ष तक के छात्रों की परीक्षायें बोर्ड द्वारा आयोजित कराने की व्यवस्था कर रही हैं । चूंकि उत्तर प्रदेश में विश्व-विद्यालयों के अतिरिक्त अब कोई ऐसी अन्य संस्था नहीं है जोकि इनकी परीक्षायें आयोजित कर सकें और विश्वविद्यालयों के लिये इनकी परीक्षायें लेना सम्भव नहीं हैं । अतएव इन परि-स्थितियों में शासन द्वारा भारत सरकार को विस्तृत विवरण एवं वांछित सूचना प्रेषित करते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य सरकार के लिये विद्यापीठ के छात्रों की मांगें स्वीकार करना तथा उनकी कोई परीक्षायें आयोजित कराना संभव नहीं हैं । भारत सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि केंद्रीय सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार इन छात्रों की परीक्षायें एक केन्द्रीय बोर्ड द्वारा कराने की व्यवस्था केंद्र सरकार स्वयं करें । यह भी ज्ञातव्य है कि दिनांक 16 से 18 जनवरी, 1978 को दिल्ली में हुई सभी राज्यों के आयुर्वेद

[श्री कल्याण सिंह]

निदेशकों की बैठक में यह संस्तुति की गई थी कि विद्यापीठ को ही परीक्षायें लेने की अनुमति दी जाये किन्तु परीक्षाओं का निरीक्षण करने के लिए एक कार्यकारी बोर्ड का गठन किया जाये जिसमें केंद्रीय सरकार और विद्यापीठ के प्रतिनिधि हों । इस संबंध में भारत सरकार का निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

विद्यापीठ के छात्रों द्वारा यह भी मांग की गयी है कि उनके विद्यालयों म भी अध्ययन-अध्यापन की उचित व्यवस्था की जायें। उत्तर प्रदेश में किसी आयुर्वदिक एवं यूनानी कालज को मान्यता एवं सम्बद्धता प्रदान करने का एक मात्र अधिकार विश्वविद्यालयों को है और केवल मान्यता प्राप्त संस्थाओं को ही वित्तीय सहायता दी जाती है, चूंकि विद्यापीठ के विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है और उनका स्तर भी बहुत निम्न है इसलिये इनमें प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था कराने के लिये वित्तीय सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता है । यह भी बता देना अनुचित न होगा कि वर्तमान राजकीय तथा महायता प्राप्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालजों के विकास के लिए तथा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् के नवीन पाठ्यक्रम के स्तर को पूरा करने के लिये ही समुचित धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसलिये विद्यापीठ के विद्यालयों में प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था कराने का दायित्व स्वीकार करना शासन के लिये सम्भव नहीं है ।

विद्यापीठ के छात्रों द्वारा एक मांग यह भी की जा रही है कि उन्हें भी राजकीय सेवाओं में लिया जाय । उत्तर प्रदेश में विद्यापीठ की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 की धारा 27 के अधीन परा 3 के अन्तर्गत पंजीकरण कराने तथा कर्माभ्यास करने की सुविधा प्राप्त हैं, किन्तु राजकीय सेवा में विद्यापीठ के छात्रों को नहीं लिया जाता है क्योंकि विद्यापीठ का पाठ्यक्रम और उपाधि राजकीय सेवा के लिये मान्य नहीं है ।

विद्यापीठ के छात्रों द्वारा यह भी मांग की जा रही है कि उनका पंजीकरण पैरा 1 के अन्तर्गत किया जाये । भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1939 के पैरा 1 के अन्तर्गत केवल विश्वविद्यालयों की पंचवर्षीय पाठ्यक्रम की उपाधि का रजिस्ट्रेशन किया जाता ह। इसलिये नियमानुसार इन छात्रों का रजिस्ट्रेशन उक्त पैरा के अन्तर्गत किया जाना संभव नहीं है ।

अन्त में यह कहना असंगत न होगा कि विद्यापीठ के छात्रों ने केंद्रीय सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन तथा राज्य सरकारों से मांगी गई सूचनाओं का सही अभिप्राय नहीं समझा और कदाचित इस कारण से उन्होंने आन्दोलन किया है । आयुर्वेद विद्यापीठ के छात्र इस संबंध में दो-तीन बार मुझसे मिले थे और मैंने इन तथ्यों से अवगत कराते हुए सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट कर दिया था किन्तु छात्रों ने आन्दोलन समाप्त नहीं किया। चूंकि इन छात्रों की मांगों का कोई सीधा संबंध तथा दायित्व राज्य सरकार का नहीं है और न ही इनकी मांगों में कोई औचित्य है, इसलिये इन छात्रों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन को किसी भी प्रकार उचित नहीं ठहराया जा सकता है ।

मान्यवर, एक सूचना मैं और आपकी अनुमति से जोड़ना चाहूंगा कि जो 5 छात्रों द्वारा अनशन करने की चर्चा थी उसमें जिलाधिकारी से सूचना प्राप्त हुई है कि उन 5 छात्रों का अनशन समाप्त हो गया है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से थोड़ा उधर जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने वक्तव्य पढ़ा इस संदर्भ में उस दिन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि निखिल भारतीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ के छात्रों का कहना है विद्यापीठ में भ्रष्टाचार था इसलिये संस्था को भंग कर दिया गया जब कि अनेक राज्यों के विश्वविद्यालय उससे संबद्ध है जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान,

हिमांचल प्रदेश और केन्द्र शासित दिल्ली। मान्यवर, उन्होंने 64 दिनों तक तो क्रमिक अनशन किया और 16 मार्च से आमरण अनशन पर 5 लोग बैठे। उनका आन्दोलन इतना शान्तिप्रिय था कि न उत्तेजना थी और न क्षुब्ध वातावरण था। किन्तु मान्यवर, ऐसे निरीह लोगों के साथ भी आपके आश्वासन के बावजूद, सदन के आश्वस्त करने के बावजूद, पुलिस ने निर्दयता बरती कि जूतों से मारकर उन छात्रों को बलपूर्वक घसीट कर ले जाया गया। यह सदन का अपमान है। श्रीमन्, आप स्वयं उन अनशनकारी छात्रों के सम्मुख जा चुके हैं और अनेक विधायक इस स्थिति को जानते हैं। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया और केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों की राय मांगी तो केन्द्र सरकार का वह मूल पत्र क्या है और इस संबंध में राज्य सरकार से क्या रिपोर्ट मांगी है ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, पत्र तो लम्बा है लेकिन रेलेवेन्ट पोरशन मैं पढ़कर सुना रहा हूं। इसका अनुवाद बाद में कर दूंगा।

"In view of the fact that this Ministry has assured the students of All-India Ayurvedic Chhatra Parishad that possibilities to arrange for the proper training and conduct of their annual examinations by the respective State Boards will be explored, it is requested that the Directors of State Government may kindly let this Ministry know whether it will be possible for them to conduct the annual examinations scheduled to be held in March 1978. An early reply in the matter will be appreciated."

क्या इनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए सरकार के लिए यह सम्भव है उसके उत्तर में एक पूरा नोट बनाकर भेज दिया गया है कि इन परिस्थितियों में यह सम्भव नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

जो अंग्रेजी में पढ़ा है इसका अनुवाद करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यवस्था करे और परीक्षा करवाये। आपने लिख दिया कि हम नहीं कर सकते, केन्द्रीय सरकार इसकी व्यवस्था करे।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सम्बन्धी जो व्यवस्था है वह राज्य सरकार के अन्तर्गत आती है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

यह आप जानते हैं कि यह राज्य का विषय है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

यह मंत्री जी का लम्बा वक्तव्य है। इसमें क्या समस्या है, दो शब्दों में रखना चाहता हूं। जो विद्यार्थी आयुर्वेदिक विद्यालयों में पढ़ना चाहते थे जिस समय यह नाम लिखाने गये उस समय निखिल भारतीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ से इनको मान्यता प्राप्त थी। इन विद्यार्थियों का कोई कसूर नहीं। किन्हीं कारणों से वह मान्यता समाप्त हो गयी। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि विधिक कारणों से वह परीक्षा लेने में असमर्थ हैं। केन्द्रीय सरकार ने आश्वासन दिया था। प्रदेशीय सरकार का कानूनी दायित्व हो या न हो किन्तु वह बच्चे हमारे हैं इसलिये प्रदेशीय सरकार उनकी परीक्षा की व्यवस्था करने के लिये अपने

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

दायित्व से नहीं मुकर सकती। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन बच्चों की परीक्षा हो जाय और उनका भविष्य खराब न हो इसके लिए राज्य सरकार की ओर से क्या प्रयास कर रहे हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

निखिल भारतीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ, नई दिल्ली ने इनकी मान्यता समाप्त कर दी जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा है हमने यह संस्तुति की है कि एक बोर्ड का गठन किया जाय जिसमें राज्य सरकार के और विद्यापीट के प्रतिनिधि हों जिससे कि यह कार्य सुचारु रूप से चलाया जा सके। जिन परिस्थितियों के कारण राज्य सरकार उनकी परीक्षा लेने में असमर्थ है या उनके पठन-पाठन की व्यवस्था करने में समर्थ नहीं है उनको मैंने विस्तार से इसमें दे दिया है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, श्री राजेन्द्र कुमार का प्रश्न यह है कि कई हजार बच्चों के जीवन के भविष्य का प्रश्न है। केन्द्र करे या आप करें इस झगड़े में पड़कर उनका भविष्य अन्धकारमय नहीं होना चाहिए। यह प्रदेशीय विषय है इसलिए उत्तरदायित्व आपका है। केन्द्र करे या आप व्यवस्था करें।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मैं यह निवेदन करने के लिए क्षमा चाहूंगा कि इनको उत्तर प्रदेश शासन ने कोई मान्यता या स्वीकृति प्रदान नहीं की। निखिल भारतीय विद्यापीठ द्वारा यह चल रहे थे और वही परीक्षाएं ले रही थी। केन्द्रीय शासन से अनुरोध किया गया। जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि राज्य सरकार इनकी परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है तो केन्द्रीय सरकार व्यवस्था करेगी। हम उनसे फिर आग्रह करेंगे कि इनका भविष्य अंधकारमय न हो। चूंकि हमारे लिये सम्भव नहीं है, इसलिये हमको केन्द्रीय शासन से कहना होगा।

श्री अध्यक्ष—

अब, नाजायज बच्चा ही सही, लेकिन है तो आपकी गोद में। जब आपकी गोद में है, तो उसके पालन-पोषण का दायित्व भी आप ही पर है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि हम इस झगड़े में नहीं पड़ते कि उन विद्यालयों में भ्रष्टाचार है या उनका शैक्षिक स्तर कम है। दिल्ली प्रशासन ने, मान्यवर अपने यहां के छात्रों की परीक्षा की व्यवस्था करा दी है। तो मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि वह बोर्ड आफ मेडिसिन्स, जिसके द्वारा पहले ऐसे विद्यालयों की परीक्षा ली जाती थी, (जो कि अब बंद हो गयी है) से क्या कोई विशेष शासकीय आदेश द्वारा व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे कि जिससे इन छात्रों की परीक्षा बोर्ड आफ मेडिसिन्स से ले ली जाय ? उसमें, मान्यवर, जो पास हो जायेंगे उनको अपने भविष्य के सोचने का मौका मिल जायगा।

श्री कल्याण सिंह—

मैं, तो मान्यवर, एक बार स्पष्ट कर चुका हूं कि शासन की क्या स्थिति है। हमारे पास जो 9 विद्यालय हैं, जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसके लिये 6 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, हम उसे ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम, मान्यवर आयुर्वेदिक स्तर को उठाना चाहते हैं। यह 4 साल का कोर्स है, जिनका कोई स्तर भी नहीं है। मैं मानता हूं कि इन छात्रों का कोई कसूर

नहीं है। विद्यापीठ को मान्यता देनी होगी। लेकिन चूंकि हमारे लिये सम्भव नहीं है, इस लिये एक बार पुनः केन्द्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि इन छात्रों की परीक्षा आयोजित करें। हमारे लिये सम्भव होता तो इस स्थिति को न आने देते।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, माननीय मंत्रीजी ने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली तथा हिमांचल प्रदेश से सूचना मिली है कि उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की लेकिन माननीय मंत्रीजी ने बताया कि मध्य प्रदेश से जरूर सूचना मिली है कि वहां द्वितीय से पंचम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित कराने का फैसला ले लिया है। तो क्या माननीय मंत्रीजी द्वितीय से पंचम वर्ष तक छात्रों की परीक्षा का फैसला विश्वविद्यालय से करायेंगे? वैसे कहा गया है कि बोर्ड से कराने की आवश्यकता नहीं है हालांकि वह सक्षम हो सकता है अगर सरकार उसको इजाजत दे। लेकिन क्या इनकी परीक्षा विश्वविद्यालय कराने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

वैसे मंत्री जी ने विस्तारपूर्वक उत्तर दे दिया है। उसमें लिखा है कि उनका स्तर, शैक्षिक योग्यता और साज-सज्जा इत्यादि वैसी नही जैसा कि विश्वविद्यालय अपनी शर्तों के अनुसार मन्जूर करता है। इसलिये वह नहीं हो सकता।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, यह बड़ी भयावह स्थिति है क्योंकि इस पर प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य और जीवन का सवाल जुड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जी इसे मानते हैं कि ये 42 विद्यालय जो हैं, ये नीम हकीम वैद्य पैदा करते हैं और उसके साथ हजारों छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस सारी स्थिति को देखते हुये इन विद्यालयों को बाद करने और फिलहाल इन विद्यालयों में जो स्टूडेन्ट्स दाखिल हो चुके हैं, उनके इम्तहान दिलाने के लिये कोई उचित व्यवस्था करेंगे उनको आश्वस्त करके?

कल्याण सिंह—

मान्यवर, वैसे तो प्रकाशान्तर से मैं उत्तर दे चुका हूं। लेकिन फिर भी यह बताना चाहता हूं कि यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है कि अब कोई आयुर्वेदिक कालेज, होमियोपैथिक कालेज या एलोपैथिक कालेज शासन की पूर्व अनुमति के बगैर स्थापित न किया जाय ताकि जो मौजूदा स्तर है उसको ऊंचा कर सकें और समुचित साज-सज्जा की व्यवस्था कर सकें। इसलिये यह शासन के विचाराधीन है और शासन इस पर विचार कर रहा है।

श्री ब्रज बल्लभ सिंह (जिला हरदोई)—

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया है कि महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली के राज्यों ने उन्हें सूचित किया है कि वे विद्यापीठ के छात्रों की परोक्षाएं आयोजित करने के दायित्य को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। मान्यवर, 30 जनवरी, 78 नं0 एफ, 28–25–ई बी0–337 इस एक पत्र की कापी मेरे पास है जिसमें स्पष्ट रूप से दिल्ली प्रशासन न विद्यापीठ की आयुर्वेदिक छात्रों की परीक्षाओं की व्यवस्था की है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि इनमें से कौन सी बात सही है?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, जिस पत्र का संदर्भ माननीय सदस्य दे रहे हैं उसके अन्दर तो किसी एक कालेज के छात्रों की परोक्षा लेने की जो शर्त लगी है वह शर्त है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक परिषद् के द्वारा मान्यता प्राप्त। इस शर्त को पूरा करना होता तो उनकी परीक्षा लेने न लेने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। यह पत्र मेरे पास है। इसमें लिखा है कि क्या वे शर्तें पूरी कर देंगे। ये शर्त स्वीकार नहीं की हैं।

श्री राम गोविन (जिला बलिया)—

जो छात्र आमरण अनशन कर रहे थे उनको पुलिस ने जबरन ल जाकर जेल में बंद कर दिया और उनका अनशन तुड़वाने का प्रयास किया। वे छात्र आज भी आमरण अनशन पर बैठे हुये हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्री छात्रों से सौहार्द्र पूर्ण वातावरण में समझौते के लिए बातचीत करेंगे और बातचीत के द्वारा आमरण अनशन को समाप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

अनशन तो समाप्त हो गया।

श्री राम गोविन—

नहीं हुआ है, मान्यवर।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, जिन पांच छात्रों की अनशन की चर्चा इस प्रश्न में उठायी गयी थी उसकी सूचना मैंने दी थी कि पांच अनशनकारी छात्रों ने अनशन समाप्त कर दिया है। सूचना वैसे आज ही प्राप्त हुई है कि जो सामने कोई शिविर और लगा हुआ है वहां पर दो लोग अनशन पर बैठ हुए हैं। उन पांच छात्रों के बारे में मैंने कहा है जिनकी चर्चा इसमें की गयी थी। उनका अनशन समाप्त हो गया है।

श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में। इस विद्यालय में शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है, पढ़ाई लिखाई का सामान नहीं है, इस विद्यालय के लिये बिल्डिग नहीं है। इस विद्यालय के विद्यार्थी पिछड़े वर्ग के हैं और माननीय मंत्री जी खुद पिछड़े वर्ग के हैं तो क्या इन विद्यार्थियों के केस पर पुनर्विचार करने के लिए फिर से यह आश्वासन देंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं कि शासन आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है।

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय जो 117 छात्र अनुपस्थित हैं जो कारागार में बंद हैं और बाकी जो अनशन में बैठे हुय हैं क्या माननीय मंत्री जी इस तरह का आश्वासन देंगे कि जो 117 छात्र इस समय कारागार के अन्दर बंद पड हैं उनको जेल से रिहा करेंगे और उनके मामले को सहानुभूतिपूर्वक हल करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, जो आन्दोलन चल रहा है आन्दोलन पर तो मैं वक्तव्य...

श्री अध्यक्ष—

117 आदमी जेल में बंद हैं उनका कहना है कि क्या उन्हें रिहा करेंगे .... ?

श्री कल्याण सिंह—

इस बारे में गह मंत्री जी बतला पायेंगे।

श्री अध्यक्ष---

आपका संयुक्त उत्तरदायित्व है। आपको आवश्यकता थी तो आपको गृह मंत्रालय से परामर्श कर लेना था।

श्री कल्याण सिंह---

इस सम्बन्ध में मैं गृह मंत्रालय से बातचीत कर लूंगा।

श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)---

आयुर्वेदिक पद्धति के छात्रों की परीक्षा अगर बोर्ड से हो सकती है तो फिर विद्यापीठ के छात्रों की परीक्षा को बोर्ड से लेने में क्या सरकार को आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष---

इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री राम जनम राय (जिला गाजीपुर)---

जो 5 छात्र आमरण अनशन पर बैठे थे उनका वह अनशन जबरदस्ती तुड़वाया गया या अपने आप उन्होंने तोड़ा ?

श्री कल्याण सिंह---

इसकी कोई सूचना नहीं हैं कि उनका अनशन तुड़वाया गया है।

श्री ब्रज बल्लभ सिंह---

दिल्ली प्रशासन ने सनातन धर्म आयुर्वेद कालेज, कृष्णानगर, को कुछ शर्तों के साथ परीक्षा लेने का अधिकार दिया था तो क्या स्वास्थ्य मंत्री इंडियन मेडिसिन बोर्ड को परीक्षा का अधिकार देकर अपने प्रदेश में जो आयुर्वेद विद्यापीठ के अच्छे विद्यालय हैं जिनके पास अच्छी फार्मेसी है, इनडोर तथा आउटडोर हास्पिटल भी हैं, छात्रावास तथा भवन भी हैं, भूमि भी है ऐसे विद्यालयों के छात्रों के लिये कुछ शर्तें लगा कर परीक्षा की व्यवस्था करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह---

मैं उन सब चीजों को दोहराना नहीं चाहता जो वक्तव्य में कह चुका हूं। हमारे लिये यह संभव नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष महोदय, आपने बीच में पड़ कर अगुवाई करने की कोशिश की और 21 तारीख को मुलाकात भी हुई थी और 22 तारीख को इसी सदन में मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी भी दिया था कि होली के पहले उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जायगा लेकिन 22--23 की रात को दारुलशफा में काफी शोर हुआ और 200 पुलिस वाले लड़कों को मारते पीटते ले गये। किसी भी सरकार को इतना जंगली नहीं होना चाहिये कि निहत्थे लोग जो आमरण अनशन कर रहे हों उनको पिटवाये। इस तरह समस्या जहां थी वहीं रह गयी। स्वास्थ्य मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि यह विषय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से संबंधित हैं तो इस सदन के जरिये मेरा अनुरोध है कि किसी निर्धारित तिथि को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री केन्द्र के स्वास्थ्य मंत्री से इस सम्बन्ध में बात कर लें ताकि इन विद्यार्थियों का जो शिक्षण सत्र है वह खराब न हो और अपनी बातचीत से वह सदन को अवगत करा दें ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि वह केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से पत्राचार कर रहे हैं और उनका सुझाव है कि केन्द्र स्वयं उनकी परीक्षायें संचालित करें। चूंकि इस सम्बन्ध में मेरा नाम लिया गया है इसलिये मैं बतलाना चाहता हूं कि मैं अवश्य 21 तारीख को गया। स्वास्थ्य मंत्री जी मिल नहीं पाये, लिहाजा मैंने मुख्य मंत्री जी से परामर्श किया। मै स्वयं उनसे कहना चाहता था कि लड़कों का जीवन खतरे में न पड़ इसलिये मैंने मुख्य मंत्री को अपना यह सुझाव दिया था कि उन छात्रों की परीक्षाओं के लिये कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये, केन्द्र करे या प्रदेश करे। इसके लिये अवश्य कोई मार्ग निकालना चाहिये। परीक्षा में जो छात्र पास होंगे और जिनमें योग्यता होगी वही तो उत्तीर्ण होंगे। इसके अतिरिक्त यू0 जी0 सी0 वह भी सुझाव दे रहा है कि सरकारी नौकरियों के लिये पासपोर्ट डिग्री न हो और प्राइवेट परीक्षाओं की व्यवस्था भी हो। तो मैंने यह सुझाव दिया था कि इन लड़कों का जीवन नष्ट न हो परीक्षा ली जाय। मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वह केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके अवश्य ही कोई मार्ग निकालेंगे।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मैं स्वयं जाकर केन्द्रीय सरकार से और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इस संबंध में विचार-विमर्श करूंगा कि वह इनकी परीक्षाओं के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करायें।

(मेंजे थपथपाई गईं।)

के0 डी0 सिंह 'बाबू' की मृत्यु के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

मैंने आज सुबह यह सूचित किया था कि के0 डी0 सिंह 'बाबू' के निधन के सम्बन्ध में जो जानकारी सरकार को हो, वह सदन को दी जाय।

पर्वतीय विकास उप मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

मान्यवर, दिनांक 27–3–78 को श्री के0 डी0 सिंह 'बाबू' अपने निवास सी–18, विज्ञान पुरी, महानगर में प्रातः बन्दूक की गोली से हताहत होकर मृत पाये गये। श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री त्रिभुवन सिंह, जो श्री के0 डी0 सिंह 'बाबू' के भांजे हैं, ने उस दिन प्रातः 5–10 बजे लिखित रिपोर्ट दी कि दिनांक 27–3–78 को प्रातः लगभग 4–45 बजे श्री के0 डी0 सिंह 'बाबू' श्री महेन्द्र सिंह के कमरे में आये और उनसे चाय बनाकर लाने को कहा। श्री महेन्द्र सिंह रसोई में चाय बनाने चले गये। इतने में कमरे से धमाके की आवाज आई। श्री महेन्द्र सिंह ने कमरे में जाकर देखा तो अपने मामा श्री 'बाबू' को बिस्तर पर पड़ा पाया। उन्होंने पास में रक्खी बन्दूक से आत्म हत्या कर ली थी। श्री 'बाबू' लगभग 8 माह से मानसिक रोग से ग्रस्त बताये जाते हैं। उनका इलाज डाक्टर सेठी ने किया था और मृत्यु के समय उनका इलाज होम्योपैथिक के डा0 सिंधी कर रहे थे।

उपरोक्त सूचना पर तुरन्त पुलिस मौके पर पहुंच गई, पंचायतनामा तैयार किया गया व लाश पोस्टमार्टम के लिये भेजी गई। पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण शोक व हैमरेज पाया गया जो बन्दूक शाट के कारण हुआ।

इस समय तक उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री 'बाबू' की मृत्यु बन्दूक की गोली लगने के कारण हुई है। उनके परिवार के सदस्यों ने जो उनके साथ सी–18 विज्ञानपुरी महानगर में रहते थे, ने श्री 'बाबू' द्वारा आत्म हत्या करना ही बताया है। पुलिस की जांच अभी जारी है।

श्री अध्यक्ष––

इस पर तो वक्तव्य हो गया था।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)––

मान्यवर, जैसा कि मैंने इस माननीय सदन के अन्दर कहा था और आपने भी यह सरकार को निर्देश दिया था कि के0 डी0 सिंह "बाबू" की हत्या हुई है या आत्महत्या हुई वह किन कारणों से हुई है उसके बारे में जो बयान माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से आया है उसमें उन कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया है। श्रीमन्, यह प्रश्न आज विधान परिषद् में भी उठा था और उसमें भी यह नहीं बताया गया कि उनकी हत्या या आत्महत्या किस कारणों से हुई ? स्पष्ट उत्तर नहीं आया है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किस मानसिक व्यथा से पीड़ित थे इसकी जांच कराई जाय। उनको इस सदन में श्रद्धांजलि भी दी गई। वे एक अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं। आत्महत्या क्यों उन्होंने की, किन कारणों से हुई यह उत्तर प्रदेश में और सारी जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। अत: मैं गुजारिश करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी पुन: संशोधित और विस्तृत वक्तव्य जांच के उपरान्त सदन को देंगे ?

श्री अध्यक्ष––

इस सम्बन्ध में जांच करा ली जायगी।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री अध्यक्ष––

अब सचिव, विधान सभा सूचना देंगे।

सचिव, विधान सभा––

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 161 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1978, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा––

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अंतर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978, जो विधान सभा द्वारा 22 मार्च, 1978 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 29 मार्च 1978 को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 53 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
29 मार्च, 1978 ।

प्रदेश सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 7 32 पर)

सूची

जनपद देहरादून में त्वरित योजना के अन्तर्गत अधूरे कार्यों के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित मार्ग

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	लम्बाई
		(कि0मी0)
1	सहस्त्र धारा–क्यारा मार्ग	21.00
2	सहस्त्र धारा–घोरन मार्ग	1.00
3	नागल–हटनाला मार्ग	1.00
4	छरवा–होरावाला मार्ग	10.36
5	सेलाकुई–भाऊवाला–सुद्दोवाला मार्ग	16.635
6	वरोठी वाला–विकास नगर मार्ग	4.80
7	हाथी वरकला–मालसी मार्ग	5.00
8	सेवला–माजरा मार्ग	4.10
9	मेहूवाला मार्ग	0.61
10	बसन्तपुर मादसी मार्ग	13.40
11	डोई वाला डेरी मार्ग	9.60
12	रायपुरथानो–देहरादून मार्ग	10.125
13	विरमऊकांडो–नगऊं मार्ग	2.90
14	नाराया–लोरली अश्व मार्ग	7.00
		107.53

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 745 पर)

सूची 'क'

वर्ष 1976–77 में विद्यालयों को प्राइमरी विभाग को स्वीकृत अनुदान के पारित करने की सूची।

क्रम-संख्या	विद्यालय का नाम	बिल पारित करने की तिथि	शिक्षा निदेशालय का संदर्भ जिसके पत्र द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया।
1	2	3	4
1	आई ए0 क0 जू0 हा0 स्कूल, अमरोहा	26–2–77	अर्थ (1)/22936–76, दिनांक 21-2-77
2	गुरुनानक क0 जू0 हा0 स्कूल, मुरादाबाद	2–3–77	
3	आर0 पी0 उ0 मा0 वि0 स्योडारा	4–3–77	
4	अम्बिका प्रसाद इ0 का0 मुरादाबाद	22–3–77	
5	अन्सार इ0 का0 मुरादाबाद	28–3–77	
6	आमोदय उ0 मा0 वि0 गंगेश्वरी	13–3–77	
7	फलाहेदारान उ0 मा0 वि0, मुरादाबाद	26–2–77	
8	प्रभादेवी का0 इ0 कालेज, मुरादाबाद	10–3–77	
9	अब्बास उ0 मा0 वि0, मुरादाबाद	14–3–77	
10	इन्द्रा गांधी पूर्व मा0 वि0, मुरादाबाद	24–2–77	
11	सनातन धर्म क0 जू0 हा0 स्कूल, चन्दौसी	10–3–77	
12	बाल वि0 म0 जू0 हा0 स्कूल, सम्भल	28–2–77	
13	विनातुल कुरैश क0 जू0 हा0 स्कूल,	22–3–77	अर्थ (1)/29903–950/76–77, दिनांक 4–3–77।
14	श्री सनातन धर्म जू0 हा0 स्कूल, सम्भल	14–3–77	
15	ए0 एम0 क0 विद्यालय, सम्भल	12–3–77	
16	राष्ट्रीय चिरंजी लाल क0 जू0 हाई स्कूल, मुरादाबाद	14–3–77	
17	अम्बेडकर जू0 हा0 स्कूल, बरखेड़ा	30–3–77	
18	मणि कर्णिका स0 शि0 म0 क0 जू0 हाई स्कूल, हसनपुर।	18–3–77	
19	इस्लामियां क0 जू0 हा0 स्कूल, मुरादाबाद	14–3–77	
20	जियाउल जू0 हा0 स्कूल, सरायतरीन	22–3–77	
21	सैण्ट परपेलुआ क0 जू0 हा0 स्कूल पाकबड़ा	24–3–77	
22	महाराजा अनसेन इ0 का0, मुरादाबाद	28–3–77	अर्थ (1)/31852–31900, दिनांक 23–3–77।
23	कन्या शिक्षा बसार जू0 हा0 स्कूल, मुरादाबाद	26–3–77	
24	भारतीय बा0 वि0 जू0 हाई स्कूल, मुरादाबाद।	28–3–77	अर्थ (1)/31852–31900, दिनांक 23–3–77

1	2	3	4
25	फलाहेदारान हा0 से0 स्कूल, मुरादाबाद	26-3-77	
26	रामचन्द्र सिंह खत्री क0 इ0 का0, अमरोहा	25-3-77	
27	राहत मौलाई क0 जू0 हाई स्कूल, मुरादाबाद।	28-3-77	
28	फजरुल रहमान उ0 मा0 वि0, चन्दौसी	28-3-77	
29	हकीम रईस सरस्वती विद्यालय, सम्भल	25-3-77	अर्थ 1/31582-31900, दिनांक 23-3-77
30	ए0 एम0 सरस्वती जू0 हा0 स्कूल, हसनपुर	28-3-77	अर्थ-1/33415-40/76-77, दिनांक 26-3-77।
31	बाल भारती शिक्षा निकेतन, सराय तरीन, सम्भल।	28-3-77	
32	मनोरमा बालिका विद्यालय, गांधीनगर	28-3-77	
33	के0 जी0 के0 इन्टर कालेज, मुरादाबाद	28-3-77	
34	मुसलिम अरेबिक जू0 हा0 स्कूल, उझारीं	28-3-77	
35	स्वामी लक्ष्मणानन्द जू0 हा0 स्कूल, मुरादाबाद	28-3-77	
36	एस0 एल0 शर्मा जनता जू0 हा0 स्कूल, मुरादाबाद।	28-3-77	
37	आर0 एन0 इन्टर कालेज, मुरादाबाद	31-3-77	
38	शिक्षा सदन क0 जू0 हाई स्कूल, मुरादाबाद	31-3-77	अर्थ-1/34885-94 दिनांक 28-3-77।
39	मुसलिम जू0 हा0 स्कूल, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद	31-3-77	
40	आदर्श ग्रामीण जू0 हाई स्कूल, हरथला, मुरादाबाद	31-3-77	अर्थ-1/33944-980 दिनांक 27-3-77
41	बल्देव आर्य कन्या इन्टर कालेज, मुरादाबाद	24-5-77	अर्थ-1/1185-92, दिनांक 28-4-77
42	लीलावती कन्या जू0 हा0 स्कूल, मुरादाबाद	16-5-77	
43	उम्मेदराय उ0 मा0 वि0 हयातनगर, मुरादाबाद	4-9-77	अर्थ-1/5383-5420, दिनांक 6-6-77
44	भगवत सरन उ0 मा0 वि0 जोया, मुरादाबाद।	30-6-77	
45	कमला शिक्षा निकेतन कन्या जू0 हा0 स्कूल, मुरादाबाद	18-9-77	अर्थ-1/10022-40, दिनांक 3-8-77
46	शिव इन्टर कालेज गजरौला, मुरादाबाद	18-9-77	
47	लक्ष्मी नारायण जगदीश सरन कन्या इंटर कालेज, कटघर।	23-9-77	अर्थ-1/12905-12900, दिनांक 30-8-77।
48	कौशल्या कन्या इ0 का0, मुरादाबाद		उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका जांच कर रही हैं।

सूची 'ख'

क्र0-सं0	विद्यालय का नाम जिनके प्रपत्र अक्तूबर, 76 तक अग्रसारित किये गये		संदर्भ जिसके अन्तर्गत भेजे गये
1	आदर्श ग्रामीण जू0 हाई स्कूल, हरथला, मुरादाबाद।	सम्भावित	बेसिक क्षतिपूर्ति-/2612, दिनांक 27-8-76।
2	रामचन्द्र सिंह खत्री क0 उ0 मा0 वि0, अमरोहा।	वास्तविक	बेसिक क्षतिपूर्ति-/5296, दिनांक 27-8-76।
3	इन्द्रा गांधी पूर्व मा0 वि0, मुरादाबाद	,,	बेसिक क्षतिपूर्ति/5307, दिनांक 12-10-76।
4	शिक्षा प्रसार क0 जू0 हाई स्कूल, मुरादाबाद		उक्त
5	एस0 एल0 शर्मा पूर्व मा0 वि0, मुरादाबाद		बेसिक क्षतिपूर्ति/5396, दिनांक 16-10-76।
6	श्री सनातन धर्म जू0 हा0 स्कूल, सम्भल		बेसिक क्षतिपूर्ति/3443, दिनांक 19-10-76।
7	ग्रामोदय उ0 मा0 वि0, गंगेश्वरी		उक्त
8	मुसलिम जू0 हाई0 स्कूल, ठाकुरद्वारा		उक्त

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 745 पर)

सूची

क्रमांक	जनपद	पुल का नाम	भौतिक प्रगति जनवरी, 1978
1	2	3	4
			प्रतिशत
1	अलमोड़ा ..	सिमलखेत क़े निकट पनार नदी पर झूला पुल	100
2	,,	अठोगांव क़े सरयू नदी पर पुल ..	100
3	,,	बरकिण्डा स्यालदेह मार्गों कं कि0 मी0 8 में खतरौन नदी पर लोह का पुल।	100
4	उत्तरकाशी ..	बनालगाड पर डबियार गांव के समीप झूला पुल।	100
5	,,	गंगा नदी के पास भागीरथी पर झूला पुल ..	95
6	,,	बडियार गाड पर नमुनगांव कं समीप झूला पुल।	99
7	चमोली	जगासू पर सरस्वती नदी पर झूला पुल ..	100
8	,,	पिन्डर नदी पर कुलसारी के पास झूला पुल	92
9	,,	प्राणपति गेंदरे पर थराली के निकट ..	100
10	टिहरी गढ़वाल	भंगागांव के निकट लस्तर गाड पर झूला पुल	100
11	,,	बेलागाड तथा जोलागाड पर झूला पुल ..	70
12	,,	धनशाली भीरी पैदल मार्ग पर नालागाड .. पर झूला पुल।	95
13	नैनीताल ..	कलाखेड़ा के पास गैनी नदी पर पुल ..	75
14	,,	खनस्यू में गोला नदी पर पुल ..	100
15	,,	काला दूगी रामनगर मार्ग कं कि0 मी0 19 में कजवे का निर्माण।	100
16	,,	चांफी पदमपुरी मार्ग में कालस नदी पर चांपी का पुल।	100
17	पिथौरागढ ..	खेतार गेदरे पर लकड़ी का पुल ..	77
18	,,	डीडीहाट दूनाकोट मार्ग पर भीरी नदी पर पुल।	92
19		मदकोट में मद कन्या नदी पर पुल ..	93
20	,,	टांगा नदी पर सेराघाट पर पैदल झूला पुल	70

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 749 पर)

1—शैक्षिक अर्हता	वर्ष जिसमें परीक्षा पास की	श्रेणी
(1) हाई स्कूल	1944	प्रथम
(2) इण्टरमीडिएट	1946	प्रथम
(3) बी० एस० सी० (इन्डस्ट्रियल केमिस्ट्री) ..	1948	प्रथम
(4) एम० एस० सी० (टेक्क)	1950	प्रथम

2—विदेशी अर्हता

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टेक्नीकल साइंस (इन्डस्ट्रियल ऐडमिनिस्ट्रेशन) कालेज आफ साइन्स एण्ड टेक्नालाजी, मैनचेस्टर, यू० के० (कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत)।	द्वितीय क्लास 1960 प्रथम श्रेणी

3—पद जिस पर कार्यरत रहे।

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग के रिसर्च इन्स्टीट्यूट में असिस्टेन्ट रिसर्च केमिस्ट के पद पर।	मई, 1950 से जुलाई, 1955 तक।
(2) इम्पीरियल कैमिकल इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लि०, कलकत्ता के रिसर्च असिस्टेन्ट के पद पर।	अगस्त, 1955 से अक्टूबर, 1956 तक।
(3) सहायक निदेशक उद्योग (प्राविधिक शिक्षा) कानपुर के पद पर।	नवम्बर, 1956 से दिसम्बर 1958 तक।
(4) सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के पद पर ..	जनवरी, 1959 से फरवरी, 1968 तक।
(5) उप निदेशक प्राविधिक शिक्षा, कानपुर ..	जनवरी, 1968 से अक्टूबर 1972 तक।
(6) प्रोजेक्ट मैनेजर, यू० पी० स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन, कानपुर एवं मैनेजर (इन्डस्ट्रियल एरिया)	अक्तूबर, 1972 से सितम्बर, 1975 तक। सितम्बर, 1975 से जनवरी, 1976 तक।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 56 का उत्तर पीछे पृष्ठ 754 पर)

तालिका

वर्ष 1972–73, 1973–74 एवं 1974–75 (अगस्त, 1974 तक) रिक्त खंड, वाराणसी के षष्टम् उपखंड में कार्यरत मशीनों का विवरण ।

वर्ष	कार्यरत मशीनों का नाम
1972–73	फेलिन्ग रिग नं0 1
	फेलिन्ग रिग नं0 2
	परकुशन रिग नं0 28
	सी0 पी0 टी0 कम्प्रेशर नं0 7
	सी0 पी0 टी0 कम्प्रेशर नं0 8
1973–74	फेलिन्ग रिग नं0 1
	फेलिन्ग रिग नं0 2
	परकुशन रिग नं0 28
	होल मास्टर रिग नं0 4
	सी0 पी0 टी0 कम्प्रेशर नं0 7
	सी0 टी0 पी0 कम्प्रेशर नं0 8
	के0 बी0 कम्प्रेशर (नया)
	के0 बी0 कम्प्रेशर (पुराना)
1974–75 (अगस्त, 1974 तक) ..	फेलिन्ग रिग नं0 1
..	फेलिन्ग रिग नं0 2
	परकुशन रिग नं0 28
	के0 बी0 कम्प्रेशर नं0 1 (नया)
	के0 बी0 कम्प्रेशर नं0 2 (पुराना)
	सी0 पी0 टी0 कम्प्रेशर नं0 7
	सी0 पी0 टी0 कम्प्रेशर नं0 8

तालिका–2

वर्ष 1972–73, 73–74 वर्ष 74–75 (दिनांक 31–8–74) मशीनों का विवरण

क्रमांक	मशीन का नाम	अवमूल्यित मूल्य	खरीद की तिथि	वर्ष 1972–73 मरम्मत पर व्यय	विशेष मरम्मत पर व्यय	1973-74 मरम्मत पर व्यय	1974-75 विशेष मरम्मत पर व्यय	31-8-74 मरम्मत पर व्यय	विशेष-मरम्मत पर व्यय	31-8-74 तक मरम्मत पर कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1–फेलिंग रिंग नं0 1		3,00,000	1953	1,61,521.93	..	99,821.88	..	97,755.89	..	3,59,099.70
2–फेलिंग रिंग नं0 2		1,40,000	1953	2,17,022.08	..	1,20,600.21	..	56,657,.78	..	3,94,280.07
3–परकुशन रिंग		2,00,000	15-5-72 को यह मशीन देहरादून से स्थानान्तरण होकर आई थी।	49,400.00	1537.00	2,38,000.00	21,095.00	68,600.00	..	3,78,632.00
4–सी0 पी0 टी0 कम्प्रेशर नं0 7		40,500	1953	17,178.43	..	23,681.29	..	10,337.97	..	51,197.69
5–सी0 पी0 टी0 कम्प्रेशर नं0 8		40,000	1953	24,368.01	..	26,787.83	..	12,566.00	..	63,722.44
6–के0 बी0 कम्प्रेशर नं0 2 (नया)		1,35,00	1973	..	..	5,210.73	..	6,770.25	..	11,980.98
7–के0 बी0 कम्प्रेशर नं0-2 (पुराना)		60,750	1969	..	..	1,500.07	..	11,978.47	..	13,478.54
8–होममास्टर रिंग नं0 4		5,40,000	6173	..	..	1,82,156.26	..	..	..	1,82,156.26
		14,56,250.00		4,69,491.05	1537.00	6,97,758.27	21,095.00	2,57,896.11	..	14,54,547.68

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 92 का उत्तर पीछे पृष्ठ 764 पर)

1—कालेज का राष्ट्रीयकरण हो ।

2—कालेज के प्रशिक्षण का अभिनवीकरण हो ।

3—प्रयोगशालाओं का अभिनवीकरण हो ।

4—छात्रों का उत्पीड़न समाप्त हो ।

5—छात्रवृत्ति एवं शुल्क से मुक्ति प्रदान की जाय ।

6—पुस्तकें ऋण पर दी जाय ।

7—छात्र सहायता कोष की स्थापना हो ।

8—आवश्यक खाद्य,सामग्री की सुविधा प्रदान की जाय ।

9—नये पाठ्यक्रम लागू किये जायं ।

10—डा0 एस0 सी0 पोखिरियाल, प्रवक्ता, गणित विभाग के सेवाच्युत किये जाने का आदेश निरस्त किये जायं ।

नत्थी 'छ'

(देखियें अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 776 पर)

संलग्नक 'क'

जनपद बलिया में मार्गों के आधुनिकीकरण पर वित्तीय वर्ष 1975–76 तथा 1976–77 में व्यय

मार्ग का नाम	वित्तीय वर्ष 1975–76 में व्यय	वित्तीय वर्ष 1976–77 में व्यय
1—बलिया जिले के सिकन्दर पुर बेल्थरा मार्ग के मी0 न0-1 से 15 तक का आधुनिकीकरण	..	19865.99
2—जिला बलिया में बलिया सिकन्दरपुर मार्ग का आधुनिकीकरण	21,614.85	23820.00
3—लखनऊ बलिया मार्ग के मील 204 से 208 तक का विस्तार एवं आधुनिकीकरण	1261.20	..
4—बांसडीह, सिकन्दरपुर मार्ग का आधुनिकीकरण	2,95,212.49	5,28,482.05
5—सिकन्दरपुर कथोड़ा मार्ग का आधुनिकीकरण	26,184.00	3,00,888.90
1—बलिया जिले में फफना गडवार नगरा मार्ग का आधुनिकीकरण	..	7,51,082.32
2—रसड़ा नगर तुर्तीपार मार्ग का आधुनिकीकरण	..	6,59,327.05
3—बलिया जिला में बसडीह रेवती मार्ग का आधुनिकीकरण	..	3,87,866.25
योग ..	3,54,272.54	26,71,332.56

11—जनपद बलिया में मार्गों के जीर्णोद्धार एवं सुधार पर वर्ष 1975–76 व 1976–77 में व्यय

1—जिला बलिया में लखनऊ बलिया मार्ग का मील नं0 233 से 240 किलोमीटर सुधार एवं पुनर्निर्माण	103.21	71,264.72
योग ..	103.21	71,264.72

पी0 एस0 यू0 पी0–ए0 पी0 32 विधान सभा–20–7–78 (1239)–1978–810(प्रो0)